राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 7

बुधवार;

10 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

सांभर साल्ट लिमिटेड क्षेत्र की परिधि में निजी नमक उत्पादकों द्वारा अतिक्रमण

65. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान की सांभर साल्ट लिमिटेड के पास कितनी भूमि का कितना क्षेत्रफल है तथा कितनी भूमि में नमक उत्पादन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सांभर साल्ट लिमिटेड की परिधि क्षेत्र की भूमि में निजी नमक उत्पादकों द्वारा चोरी कर पानी का दोहन किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा निजी नमक उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा कब्जा किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) सांभर साल्ट लिमिटेड के पास

(श्री राजेन्द्र पारीक)

90 वर्ग मील भूमि का क्षेत्रफल है जिसमें से 30 वर्ग मील भूमि पर नमक उत्पादन किया जा रहा है।

(2) जी हां। सांभर साल्ट लिमिटेड की परिधि क्षेत्र की भूमि में निजी नमक उत्पादकों द्वारा पानी का दोहन करने के प्रयास पर उपयोग में लिये जा रहे तगारी, फावड़े, जे.सी.बी. मशीन, सबमर्सिबल मोटर, विद्युत केबिल आदि को जब्त करने की कार्यवाही सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा समय-समय पर की गई है।

(3) जी हां। सांभर साल्ट लिमिटेड की भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में कुल 47 प्रकरण नावां कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें से 11 प्रकरण नमक के खारड़े बनाकर काम करने से संबंधित हैं एवं सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा नोटिस देने के बाद मुकदमे दर्ज किये गये हैं। 36 प्रकरणों में कब्जेधारियों को नोटिस देने पर एम.एम. कोर्ट, नावां से अवैध कब्जेधारियों ने वाद दायर कर स्टे प्राप्त कर लिया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सांभर साल्ट लिमिटेड में राज्य सरकार का कोई हिस्सा है या नहीं? यदि है, तो इस अतिक्रमण के खिलाफ सारी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी क्या सांभर साल्ट लिमिटेड की है, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दूसरी बात, मंत्री जी यह बताएं कि सांभर साल्ट लिमिटेड के पास जो 90 वर्ग मील जमीन आपने दे रखी है, इनको अलाट कर रखी है उसमें 30 वर्ग मील में ये नमक उत्पादन कर रहे हैं, उस तीस के अलावा कब्जा कितने लोगों ने कर रखा है, कितनी भूमि पर कर रखा है? यह आपने जवाब में स्पष्ट नहीं किया कि कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है लोगों का। आपने यह तो जवाब दिया कि 47 मुकदमे हैं 47 लोगों के खिलाफ हैं, पर कितनी भूमि है यह नहीं बताया आपने। एक बात यह भी बताएं कि निजी उत्पादकों द्वारा पानी का दोहन किया जा रहा है, आपकी जानकारी में भी है, तो सांभर साल्ट लिमिटेड ने इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की? जो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, कौन से कोर्ट में विचाराधीन हैं? जब सरकारी जमीन है, सांभर साल्ट लिमिटेड की जमीन है तो उस पर कोर्ट ने स्टे कैसे दे दिया? पक्ष इतना कमजोर क्यों रहा सरकार का, इसका भी जवाब दें मंत्रीजी और एक सबसे बड़ी बात, इसका परिसीमन क्षेत्र कितना है, क्या इसका सीमा ज्ञान किया हुआ है? सांभर साल्ट लिमिटेड की जमीन कहां से शुरू होती है,

(श्री निर्मल कुमावत)
कहां पर खतम होती है सरकार को मालूम है या नहीं? मैं मंत्री जी से ये सारे जवाब जानना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि सांभर साल्ट लिमिटेड के पास में जितनी भूमि है उसमें से तीस वर्ग मील भूमि पर ही नमक उत्पादन क्यों हो रहा है, शेष भूमि पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सांभर झील है, उस झील से कुछ लोगों ने पानी दोहन करने के लिए दो-दो,तीन-तीन किलोमीटर दूर ले जाकर पाइप लगाये हैं और छोटे-बड़े सबमर्सिबल पम्प भी वहां पर लगाये हैं। जब विभाग को इस बात की जानकारी हुई तो विभाग ने तत्काल कार्यवाही की। यह एक रैगुलर प्रोसेस चल रहा है जब भी वो लोग सबमर्सिबल पम्प लगा कर पाइप डालते हैं, विभाग जाता है और जेसीबी लगा कर उनकी खुदाई करता है। वो पाइप भी तीन-तीन, चार-चार फुट नीचे गहरे डाल लेते हैं, वो पाइप दिखायी नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी विभाग समय-समय पर कार्यवाही करता है और जाकर जेसीबी लगा कर तीन-तीन, चार-चार गहरी लम्बी पाइप, उनके केबल, उनके सबमर्सिबल पम्प वगैरह, ईवन जेसीबी और वहां जो कुछ भी उनके और इक्विपमेंट्स पाये जाते हैं, समय-समय पर विभाग उनको वहां से डाल करके लाता है, जब्त की कार्यवाही करता है और तत्काल अपनी ओर से स्थानीय थानों में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ में वहां कुछ लोगों ने छोटे-छोटे खारड़े बना लिये और खारड़े बनाकर उनमें भी नमक उत्पादन शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे करके वहां भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह प्रश्न पूछना कि कोर्ट ने स्टे कैसे दे दिया, यह तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, यह तो कोर्ट निर्णय करेगा कि कौन से मामले में स्टे दिया जाए या नहीं। लेकिन मूल रूप से जब भी इस तरह से अवैध कब्जे हुए हैं, जब भी खारड़ों से पानी ले कर उन्होंने कोई कार्यवाही की है, जब भी कार्यवाही हुई है तो विभाग ने पूरी तत्परता दिखा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की हर बार कोशिश की है। कोर्ट ने कुछ मामलों में स्टे दे दिया तब भी हमने कार्यवाही की है, हमने कोर्ट में अच्छी तरह से पैरवी की है। अभी चार रोज पहले ही तीन मामलों में स्टे वेकेट हुआ है और हम तत्काल उनको डिस्पजैस करने की कार्यवाही कर रहे हैं। हमने जब भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। अब यह निर्णय करना तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा मुश्किल है कि कोई किस आधार पर उनको ...

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बता दें कि कब-कब, क्या कार्यवाही हुई?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हमने जो कार्यवाही की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ हमने 36 प्रकरण दर्ज कराये हैं । 47 प्रकरण ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जे करने की कार्यवाही की गई, 11 कब्जे ऐसे हैं जिन पर उन्होंने खारड़े बना कर पानी इकट्ठा किया और वहां से उन्होंने कार्यवाही की है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार वहां से पानी सबमर्सिबल पम्प के जरिये दूर तक ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमने नावां थाने में एफआईआर दर्ज करा रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार इस तरह की जब भी कार्यवाही होती है, हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। रहा सवाल राजस्थान सरकार के शेयर का तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये ट्रीटी हुई तब साढ़े पांच लाख रुपये लीज और चालीस प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार का सांभर साल्ट लिमिटेड में रखा गया।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सांभर, यह हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर है। माननीय मंत्री महोदय बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि कब्जे हो रहे हैं, पाइप लाइनें डाली जा रही हैं, खारड़े बना लिये, विचाराधीन है, यह क्या तमाशा बना कर रख रखा है सरकार ने? जब आपने स्वयं अपने जवाब में लिखा है कि लोग पाइप लाइन ले जा रहे हैं तो जेसीबी जब्त करना, फावड़े जब्त करना, ये ही कार्यवाही है? कोई भी आकर कब्जा कर ले, फिर हम भी कब्जा करा दें? हम सब एमएलएज को बांट दें, कब्जा कर लें वहां जमीन पर? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैंने एक ही बात जाननी चाही है, जब कोर्ट स्टे दे रहा है तो अपना पक्ष चला कर कमजोर रखा जा रहा है। कोर्ट में सही बात क्यों नहीं बतायी जा रही है कि जमीन किसकी है? दूसरी बात मैंने परिसीमन की की है, आपका क्षेत्र नापा हुआ है क्या? कहां सीमा शुरू हो रही है और कहां सीमा खतम होती है, इसकी भी जानकारी नहीं है तो क्या विभाग दुबारा नये सिरे से क्षेत्रफल का ज्ञान करेगा और वहां मुड्डियां रोपेगा? सरकार उसका सीमा ज्ञान करना चाहती है या नहीं? जो अवैध कब्जेधारी लोग हैं, आप अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं कि ट्यूबवैल है, खारड़े बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक्शन कोई इनकी जानकारी में नहीं है, जब मैंने प्रश्न लगाया तब हलचल हुई है डिपार्टमेंट में, नहीं तो इनकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। मंत्री जी, दो चीज का जवाब दे दें कि जो भी अवैध काम हैं उन पर कब तक तो

(श्री निर्मल कुमावत)

कार्यवाही शुरू करेंगे और उसका सीमा ज्ञान कैसे कराएंगे ताकि आम लोगों को जो भ्रांति है वो दूर हो जाए कि कहां से सीमा शुरू हो रही है और कहां खतम हो रही है?

तीसरी बात, सांभर साल्ट लिमिटेड का यह प्रगति प्रतिवेदन कल मिला है, इसमें लिखा गया है कि पानी की छीजत की वजह से, पानी की कमी की वजह से नमक का उत्पादन कम हो रहा है। एक तरफ तो सांभर साल्ट लिमिटेड जो सरकार की फर्म है, वो घाटे में जा रही है और दूसरी तरफ प्राइवेट नमक उत्पादक आराम से बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे है। सरकार कह रही है कि कार्यवाही कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी सरकार है, संवेदनशील सरकार है। मैं एक यह बात जानना चाहूंगा, कि तीस वर्ग मील के अलावा जो जमीन फालतू पड़ी है सरकार के पास, तो क्या उसको रैगुलराइज करके कुछ लोगों को अलॉट कर सकती है ताकि सरकार को भी रेवेन्यू मिले और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले? आप अवैध तो चलाने दे रहे हो वैसे भी, तो उसको रैगुलराइज क्यों नहीं कर देते ताकि उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिले? मंत्री जी, दो चीज का जवाब दें।

श्री राजेन्द्रे पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, बार-बार माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वहां हम बाकी लोगों को अलाट क्यों नहीं कर देते, एक ट्रीटी के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता हुआ, उसमें 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सांभर साल्ट लिमिटेड को दे दिया गया। उसमें राजस्थान की चालीस प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन हम जो बाकायदा निर्धारित किया हुआ एरिया है उसमें बाकी लोगों को कैसे आबंटन की कार्यवाही कर देंगे?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): जब आप कब्जे पर कार्यवाही नहीं कर सकते ...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला पूरी तरह से सांभर साल्ट लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है। सांभर साल्ट लिमिटेड ने, जब भी वहां पर अवैध कब्जाधारियों ने कोशिश की तो तत्काल वहां के थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। जब भी उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, तत्काल उनके खिलाफ जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत कार्यवाही की है। 36 प्रकरण तो ऐसे हैं जिन पर कोर्ट से स्टे चल रहा है। 47 मामले हुए जिनमें से 11 मामले खारड़ों के हैं। माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र पारीक)

महोदय, यदि हम कार्यवाही नहीं करते तो चार दिन पहले कोर्ट से स्टे वेकेट हुआ है, वो कैसे होता? हम तत्काल उन पर कार्यवाही करके उनको डिस्पजैस करेंगे। यह कहना कि राज्य सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है, सांभर साल्ट लिमिटेड जब भी किसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करती है तो तत्काल राज्य सरकार अपनी ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जब भी उनके खिलाफ कार्यवाही की बात होती है तो हम तत्काल थानों में उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, और क्या किया जा सकता है?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि कितनी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसका ज्ञान है क्या सरकार को? लगभग कितनी भूमि पर कब्जा है अवैध?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी वो कार्यवाही करते हैं, हम तत्काल उनको वहां से डिस्पजैस करते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, ये तो पूछ रहे हैं कि कितनी भूमि पर कर रखा है लोगों ने ?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): कितनी भूमि पर कब्जा है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हमारे पास तीस वर्ग किलोमीटर भूमि ऐसी है जहां हमारा नमक का उत्पादन हो रहा है, उस भूमि में वो कभी एक एकड़ पर कब्जा कर लेते हैं, कभी हजार वर्गमीटर पर कर लेते हैं, तो जब भी कब्जा करते हैं हम तत्काल हटाते हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब है? अभी मौजूदा कब्जा कितना है, यह जवाब दें आप?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सीमा ज्ञान कराया हुआ है क्या?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ...मौजूदा कब्जा कितना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सवाल है, कितनी भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): इसका जवाब दें, मंत्रीजी, कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है?

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): ...(व्यवधान)... उस खारड़े में सांभर झील में नाजायज ट्यूबवैल कितने खोद रखे हैं और कितने ...(व्यवधान)...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): हां, इसका जवाब दो आप, कितने ट्यूबवैल हैं और कितने कब्जे हैं? यह जवाब दें, मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: आपके समय के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई बात नहीं, हमारे समय के हैं तो हटाओ न।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब भी वहां ट्यूबवैल खोदते हैं दो दिन में, चार दिन में, दस दिन में, जैसे ही हमें जानकारी मिलती है, हमने अपने आदमी वहां लगा रखे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक दो प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, बात समाप्त हो जाएगी- एक तो कितनी भूमि पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और कितने ट्यूब वैल खोद रखे हैं। दो सवालों का जवाब दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वहां पर 36 लोगों के कब्जे हैं। 200x200 के कब्जे करके उन्होंने वहां पर नमक की क्यारियां बना रखी हैं और कुछ लोगों ने जो खारड़े बना रखे हैं, वे करीब 11 है। लेकिन राज्य सरकार तत्काल उन पर कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष: और ट्यूबवैल कितने खोद रखे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल तो वहां पर रेगुलर प्रोसेस है, वे लगाते हैं और हम कार्यवाही कर उनके सबमर्सीबल के पाइप निकाल लेते हैं। दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर पाइप लेकर जाते हैं।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): वहां दो-तीन हजार से कम ट्यूबवैल नहीं हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, सैकडों ट्यूबवैल है मंत्री महोदय को जानकारी ही नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, सदन में सही सूचना तो मिलनी चाहिये। भविष्य में इसको रोकने की कोई कार्य योजना है क्या आपकी? लगातार कब्जे हो रहे हैं। हमारे किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय का खुद का नमक का उद्योग है।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): थाने वाले कहते हैं कि आप कैसे आये, आपकी यहां सीमा ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल खोदने में समय

(डा. रघु शर्मा)

लगता है और उस समय के दौरान आपको पता नहीं चलता, 10 दिन बाद आपको मालूम पड़ता है? आप खुद कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आप भविष्य में ऐसी कार्य योजना बनाएं? एक तो यह कि इनको दूर करने के लिये आप क्या योजना बना रहे हैं? भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, अवैध दोहन नहीं हो, इसके लिये आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या कार्य योजना ला रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष: पहले इनका जवाब तो आ जाने दीजिए। माननीय सदस्य इनका जवाब आ जाने दीजिए, आप कन्फूज कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मैं कनफ्यूज नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब आ रहा है, आपको मैं मौका दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चारों ओर के माननीय सदस्य उद्वेलित हो रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि वहां पर रैगुलर प्रोसेस है, जब भी वे ट्यूबवैल लगाते हैं, हम तत्काल कार्यवाही करके उनको वहां से हटाते हैं। उनके सबमर्सीबल, उनके केबल, उनकी पाइप लाइन, अध्यक्ष महोदय, दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर तक वे पाइप लेकर जा रहे हैं और 3-4 फीट गहराई में डालकर कर रहे हैं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि वहां पर तीन हजार सबमर्सीबल हैं.....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, जवाब किस तरह का है? तीन-तीन किलोमीटर तो पाइप लाइन ले जा रहे हैं ।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सरकार के सामने ले जा रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): और उसकी सरकार को जानकारी नहीं है। 200-200 मीटर गहरे खोदे जा रहे हैं, उसकी सरकार को जानकारी नहीं है। तो फिर क्या कार्यवाही हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भविष्य में इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है, यह तो कम से कम स्पष्ट बताया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नमक पर इतना उद्वेलित होना, इधर भी बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक बात पूछी, उसका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, सांभर साल्ट घाटे में जा रही है और प्राइवेट नमक वाले नमक बना रहे हैं, और सरकार को मालूम ही नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि मंत्री महोदय कभी वहां गये हैं क्या ? इन्होंने पर्सनली वहां जाकर देखा है क्या कि वास्तविक स्थिति क्या है? इनके अधिकारियों की जिम्मेदारी इन्होंने तय की है क्या? सदन में ऐसे जवाब देना मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह कार्यवाही हुई है, उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान) गांधीजी ने नमक आंदोलन चलाया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मंत्री जी का जवाब तो आ जाने दीजिए, मैं आपको समय दे दूंगा, आपको अवसर दूंगा, जवाब आ जाने दीजिए। प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, प्लीज जवाब आ जाने दीजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, यह अतिक्रमण किन-किन अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है और उन अधिकारियों पर वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। पहले जवाब आने दीजिए। प्लीज जवाब आने दीजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह तो यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ है, वह अतिक्रमण किन अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, उन अधिकारियों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, वह जवाब आ जाएगा तो काम हो जाएगा, यही हम चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वहां पर किसी अधिकारी की कोई मिलीभगत नहीं है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह काम हो ही नहीं सकता, पूरा प्रशासन इसमें इल्वाल्व है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वहां 2000 ट्यूबवैल खुदे हुए हैं, इनको सीमा का ज्ञान नहीं है। 3-3 किलोमीटर लम्बी लाइने लगा देते हैं और कहते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है। आप उनको सर्टीफिकेट दे रहे हैं, कमाल हो गया, साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 90 वर्ग मील का इलाका है, 90 वर्ग मील में 30 वर्ग मील पर नमक का उत्पादन हो रहा है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, हमारी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसमें से भी कोशिश करके वे बीच में नहीं लगाते हैं, वे बार्डर पर लगाते हैं। जो पैरीफेरी है उसमें ट्यूब वैल लगा कर वहां पर पानी को....

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) आपको पता ही नहीं है, आपके अधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। दोनो ही बात नहीं हैं, मिलीभगत भी नहीं है और लापरवाही भी नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, आप तो वहां गये नहीं, आपको मालूम ही नहीं, अधिकारियों का कोई दोष नहीं है तो फिर क्या सदन का दोष है? आप सदन को ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में आपको खुद पूरा मालूम नहीं है। आप पहले पूरी तरह पूछिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप उस पर जांच कमेटी बनाइए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो कहीं गया ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान)... जो पाइप लाइनें पड़ी हुई हैं उन सबको आप चैक करवा कर कितने दिनों में हटवा देंगे, यह बताएं, मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिए, आप कृपया विराजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह जवाब सुनना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: आप तो स्पेसिफिक मूल प्रश्नों का जवाब दे दीजिए खाली।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार जवाब दे रहा हूं, सांभर साल्ट लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र की 90 वर्ग मील जमीन है, 30 मील झील का एरिया है, उसके पैरीफेरी पर कई बार लोग ट्यूबवैल लगा कर वहां से पानी का दोहन करते हैं। विभाग को इसकी जैसे ही जानकारी मिलती है, विभाग तत्काल कार्यवाही करता है। अध्यक्ष महोदय, बाई नेम तो वहां पर कुछ होता नहीं है। जब भी कोई कार्यवाही होती है, विभाग तत्काल उनके वहां से पाइप हटाता है, पाइप लाइन हटाता है। उनकी केबल हटाते हैं, केबल हटाकर उनको जब्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टेबल क्यों बजा रहे हो, जवाब आने दीजिए। बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, दूसरे मंत्री मंत्री जी को जवाब देते हुए डिस्टर्ब करके इस प्रश्न को समाप्त कराना चाहते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी सदन में विराजमान हैं, मंत्री महोदय के जवाब से इतनी भ्रांतियां पैदा हुई हैं। 30 किलोमीटर में सांभर साल्ट है, हमारा 40 प्रतिशत शेयर है। 60 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं बिजली के कनेक्शन हैं, दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तक पाइप लाइन डाली गई है और फिर यह कह रहे हैं कि अधिकारियों का दोष नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किस का दोष है? अध्यक्ष महोदय, यह कोई खेती के लिये पानी नहीं ले जा रहे हैं, वहां पर खारड़े बना रखे हैं। यह पूरा माफिया है वहां पर। खारडे बना रखे हैं, नमक बनाते हैं, नमक बनाकर बेच रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है- फावड़े उठा रही है, तगारी उठा रही है और कह रहे हैं, मुंसिफ कोर्ट ने स्टे कर दिया। कितने केस हैं जिनमें मुंसिफ कोर्ट ने स्टे किया है? और स्टे को वेकेट कराने के बाद ऊपर की कोर्ट में अपील की? एक भी केस में कोर्ट में सरकार ने अपील नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके दल के उप नेता बोल रहे हैं, आप थोड़ा तो खयाल रखिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे साफ साफ तीन प्रश्न है, 60 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में 2000 ट्यूबवैल खोद कर, नमक के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खारड़े बना कर नमक उत्पादन का काम करते रहें सरकार की नाक के नीचे और सरकार के मंत्री यह जवाब दें कि किसी का दोष नहीं है, इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह इतना बड़ा प्रश्न हैं आप जाकर देखेंगे, आपके किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार की सम्पत्ति की खुली लूट हो रही है, मिल कर लूट हो रही है और सारी झील को समाप्त कर दिया गया है और कनेक्शन बिजली बोर्ड ने दिये हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सारे कनेक्शन आपकी सरकार के टाइम के हैं। यह पता लगा लेंगे और सदन में रख देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कह रहा हूं, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी इसको गम्भीरता से लें और इस सारे मामले की आप तहक़ीक़ात करें कि कैसे ट्यूब वैल खोदे, क्यों तीन-तीन किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन डाल दी, क्यों वहां पर पानी ले गये, क्यों खारड़े बना लिये, क्यों वहां पर नमक उत्पादन कर लिया, नमक उत्पादन करने वालों को किसका संरक्षण मिला। 40 प्रतिशत हमारा शेयर है, सांभर साल्ट के अधिकारी मिले हुए हो सकते हैं, हमारे अधिकारी मिले हुए हो सकते हैं, पूरा का पूरा एक गैंग बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर प्रश्न पर मुख्य मंत्रीजी आप कोग्नीजेंस लें। इस प्रकार कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए, और जो सवाल सदन में उठाये गये हैं, मैं खुद चाहूंगा कि अगर अवैध कनेक्शन हुए हैं या अवैध ट्यूबवैल खोदे गये हैं तो पूरी उसकी जांच होनी चाहिये। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

आयोजना मद में कटौती से प्रभावित योजनाएं

66. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट आयोजना मदों में कटौती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन आयोजना मदों में कितनी-कितनी राशि व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट आयोजना मदों में कटौती करने से राज्य में चल रही अनेक योजनाएं प्रभावित होंगी ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिये पूर्व में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। बीएफसी की बैठकों में विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श एवं किये गये व्यय की प्रगति तथा अन्य कारणों को देखते हुए विभागों के बजट आयोजना मद में कटौती करना आवश्यक था। कटौती की गई राशि का विस्तृत विवरण तथा कटौती के कारणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। योजनाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात स्पष्ट कराना चाहूंगा, क्या यह सही है कि 18464 करोड़ की जो आपकी वार्षिक योजना थी, उसको आपने 3044 करोड़ घटा दिया है। जो आपकी वार्षिक योजना थी 18634 करोड़ की, उसको आपने 3044 करोड़ घटा दिया है, आपके पहले खण्ड के उत्तर से तो यही स्पष्ट है। अगर 18 हजार को 3 हजार से घटा देते हैं तो आ गये हम 15 हजार करोड़ पर। जहां हमने 17322 करोड़ की वार्षिक योजनाओं को ज्यादा बढ़ाकर 18434 किया था, उसको हमने तीन हजार से घटा दिया, पहला तो यह। दूसरा आप यह भी बताएं कि जब आप वार्षिक योजनाओं का आकार घटा रहे हैं तो आपके डवलपमेंट प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ रहा, यह बात समझना मेरी समझ से बाहर है, पहले तो आप इस चीज का बता दें । दूसरा, जो कारण आपने दूसरे खण्ड में दिया है, परिशिष्ट दो में आपने चुनाव के दिये हैं, आचार संहिता के दिये हैं, सेन्टर से पैसा आपको नहीं मिला, ये दिये हैं तब यह बात भी अपन स्वीकार कर लें कि सीएसएस की स्कीम में सेन्टर की ग्रान्ट्स नहीं आई। आपकी एक्सटर्नल एडेड स्कीम की प्रोग्रेस को देखकर बाकी जो एक्सटर्नल एडेड स्कीम थीं-चाहे जापान के बैंक की हो, या और किसी की हो, उन्होंने पैसा नहीं दिया। और तीसरी बात यह बता दीजिए, अगर सब कुछ भी हम एक्सैप्ट कर लें तो इस पूरे प्लान के अंदर एस.टी., एस.सी. का, कम्पोनेंट प्लान में कितनी वृद्धि की या कितना घटाया, यह भी बता दें?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा, विधान सभा में बजट एस्टीमेट पेश किये गये थे वे 18634.79 के थे। आपने जैसा बताया मेरे जवाब में भी यही बात है कि 3044 करोड़ रुपये घटाया गया है, बिलकुल सही है। (व्यवधान) यह फाइनेंस का सवाल है, मेहरबानी करो, समझ में नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आपको गलतफहमी है, फाइनेंस में बहुत समझते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनको तो समझ ही फाइनेंस की है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं ही भूल रहा हूं इसका मतलब?

श्री अध्यक्ष: यह मुहर और लगा दी उप नेता ने।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं ही भूल रहा हूं, चलिए, जाने दीजिए।

आपने जो शक जाहिर किया है कि 18634 में से जब 3044 करोड़ रुपये हम घटा देंगे तो निश्चित तौर पर यह 15 हजार के आस-पास की फीगर आएगी, आपका यह शक सही है। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये, मुझे जवाब देने दीजिए। यह जानकारी भी आपको होनी चाहिये कि ये 3044.16 करोड़ रुपये जो घटाये गये हैं, कटौती की गई है उसके साथ-साथ 2970.21 बढ़ाये भी गये हैं और कुल मिलाकर जो घाटा हुआ है इस साल 2009-10 का, वह सिर्फ 73.95 करोड़ का हुआ है। मैं आपको वह फीगर भी दूंगा, तसल्ली रखिये। मैं आपको वह फीगर भी दूंगा कि पिछले रिजीम के टाइम पर...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 40 साल का पूछेंगे एक दूसरे से। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 40 साल का सवाल पूछ लें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Then from ever since the inception of the State of Rajasthan. हर पांच साल का करना चाहिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप 40 साल का नहीं 60 साल का पूछेंगे तो उसका भी जवाब दूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आंकड़े मेरे पास भी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, मैं जवाब दूंगा उसका भी, लेकिन आपको मेरा...(व्यवधान) पूरा जवाब आपको सुनना पड़ेगा। मेरा पूरा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जवाब आपको सुनना पड़ेगा। एक साल का पूछा है आपने, मैं एक साल का जवाब देता हूं, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है। यह रैगुलर फीचर है, हर साल बढ़ोतरी भी होती है, घटोतरी भी होती है। तो मैं उस बात को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो घटौती हुई है वह कितनी हुई है ओर पिछले पांच सालों में कितनी-कितनी हुई है। यह बताना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा-सा जो कनफ्यून है....(व्यवधान) आप तो विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): घुमाइये मत बात को। (व्यवधान) आप बात को मत घुमाइये, आप बताइये, आपने कहा कि आयोजना मद में ... (व्यवधान) असर नहीं पड़ा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं......

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): घटौती हो गई, वित्तीय वर्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह एक रैगुलर फीचर है, कभी बढ़ोतरी होती है, कभी घटोतरी होती है। सवाल यह है कि 2004-05 में कुल मिलाकर बजट में जो बढ़ोत्तरी हुई वह 55.19 की हुई है लेकिन 2005-06 में एकदम गिरावट आ गई, 5042.5 की हुई, इस तरीके से 2006-07 में फिर बढ़ गया, 193.14 बढ़ गया, 2007-08 में बढ़कर 864.18 हो गया लेकिन 2008-09 में वह घटकर 323.80 रह गया। इस साल जो फर्क पड़ा वह सिर्फ 73.95 का पड़ा है। कुल मिलाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिवाइज्ड एस्टीमेट पेश किये गये हैं विधान सभा में, योजना आयोग ने जो मंजूर की थी योजना, वह 17322 करोड़ रुपये की थी और बजट एस्टीमेट जो पेश किये गये 2009-10 में विधान सभा में वे थे 18634.73 करोड़ रुपये के। लेकिन नवम्बर माह में जब विभागों का खर्चा देख गया तो उसको कम कर दिया गया क्योंकि उस वक्त खर्चा कम हुआ था। आपको ध्यान होगा, बजट पेश हुआ था जुलाई के आखिर में, जुलाई के आखिर का मतलब यह है कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई को भी निकाल दिया, पूरे चार महीने के बाद में बजट पेश हुआ था। ऐसा कोई वित्तीय वर्ष नहीं मिलेगा राजस्थान के इतिहास में कि चार महीने के बाद कोई बजट पेश हुआ हो और उसमें कुल मिलाकर आखिरी में घाटा सिर्फ 73 करोड़ का हो गया हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि फरवरी के आखिरी में जब आयोजना विभाग के द्वारा, वित्त

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

विभाग के द्वारा बीएफसी की मीटिंग्स की गई तो बीएफसी की मीटिंग के बाद में यह तय हुआ कि रिवाइज्ड एस्टीमेट 18560.84 करोड़ के पेश किये जाएं। आप उसको निकाल कर देख लें, इतनी बड़ी योजना में अगर सिर्फ 73 करोड़ की कटौती हुई तो मैं यह समझकर चलता हूं कि योजना पर कोई फर्क पडा या नहीं। विकास की योजना बदस्तूर चलती आई है, चलती रहेगी। रहा सवाल इस बात का जो आपने एक्सटर्नल, एडेड प्रोजैक्ट के लिए कहा है एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट के जितने भी प्रोजैक्ट हैं उनमें पैसा लैप्स नहीं होता है चाहे एडीबी का प्रोजैक्ट हो, चाहे जापान का प्रोजैक्ट हो। चाहे फ्रांस का प्रोजैक्ट हो, वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट हो। जितने भी प्रोजैक्ट चल रहे हैं उनका पैसा कभी लैप्स नहीं होता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने नहीं कहा कि लैप्स हुआ है। मैंने कब कहा कि लैप्स हो रहा है? आपने लिखा कि सेन्ट्रल एडेड....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने लिखा... (व्यवधान) आपने कारण पूछा इसलिए मैंने आपको जवाब दिया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने तो आपको वार्षिक योजना का पूछा, मैंने यह नहीं पूछा कि किस-किस साल में कितना.....(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने कारण पूछे, मैं बता रहा हूं आपको.....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अच्छा आप तो यह छोड़िये, आप तो और आगे वाली कोई बात है तो वह बता दें जिससे कि मैं आपको तकलीफ नहीं दूं। मैंने दो बातें आपसे यह पूछी थीं, आपका जो एनुअल प्लान था वह 18634 था, आपके इकोनोमिक रिव्यू के अनुसार जनवरी एण्ड तक आपने 12133 करोड़ खर्च किये, जनवरी 2010 तक आपने 18634.80 करोड़ से 12133.36 करोड़ खर्च किये। यानी आपने, यह रहा, कल ही दिया है आपने हमको....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं, आप बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इसमें लिखा है, Annual Plan Expenditure up to January 2010. समझ में तो मुझे यही आ रहा है कि जनवरी तक ही हुआ होगा। अगर इसमें कहीं ग्रामर की मिस्टेक हो तो आप करैक्ट कर देना। अब आपने 60 प्रतिशत खर्च किया, अगर आप हिसाब लगा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दें तो आपका अनुपात 60 प्रतिशत है। आप हमको यह कहना चाहते हैं क्या कि फरवरी और इस मार्च में शेष 40 प्रतिशत खर्च कर देंगे? पूरा 18434 है, लेकिन 18 हजार, जैसे मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, 561 करोड़ तक ले आएंगे, कल ही इसमें कहा। यानी अगर आप 40 प्रतिशत दो महीनों में खर्च कर रहे हैं तो फिर आप यह जवाब दें कि बजट मैनुअल के जो प्रोविजंस हैं, जो बजट मैनुअल की गाइडलाइंस हैं, वे आपको इवनली स्प्रैड करवाते हैं चार क्वार्टस में, आखिर आप उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात, इस पूरे प्लान के अन्दर एस.सी. और एस.टी. का जो कम्पोनेंट प्लान है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, आप यह बता दें कि 2009-10, में उनकी जनसंख्या के अनुपात में कितना प्रतिशत उस कम्पोनेंट प्लान का है? यह दो चीजों का आप जवाब दे दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं कि माह नवम्बर, 2009 में जब विभिन्न विभागों की व्यय प्रगति देखी गई उसके आधार पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजना विभाग ने एक रिवाइज्ड प्लान साइज तय किया, वह 17333.17 करोड़ रुपये का था। यह पहले मैं निवेदन कर चुका हूं आपको। (व्यवधान) उसके बाद जब जनवरी में पूरी एक्सरसाइजेज हुईं और बी.एफ.सी. की बैठकें हुईं, आयोजना विभाग के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा, तो जो उन्होंने रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाये वे 18634.79 करोड़ रुपये के बनाये। यह मैं पहले कह चुका हूं आपसे। अब आप जो यह कह रहे हैं कि 3-4 हजार का फर्क आ गया, 40 प्रतिशत आ गया...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आप इकोनिमिक रिव्यू में जनवरी तक का खर्चा 12133 करोड़ रुपया बताते हैं, मैंने कहां इस बात के लिये एतराज पैदा किया कि आप 18500 करोड़ रुपये पर आये?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसके बाद की फीगर मैं आपको दे रहा हूं फरवरी की।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि 60 प्रतिशत खर्चा जनवरी तक किया, क्या आप अगले डेढ़ महीने में और जो अब 10 दिन बचे हैं उसमें 40 प्रतिशत खर्चा पूरा कर देंगे? (व्यवधान) एक मिनट, साहब, सुन लें। कर देंगे तो आप बजट के मैनुअल की गाइड लाइंस के विपरीत काम कर रहे हैं? 'हां' या 'ना' में जवाब दें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिलकुल नहीं कर रहा। कोई गलत... (व्यवधान) हम किसी भी गाइडलाइन के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): दूसरा, एक मिनट, आप सुन लें। (व्यवधान) एक मिनट। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप यह देखिये कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में जो रिवाइज एस्टीमेट बनाये गये वे 18560.84 करोड़ रुपये के बनाये गये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप एस्टीमेट कितने ही बनाओ, हमने कहां एतराज किया है? हम यह कह रहे हैं कि बजट की गाइडलाइंस के मुताबिक आपका बजट मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता है। सी.ए.जी. बार-बार यह बात कहता है कि जितनी आपकी योजनाएं हैं उनको आप चारों क्वार्टस में समानान्तर करेंगे। इसका मतलब 40 प्रतिशत खर्चा आखिर में कर देंगे, आप पैसे को विदड्रा कर देंगे। दूसरा, सब प्लान-2006 की प्लानिंग कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक आप बता दीजिए कि पूरी इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत एस.सी. और एस.टी. सब प्लान का और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का कितना प्रतिशत है? ये दो जवाब दिला दीजिए, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कोई डिबेट में नहीं जाना चाहता। एस.सी., एस.टी. का वार्षिक योजना के अन्दर स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान में कितना प्रतिशत का हिस्सा है? दूसरा, बजट मैनुअल की गाइडलाइंस के विपरीत जाने पर आप किस प्रकार से इस बात को उचित ठहराते हैं कि 40 प्रतिशत का रेवेन्यू या एक्सपेंडीचर आप सिर्फ एक महीने में करेंगे? ये दो चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं इनकी समस्या को हल कर देता हूं इस किताब से। यह किताब राज्य सरकार ने अभी हमको दी है, आर्थिक समीक्षा 09-10, इस आर्थिक समीक्षा में इन्होंने जो...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं कि इनकी बढ़ा रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, इनकी। कारण क्या है? कारण यह है कि यह है लेटेस्ट और आपकी दी हुई फीगर है, हमने कोई अपने मन से नहीं बनाये और इसमें वे सारे के सारे हैड्स हैं जिन में आपका बजट 18634 करोड़ रुपया है। आपने अब तक का खर्चा किया, उस खर्चे के आपके वही हैड हैं, कोई बदला हुआ हैड नहीं है। वही जनवरी के अन्त तक दिया है, इस किताब के पेज नम्बर 23 पर है। उसी को उठा कर देखिये, उसमें दिया है कि 12133 करोड़ रुपया आपने अब तक खर्च किया है। अगर इसमें कोई बदलाव होता तो इस किताब में जनवरी तक का आता क्योंकि आपका रिवाइज्ड जो एस्टीमेट है वह तो नवम्बर, दिसम्बर में बन गया था। यह जो खर्चा बता रहे हैं, जिसको माननीय सदस्य ने कहा, वह कह रहे हैं जनवरी के एण्ड तक का, आपकी इस किताब में जो दिया है। केवल आपके पास यह मार्च का महीना रहा है और फरवरी का रहा है। यह डेढ़ महीने का पैसा हो सकता है जो आपने 12 हजार से 13 हजार कर दिया होगा, 14 हजार कर दिया होगा। कुछ भी होगा लेकिन लेटेस्ट तो यही है। और यह कोई मनगढ़ंत बनाकर नहीं है, आपकी किताब के आधार पर ही यह उठाया है कि 60 प्रतिशत अब तक आपने खर्च किया है और 40 प्रतिशत आपका अभी भी बाकी है, और आपके पास महीने दो हैं। फरवरी और मार्च। अभी अपन मार्च की आज की तारीख में बैठकर यहां विचार कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट में अगर कोई परिवर्तन हुआ इन हैड में, अब आप कह रहे हैं कि हमने हैड को इधर बढ़ा दिया, उधर घुमा दिया, वे हैड जो हैं इसमें कहां घुमाया और कहां रखा, यह बता दें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दो। जवाब आने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक छोटा-सा, एक छोटा-सा सवाल।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जाने दीजिए। जवाब तो रह ही जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनके साथ ही आ जाएगा, इनके साथ ही आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब रह जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, आपने खण्ड दो में कहा है कि योजना मद की कटौती से योजनाएं प्रभावित नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि यह कटौती का विवरण जो आपने दिया है, नेशनल रूरल गारण्टी स्कीम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में 349 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 130 करोड़ रुपये और सैकण्डरी एजुकेशन में स्कूल खोलने की घोषणा की थी, खोले नहीं, और 60 करोड़ रुपये अरबन लोकल बाडीज में 445 करोड़ रुपये। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि यह जो कटौती आपने की है 3044 करोड़ रुपये की, इनसे ये सारी योजनाएं प्रभावित हुई हैं? यह पहली बार नहीं, जब से अशोकजी गहलोत ने बजट प्रस्तुत किया, कोई भी एक योजना बता दो, जो पूरी वित्त पोषित इन्होंने की हो। हर-एक बजट में आकार बढ़ाना, सपना दिखाना...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, विराजिये। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): योजना का भार बांटना, राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय करना काम है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कौन-कौन सी, किसके लिये पूछ रहे हैं, दुबारा से मुझे लिखा दें, मैं जवाब देता हूं उसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खण्ड दो में कहा कि योजना की मदों की कटौती से योजनाएं प्रभावित नहीं हुई, मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 130 करोड़ की कटौती, नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम में 349 करोड़ की कटौती, सैकण्डरी एजुकेशन में 60 करोड़ की कटौती और अरबन लोकल बाडीज में 445 करोड़ की कटौती, क्या इस कटौती से योजनाएं प्रभावित नहीं हुई हैं? आपने खुद यह कह दिया परिशिष्ट-क में कि विश्व बैंक द्वारा परियोजना की अवधि नहीं बढाने से यह योजना काटनी पड़ी, कौन-कौन-सी ऐसी योजनाएं हैं विश्व बैंक की, जिनकी परियोजना की अवधि नहीं बढ़ाने की जानकारी सरकार को है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने पूछा है, राष्ट्रीय कृषि विकास...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इनका सप्लीमेंट्री था, मेरा सप्लीमेंट्री का जवाब आ जाने दीजिए, फिर इनका दे दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके का?

श्री अध्यक्ष: पहले आपके दोनों सप्लीमेंट्री का जवाब देने का मैं निवेदन मंत्रीजी से कर देता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले इनका दूं, साहब, या उनका दूं?

श्री अध्यक्ष: पहले उनका दे दो, मूल प्रश्नकर्ता का। पहले मूल प्रश्नकर्ता का दे दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): किनका?

श्री सभापति: मूल प्रश्नकर्ता का पहले दे दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फिर यह मूल वालों के बीच में ही..

श्री अध्यक्ष: चलिये, समय समाप्त हो रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय, जैसा आपने पूछा, देखिये, हर वर्ष सामान्यतया खर्च का यही पैटर्न रहता है। हर वर्ष, इसी साल नहीं। आपने इसी साल की किताब उठाकर देख ली, पिछले कई सालों की किताबें उठाकर आप देखोगे तो खर्च का यही का यही पैटर्न मिलेगा। (व्यवधान) अब मुझे जवाब दे लेने दें। (व्यवधान) मुझे जवाब दे लेने दें, साहब। (व्यवधान) जवाब तो मैं दे रहा हूं। अब ये बीच में फिर पूछ रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप हर साल की किताब उठाकर इनकी बात की पुष्टि करवा लीजिये, यह कोई बात हुई क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जवाब मुझसे दिलवा रहे हैं या उनको बोल लेने दो आप। बोल लेने दो फिर इनको आप। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जवाब आप सीधा दे दीजिए। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपको कह रहा हूं, यह आपकी किताब है, यह मेरी किताब नहीं है। आपने हमें कल-परसों, इस किताब में जो आंकड़े दिये हैं, ये हैड हैं..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दी है, साहब, दी है, बिलकुल दी है। हां, हैड दिये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इन हैड्स में आपका 12 हजार करोड़ खर्चा हुआ है, आप इसमें आओ न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं इसको मना नहीं करता, साहब। साहब, मैं मना नहीं करता। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह फालतू की बात है। जोर से बोलकर आप अपनी बात को नहीं जमा सकते हो। (व्यवधान) आपने प्लान को घटाया है और आपके यही हैड हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, मैं उसी पर आ रहा हूं, आप सुनिये तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कहां आ गये? आप तो कह रहे हैं, हमने इस हैड से इस हैड को कर लिया। हमने 17 हजार कर दिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुनने में भी आपत्ति है क्या आपको?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह फालतू की बात नहीं करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फालतू की क्या बात हुई? फालतू की बात तो आप कर रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह किताब किसने दी है? यह किताब किसने दी है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक किताब को पढ़ रहे हैं, अगले साल की किताबें क्यों नहीं देख रहे हैं आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपकी है कि नहीं है यह किताब?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात पर आ रहा हूं। (व्यवधान) हां तो रखिये आप किताब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप रखिये, रखिये। यह जोर-जोर से नहीं होता है, रखिये। आप बात के हिसाब से जवाब दो।

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी सदन में जवाब दे रहे हैं तो आप सुनने की क्षमता रखिये। जवाब दे रहे हैं, आप सुनने की क्षमता रखिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, हर साल बजट में 10 प्रतिशत इन्क्रीज और डिक्रीज तो होता है, कौन से बजट हैड में नहीं हुआ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हर वर्ष सामान्यतया खर्च का यही पैटर्न रहता है फरवरी व मार्च में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, यह असत्य है कि हर वर्ष यही पैटर्न रहता है। यह असत्य है। अब आप इनकी पुष्टि करवाएं, पिछले 10 वर्ष का पैटर्न बता दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फरवरी व मार्च में 30 से 35 प्रतिशत खर्चा होता ही है। मुझे जवाब देने दीजिए। मेरी बात सुनिये आप। आप मेरा जवाब तो सुनिये ...(व्यवधान)...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यही तो गलत है। गलत है। असंवैधानिक है। असंवैधानिक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरा जवाब तो सुनिये। आपको जवाब सुनने की वह नहीं है क्या थोड़ी-सी, पेशेंस नहीं है? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको जवाब सुनने की थोड़ी -सी ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, मंत्री महोदय, बहुत आदर के साथ निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तो, साहब, मैं भी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप एक मिनट विराज जाएं, मेरी बात को...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बोल लीजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं सिर्फ इतना-सा निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, I don’t want to embarrass anyone. This is not a debate on who is more intelligent. मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि क्या यह असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं है क्या? There is always a day to start about it. आज से पहले अगर कुछ होता हुआ आया है, if everyone was falling in the well, does that mean that we should fall in the well today? अगर गलत होता आया है और असंवैधानिक है, और सी.ए.जी. बार-बार इस पैरा को उठाती है तो कम से कम आप सुधारने की बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्या अब भी वही काम करते रहोगे? आपको तो 125 साल का तजुर्बा है और सर्वाधिक बार सरकार आप चलाते रहे हो, आपको प्रशासनिक कुशलता और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है, हमने एक बात तो यह की ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप सवाल पूछिये। मैं जवाब दे रहा हूं, आप भाषण दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं दे रहा, सर, मैं नहीं दे रहा। मैं आपकी बात का आदरपूर्वक जवाब दे रहा हूं ...(व्यवधान) मैंने सिर्फ यह पूछा है कि ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, आप सवाल पूछिये। मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा लेकिन आप राजनैतिक भाषण देना चाहते हैं तो फिर ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, मंत्री महोदय, पूरा सवाल पूछूंगा और बगैर जवाब बैठूंगा भी नहीं, यह भी बात आप मान लीजिए। आप यह बता दीजिए ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी भी मान लीजिए आप। आप सुनिये मेरी बात। आप सुनिये मेरी बात। जैसे मैंने पहले कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा हूं और जवाब नहीं आया न तो मैं दुबारा पूछूंगा, यह बात भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बताओ। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने यह कहा कि 60 परसेंट खर्चा हुआ है अभी तक ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने नहीं कहा, यह किताब में है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अच्छा, जैसा है, लेकिन किताब को कोट तो आपने ही किया है न? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): किताब भी आपने ही छापी है। (व्यवधान) किताब में लिखा हुआ है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह किताब में कहा लेकिन किताब को कोट तो आप ही ने किया है न?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हां, किया है, सर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसमें क्या दिक्कत आ गयी, अब सुन तो लो ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने भी किया और गुलाबजी ने भी किया। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुन तो लो, ऐसी क्या परेशानी है आपको? मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि हर वर्ष सामान्यत: खर्चे का यही पैटर्न रहता है, फरवरी व मार्च में लगभग 30-35 परसेंट खर्चा होता ही है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें 40 परसेंट है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप सुनो तो सही, कालीचरणजी, ऐसा क्या गजब हो रहा है? (व्यवधान)

18651 करोड़ रुपये के विरुद्ध 12133 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ, मैं मानता हूं। मैं मानता हूं। अब फरवरी और मार्च में शेष खर्चा कर लिया जाएगा, जैसा हर वर्ष होता आया है। यह मेरा जवाब है। (व्यवधान) होगा, दिखवा लो आप। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने आपसे स्पष्ट यह निवेदन किया था कि क्या हर वर्ष सी.ए.जी. इस बात के लिए आपका ध्यान आकर्षित नहीं करती? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसका जवाब मैं आपको भिजवा दूंगा। इस सवाल में यह कवर नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, आप सुनिये तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह इस सवाल में आपके कवर नहीं होता है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इस सवाल में इस सदन का वित्तीयता के ऊपर अधिकार ...(व्यवधान)... हर साल में पूरा होता है। यह किसी गवर्नमेंट विशेष की बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जितने भी सालों के बाबत आप सवाल पूछना चाहते हैं, अलग से सवाल डाल दीजिएगा। ...(व्यवधान)...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह तमाम ...(व्यवधान)... यह अधिकार सिर्फ सदन को है, हम 200 मैम्बर्स को है, किसी सरकार को नहीं है और सी.ए.जी. इस सदन के फाइनेंशियल अधिकार की सुरक्षा करता है। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो सब है लेकिन आप सवाल डाल दीजिए। यह दूसरे प्रकार का सवाल है। ...(व्यवधान)...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं सवाल यह पूछ रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दूसरा सवाल आपने यह पूछा था कि ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Please don't get excited.

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक दूसरा सवाल आपने एस.टी., एस.सी. के लिए पूछा था। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप आराम से बता दीजिए। मैं बैठ जाता हूं, आप फर्माएं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एस.टी., एस.सी. के लिए भी आपने सवाल पूछा था। 12.21 परसेंट अनुसूचित, जनजाति के लिए यह बोला है मैंने और अनुसूचित जाति के लिए 17.79 परसेंट का प्रोविजन रखा गया है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपको एक बात निवेदन कर दूं, कितना बताया है आपने एस.टी. का 12 पाइंट ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अनुसूचित जनजाति का, मतलब एस.टी. का 12.21 परसेंट।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): करैक्ट। अब, सर, मैं बता दूं, इस साल का आपका एस.टी. का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 12.21 परसेंट। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): विराज जाएं। एस.टी. का आपका बता दूं इस साल का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सर, इस साल का एस.टी. का ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एस.सी. का न? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एस.टी. का बता रहा हूं, एस.टी का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एस.सी. का, अनुसूचित जाति का न, वह है 15 ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सर, एस.टी. का बता रहा हूं। चलिये, एस.सी. का बता देता हूं। एस.सी. का बता देता हूं, विराज जाएं आप। इस साल एस.सी. का ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह भी नहीं मालूम। वैसे तो एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं, उसमें एस.टी., एस.सी. में ...(व्यवधान) यह भी नहीं मालूम, क्या है यह । (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इस साल एस.सी. का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एस.सी. 15.79 परसेंट। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): शिड्यूल्ड कास्ट का, आपकी किताब में ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट। 15.79 परसेंट।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट। यह आप फर्मा रहे हैं और मैं यह कह रहा हूं कि वह सिर्फ 2.47 परसेंट है। बताइये आप, क्या है? एक मिनट ...(व्यवधान) और एस.टी. का इकोनोमिक रिव्यू के अन्दर 3.24 है। यह आंकड़ा आपके वित्त विभाग को कहिये, आपके बजट वाल्यूम में से निकाले और आपके स्टेट प्लान का हैडवाइज इसको खोले। जब हैडवाइज खुलेगा तो आपको पता लगेगा कि कितनी पोल है, कि जहां पर 15 परसेंट खर्च होना चाहिए था वहां पर 3 से 4 परसेंट होता है। तो मैं एक बात तो आपको यह बता देता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं, मैंने आपको ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। अगला प्रश्न। कर्नल सोनारामजी। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपको एक बात यह भी बता देता हूं कि टोटल एवरेज सिर्फ ...(व्यवधान) परसेंट है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। आसन पांवों पर है। कर्नल सोनारामजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं, मैंने आपको जो विवरण पेश किया है वह हैडवाइज पेश किया है। वह हैडवाइज किया है, आप पढ़िये। बताइये आप ...(व्यवधान) बताइये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना का आकार छोटा कर दिया और राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये। आसन पांवों पर है, कृपया आप विराजिये। नैक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल सोनारामजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप यह बताइये ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-67. (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वन मंत्रीजी जवाब दें।

मरु-प्रसार-रोक योजनान्तर्गत जिला बाड़मेर को आबंटित राशि

67. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के दस जिलों का चयन कर बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए वर्ष 1999 में मरु-प्रसार-रोक योजना लागू की गई थी? यदि हां, तो इस योजना के तहत किस-किस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मरु-प्रसार-रोक योजना अन्तर्गत नौ करोड़ की राशि व्यय करना लम्बित है? यदि हां, तो इसमें बाड़मेर जिले की राशि कितनी है?

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित राशि इसी वित्तीय वर्ष में आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश के दस जिलों यथा- बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली तथा सीकर का चयन कर बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए वर्ष 199 में मरु-प्रसार-रोक योजना लागू की गई। इस योजना की परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) वन विभाग को इस योजना के तहत 1999-2000 से वर्ष 2009-10 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है।

(श्री रामलाल)

(2) इस योजना में व्यय की जाने वाली राशि एवं देनदारियों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। वन मण्डल बाड़मेर में 34.78 लाख रुपये व्यय करना शेष है, जबकि इस वन मण्डल की सृजित देनदारियां 759.18 लाख रुपये हैं।

(3) योजनान्तर्गत राज्य द्वारा भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि निर्मुक्त किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा राशि जारी की जाती है। (व्यवधान)

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हां, यह नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। आप विराजिये। आय-व्ययक पर जब आपको अवसर मिले भाषण का तो पूरा खुलासा कर लें, मंत्रीजी से पूछ लें। (व्यवधान) कृपया एक प्रश्न तो और आ जाने दीजिए। दो प्रश्न हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हां या ना में जवाब ले लें। अगर यह कहते हैं कि नहीं, मेरा असत्य है तो मैं इस बात को प्रूव करता हूं, वर्ना वे हैडवाइज दे दें । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो प्रश्न लगे हैं पूरे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने आपको विवरण दिया है, बाकायदा आपको विवरण दिया है लेकिन आप गलत तथ्य बता रहे हैं साथ साथ। गलत तथ्य बता कर आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं। आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी योजनाओं की कटौती की गयी है। राजस्थान की विधान सभा में सरकार ने गलत जवाब दिया है और राजस्थान की जनता को और ...(व्यवधान) सरकार भ्रमित करना चाहती है। योजनाओं में कटौती की गयी है, टैक्स लगाये गये हैं। सरकार के गलत जवाब के खिलाफ, सदन को मिसलीड करने के खिलाफ और योजनाओं में कटौती के खिलाफ हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दुबारा से पढ़ दें। उत्तर दुबारा दे दीजिए, बीच में व्यवधान था। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) योजना में अगर कटौती हुई है तो सिर्फ 73 करोड़ की कटौती हुई है। इनके वक्त में तीन-तीन, साढ़े तीन-तीन हजार करोड़ की कटौती हुई है। यह जवाब नहीं दे सकते थे इसलिए भाग रहे हैं। इनके भागने का कारण यह है कि इस सवाल का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय वन मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह सवाल पूछ कर ये खुद फंस चुके हैं। यह जवाब नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एस.टी. का, एस.सी. का बता दो कि कितना परसेंट किया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। हो गया। मंत्रीजी, बैठिये। वन मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बता देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो यह बता दो कि एस.सी. और एस.टी. का आपने कितना किया? आपने जनवरी तक कितना परसेंट किया है? जो 16 और 12 बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह जनवरी तक का है, मार्च तक का नहीं है। 31 मार्च तक का नहीं है। आप इस बात को समझिये।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसमें यह जनवरी, 2010 तक का लिखा हुआ है, जनवरी, 2010 तक का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जनवरी का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, तो यह आखिरी तक का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाएं। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराज जाएं। वन मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश के दस जिलों यथा- बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली तथा सीकर का चयन कर बढ़ते मरुस्थल को रोकने के लिए वर्ष 1999 में मरु-प्रसार-रोक योजना लागू की गई। इस योजना की परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) वन विभाग को इस योजना के तहत 1999-2000 से वर्ष 2009-10 तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) इस योजना में व्यय की जाने वाली राशि एवं देनदारियों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। वन मण्डल बाड़मेर में 34.78 लाख रुपये व्यय करना शेष है, जबकि इस वन मण्डल की सृजित देनदारियां 759.18 लाख रुपये हैं।

(3) योजनान्तर्गत राज्य द्वारा भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि निर्मुक्त किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा राशि जारी की जाती है। (व्यवधान)

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इन्होंने पढ़कर सुनाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल नहीं उत्तर पढ़कर सुनाया।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): हां, उत्तर पढकर सुनाया। जो जवाब इन्होंने दिया, यह ठीक है, जो परिशिष्ट 'क' है, ये तो फैक्चुअल फीगर्स हैं 1999 से लेकर 2009-2010 तक के, टोटल जो मिला है 580 करोड़ रुपये, परन्तु यह परिशिष्ट 'ख' जो दिया है इसके अन्दर अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा भाग है, वन मण्डल को उपलब्ध राशि, जिसे व्यय किया जाना शेष है, जिसमें इन्होंने बाड़मेर का जिक्र किया है 34 का, कुल इसके आंकड़े देखें तो, अध्यक्ष महोदय, 1222 लाख मतलब 12 करोड़ 22 लाख हैं और देनदारियां, जिनके पैसे देने बाकी हैं वे हैं, 13.77 करोड़। यह देनदारी किसकी है, यह जानने का एक अहम मुद्दा है। इसमें से जैसे मंत्री महोदय ने कहा है, 75.918 लाख बाड़मेर के हैं, जैसलमेर के 562 लाख हैं और जालौर के 55.82 लाख हैं टोटल। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो देनदारी है, अध्यक्ष महोदय, ये सब मजदूर हैं, चौकीदार हैं, जिनको सिर्फ 2600 रुपये तनख्वाह

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

मिलती है। मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मजदूरों के करीब 90 लाख रुपये बाकी हैं। एक तरफ तो मंत्रीजी कह रहे हैं कि 1222 लाख खर्च नहीं हुए, दूसरी तरफ कह रहे हैं, देनदारियों के 1377 करोड़ देने पड़ेंगे। ये पिछले चार-पांच साल से हैं, आज इन लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर जहां से मुझे तीन बार जीतकर आने का सौभाग्य मिला, मेरे पास लोग आये, उन्होंने कहा धरने पर बैठो। मैंने कहा, धरने पर नहीं, हमारी सरकार है, मैं जाऊंगा और यह पैसा आपको दिलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं, प्रश्न का जो पहला भाग है, जो ये 1377 लाख रुपये हैं, इनको कब तक देंगे? मैं मानता हूं, भारत सरकार का 75 प्रतिशत है और अपना शेयर 25 प्रतिशत है, वहां से पैसे आते रहते हैं, पर मजदूरों ने क्या गलती की है, वन मंत्रीजी? अगर आपको, आपके अधिकारियों को एक तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती है तो क्या होता है? जिस मजदूर को आप सिर्फ 2600 रुपये देते हो, अध्यक्ष महोदय, और चार-पाँच ऐसे मजदूर हैं जिनका एक-एक लाख रुपया बकाया है। मेरा पाइंटेड क्वेश्चन है अ भाग का पहला कि 1366 लाख रुपया मजदूरों को कब तक पेंमेंट करेंगे? दूसरा इसी भाग में मेरा क्वेश्चन भी है, सुझाव भी है, मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, एक तरफ तो 1222 लाख रुपये खर्च नहीं हुए, इसका रिएप्रोप्रियेशन करके उधर से इनको दे दें। जैसा आप जानते हो, झुन्झुनूं में 236 लाख रुपये खर्च नहीं हुए, पाली में 150 लाख रुपये, चूरू में 256 लाख रुपये खर्च नहीं हुए, आप उनका रिएप्रोप्रियेशन कर दें। तीसरा मेरा भाग है इसी के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दुबारा पूछ लें, जवाब तो आ जाए। वन मंत्रीजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं पूछ रहा हूं, पहला प्रश्न, आप कब तक देंगे? दूसरा, इसको रिएप्रोप्रियेशन कर सकते हैं। तीसरा, आप कहते हैं किसी वजह से अगर भारत सरकार से पैसा नहीं मिले तो मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि इसमें इन्टरवीन करें और यह 37.77 करोड़ रुपये कोई मायना नहीं रखता है, यह किसी भी फण्ड से उन गरीबों को दें। बाड़मेर-जैसलमेर में कोई उद्योग नहीं है, उनको आप कब तक पैसे देंगे, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 1999 में शुरू हुई और 2010-2011 तक के लिये पूरा प्लान बना।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): आप कब तक पेमेंट करेंगे? आप बोल चुके, मैं बोल चुका। अध्यक्ष महोदय, टाइम खराब हो रहा है। यह टाइम खतम करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्नों का उत्तर पहले दीजिये। (व्यवधान).

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2010-2011 तक के लिये बनी है, इसमें बाड़मेर जिले का इन्होंने अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। बाड़मेर जिले में कुल आबंटन हुआ 121.46 करोड़ रुपये और उसमें राशि रिलीज हुई इनको 102.77, शेष 18.76 करोड़ रुपये बकाया हैं। बाड़मेर जिले में 7.59 करोड़ के कार्य हो चुके हैं जिनकी देनदारियां बाकी हैं, इनका भुगतान होना शेष है। 11.25 करोड़ भारत सरकार बाड़मेर जिले को अलग से देगी, जिसकी 2010 तक पूरी कार्य योजना है, जिसमें इनका पैसा अभी बकाया है, काम चल रहा है। भारत सरकार को समय-समय पर हमने लिखा है, यू.सी. हमने भेज दी है। यह पैसा बहुत जल्दी इनका आने वाला है। 7.59 करोड़ का जो काम हुआ, उसकी यू.सी. भी तैयार है, वह पैसा आते ही जल्दी पेमेंट कर देंगे। हमारी बात भी हुई है, वह पैसा बहुत जल्दी आ रहा है। हमने पत्र भी लिखा है, वह दूसरा पैसा भी आ जाएगा। यह प्रोजैक्ट 2010 में पूरा होगा। अभी 11 करोड़ रुपये बाड़मेर जिले में और लगने बाकी हैं, उसका काम चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि आप निश्चित रहें, इसमें मुख्य मंत्रीजी स्पेशल रुचि ले रहे हैं। हरित राजस्थान .... (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, एक तरफ आपके 12.22 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं, उधर से 37.77 करोड़ देने हैं, आपस में करके क्यों नहीं इसी हैड के अन्दर करने का आश्वासन देते कि उसके अन्दर दे देंगे? जब भारत सरकार से आएंगे तब एडजस्ट कर लेना। गरीब लोग जिनकी 2600 रुपये तनख्वाह है, उनको आप पिछले 5-6 साल से नहीं दे रहे हैं, उन्होंने क्या गलती की है? मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी इसमें इन्टरवीन करें और इसमें हमको आश्वासन दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपके कहने से नहीं होगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरे कहने से क्यों नहीं होगा? अटल बिहारी वाजपेयीजी ने मुझे तीन-तीन, चार-चार बार आश्वासन दिया था। (व्यवधान) आश्वासन देंगे।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 1999-2011 तक योजना पूरी होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, प्लीज।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी सरकार में चलती नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से एक ही जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष: इनके दोनों जवाब रह जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी से एक ही जवाब दिलवा दीजिये कि इनके पास 1222 करोड़ पड़े हैं और बकाया भी है तो एप्रोप्रियेशन कर लें और भारत सरकार से उधर रख लें, इसमें दिक्कत क्या है आपको? एक छोटा-सा प्रश्न है। गरीब मजदूर हैं, इनके इतने सालों से बाकी हैं। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, वह पैसा इसी हैड का है तो आप उस जिले में ट्रांसफर कर दें, इनका पूरा कर दें। जब उधर से आप यू.सी. भेज ही रहे हैं, आ जाए, तब आप भरपाई कर लें।

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब मंत्रीजी ने दिया है, उस जवाब में ही विसंगति है। एक तरफ मंत्री महोदय कह रहे हैं कि भारत सरकार से पैसा आना बाकी है और दूसरी तरफ इन्होंने जो परिशिष्ट-क लगाया है, उसमें लिखा हुआ है प्राप्त राशि, उसमें 777 लाख रुपये प्राप्त होना बताया गया है। अब कौनसा जवाब सही है, यह जरा सदन को बता दें? एक तरफ इनका परिशिष्ट-क है, उसमें यह जो लिस्ट दी है 2009 -2010 की, उसमें इन्होंने दिया है मरु प्रदेश योजना के तहत 1999-2000 उसमें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का जवाब पहले दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तीनों का ही दे दीजिये-घनश्यामजी का, रघुजी का और मूल प्रश्नकर्ता का।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हां, एक-एक करके बता देता हूं। मूल प्रश्नकर्ता ने जो मांग रखी है, इनके बाड़मेर जिले का काम हो गया और पैसा नहीं आया। अलग-अलग जिलेवार प्रोजैक्ट बना हुआ है, एक

(श्री रामलाल)
जिले का पैसा दूसरे जिले में और एक मद का पैसा दूसरी मद में ट्रांसफर नहीं हो सकता। (व्यवधान) आप सुनिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं जानता हूं, हो सकता है, यह गलत कह रहे हैं। हो सकता है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पैसा तो भारत सरकार से मिल चुका है। पैसा प्राप्त हो गया है। (व्यवधान) भारत सरकार ने पैसा दिया हुआ है, यह इनके जवाब में बताया हुआ है, 777 लाख रुपये। यह लिखा हुआ है, 2009-10 में भारत सरकार से प्राप्त राशि का विवरण, परिशिष्ट-क 777.63 लाख रुपये और इनकी देनदारियां हैं 759 लाख की। जब आपके पास इतना पैसा पड़ा है तो (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह गरीब मजदूरों का मामला है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 1222 लाख रुपये का काम हो चुका है, देनदारियां ज्यादा हैं, पैसा कहां पडा है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरा स्पेसिफिक सवाल है, सिर्फ बाड़मेर जिले के लिये सवाल है, 777 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बाड़मेर जिले का दे रहा हूं। आपको अलग-अलग का जवाब चाहिये, अलग-अलग का जवाब दे दूंगा। बाड़मेर का जवाब दे दूंगा। आप एक मिनट सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह प्रसंग डीडीपी का है, अध्यक्ष महोदय, इसमें चूरू जिला भी आता है इसलिये मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। आप खुद कह रहे हैं, वन मण्डलों के पास 1222 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और अब तक की सारी देनदारियां इस डीडीपी में हैं 1377 करोड़। क्या आपके पास वन मण्डलों की जो राशि उपलब्ध है उससे आप देनदारियां चुकाने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते? नम्बर दो, चूरू जिले के अन्दर 256 लाख रुपया वन मण्डलों के पास पडा है, मैं वह तिथि जानना चाहता हूं जिस तिथि से इतना भारी बड़ा पैसा 256 लाख रुपया वहां पड़ा रहा? वहां भी मजदूरों की मजदूरी बकाया है। इसका स्पेसिफिक उत्तर दें आप।

श्री अध्यक्ष: वन मंत्रीजी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, जो

(श्री रामलाल)

परिशिष्ट-ख पर आप पढ़ रहे हैं, हमने एक तरफ जो काम हुए, वे बता रखे हैं और दूसरी तरफ जो काम हो गये और देनदारियां हैं, वे बता रखी हैं। देनदारियां ज्यादा हैं, 15 करोड़ रुपये की भारत सरकार के पास यू.सी. हमने भेज रखी है और बहुत ही जल्दी वह राशि प्राप्त हो रही है। इनको राज्य सरकार का शेयर पहले ही जारी किया हुआ है। तुरन्त ही इनको मिल जाएगी, परेशान होने की इनको किसी को आवश्यकता नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): परिशिष्ट क में जो जवाब दिया गया है उसमें अकेले बाड़मेर जिले के लिये 777 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होना बताया मंत्रीजी ने अपने जवाब में और देनदारियां इनकी कम हैं, और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं, भारत सरकार से पैसा मिलेगा, तब इनको मिलेगा।

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को स्थगित कर दो। मंत्रीजी का होम वर्क पूरा नहीं है, स्थगित कर दीजिए इस सवाल को। (व्यवधान) परिशिष्ट-ख में खुद कह रहे हैं कि .... (व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इतना अच्छा काम हो रहा है जो रोड साइड काम हुआ है। दूसरी जगह जाते हैं वहां टीले नजर आते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर दीजिए न ।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, काम का नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, स्थगित कराइये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मैं खुद देखकर आया हूं बायतू विधान सभा क्षेत्र में। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न स्थगित कराएं। यह प्रश्न स्थगित करने लायक है। मजदूरों का पैसा बाकी है ... (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मूल प्रश्नकर्ता का जो

(श्री रामलाल)

प्रश्न है, मैं खुद देखकर आया हूं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, मजदूरों के लिए अच्छा काम हो रहा है। पैसा बाकी है, यह बात सही है। हमने यू.सी. भेज दी है। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जबाव नहीं आया है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इनको जल्दी ही दिलवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, जल्दी ही इनको पैसा रिलीज करवा दिया जाएगा। भारत सरकार के पूरे प्रयास हैं। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): एक तरफ खर्चा नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सवाल का जबाव नहीं आया। सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट में मूल प्रश्नकर्ता के पूरक प्रश्न का उत्तर देकर समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को स्थगित करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मजदूरों का सवाल है। (व्यवधान) पैसा पड़ा हुआ है सरकार के पास। स्थगित करें इस सवाल को।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, यह गरीब मजदूरों का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। कौन इसको काम में ले, कौन इसको काम में नहीं ले, यह आपका कहना उचित नहीं है सदन के अन्दर। आप मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दे दें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): जबाव नहीं दिया इन्होंने।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्षजी, जबाव दे रहा हूं। इन्होंने पूछा बाड़मेर का...(व्यवधान) सम्मानीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कर्नल सोनारामजी जो माननीय सदस्य हैं, उनका स्पष्ट अपमान है। यह कहना कि आप इस काम को प्रयोग कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? जो व्यक्ति तीन-तीन बार सांसद रहा, उसका अपमान...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): काम चल रहा है, पैसा भी बचा हुआ है, काम होगा तब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता के सप्लीमेंटरी का, एक का स्पष्ट जबाव देकर समाप्त करिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैंने बिलकुल पाइन्टेड सवाल पूछे हैं आपसे, आप गोलमोल जबाव दे रहे हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, कर्नल सोनारामजी का, बाड़मेर का जो पैसा है, वह काम चल रहा है, और इनकी देनदारियां ज्यादा हैं, यह बात सही है। इनकी 2.45 करोड़ की यू.सी. केवल बाड़मेर जिले की हमने भेज रखी है...

श्री अध्यक्ष: दस जिलों का भी पूछ रखा है इन्होंने।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): दस जिलों का आपने अलग पूछा है। दस जिलों की 15 करोड़ रुपये की यू.सी. भेज रखी हैं और बाड़मेर जिले की 2.45 करोड़ की भेज रखी है। काम अभी चल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा मिल रहा है और जो बकाया है वह बहुत जल्दी दे देंगे।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यू.सी. से मजदूरों का पेट नहीं भरता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, जबाव आया ही नहीं, आप प्रश्न को स्थगित करिए। अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है। जब माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, उसका जबाव नहीं आ रहा है, यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, यह स्पष्ट हो गया है कि बकाया है, बार-बार मंत्रीजी कह रहे हैं कि यू.सी. भेज रखी हैं और मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। आप इस प्रश्न को स्थगित करिये, अध्यक्ष महोदय।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यू.सी. से क्या, गरीब मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): काम चल रहा है। जब यू.सी. भेजते हैं तब पैसा आता है। बाड़मेर जिले का अलग है और दस जिलों का अलग है। आप अलग-अलग पूछ रहे तो अलग-अलग बता रहा हूं और एक

(श्री रामलाल)

साथ पूछ रहे हो तो एक साथ बता देता हूं। एक-एक जिले के आंकड़े मौजूद हैं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): आंकड़ों से नहीं, आप पेमेन्ट कब करोगे?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अभी काम चल रहा है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सवाल स्थगित करवाओ। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): प्रश्न पूछना आता नहीं, केवल भाषण देना चाहते हो। हर जिले के आंकड़े हैं। कुछ जिलों का काम हो गया है, कुछ का चल रहा है, पैसा बराबर मिल रहा है। बाड़मेर का बाकी है, बाड़मेर का ज्यादा खर्चा हुआ है। बाड़मेर का पैसा बहुत जल्दी ही दे दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इन्होंने कह दिया, इसका जबाव आ गया। और कैसे जबाव आता है? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इन्हीं के टाइम से ही बाकी हैं। इन्हीं के कारनामे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। कृपया विराजें।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): गरीबों के पेट में पांव रख रहे हैं, गरीबों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। इनको पेमेन्ट कब मिलेगा, यह पूछ रहे हैं। कृपा करके बताएं कि गरीब, मजदूर लोग, एस सी, एस टी के लोगों को कब मिलेगा? आप उनकी खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि गरीबों को समय पर पैसा मिले इसलिए जबाव नहीं दे रहे हैं समय पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। आसन पैरों पर है, आप बैठो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): गरीबों का मामला है। माननीय कर्नल साहब ने उठाया है, यह मजदूरों का मैटर है, हम उनका समर्थन करते हैं। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मजदूरों का पैसा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सुबह से मजदूर जाते हैं...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 26 फरवरी, 2010 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:-

'अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक प-7(4)राभ/2009/1159 दिनांक 09 मार्च, 2010,

''प्रिय अध्यक्ष, आपका अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ-10(1)सदन/विधान सभा क्षेत्र/200दे-10/8862 जयपुर दिनांक 26 फरवरी, 2010 प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनकी आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।'

''सादर, सदभावी, प्रभा राव''

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आज तक परम्परा रही है और आपने देखा भी है कि स्थगित प्रश्न वह होता है, जब माननीय सदस्य, उसका नम्बर आ जाता है और सरकार जबाव नहीं देती है। आम तौर पर इस प्रकार देखा गया है कि स्थगित प्रश्न को या तो दस मिनट पहले ले लेते हैं और किसी प्रश्न में उलझ जाने के कारण अगर टाइम हो जाता है तो पांच या सात मिनट का, अध्यक्ष महोदय, समय देकर पूछने की अनुमति देते हैं। श्री भवानी सिंह राजावत साहब का स्थगित प्रश्न आ गया था, स्थगित हुआ, आज उनका लगा हुआ है, स्थगित प्रश्न है। अगर नहीं आएगा तो प्रश्नों के स्थगन की अहमियत समाप्त हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनको प्रश्न पूछने का अनुमति आप दें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): प्रश्न संख्या 39

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जिस प्रश्न का जबाव आ चुका उसको तो आप लम्बा करके टाइम खराब कर रहे हैं। उसी का यह नतीजा होता है, वर्ना तो चार-चार, छह-छह सवाल आ सकते हैं। लेकिन आप बार-बार उसी बात को लेकर लम्बा करना चाहते हैं। सवाल तो आ जाता, क्यों नहीं आता?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): प्रश्न संख्या 39, अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी ने जो प्रश्न उठाया कि

(श्री अध्यक्ष)
स्थगित प्रश्न तो आना ही चाहिए। आपको जानकारी दे दूं कि पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी। मेरे से पहले ही इसमें संशोधन हो चुका है और वह संशोधन यह हुआ था व्यवस्था में, कि जिस माननीय सदस्य का प्रश्न जिस क्रमांक पर है, अगर स्थगित किया जाता है तो उसी क्रमांक पर लगेगा। पहले यह व्यवस्था थी कि पहले ले लिया जाता था। मेरे से पहले यह व्यवस्था हो चुकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वापस कर दो इसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब चूंकि यह प्रश्न चौथे नम्बर पर था और अगर आप धैर्य रखते और प्रश्नों को और आने देते तो इसका नम्बर आ जाता। मेरी मजबूरी रही है, मैं क्षमा चाहता हूं, प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। व्यवस्था आगे चालू हो चुकी है इसलिए इसका उत्तर तो लिखा हुआ इनके पास पहुंचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री पेमाराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में विद्यार्थियों की परीक्षाओं के अध्ययन हेतु पर्याप्त एवं समय पर बिजली आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री प्रभुलाल सैनी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में हाल ही में जारी ड्रिप/फव्वारा सिंचाई पद्धति में विद्युत कनेक्शन देने की योजना मंहगी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री ज्ञानचन्द पारख एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पाली शहर में बीपीएल परिवारों के लिए पांच माह पूर्व निकाली लाटरी के आबंटियों को मकानों का आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर में दो बाघ शावकों की अकाल मृत्यु होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली की तहसील बाली के नाना थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत माटून्द की महिला सरपंच के साथ उप सरपंच एवं उसके साथियों द्वारा मारपीट करने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री ओम बिरला एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य के होम गार्ड कर्मचारियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को दूर करने तथा उनकी न्यायोचित मांगों को मानने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध के डूब में आये रियासतकालीन निर्मित पुल का पुनर्निर्माण कर केकड़ी-देवली मार्ग को बहाल करने के सम्बन्ध में।

2. श्री भगवानसहाय सैनी, सदस्य की ओर से बिल्डिंग मैटीरियल ढोने वाले ट्रकों को अधिक भार ढोने के लिए टोकन जारी करने के सम्बन्ध में।

3. श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के किसानों को ट्यूबवैल में पानी की कमी के कारण थ्री-फेस कनेक्शन के स्थान पर सिंगल-फेस कनेक्शन देकर राहत प्रदान के सम्बन्ध में।

4. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर की ऐतिहासिक धरोहर दादाबाड़ी को पर्यटन सर्किट में शामिल करने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से नगरपालिका डीग द्वारा आवासन मण्डल के लिए अवाप्त की जा रही भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

6. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद की कतिपय मिसिंग-लिंक सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बसी आवासीय कालोनियों में जन सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

10. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से तहसील तिजारा के ग्राम गोधान की खसरा नम्बर 325 रकबा 67 ऐयर में बिना भूमि रूपान्तरण के क्रैशर निर्माण कार्य को तुरन्त रुकवाने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती कमला मेघवाल, सदस्य की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डिप्लोमाधारी नेत्र तकनीशियनों की नियुक्ति में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री नगराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धरियावद के अन्तर्गत आने वाली कतिपय सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: पाइण्ट आफ आर्डर, पाइण्ट आफ आर्डर, काहे का पाइण्ट आफ आर्डर?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। सवाईमाधोपुर में गेम सैंक्चुरी में दो बाघ शावकों की मौत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: पाइण्ट आफ आर्डर काहे पर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर होता है क्या? (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): आप छोड़ो बात, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन कह रहा हूं, आप ज्यादा हर बात पर वो मत किया करो।

श्री अध्यक्ष: पहली बात जीत कर आये हैं इसलिए ...(व्यवधान)

सूचना

सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ शावकों की मृत्यु

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर से मैं आता हूं और सवाईमाधोपुर में एक इण्टरनेशनल गेम सैंक्चुरी है, इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो बाघ शावकों की अभी हाल में मौत हो गयी है और इसे नेशनल और इण्टरनेशनल लेबल पर सारे मीडिया ने बहुत जोरदार तरीके से उठाया है। दो शावक बालेर में खण्डार के क्षेत्र में मृत पाये गये हैं और जांच में यह पाया गया है कि उनको जहर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: जल्दी समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी टी-37 और टी-47 टाइगर गुम हो रहे हैं और उनको ढूंढने के प्रयत्न चल रहे हैं, वो अभी ढूंढे नहीं जा सके हैं। उनको ट्रेंकुलाइज करने के लिए जो मशीनें होती हैं ...

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): देहरादून की टीम होती है, हमारे यहां की टीम होती है ...

श्री अध्यक्ष: विराजें आप, विराजें। श्री ज्ञानचन्द पारख। आप शुरू करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): यहां की टीम रिस्क लेकर और उनको यह नहीं कर रही, हो सकता है कि उनके बारे में भी अपन को यही सूचना मिले कि वो टाइगर भी मारे गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पाली में बी.पी.एल. परिवारों को मकान का आबंटन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी पार्टी का शासन हो परन्तु हमारे समाज में जो बहुत ही कमजोर तबका है उसको किस प्रकार से सरकारी सहायता उपलब्ध करा कर राहत दी जाए, इस बात का प्रयास लगातार हो रहा है। सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ताकि गरीब तबके को राहत या लाभ मिले। सरकार बहुत बड़ी धनराशि का भी आबंटन कर रही है ताकि उनका जीवन स्तर जीने योग्य बनाया जा सके। लेकिन नीचे के स्तर पर इन योजनाओं की क्रियान्विति बराबर नहीं होती और सरकार की मंशा के अनुरूप जो लाभ बी.पी.एल. या गरीब परिवार को मिलना चाहिए वो लाभ मिलने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है या वो लाभ से वंचित भी रह जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के लिए और गरीब परिवारों के लिए समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के तहत मकान मिल जाएं और कच्ची बस्तियों में जो मकान कच्चे हैं, उनके मकान भी रहने योग्य हो जाएं, इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि दी। पाली नगर परिषद को भी बहुत बड़ी धनराशि मिली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर आपने दो मिनट बोलने का मौका दिया है, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि यह विषय बहुत ही गम्भीर है, यह माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का विषय है और यह बहुत गम्भीर विषय है। भारत सरकार ने बहुत बड़ी राशि दी है कि जो बी.पी.एल. परिवार हैं उनके पास भी अपना छोटा-मोटा मकान हो। पाली शहर को भी बहुत बड़ी राशि इसमें मिली कि लगभग 1065 गरीब परिवारों को खुद का मकान का हक मिल जाए। यह राशि भारत सरकार ने दी। नगर परिषद ने मकान का काम भी चालू कर दिया, आधा-अधूरा मकान बना था, चूंकि सर पर चुनाव आने वाले थे तो आधे-अधूरे मकान में ही आबंटन की प्रक्रिया चालू कर दी। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आवेदन मांगे और आवेदन के साथ 5000 रुपये की राशि उन्होंने निर्धारित की। कई गरीब परिवारों ने इस उम्मीद के साथ कि हमारा अपना मकान होगा, 5000 रुपये नगर परिषद में जमा करा के आवेदन भर दिया। 20 अक्टूबर को लाटरी भी निकाल दी कि अब आपको मकान देंगे। मकान अब तक भी पूरे नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि 1065 मकान बनने थे और मात्र 816 आवेदन आये थे जो जांच के बाद में पात्र माने गये। 1065 मकान और 816 आवेदन तो उसके बाद लाटरी की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लाटरी निकाली। आज पांच महीने हो गये, ना तो मकान का काम पूरा किया और जिनके मकान लाटरी में खुले उनको न मकान का कब्जा दिया या उनको अधिकार पत्र या मांग पत्र दिया। कुछ आवेदन ऐसे भी थे जिनको नगर परिषद, पाली ने अपात्र

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माना कि 6 महीने पहले उन्होंने राशि जमा करा दी अपात्र होने के बाद में तय हो गया इनको मकान नहीं दिये जाएंगे, वो अपनी अग्रिम राशि वापस लेने के लिए 6 महीने में पचास चक्कर नगर परिषद, पाली के लगा चुके हैं, न तो उनको मकान दिया जाएगा और जो राशि जमा है वो भी उनको वापस नहीं लौटायी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लाटरी भी निकाली और प्रक्रिया पूरी की नहीं। चालू कर दी और 477 मकानों की लाटरी निकाल कर कह दिया कि बाकी की लाटरी बाद में निकालेंगे, सब को खाली छोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बी.पी.एल. परिवारों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। सरकार चाहती है, हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत चाहते हैं। कल भी उन्होंने बहुत बड़ी राहत दी। लेकिन जब तक नीचे के अधिकारी इस मामले में गम्भीर नहीं होंगे ...(व्यवधान) धन्यवाद आपको बहुत-बहुत, आपके काम के कारण काफी काम पार पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नीचे के अधिकारी, नीचे की जो आपकी टीम है, यदि आपकी मंशा बहुत अच्छी होगी कि राहत मिलनी चाहिए और वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऐसी योजना उन परिवारों के लिए अभिशाप बन जाएगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्याज पर राशि लाकर जमा कराता है कि मकान मिलेगा लेकिन 6 महीने में मकान का कोई अता-पता नहीं।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं और वो बीच में से इधर से उधर घूम रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप देखो, क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है सदन में? एक मंत्री जिनको सुनना है, वो भी आपस में चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष। आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है सदन में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गरीबों का विषय है, इतना गम्भीर विषय है......

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गरीब की चिन्ता नहीं है आपको?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, आप चालू रखें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि बहुत गम्भीर विषय है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्री की कुर्सी पर देखो आप।

श्री अध्यक्ष: इसमें आपको क्या एतराज है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आपने मुरारीलालजी को बैठा दिया इस कुर्सी पर।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वह वहां बैठें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप अधिसूचना जारी कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कोई अन्दर की पीड़ा है क्या?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा ही फायदा है ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मात्र बी पी एल परिवारों के साथ मजाक नहीं किया, कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों के साथ भी.......

श्री अध्यक्ष: कोई दूसरा मैम्बर कहीं बैठ जाए तो आपको एतराज है क्या?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, कतई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये फिर आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों के साथ भी बहुत बड़ा मजाक वहां के अधिकारी कर रहे हैं। दो साल पहले आवास उन्नयन के नाम से किया कि आपके मकानों में पक्के कमरे बनाएंगे, एक चौथाई राशि आप जमा कराओ, शेष तीन चौथाई राशि सरकार अपनी ओर से खर्च करेगी। अनेकों गरीब परिवारों ने पच्चीस हजार रुपये कहीं से भी लाकर, बड़ी ब्याज दर पर लाकर नगर परिषद, पाली में जमा कराये। दो साल बीत जाने के बाद भी उन मकानों का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, पाली ने ऐसे बोर्ड भी लगवाये कि कार्य प्रारम्भ होने की तिथि यह है और आपका काम 30.8.2008 तक समाप्त कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। लगभग डेढ़ साल बीत गया, कार्य डेढ़ साल पहले पूर्ण होना था, उसके बावजूद भी एक ईंट उन मकानों में नहीं लगी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा, दला रामाजी, यह व्यक्ति बहुत निर्धन है, सरकार की बात के ऊपर भरोसा करके इसने पच्चीस हजार रुपये नगर परिषद पाली में जमा करा दिये। दो साल में उसने पचास चक्कर नगर परिषद के लगा दिये कि मेरा काम चालू कराओ, पर नगर परिषद् पाली ने काम चालू नहीं कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी ब्याज दर पर राशि लाया था और आखिर सदमे में इस व्यक्ति की मौत हो गयी.....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदमे में इस व्यक्ति की मौत हो गयी, दो साल हो गये।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ज्यादा गम्भीर है। अगर मकान समय पर चालू हो जाता तो इसकी मौत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नगर परिषद की लापरवाही से काम चालू नहीं करने पर....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, यह मामला इतना लाइटली नहीं लें आप मेहरबानी करके ।

श्री अध्यक्ष: मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं, मैं समझ गया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह व्यक्ति इसलिए मर गया कि इसका समय पर मकान नगर परिषद ने नहीं बनाया। दो साल से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा आपसे आग्रह है, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंहजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जिन गरीब परिवारों के मकान नहीं बने हैं उनके मकान आप कब तक बनाएंगे? (व्यवधान) वह मर गया।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप जवाब तो मांगें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: और किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: गजेन्द्र सिंहजी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने समय दे दिया, इसीलिए आप विराजें। और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, आपने सूचना दे दी।

आपको आपके दल के सदस्य बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय उद्यान में दो बाघ शावकों की मृत्यु

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। 7 मार्च, 2010 राजस्थान के लिए एक काला दिवस था, हमारे लिए यह बहुत दुःखद घटना है, शर्मनाक घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया और आपके जितने भी फोरम हैं- सेव दी टाइगर, सेव दी इण्डीजीनस स्पेसीज, हमारे देश के अन्दर ही नहीं, पूरे अन्तरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक हलचल मची हुई है। ये इंटरनेशनल कटिंग्स हैं- Halting of relocation prove costly for tigers; फार टाइगर्स, जहरीला मांस खाने से दो शावक मरे मीडिया ने इसको कवरेज दिया और हमारे स्टेट के लिए बहुत ही शर्मनाक यह दिन निकला।

×××- अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

पांच मार्च को टाइगर पैरीफेरी एरिया के अन्दर आ गया और पैरीफेरी एरिया के अन्दर आकर उसने तीन बकरियों का शिकार किया। गांव वाले वहां पास थे, एक बकरी छुड़ा ली और दो बकरियों को उसने मार दिया। जब उन्होंने पत्थर फेंके तो वह टाइगर वापस उस एरिया से दूर चला गया। शाम को वह टाइगर वापस बकरी खाने आया तो इन्होंने उसको इंजेक्शन दे दिया उसके अन्दर जहर मिलाकर। खाने से उनकी मृत्यु हो गयी। 7 मार्च को जब वन विभाग उनको ट्रैक करता गया तो उन्होंने देखा कि दोनों जो कब्स हैं, मृत हैं। दोनों मृत घोषित किये गये। पिछले चार वर्षो में, अध्यक्ष महोदय, कोई भी पोचिंग का केस नहीं हुआ है हमारे सरिस्का के अन्दर और हमारे रणथम्भौर के अन्दर। टाइगर की कोई जहर या जहरीली वस्तु खाने से अभी तक डैथ नहीं हुई है पिछले चार साल के अन्दर।

मैंने यह प्रश्न विधान सभा के अन्दर उठाया था, आज की तारीख में अतारांकित प्रश्न आया है- रणथम्भौर के बाघों की सुरक्षा, प्रश्न नम्बर-96 1800/1, गजेन्द्र सिंह खींवसर, क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में क्षमता से ज्यादा बाघ हैं जिससे बाघ कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे बाघों के शिकार की आशंका बनी हुई है? यदि हां तो क्या इस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यह प्रश्न मैंने उठाया था, यह आज अतारांकित में आया है।

अध्यक्ष महोदय, 2003-04 तक सरिस्का के अन्दर बाघ खत्म हो गये थे। जो पोचिंग का अभियान 1970 से शुरू हो गया था, 2003-04 तक इनकी संख्या बिल्कुल जीरो हो गयी थी। हमारी बी जे पी सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की थी जिसके अन्दर एक्सपर्टस को रखा था, बाल्मीकि थापर को रखा था, वेलेन्डा राइट को रखा था। Task force was an Advisory Body. It was a body जो एक रिपोर्ट बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। ये तीनों काम इस टास्क फोर्स को दिये थे, वी पी सिंह कमेटी इसका नाम दिया गया था। वर्ष 2005 से आज तक, मैंने जैसा बताया, यह टास्क फोर्स आने के बाद कोई भी जहरीली वस्तु देने से या पोचिंग से अभी तक किसी भी बाघ की डैथ नहीं हुई। यह पहला हादसा है इतने वर्षों के बाद, क्योंकि रणथम्भौर अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर One of the best sighting national

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

parks है। सवाई माधोपुर की इकोनोमी बाघ की साइटिंग के ऊपर ही डिपेन्डेंट है। सरिस्का के अन्दर इकोनोमी बहुत डाउन हो गयी, वहां पर बाघ नहीं रहा। फिर इस टास्क फोर्स ने एक प्रपोजल बनाया जिसके अन्दर माननीय प्रधान मंत्री जी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि उस टाइम उनके पास में फोरेस्ट का भी पोर्टफोलिया था। उन्होंने इनको रिलोकेट करने के लिये आज्ञा दी। उस समय दो फीमेल और दो मेल को लिफ्ट करके रणथम्भौर से सरिस्का डाला गया और कॉलर भी लगाये गये। आज वे बाघ बिलकुल स्वस्थ हैं, उनका अच्छा मूवमेंट है। उनको शिकार भी खूब मिल रहा है। यह पहली बार ही हुआ था वर्ल्ड के अन्दर कि वाइल्ड टाइगर को सैंक्चुरी के अन्दर शिफ्ट किया गया। राजस्थान में यह पहली बार ही हुआ था। इसके बाद में आखिरी बाघ फरवरी, 2009 में शिफ्ट किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह बताना चाहूंगा आपको कि स्टेट गवर्नमेंट को बिलकुल ही इसकी परवाह नहीं है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो कि एक हाइएस्ट आथोरिटी है अपने स्टेट के अन्दर, पिछले सवा साल में उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, एक भी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। जो मेन काज है कि बाघ क्यों पैरी फेरी में जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया जो देहरादून में स्थापित है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रणथम्भौर के अन्दर 30 से 35 बाघ से ज्यादा के लिये एरिया नहीं है। उन्होंने 30 और 35 बाघ की रिपोर्ट दी, वहां पर हो गये 41 बाघ। 38 तो सैंक्चुरी में हैं, एक कालीसिंध सुल्तानपुर की तरफ 90 किलोमीटर चला गया है, एक बंध बरेठा में चला गया है और एक ग्वालजी में चला गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, ओवर क्राउडिंग की वजह से जो बच्चे हैं उनको बड़े बाघ रहने नहीं देते हैं तो वे पैरीफेरी एरिये में जाते हैं और पैरीफेरी एरिये के अन्दर उनको वाइल्ड लाइफ ज्यादा नहीं मिलती है तो वे भेड़, बकरियों पर अटैक करते हैं। इसका जो काज है वह ओवर क्राउडिंग की वजह से है। और रिलोकेशन सरकार ने रोक दी। क्यों रिलोकेशन रोकी, उसका भी मैं आपको बताता हूं। अभी जहां से ये दोनों बच्चे बाहर पैरीफेरी की तरफ गये हैं उस एरिया के अन्दर 7 बाघ थे जो एक टाइगर और एक टाइग्रेस होने चाहिये...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर इश्यू है..

श्री अध्यक्ष: मैंने इसीलिये समय दिया आपको।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मैं दो मिनट लूंगा, अध्यक्ष महोदय, प्लीज। वहां पर चिरोली टाइगर है, चिरोली टाइग्रेस है, उनके ये दोनों बच्चे हैं। ये वहां से स्ट्रे होकर गये हैं। इसके अलावा बेड़दा टाइगर भी है, गलाईसागर टाइगर भी है, गुडामेल भी है और टी-21 भी है। ओवर क्राउडिंग के कारण से ये बच्चे वहां से चले गये हैं। अब इसके अन्दर एक ही विकल्प है, या तो आप कोर एरिया बढ़ाइये या टाइगर्स को शिफ्ट करिये Humans and tigers can not co-exist together. अध्यक्ष महोदय, यह डिले-इन-ट्रांसफरिंग हुआ है। यह प्रपोजल था कि 3 फीमेल और 2 मेल को ट्रांसफर किया जाए, इसको क्यों रोका गया? पी एम का भी इनीशियेटिव था, पी एम पधारे थे मई, 2005 के अन्दर रणथम्भौर, तो उन्होंने भी कहा था कि इनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन एक साइंटिफिक अड़ंगा फंसाया गया। साइंटिफिक अड़ंगा यह था कि इन टाइगर्स को यूं नहीं शिफ्ट किया जाए क्योंकि इनब्रीडिंग हो रही है। अब इनब्रीडिंग हो रही है तो कारबेट नेशनल पार्क भी हमारे पास है, कान्हा भी है, बांधवगढ़ भी है, राजाजी नेशनल पार्क भी है, इनब्रीडिंग में इनको भी आस-पास में चेंज कर सकते थे। इसको रोका गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे एक अल्टीरियर सैल्फिश मोटिव था और मोटिव यह था कि जो वहां पर ट्यूरिज्म रिलेटेड वेस्टेड इंटरैस्ट थे वे नहीं चाहते थे कि टाइगर्स को शिफ्ट किया जाए। वे चाहते थे कि रणथम्भौर के अन्दर साइटिंग बैटर हो। वे लोग चाहते थे कि सरिस्का का डवलपमेंट नहीं हो क्योंकि सरिस्का दिल्ली के पास है। सरिस्का का जैसे-जैसे डवलपमेंट होगा तो होटल्स और ट्यूरिस्ट कम आने लगेंगे। यह जो लाबी है इन्होंने, प्रियंका गांधी आती रहती हैं, राहुल गांधी आते रहते हैं पार्क के अन्दर, उनके थ्रू जयराम रमेश को इनफ्लुएंस किया और उन्होंने यह कंडीशन डाल दी।

श्री अध्यक्ष: चलिये, समाप्त करें। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): This is important issue. कंडीशन डाल दी, अध्यक्ष महोदय, कि ....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): यह इंटरब्रीडिंग नहीं होगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यहां मंत्री महोदय विराजें हैं, इसका जवाब तो दें।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय तो ऐसी बात है, आने के बाद गये ही नहीं वहां पर..

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार जवाब नहीं देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जवाब नहीं देती है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय रणथम्भौर गये ही नहीं हैं। प्रियंका वढ़ेरा गयी हैं, राहुल गांधी गये हुए हैं मंत्री महोदय ने जाकर संभाला ही नहीं है रणथम्भौर को।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जवाब दें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, राहुल गांधी जी का जिक्र हो गया, मेनका गांधी का जिक्र हो गया...

श्री अध्यक्ष: वन विभाग पर चर्चा कभी जब हो..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जवाब दें न...

श्री अध्यक्ष: वन विभाग की चर्चा के समय...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब देना चाहिये मंत्री महोदय को। बहुत सैंसिटिव मामला है। जहां पर श्रीमती प्रियंका बढेरा गयी हैं, राहुल गांधी गये हुए हैं वहां पर मंत्री महोदय गये ही नहीं हैं। इसकी जांच कराइये। आप बताइये, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। कृपया आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्री महोदय यहां सदन में बैठे हैं, जवाब दे दें, सर। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): जो लोग सवाईमाधोपुर के बारे में बात कर रहे हैं...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय से कहलवाइये। मंत्री महोदय से..

श्री अध्यक्ष: अब विराजें आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय से कहलाइये..

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): उनको वहां की जमीनी हकीकत का ही पता नहीं है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय से कहलवाओ आप, मंत्री महोदय हैं न। दिखावे के हैं वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य आप, सदन के माननीय सदस्य, बिराजें..(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): याद रखिये, इस प्रकार सवाई माधोपुर क्षेत्र की जनता ने बहुत कष्ट उठाये हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप सरकार के मंत्री महोदय से जो यहां विराजें हैं, उनसे कहो...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ी व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): सारे विकास कार्य रुके हैं, जब हमने...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह केवल सदन चलाने का ही प्रश्न नहीं है, एक महत्वपूर्ण कोई चीज सदन में आ जाती है, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिये। कांगेसी सदस्य बोल रहे हैं, बी जे पी के सदस्य बोल रहे हैं..

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। विराजें आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आपके दल के माननीय सदस्य का ही समय आप खराब कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपका संरक्षण चाहिये, सर।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य को संरक्षण दे रहा हूं इसलिये निवेदन है कि आप विराज जाओ।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): तो इनको दीजिये, साहब।

बाली की ग्राम पंचायत भाटूंद की महिला सरपंच के साथ मारपीट

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को पूरा देश और हमारा पूरा प्रदेश महिला दिवस मना रहे थे। बाली विधान सभा में भाटून्द ग्राम पंचायत में महिला दिवस पर वहां के स्थानीय कुछ लोग और उप सरपंच मिलकर पंचायत की मीटिंग कर रहे थे। हमारी जो महिला सरपंच है वह लगभग 800 वोटों से जीतकर आयी हैं, जब वह जीतकर आयीं तो पहली मीटिंग उन्होंने 15 फरवरी को रखी। उसमें तनावपूर्ण स्थिति हो गयी, पुलिस को बीच में आना पड़ा। व्यवस्था करके धीरे-धीरे शांतिपूर्ण माहौल बनाया गया। सरपंच साहब ने दूसरी मीटिंग महिला दिवस पर बुलायी 8 मार्च को, मीटिंग के दौरान ही उस ग्राम पंचायत के उप सरपंच और कुछ लोग 20 से 25 लड़के मिलकर, उन्होंने जीती हुई महिला सरपंच जो आरक्षित वर्ग की हैं, अनुसूचित जाति की है, उनके साथ मारपीट की। साथ ही उसके पति से भी मारपीट की और उसके परिवार के 6 लोगों के साथ मारपीट की। पूरा देश, लोक सभा, राज्य सभा, सब प्रमुख दल मिलकर महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, 50 परसेंट आरक्षण पंचायती राज, निगमों और नगरपालिकाओं में हमारी विधान सभा ने उनको दिया ताकि सामाजिक स्तर पर और हर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्तर पर महिलाएं भी आगे आएं और पूरे विकास में, पूरे सामाजिक ढांचे में सुधार आए। पंचायत की मीटिंग में 50 से 60 लड़कों ने घुसकर उस महिला के साथ उन्होंने जो वाकया किया है। जातिगत शब्दों से उसको अपमानित किया है। उसकी आया रिपोर्ट भी आयी है। मैं तो यह कहना चाहता हूं आपके द्वारा गृह मंत्रीजी से कि जब 15 फरवरी, 2010 को यह घटना हुई तो पुलिस ने ऐसे लोगों को पाबन्द क्यों नहीं किया ? जब उनको मालूम था कि यह घटना वापस हो सकती है तो उनको ऐसे लोगों को पाबन्द करना जरूरी था। 8 तारीख को यह घटना वापस हुई। पूरी पंचायत थाने में गयी, 3 घण्टे तक वहां बैठी रही ताकि एफ आई आर दर्ज हो। तीन घंटे तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। एस पी से जब हमने बात की तो एस पी ने बीच में पड़कर एफ आई आर दर्ज करायी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज के अख़बार में मैंने पढ़ा, अशोकजी महिला दिवस पर कहीं महिलाओं के प्रोग्राम में गये और उन्होंने यह कहा महिलाओं को कि आप घूंघट ऊपर लें और आगे बढ़ें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): कि अगर हम महिलाओं को संरक्षण नहीं देंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे और ऐसे जन-प्रतिनिधियों को हम संरक्षण नहीं देंगे तो महिला आने वाले टाइम में इस प्रजातन्त्र में...

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): किसी भी पोस्ट पर खड़े रहने के लिये वह आगे नहीं आएगी। योग्य और अच्छे जो जन-प्रतिनिधि हैं, वे धीरे-धीरे इस राजनीति से दूर हो जाएंगे। इससे हमको काफी नुकसान होगा..

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इसलिये मैं आपके गृह मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में थोड़ी आप गम्भीरता करे और इस हाउस में आश्वासन दें..

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): महिलाओं पर जो यह अत्याचार हो रहे हैं..

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो दिन हो गये, आज दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है..

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, सरकार महिलाओं के अधिकारों की तो इतनी बात कर रही है, वहां इतनी बड़ी घटना हो रही है...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पूरी ताकत लगा दी है कि जो भी गवाही है, वह गवाही को समाप्त कर रहे हैं। इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं ...(व्यवधान) ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आपको शीघ्र ही कार्यवाही करके इनको गिरफ्तार करना चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): नहीं साहब, गृह मंत्रीजी से इस पर कोई ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक महिला सरपंच की बात है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें तो सही ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): महिला सरपंच की बात है ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपको महिलाओं के खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जो पहली बार बनी है और 800 वोट से जीतकर आयी है ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ऐसी महिलाओं को अगर हम संरक्षण नहीं देंगे, उनकी हम इज्जत नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपसे निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री महोदय जवाब दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा ...(व्यवधान) इस मौके पर गृह मंत्रीजी से जवाब चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जिन लोगों ने ग्राम पंचायत के भवन में इस प्रकार का कुकृत्य किया है, उन लोगों को क्या सज़ा मिलेगी, इस प्रकार का भी जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, अगर यह गिरफ्तार नहीं किये जाएंगे तो जो गवाह हैं उनको नष्ट करके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला। आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): यह सरकार महिलाओं पर अत्याचार रोक नहीं पा रही है ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह शर्म की बात है ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जो एससी, एसटी की महिलाएं चुनकर आयी हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यह स्थगन प्रस्ताव है, महिलाओं से संबंधित है ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): यह महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला। क्या चाहते हैं, माननीय सदस्य? श्री ओम बिरला। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उस दलित महिला के, अनुसूचित जाति की महिला के साथ अत्याचार हुआ है ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अगर यह नहीं हुआ तो मैं ...(व्यवधान)

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह, माननीय सदस्य सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब देना चाहिए ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी की महिला माननीय सदस्य सदन कूप में धरने पर बैठीं)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर ...(व्यवधान)... आप कृपया विराजें, मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वह दो शब्द आपको कहें। आपको नहीं सुनना है ...(व्यवधान)... पता ही नहीं है आपको, आप क्या कह रही हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): महिलाओं का मामला जोर का है, साहब, औरों का जवाब दो नहीं दो, महिलाओं का तो देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): महिलाएं आपके इर्द-गिर्द ही बैठती हैं, जरा देख लेना। (व्यवधान)

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): आपके सामने बैठी हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): दो प्रतिशत में यह स्थिति है अगर ज्यादा आ जाएंगी तो क्या होगा? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को शाम को सवा पांच बजे यह घटना घटी है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, उस पर आईपीसी की धारा 143, 341, 323, 354 तथा एससी, एसटी एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा फर्द, नक्शा बना लिया गया है और उसी के साथ-साथ परिवादी सरपंच श्रीमती दरगी देवी और बाकी गवाहों के 161 के बयान हो चुके हैं। बैठक रजिस्टर की छाया प्रति भी उनको उपलब्ध करवा दी गयी है। मजलूम की चोटों की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है लेकिन चोटें कोई ज्यादा नहीं हैं, साधारण चोटे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): चोटें तो हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, हैं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): चोटें तो हैं? (व्यवधान) जन प्रतिनिधि के साथ कोई मारपीट हो ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं कह रहा हूं न। ...(व्यवधान) मैं मंजूर कर रहा हूं, उसमें क्या बात है। (व्यवधान) विराज जाएं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरकारी कर्मचारी की तरह धारा लगती हैं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एफआईआर में नामजद मुल्जिम अभी रूहपोश, फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। अग्रिम अनुसंधान वृत्ताधिकारी वृत्त, सुमेरपुर द्वारा किया जा रहा है। यदि आप इस अनुसंधान से असंतुष्ट हैं तो मुझे आप नाम बता दें उससे इनक्वायरी करा लेंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उससे हम संतुष्ट हैं, हम यह चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्योंकि जो गवाह हैं उनको होस्टाइल कर रहे हैं। दो दिन पहले ...(व्यवधान) जिस दिन वह केस दर्ज कराने आये उसमें 15 लोग ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य, अनुसंधान जो कुछ हुआ है या हो रहा है, अगर उससे आप असंतुष्ट हैं तो कृपया मुझे यह बता दें कि किससे अनुसंधान करवाना है, मैं उससे करवाने को तैयार हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): गिरफ्तारी करवानी है, अनुसंधान आप चाहे जिससे करा दें, आप उनकी गिरफ्तारी करवाएं। मैं यह चाहता हूं कि इनका चालान पेश हो। ऐसे उप सरपंच को निलम्बित किया जाए जो एक महिला के साथ ऐसा अत्याचार करता है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उस पुलिस अधीक्षक को भी सस्पैंड किया जाए जिसने जातिगत शब्दों का प्रयोग किया।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये आप ...(व्यवधान) हो गयी बात ...(व्यवधान) अगर आप इनक्वायरी के संबंध में किसी पर्टीकुलर से भी करवाना चाहेंगे तो मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया, उसके बाद क्या बचा है? श्री ओम बिरला।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): इसमें लिखा हुआ है ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): जिन्होंने ऐसा काम किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला, 44 पर शुरू कर रहे हैं, बोलिये।

होम गार्डस की न्यायोचित मांगें

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के 28 हजार होम गार्ड, गृह रक्षा दल के स्वयंसेवक राजस्थान सरकार के खिलाफ दस्तक के लिए बैठे हैं। वह स्वयंसेवक जो देश की सुरक्षा भी करता है। जब कानून में आपातकाल की स्थिति हो जाती है उस समय पुलिस के सहयोगी के रूप में, राजकीय कर्मचारी के रूप में प्रदेश की सुरक्षा का भी काम करता है। लेकिन राजस्थान सरकार 28 हजार होम गार्ड, गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया है।

अध्यक्ष महोदय, ये स्वयंसेवक पुलिस के रूप में काम करते हैं, पुलिस अधीक्षक द्वारा इनकी भर्ती की जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इनको 44 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और ये जब ड्यूटी पर होते हैं, पुलिस के कानून के रूप में, अधिकार के रूप में यह सर्वसम्मत होते हैं। लेकिन इन स्वयंसेवक होमगार्डों को राजस्थान में एक वर्ष में केवल एक महीने, दो महीने के लिए लगाया जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, नम्बर एफ 1-19898, मैं इसलिए सर्कुलर का नम्बर बता रहा हूं क्योंकि इनके मंत्री और हैं और विभाग में नियंत्रण करने वाले अधिकारी डीजी या डीजी रैंक के

(श्री ओम बिरला)

होते हैं, दो-दो विभागों में बंटा हुआ यह विभाग है। सारे सर्कुलर गृह मंत्रालय से निकलते हैं और इनका मंत्रालय सहकारिता मंत्रीजी देख रहे हैं। अगर डीजी साहब कभी बुलाते होंगे तो कभी आते होंगे, कभी नहीं आते होंगे, समय भी नहीं देते होंगे। यह स्थिति है इन गृह रक्षा दल के जवानों की।

अध्यक्ष महोदय, इन जवानों को साल में दो महीने के अलावा नौकरी नहीं। इन जवानों को मध्य प्रदेश और बिहार के अन्दर 10 प्रतिशत पुलिस में आरक्षण दिया गया है जिसके आदेश की प्रति भी सदन में रख दूंगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है, आपकी सरकार के कार्यकाल में यह सर्कुलर जारी हुआ है, उसके तहत भी इनको सी और डी श्रेणी में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर कई सरकारी और अन्य संस्थाओं के अन्दर निजी सुरक्षा गार्ड लिये जाते हैं। ये स्वयंसेवक होम गार्ड चाहे बार्डर पर हो, चाहे यहां हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। राजस्थान की सरकार ने इन गरीब नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया है। उनके परिवारों को वे पाल नहीं पाते, उनको दो समय की रोटी नहीं मिलती। साल में केवल दो महीने उनको नौकरी देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां पर अनुपस्थित है, सरकार गम्भीर भी नहीं है विधान सभा के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इन होम गार्ड जवानों के साथ न्याय करना चाहिए। इन होम गार्ड जवानों को सरकारी और गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं में जहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लिये जाते हैं उनके स्थान पर लगाना चाहिए। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश और बिहार की तर्ज पर इनको भत्ता देना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको कम से कम आठ महीने रोजगार दिया जा सके ताकि इस महंगाई के अंदर वे अपने परिवार को पाल सकें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के दूर-दराज से 10 हजार होम गार्ड आए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, सरकार

(श्री ओम बिरला)

अगर जवाब नहीं देना चाहती हो, सरकार जवाब नहीं दे क्योंकि सरकार से उन होम गार्ड के नौजवानों को कोई अपेक्षा भी नहीं है, भूखे-प्यासे बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें। विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। आसन पांवों पर। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चूंकि सरकार की ओर से महंगाई के सम्बन्ध में वक्तव्य भी आना है और विधायी कार्य काफी है, फिर माननीय सदस्यों को बोलना भी है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

295 पढ़े हुए मान लिये गये।

(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

पर्ची के माध्यम से लिए जाने वाले विषय

आज दिनांक 10 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 21 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्न प्रकार हैं-

(1) श्री प्रतापसिंह खाचरियावास, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय के अभाव में होने वाले राजकीय धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती संजना आगरी, राजस्थान राज्य में अध्ययन हेतु विद्यार्थी मित्र योजना के सम्बन्ध में।

×××- अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री अमराराम, विद्युत वितरण कम्पनियों के द्वारा वी सी आर के नाम से लूट करने एवं मनमानी से बिल भेजने तथा मनमर्जी से लोड बढ़ाने के सम्बन्ध में।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय का अभाव

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्षजी, मैं राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं। सरकारें बदलती रहती हैं, पर सरकार बदलने के साथ कार्यपालिका का काम जैसा है वैसा ही रहता है। राजधानी जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं जो जनता के खजाने से जनता के विकास के काम करते हैं। वह विकास का पैसा जनता के काम आना चाहिए, सरकारी पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसा हम भी मानते हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य भी मानते हैं। लेकिन राज बदलने के साथ मैंने बार-बार महसूस किया कि चाहे किसी का भी राज रहा हो, एक दिन आपके आर एस ई बी के लोग जाते हैं, जाकर अपना काम शुरू करते हैं और दूसरे दिन बिना किसी सूचना के जलदाय विभाग के लोग पहुंच जाते हैं। मैं हाल ही का आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अभी जयपुर में मैट्रो परियोजना आ रही है और सरकार की मैट्रो परियोजना का प्रचार स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने किया। सवाल इस बात का नहीं कि राज हमारा है या राज किसी और का है, मैट्रो परियोजना शुरू होने की तैयारी हो रही है और बीच में ही जयपुर विकास प्राधिकरण के लोग उसी सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पोल लगा देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। किसी और का अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा। कुछ बातें ऐसी होती है जो पार्टियों से ऊपर उठ कर सोचनी चाहिए। आप उस पर विचार करना नहीं चाहते।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनता का पैसा है, जनता के खजाने का है और सरकार मन लगाकर भेजती है, विधायिका तय करके भेजती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये हिन्दुस्तान के सबसे बड़े स्तम्भ हैं जो हिन्दुस्तान को चलाते हैं, हिन्दुस्तान का विकास करते हैं। राजस्थान में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, बार-बार समाज के दर्पण के रूप में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते हैं कि डेढ़ करोड़ की सड़क बनी, दूसरे दिन ही सब प्राइवेट कम्पनियों के लोग पहुंचे और पहुंच कर उस सड़क को खोद दिया गया। अधिकारी इधर-उधर भाग रहे हैं, जनता पूछ रही है कि करोड़ों रुपए खर्च हो गये आपने इस सड़क को खोद कैसे दिया? जलदाय विभाग हो, विद्युत विभाग हो, पी डब्ल्यू डी हो, नगर निगम हो या फिर प्राइवेट कम्पनियां जो यहां पर आई हैं- चाहे वह रिलायंस हो, चाहे एयरटेल हो, जितनी भी कम्पनियां हैं, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। मैं इतना चाहता हूं, हमारी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं में, अध्यक्षजी, यह काम आप शुरू कर सकते हैं, आप डाइरेक्शन दे सकते हैं, पूरे सदन से बहुमत से यह पास करवा सकते हैं कि एक वर्ष की योजना जब भी बने तो पूरी योजना बनने से पहले जनता से जुड़े सारे विभाग बैठें। उस क्षेत्र के एम पी को बुलाइए, एम एल ए को बुलाइए और सब बैठकर एक कार्य योजना तैयार करें कि इस महीने में ये काम होंगे, इस महीने में ये काम होंगे, तब जाकर यह नीति बनेगी तो मैं आपको गारण्टी से कह सकता हूं कि जनता का पैसा बचेगा, जनता का विकास होगा और राजस्थान का विकास होगा। हमारे एम एल ए चाहे प्रतिपक्ष के हों, चाहे पक्ष के होंगे, जब वे उनसे जुड़ेंगे तो वे कार्यपालिका के लोगों से यह कह सकेंगे, उन अधिकारियों से, कर्मचारियों से कह सकेंगे कि आपकी नीति बन गई पूरे वर्ष की तो आप बीच में यह खुदाई का काम क्यों करवा रहे हैं, नुकसान क्यों कर रहे हैं। मैं आज अकेली राजधानी ही नहीं पूरे राजस्थान में ऐसे अनेकों उदाहरण बता सकता हूं, हमारे विभाग के समन्वय के अभाव में जितनी प्राइवेट कम्पनियां हैं वे बिना पैसा जमा कराए जगह-जगह खुदाई करवा देती हैं। खुदाई कराकर अपना काम पूरा करा लेती हैं और फिर भी उनका पूरा पैसा जमा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि अधिकारी आपस में सामंजस्य बैठाकर काम नहीं करना चाहते। इससे नुकसान होता है सरकार का। सरकार को नुकसान होने के बाद में एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डालता रहता है। इसमें यदि कानून बन जाएगा तो उन अधिकारियों को कानून में बांधना चाहिए और बांध कर कह देना चाहिए कि यदि गंदे पानी की समस्या आती है तो गंदे पानी की समस्या क्यों आती है। एक दिन जाकर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जलदाय विभाग ने खुदाई कर दी या विद्युत विभाग ने खुदाई कर दी तो सीवरेज टूट गई। सीवरेज टूटने से कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शहर में सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौतें हो गई हैं। अब ये मौतें किस समय में हुईं, यह इश्यू नहीं है। हम यहां पर लड़ाई-झगड़ा करते हैं, आपके समय में इतने लोग मर गये, आपके समय में इतने लोग मर ये। लोगों के मरने का सिलसिला और आम आदमी की जान के नुकसान का सिलसिला रुक सकता है लेकिन इसके लिए हमें बड़ा मन बनाना होगा। बड़ा मन बनाकर यह तय करना होगा कि यह सिर्फ किसी कांग्रेस या बी.जे.पी. की सरकार का सवाल नहीं है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह राजस्थान की जनता के खजाने के सवाल है। राजस्थान की जनता जो टैक्स का पैसा देती है वह टैक्स के रूप में सरकार में जमा होता है। सरकार सिर्फ एक इतना-सा काम कर सकती है। हम बड़ी-बड़ी योजनाएं लाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं हम सड़कें बिछाना चाहते हैं, सीवरेज लाइन डालना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, विद्युत का काम करना चाहते हैं कि हम अण्डरग्राउण्ड लाइन बिछा दें, मैट्रो भी लाना चाहते हैं, लेकिन यदि यह एक नीति नहीं बनेगी, एक कानून नहीं बनेगा तो नुकसान होगा। इसके लिए आपस में समन्वय चाहिए, आपस में विश्वास चाहिए। और जब भी यह नीति बने तो एक वर्ष की नीति बने और उसके लिए यह सदन उनको पाबन्द करे, जिस तरह से आपने अफसरों को पाबन्द किया कि आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, अब पांच वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष नहीं लगेगा, आइए और जवाब दीजिए। इसीलिए जरूरत है आज इस बात की कि दण्डात्मक प्रक्रिया तय हो, इस तरह का एक कानून बने कि आपस में समन्वय के बिना, एक वर्ष की नीति बनाए बगैर वे अधिकारी जिम्मेदार होंगे जो सड़क खोदते हैं, नाली तोड़ते हैं या पाइप तोड़ते हैं, सीवरेज तोड़ते हैं या जनता से जुड़े हुए किसी भी काम का नुकसान करते हैं। उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनसे पैसा वसूल होना चाहिए। जब उनको यह पता था कि कल यह सड़क आर.एस.ई.बी. के लोग तोड़ेंगे तो उन्होंने सड़क क्यों बनाई? तो अध्यक्षजी, मैं अंत में इतना ही निवेदन करूंगा कि एक कानून बनाकर ऐसी नीति तय की जाए जिससे सारे सरकारी विभागों में समन्वय बने और जनता के खजाने का जो नुकसान हो रहा है, सरकार के खजाने का नुकसान हो रहा है, वह रुक सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

विद्यार्थी मित्र योजना

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, दूर-दराज के क्षेत्रों में विद्यार्थी मित्र योजना में लगे विद्यार्थी मित्र ग्रामीण तबके की ऐसी ढाणियों व स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते हैं जहां गांवों में बिजली नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं, क्योंकि वह गरीब का बेटा होता है। ऐसे 20 हजार विद्यार्थी मित्र राजस्थान की गरिमामय विधान सभा के सामने पिछले दो दिन से विशाल धरना लगाकर बैठे हैं, इस बहरी और गूंगी सरकार की नजर इन विद्यार्थी मित्रों पर दो दिन से नहीं गिरी। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि संवेदनशीन सरकार की यह कौनसी संवेदनशीलता है कि दो दिनों

(समय : 13.00 बजे)

से जो विशाल धरने में 20 हजार विद्यार्थी यहां बैठे हैं, अभी तक वहां नजर भी नहीं गई? उन भाइयों को लाठीचार्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वे यहां से डर कर भाग जाएं। यह इस सरकार की संवेदनशीलता है? शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए सबसे पहली पीढ़ी है जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल होता है। इस सरकार से पूरे राजस्थान की जनता ने, पूरे विद्यार्थी मित्रों ने कई आशाएं और अपेक्षा की थीं। शिक्षकों के साथ में संवाद कायम करने व मांगों के प्रति सद्‌भावना प्रदर्शित करने वाले वक्तव्यों व आश्वासनों से, लम्बे समय से आहत प्रदेश के समस्त विद्यार्थी मित्रों, शिक्षकों में राज्य सरकार से बहुत आशाएं, अपेक्षाएं की थीं परन्तु लगभग एक वर्ष का समय गुजर जाने के बाद चुनाव घोषणा-पत्र के वादों तथा बाद के आश्वासनों के अनुरूप विद्यार्थी मित्रों, शिक्षकों की जायज मांग की पूर्ति नहीं होने से विद्यार्थी मित्रों, शिक्षकों में हताशा बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग में समानीकरण का जो नियम बनाया गया था, उन नियमों के अनुरूप अधिकांश विद्यार्थी मित्र, शिक्षक ग्रामीण अंचल में राजकीय विद्यालयों में लगातार कार्यरत हैं। पंचायती राज अधिनियम, 2009 और 2010 का प्रावधान करके विद्यार्थी मित्रों, शिक्षकों को पैरा टीचर, प्रबोधकों की तरह नियमित किया जाए क्योंकि विद्यार्थी मित्रों और शिक्षकों ने सरकारी नियमित शिक्षकों की तुलना में कम वेतन लेकर अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करवाया है। इन्हें 2008 व 2009 में राजकीय विद्यालयों के शेष रहे बोर्ड परीक्षा परिणामों से लगाया जा सकता है। प्रत्येक जिले के अन्दर चार सौ या साढ़े चार सौ जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं, न्यायालय का यह आदेश था कि जो

(श्रीमती संजना आगरी)

विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं उन विद्यार्थी मित्रों का न तो तबादबा किया जाएगा और न ही उन्हें जिले से बाहर कहीं भेजा जाएगा। अगर वहां उन्हीं स्कूलों के अन्दर शिक्षकों की नियुक्ति ज्यादा होगी तो जो गवर्नमेंट टीचर्स लगे हुए हैं, उन टीचर्स को जिले से बाहर भेजा जाएगा, लेकिन मित्र योजना में जो भाई लगे हुए हैं उनको वहां यथावत् रखा जाएगा, नियमित रूप से। लेकिन इस सरकार ने न्यायालय के आदेशों की यह अवहेलना की है। पूर्ण रूप से निराधार है ...(व्यवधान)... राजस्थान के अन्दर जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं ...(व्यवधान)...

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): जब से ये लगे हैं उस समय से लगा कर कई जिलों के अन्दर इनको मानदेय का भुगतान आज दिन तक बकाया है। जो भुगतान है, वह भी उन्हें नहीं मिल रहा है, यह भी सरकार इन मित्र भाइयों के साथ में अन्याय कर रही है। अगर सरकार संवेदनशील है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप, सदन की भावनाओं के अनुरूप मित्र भाई जो लगे हुए हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और पूरे राजस्थान के अन्दर शिक्षा मित्र जो विद्यार्थी लगे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इनको नियमित किया जाए और नियमित करके इनका मानदेय जो अभी दिया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उस मानदेय को तुरन्त प्रभाव से बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई प्रार्थना नहीं, कोई गम्भीरता नहीं । मैंने किसी का अंकित नहीं होने के निर्देश दे दिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम। किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वीसीआर के नाम से किसानों की लूट

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और इस सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन विद्युत वितरण कम्पनियां हैं और तीनों ने एक तरह से किसानों को वीसीआर के नाम से लूटने का धंधा चलाया है। जहां किसान ने कनेक्शन ले रखा है, वह बराबर बिल दे रहा है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, जहां 15 एचपी का कनेक्शन है, जहां मात्र 6 घंटे, 5 घंटे बिजली दी जा रही है, एक लाख रुपये की वीसीआर के नाम से लूटा जाए। मनमर्जी के हिसाब से उनको लूटने के अधिकार दिये। वे लोगों को वीसीआर के नाम से चैकिंग के नाम से घर बुलाएं, एक लाख का नाम लेकर 30 हजार ऊपर की ऊपर लूटने का काम करें। मैं समझता हूं, इस सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में जिस भी किसान ने कनेक्शन ले रखा है, वीसीआर के नाम से कोई भी अधिकारी उसको चीट नहीं करे। यह बात समझ में आती है कि कोई अगर डाइरेक्ट कनेक्शन चलाता है, कनेक्शन नहीं है तो उसकी तो वीसीआर करें, बात समझ में आती है, लेकिन जिसने कनेक्शन ले रखा है, बराबर वह बिल चुकाता है, उसको लूटने का तरीका जो वीसीआर के नाम से किया गया है, मैं समझता हूं कि इसको बंद करना चाहिए। मैं समझता हूं, इस महीने में तो तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के जो अधिकारी हैं, उनको मंथली टारगेट दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आफिशियली काश्तकार का अगर वीसीआर भरा है तो उसका प्रमाण आपके पास है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, एक नहीं हजारों हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हजारों नहीं, बता दीजिए आप कोई हो तो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हजारों बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके पास में आते होंगे, आपके भी बिजली के कनेक्शन हैं, मैं तो ऐसे हजारों कनेक्शन आपको बता सकता हूं एक नहीं।

श्री अध्यक्ष: बता दीजिए न?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, बता रहा हूं न। पेमाराम जो दूसरा काश्तकार है, उसके एक लाख 2 हजार के। एक नहीं, आप तो एक ही आफिस से मंगा लीजिए, एक लाख की वीसीआर है। इसलिए वीसीआर के नाम से लूट हो रही है। पिछले ही महीने जितने अधिकारी हैं उनको जिस तरह से इमरजेंसी में फैमिली प्लानिंग के टारगेट दिये जाते थे, उसी तरह से टारगेट दिये गये। कम्पनियों ने वीसीआर भरने के लिए 15 प्रतिशत किसानों का प्रोविजन कर रखा है। जिस तरह से लूटते हैं, दूसरों को, किसानों को, उपभोक्ताओं को बुला कर, मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ी विडम्बना है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां दो तरह के किसान उपभोक्ता हैं जहां मीटर के उपभोक्ता हैं उनसे जबरदस्ती फ्लैट रेट ली जा रही है और फ्लैट रेट हैं उनसे मीटर से ली जा रही है। एफआरबीएम होने के बाद जो भी ट्रांसफार्मर के अन्दर मीटर लगे हुए हैं, जो सील्ड हैं, उपभोक्ता से दो सौ या तीन सौ मीटर दूर है, काश्तकार उससे कहीं भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जहां पानी कम हो रहा है, पानी केवल पीने के लिए बचा है, वहां के उपभोक्ता जो मीटर्ड उपभोक्ता हैं उनसे फ्लैट रेट ली जा रही है और जो फ्लैट रेट के हैं उनसे मीटर से ली जा रही है जबकि यह कहीं भी प्रावधान नहीं है। विद्युत कम्पनियों ने कहीं भी आदेश नहीं निकाला है लेकिन मनमर्जी से किसानों को लूटने के लिए फ्लैट रेट वाले को मीटर से और मीटर वाले को फ्लेट रैट से कर रहे हैं क्योंकि अलग-अलग स्थितियां हैं राजस्थान में। बहुत-सा इलाका तो ऐसा है जहां पानी इतना कम हो गया कि अपने खेत में बसे हुए किसान के लिए केवल पीने के लिए पानी वहां बचा है, इसलिए उसको मजबूरी में कनेक्शन रखना पड़ रहा है। खेत में पीने का पानी ले जाने के लिए उसे बिल से ज्यादा महंगा पड़ेगा इसलिए कनेक्शन रखना पड़ रहा है, तो फ्लैट रेट ली जा रही है और जिसकी फ्लैट रेट है, अगर सुपर ट्रांसफार्मर से मीटर में अर्सा निकाल दे तो उससे मीटर के हिसाब से ली जा रही है।

(श्री अमराराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी लूट हो रही है वह यह है कि किसान की पैरीफेरी में नहीं है, उसकी गुमटी में नहीं है और सुपर एफआरपी लागू होने के बाद जिस ट्रांसफार्मर के अन्दर मीटर लगा हुआ है वह मीटर यदि विद्युत कम्पनी की किसी अप एण्ड डाउन के अन्दर जलता है तो उसका दण्ड भी किसान से वसूला जाए। मैं समझता हूं, यह कतई न्यायोचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जैसे कल पावर ट्रांसफार्मर भी जलेगा तो उस इलाके के आम उपभोक्ताओं से अगर उसकी कीमत वसूल की जाएगी तो मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है। जो ट्रांसफार्मर सील्ड है, किसान उसके हाथ नहीं लगा सकता, उसकी सील प्रोपर है, उसके बाद में भी किसान से उस मीटर की कीमत वसूल की जाए तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ....कि जिस किसान के कनेक्शन है उसके वीसीआर के नाम से, और तमाम उपभोक्ताओं का जो लोड है उसको बिना किसी चैकिंग के 15 से 20 कर दिया, 20 से 25 कर दिया और 30 है तो उसको 40-50 करके मनमर्जी से वितरण कम्पनियां राजस्थान के किसान उपभोक्ताओं को लूट रही हैं, यह जो करंट लगा रही हैं उसको निश्चित रूप से रोका जाए। अधिकारियों की लूट को रोका जाए तो मैं समझता हूं कि किसानों के साथ न्याय होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने पत्रादि। श्री शांति कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 23 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-80 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-81 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-82 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-83 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-84 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-85 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-02 दिनांक 11.4.2006 में संशोधन किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-86 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में छात्रों को विक्रय किये गये भोजन जिसका मूल्य प्रतिमास प्रति छात्र 1500/- रूपये से अधिक नहीं हो, उसे कर से मुक्त किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-87 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा थ्री-स्टार होटल से नीचे के प्रवर्ग के होटल एवं रेस्टोरेन्ट में परोसे गये भोजने के विक्रय पर देय कर को घटा कर 5 प्रतिशत किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-88 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा सिनेमा प्रिन्ट या फिल्मों को किराये पर देने पर लागू वैट से मुक्त किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-89 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-18 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-90 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-19 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-91 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-92 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-21 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)वित्त्त/कर/10-93 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-94 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर अधिनियम, 1999 के अधीन टैक्सटाइल को दिनांक 15.10.1999 से सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-95 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा जिन सिनेमाघर में प्रवेश फीस किसी भी श्रेणी के 50/- रुपये से अधिक नहीं हों, उन्हें मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-96 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/कर/2000-318 दिनांक 30.3.2000 को अतिष्ठित किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-97 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के भीतर सदस्यों द्वारा ऋण लेने के लिये किये गये आपसी समझौते को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-99 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा गैर कृषि ऋण लेने के लिये टाइटल डीड जमा करने अथवा रहन रखने के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है ;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-100 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(72)वित्त/कर/2006-46 दिनांक 12.9.2007 में संशोधन किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1पी दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/टैक्स मु./95/1एल दिनांक 27.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./95/25ए दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(179) परि/कर मु./95/25 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है।

आउटपुट बजट 2008-09 व आउटकम बजट 2009-10

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2008-2009 एवं आउटकम बजट वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या : प.20 (84)एआर/आरटीआई/2009 दिनांक 29.9.2009, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-22) की धारा-24 की उप-धारा-4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकार द्वारा स्थापित आतंकवादी विरोधी दस्ते को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंहजी।

ऊर्जा विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

1- अधिसूचना संख्या : राविविआ/रेगू सं.28 दिनांक 4 अगस्त, 2004 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिये निबन्धन और शर्तों में संशोधन) विनियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : राविविआ/रेगू सं.75 दिनांक 9 जनवरी, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या : राविविआ/रेगू सं.76 दिनांक 23 जनवरी, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (टेरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

आपदा प्रबन्धन विभाग

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपदा प्रबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या : प.8(9)आ.प्र. एवं स.आ./आ.प्र./04 दिनांक 11.1.2010 जिसके द्वारा आपदा प्रबन्धन नियम, 2009 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

कृषि विपणन विभाग

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : प.4(4)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 13.8.2009 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : प.4(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 दिनांक 15.9.2009 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 जिसके द्वारा विज्ञप्ति संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2बी/75 दिनांक 23.4.1977 में संशोधन किया गया है ;

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

4- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 17.2.2010 जिसके द्वारा विज्ञप्ति संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2बी/75 दिनांक 23.4.1977 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : प.4(50)कृषि/ग्रुप-2/97 दिनांक 16.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ; एवं

6- अधिसूचना संख्या : प.7(18)कृषि/ग्रुप-2/05 दिनांक 17.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन। डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

I- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ; एवं

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

II- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105(1) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वैस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वैस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री आदराम मेघवाल। श्री आदराम मेघवाल, सभापति अनुसूचित जाति कल्याण समिति। (अनुपस्थित) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति। खड़े होकर, खड़े होकर।

समिति का प्रतिवेदन

महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, (क्र.सं. 4 से 7)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति): खड़ी ही हूं, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 के चौथे, पांचवें, छठे एवं सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

कार्य सलाहकार समिति (संख्या-9)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09 मार्च, 2010 को मध्यान्ह पश्चात् 1.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 10 मार्च, 2010 से 29 मार्च, 2010 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 गुरूवार, दिनांक 11 मार्च, 2010	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर सामान्य वाद-विवाद ।
शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010	(1) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन, उन पर मुख बंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं (2) अनुपूरक अनुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण । (3) आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर सामान्य वाद-विवाद ।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 2010 रविवार, दिनांक 14 मार्च, 2010	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर ।
मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2010 बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010 गुरूवार, दिनांक 18 मार्च, 2010 शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 2010 रविवार, दिनांक 21 मार्च, 2010	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2010	बैठक नहीं होगी ।
गुरूवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 26 मार्च, 2010 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2010 रविवार, दिनांक 28 मार्च, 2010	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 29 मार्च, 2010	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 ; एवं 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 ; - पर विचार एवं पारण ।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।''

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। डा. जितेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री आदराम मेघवाल।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति (क्र.सं. 1 व 2)

श्री आदराम मेघवाल (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति:

(श्री आदराम मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2006-2007 के तृतीय प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में गृह विभाग की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण (अवशेष) के कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ; एवं

2- अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2000-2001 के प्रथम प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ।

घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इण्डियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 8 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	6 घंटे 19 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	15 मिनट
जनता दल	5 मिनट
समाजवादी पार्टी	5 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	5 मिनट
निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट
योग :	16 घंटे

(श्री अध्यक्ष)

श्री बाबूलाल नागर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, राज्य में बढ़ती महंगाई के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में बढ़ती हुई महंगाई

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई पर वक्तव्य देने का मुझे आपने निर्देश दिया है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में खाद्यान्न और दलहनों के बढ़ते भावों के कारण महंगाई की समस्या न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के सामने एक गम्भीर चुनौती है। खाद्यान्न एवं दलहनों के भावों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का मूलत: कारण पूरे देश में इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण विभिन्न फसलों का बुवाई क्षेत्र घटना और इसी क्रम में कम उत्पादन होना रहा है। राजस्थान राज्य कम वर्षा के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। कृषि एवं आपदा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य के 27 जिले अकाल प्रभावित घोषित किये गये हैं। इन जिलों में खरीफ एवं रबी दोनों सीजनों की फसलों के बुवाई क्षेत्र एवं उत्पादन पर भारी मात्रा में विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसके कारण खाद्यान्न विशेषकर दलहन का उत्पादन काफी कम हुआ है। इसके कारण बाजार में उपभोक्ताओं की मांग अनुसार दलहन की उपलब्धता नहीं होने के कारण मांग और आपूर्ति में असंतुलन होने से कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मूल्य स्थिति कई घटनाओं का परिणाम है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब वस्तुओं का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाता है, हमारा देश कई आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर है जैसे खाद्यान्न तेल जिनकी कमी है, चीनी और दालों के लिए आयात पर निर्भर है, इन वस्तुओं का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाता है तो हमारे देश और प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 2007 की वर्षवार वर्षा के संबंध में इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। वर्ष 2007 में सामान्य वर्षा होनी चाहिए 539.8 एमएम और 2007 में 504.3 एमएम वर्षा हुई है। इसी तरह 2008 में 539.8 एमएम वर्षा होनी चाहिए, 549.9 एमएम वर्षा हुई। 2009-2010 में 539.8 एमएम वर्षा होनी चाहिए और 378.8 एमएम वर्षा हुई जिसके कारण सात प्रतिशत तो 2007 में वर्षा का औसत कम रहा। यह बात जरूर है कि 2008 में दो प्रतिशत औसतन ज्यादा रही लेकिन इसी तरह 2009 में 30

(श्री बाबूलाल नागर)

प्रतिशत वर्षा हमारे राजस्थान में जो औसतन चाहिए थी, उससे कम हुई, जिसके कारण 2007 में राजस्थान में मात्र जिलों की संख्या 18 थी और 2008 में 12, जो 2009 में बढ़कर 27 जिलों को इस अकाल की मार झेलनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 2007 में 6,790 राजस्व ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये, 2008 में 7,402 राजस्व ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये और 2009-2010 में 33,464 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्य वर्षा जो इस वर्ष 539.8 एमएम होनी चाहिए थी, मात्र 378.8 एमएम हुई, 30 प्रतिशत तुलनात्मक दृष्टि से कम वर्षा हुई जिसके कारण निश्चित रूप से मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हुआ है। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि कम वर्षा के कारण 2008 में बाजरा 42.83 लाख मैट्रिक टन पैदा हुआ राजस्थान में और 2009-2010 में घटकर 20.35 लाख मैट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ। इसी तरह ज्वार 3.33 लाख मैट्रिक टन राजस्थान में पैदा हुआ, अध्यक्ष महोदय, और इस बार तीन गुना कम यानी 1.03 लाख मैट्रिक टन ज्वार पैदा हआ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह, रबी की मक्का हमारे राजस्थान में होती है मात्र 18.28 लाख मैट्रिक टन 2008 में पैदा हुई और इस बार 11.45 लाख मैट्रिक टन पैदा हुई। इसी तरह... (व्यवधान) इसी तरह अध्यक्ष महोदय, गेहूं के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 69.98 लाख मैट्रिक टन 2008 में पैदा हुआ और इस बार वर्षा की कमी के कारण 55.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान में पैदा हुआ। इसी तरह, से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जौ 7.75 लाख मैट्रिक टन राजस्थान में 2008 में पैदा हुआ था, इस बार 6.84 लाख मैट्रिक टन पैदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दलहन में मूंग और मोठ 8.3 लाख मैट्रिक टन 2008 में राजस्थान में पैदा हुआ और इस बार घटकर 4.62 लाख मैट्रिक टन हमारे यहां दलहन पैदा हुआ। इसी तरह रबी की फसल में चना 8.77 लाख मैट्रिक टन 2008 में पैदा हुआ और इस बार 8.22 लाख मैट्रिक टन। अध्यक्ष महोदय, चना राजस्थान में ठीक हुआ है, इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं पड़ा है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अन्य जो दालें हैं, 20,000 लाख मैट्रिक टन 2008 में पैदा हुई हैं, इस बार 26,000 लाख मैट्रिक टन दाल हमारे राजस्थान में हुई है। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि खरीफ की सीजन के दौरान दलहन जैसे मूंग-मोठ आदि का उत्पादन लगभग आधा रह गया है और इसके कारण बाजार में मूंग की आपूर्ति उपलब्ध

(श्री बाबूलाल नागर)

नहीं हो पाई है जिसके कारण एकदम से तेजी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन कर रहा हूं सरकार ने इन दाल-दलहनों की स्टाक सीमा, टर्नओवर सीमा नियंत्रण में रहे, जमाखोरी नहीं रहे और बाजार में खाद्यान्न और दाल-दलहन आए, इसके लिए समय-समय पर...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान नहीं करें। नहीं नहीं, वह बाद में बात करूंगा। नहीं, अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। प्लीज प्लीज। वक्तव्य में डिस्टर्ब नहीं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : ×××

श्री अध्यक्ष : सब पता है। व्यवधान नहीं माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) इनको सब पता है। आप विराज जाओ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक अनवरत प्रक्रिया है। भौगोलिक परिस्थिति, प्राकृतिक, जब वर्षा अच्छी हो तो उत्पादन अच्छा होता है और बरसात कम होती है तो निश्चित रूप से उत्पादन कम होगा और बाजार में माल की शार्टेज पड़ेगी, खाद्यान्न की शार्टेज पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई राजस्थान में इस वर्ष ही नहीं हुआ है। तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने 27.2.2007 को भारत के प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था, अध्यक्ष महोदय, मैं उस पत्र की दो लाइन पढ़कर आपको बताता हूं कि मई, 2004 के मुकाबले मूंग में 118 प्रतिशत, उड़द में 82 प्रतिशत, आटे में 44 प्रतिशत, सीमेंट और स्टील में क्रमश: 39 प्रतिशत और 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गेहूं में जून 2005 के मुकाबले 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार तीव्र मूल्य वृद्धि से मुद्रा स्फीति की दर में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के नागरिकों के जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को लिखा, मैं उसकी लास्ट की तीन लाइनें पढ़कर सुनाता हूं। "आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि या उतार-चढ़ाव देशव्यापी है, राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इन वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांग से नियंत्रण होता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

(श्री बाबूलाल नागर)

को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अन्य उपायों पर भी केन्द्र सरकार अवश्य विचार कर रही होगी। मुझे आशा है, इसे लागू करने में वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही विशेष प्रभावी निवारणात्मक उपाय सम्भव नहीं है, फिर भी जो नियामक, सुधारात्मक प्रयास करने में राज्य सरकार सक्षम है, निश्चित रूप से सम्पादित किये जाएंगे।'' यह तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने भारत के प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी को भी पत्र लिखा कि कोई एक राज्य अगर इस महंगाई को रोकना चाहे तो उसके हाथ में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जैसे ही भारत सरकार द्वारा देश में राज्यों को निर्देश मिले कि उनको जमाखोरों पर, कालाबाजारी पर, चीनी पर, दाल-दलहन पर कार्यवाही करनी चाहिए, स्टाक सीमा लागू करनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, भारत सरकार के जिस दिन हमें निर्देश मिले, पूरे हिन्दुस्तान में, अध्यक्ष महोदय, चीनी पर हमने लाइसेंस, स्टाक और सीमा पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य है जिसने सबसे पहले यह लागू की है, स्टाक सीमा, टर्न ओवर सीमा और लाइसेंस व्यवस्था, पूरे देश में पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का निर्देश मिलने के बाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) आप बता देना, मैं बता दूंगा आपको, पूछ लेना आप। (व्यवधान) इसी तरह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, खुदरा व्यापारियों के लिए 25 क्विंटल की स्टाक सीमा तय की, उसकी टर्न ओवर अवधि तीस दिवस तय की है। इसी तरह थोक विक्रेता के लिए भारत सरकार के डाइरेक्शन थे, स्टाक सीमा थोक विक्रेता पर 200 क्विंटल का प्रावधान उन्होंने किया था तो वह 200 क्विंटल थोक विक्रेता पर लाइसेंस, स्टाक सीमा और टर्न ओवर सीमा तीस दिन की, अध्यक्ष महोदय हमने राज्य में 15.7.2009 को लागू कर दी और 30.9.2010 तक यह अधिसूचना हमारी लागू रहेगी। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, दालों के संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की हमारे पास गाइडलाइन आई, पत्र आया, और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, दाल-दलहन में पूरे देश में सबसे पहले स्टाक सीमा और लाइसेंस लागू किया है तो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने लागू किया। दाल और दलहन में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने खुदरा की 30 क्विंटल स्टाक सीमा तय की और इसकी टर्न ओवर सीमा भी हमने 30 दिवस रखी।

(श्री बाबूलाल नागर)

इसी तरह थोक की, अध्यक्ष महोदय, एक हजार क्विंटल हमने तय की और तीस दिन इसकी टर्न ओवर सीमा रखी। 12.8.2009 को यह हमने राजस्थान में लागू कर दी और 30.9.2010 तक इसको लागू करने के हमने आदेश कर दिये। इसी तरह मिलधारकों के लिए भी, अध्यक्ष महोदय, साबुत दाल तीस दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर, इसकी टर्न ओवर अवधि 30 दिवस हमने रखी। इसी तरह दली हुई दाल 15 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर, हमने तीस दिवस इसकी टर्न ओवर सीमा रखी। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, और जो अभी यह सीमा लागू करी, लाइसेंस लागू किया, टर्न ओवर लागू किया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 8165 क्विंटल चीनी जब्त करी है और दाल-दलहन 16152 क्विंटल हमने राजस्थान में जब्त की है, और उसके खिलाफ कार्यवाही की है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को मार्च 2009 तक एपीएल का 22204 मैट्रिक टन गेहूं मिलता था। राजस्थान में एपीएल परिवारों के लिए 22204 मैट्रिक टन गेहूं मिल रहा था। अध्यक्ष महोदय हमने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भारत सरकार से बात की, भारत सरकार के कृषि मंत्री को व्यक्तिश: पत्र लिखा, व्यक्तिश: फोन से आग्रह किया और 64360 मैट्रिक टन मार्च में भारत सरकार ने यह एपीएल का गेहूं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2009 से जनवरी 2010 तक एपीएल का कुल आबंटन 643600 मैट्रिक टन राजस्थान को गेहूं हुआ। शत-प्रतिशत, अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें उठाव किया है, शत-प्रतिशत हमने इसमें वितरण किया है। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, बीपीएल का कुल आबंटन 5204610 मैट्रिक टन जनवरी 2009 से जनवरी 2010 तक राजस्थान को मिला है और बीपीएल वितरण हमने 5203219 मैट्रिक टन का किया है। अन्त्योदय योजना में हमारे को 3206240 मैट्रिक टन गेहूं मिला है और वितरण हमने इसमें 32 लाख 915 मैट्रिक टन गेहूं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से जो 22204 मैट्रिक टन हमें मिल रहा था, आज 64360 मैट्रिक टन गेहूं हमें मिल रहा है राज्य में। बीपीएल श्रेणी में भी, अन्त्योदय योजना में भी, जितना भी गेहूं मिला, मैं यह सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने एपीएल का 98 प्रतिशत, 99 प्रतिशत, शत-प्रतिशत गेहूं का उठाव किया है। अभी मुझे एक मीटिंग में जाने का अवसर मिला था, अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय

(श्री बाबूलाल नागर)

कृषि मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें इस बात की राजस्थान की उन्होंने तारीफ की कि राजस्थान में गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव हुआ, यह अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये, सुनिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, सरकार से वक्तव्य देने का निर्देश हुआ है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य समझ में नहीं आ रहा आपके, आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): केन्द्रीय मंत्री ने तारीफ की कि बाबूलाल नागर ने, मंत्री ने महंगाई घटा दी राज्य में।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने उसको उठाया, बंटवा दिया, लैप्स नहीं होने दिया। आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, यह जो मैंने अभी निवेदन किया कि राजस्थान में मार्च, 2009 तक 22 हजार मैट्रिक टन गेहूं मिल रहा था...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कौन-कौन-सी तहसील में बांटा?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वह आप मुझसे पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। (व्यवधान) नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, हां।

एक माननीय सदस्य: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, हम तो सुन ही रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, तहसील का भी नाम बताओ, डीलर का भी नाम बताओ और दूसरी जगह दिया, उसके भी नाम बताओ।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान के तमाम जिलों में बांटा, तमाम गांवों में बांटा और जितने राजस्थान के 24 हजार डीलर और सोसाइटी के लोग हैं उन तमाम को दिया और राजस्थान की गरीब जनता को दिया। (व्यवधान) वह भी बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह जो राजस्थान को तत्कालीन सरकार ने....

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): महंगाई नहीं मिटेगी पर गले को तो ठीक करो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): गला खराब हो रहा है, मैं क्या करूं? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): गुड़ खा लिया करो थोड़ा-सा, गुड़।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह क्या था कि पंचायत चुनाव में आपके पछाड़ लगाई थी मैंने उससे कम गड़बड़ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपने तो सुन्दर लालजी, वह कर दी, नामर्दी भी खुदा ने मार मार तो कर।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान को 22 हजार...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह वक्तव्य तो मर्दानगी का है, हां, नामर्दी का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: झेलो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): राजस्थान को माडल स्टेट घोषित कर देना चाहिए- महंगाई भी कम हो गई और खाद्य पदार्थों में वितरण व्यवस्था भी सुधर गई।

एक माननीय सदस्य: तो क्या तकलीफ है? मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुन लो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरे समझ में नहीं आ रहा, प्रतिपक्ष के लोग धरने में बैठ रहे थे, आज सरकार का जब वक्तव्य आ रहा है तो यह जानते हैं कि जो इनके थूंक के आंसू बहाये थे वह राजस्थान की जनता को जानकारी हो जाएगी, तो आज अनर्गल रूप से डिस्टर्ब कर रहे हैं और सुनना नहीं चाहते। नहीं रूचि है तो अध्यक्षजी की इजाजत दिलवा दो, मैं तो बैठ जाता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने निवेदन किया कि 22204 मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान को एपीएल में मिलता है और 1 करोड़ 22 लाख राजस्थान में ए.पी.एल. परिवार हैं, तो निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय बहुत कम था। लेकिन मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय बैठे हैं, उप नेता महोदय, यह राजस्थान का जो गेहूं था, ऐसा नहीं था कि यह हमेशा से ही 22 हजार 204 मैट्रिक टन गेहूं मिल रहा था। अध्यक्ष महोदय, यह गेहूं अप्रैल, 2004 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) आठ माह से, सबूत है अखबारों में, आपके अख़बार हैं, आठ माह से अध्यक्ष महोदय, गेहूं और चीनी नहीं मिला और आप डीलरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। नकली नोटों के कारण बढ़ी है महंगाई ...(व्यवधान) आपके राज में सबसे ज्यादा नकली नोट चल रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनका नम्बर आए तब बोल लेना, अभी तो मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: आप तो मंत्री, मुख्य मंत्री बनने लायक हैं, हमने तो पढ़ा हुआ मान लिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आठ-आठ महीने से गेहूं और चीनी नहीं मिल रही है लोगों को, आप कोई कार्यवाही नहीं करते।

एक माननीय सदस्य: पढ़ा हुआ मान लिया, भाई।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बहुत है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी तो बिस्मिल्लाह है आगे-आगे देखिए, क्या होता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्री महोदय, शाम तक जवाब देना है, पूरी सदन की कार्यवाही चले तब तक पूरा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो गेहूं राजस्थान को ए.पी.एल. का मिलता है, यह ऐसा नहीं था कि 22 हजार 204 मैट्रिक टन गेहूं ही प्रति माह मिलता था। मैं आंकड़े बताता हूं, अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 2004 में राजस्थान को 22 लाख 4 हजार 698 मैट्रिक टन गेहूं एक माह का मिलता था और अप्रैल, 2004 से लेकर मार्च, 2005 तक प्रति माह राजस्थान को 22 लाख 4 हजार 698 मैट्रिक टन गेहूं मिला। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वह भी बता रहा हूं, आपका भी बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन बहुत दुःख की बात है कि राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने, जब इनको 22 लाख 4 हजार 698 मैट्रिक टन गेहूं मिला तो इन्होंने 3 हजार 296 मैट्रिक टन गेहूं का उठाव किया राजस्थान में। यह उठाव 1.47 प्रतिशत रहा आबंटन का। इसी तरह पूरे सालभर का 11.23 प्रतिशत। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस राजस्थान को ए.पी.एल. में 22 लाख 4 हजार 698 मैट्रिक टन ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, कल के एक दिन के बजट में खाद्य तेल बढ़ गये, कल के एक दिन के बजट में महंगाई वैट 1 प्रतिशत बढ़ने के कारण घी देशी बढ़ गया, खाद्य तेल बढ़ गये, खाद्य घी बढ़ गया, गेहूं बढ़ गया, चीनी बढ़ गई और एक-एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 50-50 प्रतिशत बढ़ गया 1 प्रतिशत वैट के कारण, महंगाई तो आप बढ़ा रहे हैं, ये आंकड़े क्या बता रहे हो? भैंसों के काकड़े और सरकारी आंकड़े तो बहुत सुनते आये, सही-सही बात बताओ, बात क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी का वक्तव्य आने दीजिए पहले। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के वक्तव्य से ही महंगाई कंट्रोल हो जाती है तो फिर यह वक्तव्य दे दें और फिर अच्छी तरह से पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, 11.23 प्रतिशत राजस्थान में सरकार ने उठाव किया ए.पी.एल. का। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, 2005-06 में भी वही 22 लाख 4 हजार 698 मैट्रिक टन गेहूं प्रति माह मिला और 2005-06 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 9 प्रतिशत का उठाव किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के आंकड़े माननीय मंत्रीजी के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, इनको शायद याद नहीं है कि राशन के गेहूं का और बाजार के भाव का कोई इतना बड़ा अन्तर नहीं था कि वह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य, सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है, माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं किया करते हैं। बीच में व्यवधान नहीं, कृपया सुने।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): लाइन लग गई आपके राज की तरह, इसलिए वह राशन का गेहूं नहीं उठा, बाजार में गेहूं सस्ता था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं, कृपया सुनें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बाजार में ही गेहूं सस्ता था, क्यों जाता कोई राशन की दुकान पर?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री ,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें और मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे दें, फिर इसके बाद हम अपनी बात रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: पर मंत्रीजी के वक्तव्य को सुनो तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कितनी देर?

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, माननीय सदस्य, सुनिए, किसी माननीय सदस्य को कितना समय दिया जाए, यह आसन का काम है। आप बाध्य नहीं कर सकते, कितनी देर। मंत्रीजी जितनी देर बोलना चाहें, बोलेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चालू रखो मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह तो भूमिका है अभी तो ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, 2005-06 की, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार ने राजस्थान का ए.पी.एल. का गेहूं इसलिए कम कर दिया क्योंकि राजस्थान सरकार ने गेहूं का उठाव नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं, यह मैं मानता हूं कि उस समय गेहूं का भाव कम था लेकिन..(व्यवधान) बात तो सुनो पहले, बिना सोचे-समझे ही शेम-शेम, सुनो पहले, क्या कह रहा हूं मैं। नहीं सुनना है तो मत सुनो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सांख्यिकी विभाग के मेरे पास आंकड़े हैं कि उस समय राजस्थान में गेहूं के क्या भाव थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि 1.2.2004 को साढ़े आठ रुपए किलो राजस्थान में गेहूं का भाव था और और ए.पी.एल. का गेहूं हमें मिल रहा था ए.पी.एल. का छह रुपये दस पैसे किलो। दो रुपये का इसमें डिफरेंस आ रहा था। इसी तरह से 6.10.2004 को नौ रुपये किलो इसका भाव हुआ राजस्थान में। इसी तरह 3.1.2004 को नौ रुपये किलो, 1.12.2004 को नौ रुपए किलो। 7.12.2005 को साढ़े नौ रुपये राजस्थान में गेहूं का भाव था,

(श्री बाबूलाल नागर)

इसके बाद में 4.1.2006 को नौ रुपये किलो, इसी तरह से 1.2.2006 को साढ़े दस रुपये किलो गेहूं का भाव था राजस्थान में, 1.3.2006 को दस रुपये किलो गेहूं का भाव था और 3.5.2006 को नौ रुपये पांच पैसे किलो का भाव था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब राजस्थान में साढ़े दस रुपये किलो गेहूं का भाव हो और राजस्थान सरकार 1.47 प्रतिशत उठाव करे, राजस्थान सरकार 9 प्रतिशत उठाव करे, इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा और राजस्थान का एकदम से जून, 2006-07 को, अध्यक्ष महोदय, एकदम राजस्थान का गेहूं जून, 2006 में 16 हजार 959 मैट्रिक टन भारत सरकार ने कर दिया। जो गेहूं साढ़े बाइस लाख, तेइस लाख मैट्रिक टन एक महीने में गेहूं ए.पी.एल. का मिल रहा था और साढ़े दस रुपये किलो का भाव था। राजस्थान में और छह रुपये दस पैसे किलो गेहूं भारत सरकार राजस्थान को दे रही थी। टैक्स लगता है, सरकार को टैक्स आता और बहुतों को रोजगार मिलता, ट्रांसपोर्ट का काम होता और गरीब को निवाला मिलता सस्ती दर पर। लेकिन राजस्थान की सरकार ने गेहूं का उठाव नहीं किया और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। जून, 2006 में राजस्थान का बाइस लाख, तेइस लाख से बढ़कर गेहूं जो ए.पी.एल. का मिलता था, यह 16 हजार पर आ गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रासंगिक बात तो है नहीं, कहां 2006 की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी ...(व्यवधान)... मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजे, व्यवधान नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए, यह कौनसी गाथा गा रहे हैं? कहां 2006 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया वक्तव्य आने दे ...(व्यवधान)... वक्तव्य देने का पूरा अधिकार है मंत्रीजी को। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुनिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय राजेन्द्रजी, मैं जिम्मेदारी से अपनी बात कह रहा हूं अगर मेरे आंकड़े असत्य हैं....

श्री अध्यक्ष: बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरे आंकड़े असत्य हैं तो यह हाउस है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है एक। ये आंकड़े मान्य हैं, प्रमाणित हैं, मैंने भी जब मैं खाद्य मंत्री था, तब सदन में दिए थे ए.पी.एल. के बारे में, इनके बारे में। आज मूल प्रश्न यह नहीं है हमारा। जो मंत्रीजी का वक्तव्य है, उसी परिधि में आएगा जिस परिधि में हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि राज्य में बढ़ती हुई महंगाई तथा बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए जो कारगर कदम उठाये मंत्रीजी ने, वो, और उनके कदम उठाने से महंगाई जो कम हो गयी है, वो, ये दो बात हमको समझा दो, बाकी बातों से हम उनसे संतुष्ट हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप जो बुलवाना चाहते हो वो ही बोलें, यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, मंत्रीजी का वक्तव्य पूरा आ जाए तब पता लगेगा कि आपकी बात उसमें है कि नहीं। अभी तक तो बोल रहे हैं तो सुनिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वो आंकड़ों से प्रमाणित कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो मान लिये हमने।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वो आंकड़ों से प्रमाणित कर रहे हैं और आंकड़े देना जरूरी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप उन आंकड़ों को भूल चुके हैं, ये आपको याद दिलाना चाहते हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपने मुझे सिखाया-बताया, वो ही तो बोल रहा हूं न मैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वो ही हाल आपका होगा जो इनका हुआ है, वो समझ लो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप खूब बोलें। राजस्थान की जनता आपको हमको और हाउस को देख रही है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का हाउस महंगाई पर कितना सीरियस है और किस ढंग की बात कर रहे हैं। शेम है। यह शेमफुल है। क्या बात करते हो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) ये आटा जो दो रुपये में बेच रहे हो उसका बताओ, पिसाई में पैसे जो खा रहे हो न आप ... (व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उसका भी जवाब दे दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बिना टेण्डर के मिल-मालिकों से मिल कर पैसा खा रहे हो आप ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपकी गलत जानकारी में है। आपको जानकारी का अभाव है। खुली टेण्डर प्रक्रिया है। विज्ञापन निकलता है उसके बाद लोग टेण्डर भरते हैं। आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप टेण्डर भरवाइये उसके ... (व्यवधान) आज तक ही नहीं हुए टेण्डर।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): महंगाई पर वक्तव्य दे रहे हो कि रामायण-महाभारत पढ़ रहे हो आप? आप पूरा पुराण पढ़ रहे हो सारा यहां पर। (व्यवधान) खा गये पूरे राजस्थान को।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान में जो 23 लाख एपीएल का गेहूं मिलता था उसको 16 हजार पर समेट कर रख दिया जिसके कारण आज राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। (व्यवधान) लोगों को आज गेहूं नहीं मिल रहा है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्रीजी महंगाई को कम करने में सरकार का क्या प्रयत्न है वो बता रहे हैं, आप नहीं समझो तो आपका कसूर है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): हां तो बताओ न। बताओ तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वो तो बताये जा रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह इसलिए किया कि जब 23 लाख आबंटन किया और 1 प्रतिशत ...(व्यवधान) आपने उठाव किया। जब राजस्थान गेहूं उठाव ही नहीं करेगा, साढ़े दस रुपये किलो का भाव राजस्थान में हो और 6.10 रुपये किलो में गेहूं मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, गेहूं के उठाव की 2006 की बात कर रहे हैं। हमें क्षमा करें, 2006 की बात अब कर रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी 1952 से कह सकते हैं कब कितना उठाव हुआ, उसमें क्या बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सदन में मजाक बन रहा है। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, राजस्थान की जनता देख रही है, महंगाई पर चर्चा हो रही है और कितने गम्भीर आप हैं और कितनी गम्भीर आपकी सरकार है। शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, बोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बोलने से पहले इतना बता दो कि जिस समय ये उठाने की बात करते हैं डब्ल्यू.पी.आई. उस समय कितनी थी और आज कितनी है? यह बता कर चल देंगे कि डब्ल्यू.पी.आई. में कितनी जिंसें हैं और उस समय डब्ल्यू.पी.आई. कितनी थी और आज डब्ल्यू.पी.आई. कितनी है, इतना ही बता दो।

श्री अध्यक्ष: ये सब बातें आएंगी, आप सुनो तो सही। सारी बातें आएंगी, सुनो तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उनका वक्तव्य पूरा हो जाएगा उसके बाद में आप पूछना जवाब, बताएंगे वो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं है विषय। आपका विषय ही नहीं है, आप काहे के लिए?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): नहीं, सर, एक बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डब्ल्यू.पी.आई. बताओ आप तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, आप तो सब रखो, जितनी भी हो। (व्यवधान) घंटे दो घंटे और ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद चाहे एपीएल का गेहूं हो जो भारत सरकार

(श्री बाबूलाल नागर)

ने हमें दिया, चाहे बीपीएल का गेहूं हो, चाहे अन्त्योदय का गेहूं, हमने उसका पूरा उठाव किया और समय पर उठाव किया और पूरा वितरण कराने की कोशिश की। इसके अलावा अध्यक्ष, महोदय, ...(व्यवधान) अब ये कोआपरेट ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं? महंगाई जैसे गम्भीर मुद्दे पर मुझे आश्चर्य हो रहा है आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ...(व्यवधान) आप क्या-क्या आंकड़े दे रहे हो? आंकड़े क्या काम करेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप समय को बर्बाद करना चाहते हैं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आज से एक साल पहले अकाल नहीं था, अकाल अब बढ़ रहा है। पिछले पांच साल में अकाल था ही नहीं और आप अकाल की बात कर रहे हो। आज पड़ा है अकाल तो इसलिए अब जरूरत पड़ रही है गेहूं की हमें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): हमारा बोल रहे हो, खुद का बोलो न। हमारे पांच साल का क्या कह रहे हो, अब क्या कर लिया सवा साल में आपने?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सरकार में बैठे हो, पुरानी सरकार का रोना बंद करो ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुन: विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी बोलें, मंत्रीजी को बोलने की पूरी छूट है, लेकिन मंत्रीजी विषयवस्तु तक अपने-आपको सीमित रखें। जितना वो भाषण देंगे, हम सुनेंगे। लेकिन मूल बात जिस बात की है, राज्य सरकार ने जो महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाये और उससे महंगाई पर क्या असर हुआ, ये बातें आप हमें बताएंगे तब तो इस बहस का मतलब है। मंत्रीजी अगर पुराना इतिहास दोहराएंगे, हमने ही स्वीकार कर लिया कि हम इतना ही गेहूं उठा पाये थे यह बात ठीक है, आपने गेहूं उठा लिया यह बात भी ठीक है हमने स्वीकार कर ली तो यह बता दीजिये कि आपने गेहूं उठा कर बांटा उसके बाद में गेहूं का मूल्य कितना कम हुआ? आप तो ये दो बातें बताइये और आगे आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, वो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बाध्य करेंगे, क्या-क्या बता दीजिये और क्या क्या मत बता दीजिये? बताने दीजिये जो बतावें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खुली बिक्री योजना में राजस्थान को अक्टूबर, 09 से दिसम्बर, 09 तक 86,932 मैट्रिक टन गेहूं दिया। इस गेहूं को साढ़े बारह रुपये किलो बिना कोई सीमा के बिना कोई राशनकार्ड के पूरे राजस्थान में हमने वितरित किया। मैंने राजस्थान के, तमाम माननीय सदस्यों को, सांसद महोदयों को और मंत्रिमण्डल के तमाम सदस्यों को पत्र लिख कर आग्रह किया कि ये जो साढ़े बारह रुपये किलो गेहूं आपको मिल रहा है, निश्चित रूप से गेहूं का भाव ज्यादा था, मैंने सबको आग्रह किया कि आप इसमें मदद करें। इसको खुला रखा भारत सरकार ने कि यह गेहूं कोई भी, ग्राम पंचायत लेना चाहे तो ग्राम पंचायत ले सकती है, सहकारी समिति ले सकती है, कोई संस्था ले सकती है, कोई सामाजिक संस्था ले सकती है, कोई शैक्षणिक संस्था ले सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूट लेना चाहे, चाहे दूध की डेयरी लेना चाहे जो लेना चाहे उसके लिए खुला रखा। यह गेहूं 86932 मैट्रिक टन मिला। मैं यह, कहना चाहूंगा विपक्ष के उप नेता महोदय को कि देश में सब राज्यों को मिला यह लेकिन राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य है जिसने शत-प्रतिशत उठाव किया। आप सबके सहयोग से पूरे राजस्थान में इस गेहूं का हमने शत-प्रतिशत उठाव किया। पूरे देश में पहला राज्य है जिसने शत प्रतिशत उठाव किया हो। राजस्थान की जनता को साढ़े बारह रुपये प्रति किलो खुला मिला । गेहूं बाजार में आया उससे निश्चित रूप से मांग की पूर्ति हुई और गेहूं का भाव आगे जो और बढ़ सकता था, उस पर भी नियंत्रण रहा।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 27 जिले अकाल में हैं और भारत सरकार ने जितने जिले अकाल में हैं पूरे हिन्दुस्तान में, उसी तरह 11.60 रुपये प्रति किलो राजस्थान को भी गेहूं आबंटन किया। 76062 मैट्रिक टन गेहूं अक्टूबर से दिसम्बर तक (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) तीन महीनों के लिए राजस्थान को उन्होंने आबंटित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 76,062 मैट्रिक टन जो निर्धारित सीमा थी भारत सरकार से, हमने उसका शत-प्रतिशत उठाव किया। यह गेहूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो 27 जिले थे उन जिलों में हमने वितरित किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 6 बार कह चुके है ...(व्यवधान) 6 बार कह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी समझ में नहीं आ रहा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 6 बार कह चुके हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अब आपके समझ में नहीं आया तो क्या करें, बताओ? मंत्रीजी इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मान्यवर, 6 बार कह चुके हैं। मंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी है भगवान को कि सारे जिलों में अकाल खतम हो जाए, वो भी पहुंच गयी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अकाल राहत के गेहूं हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ईमानदारी से माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि कल प्रोसीडिंग उठा कर घर पर शांति से बैठ करके पढ़ लेना और फिर आकर जवाब देना कि यह क्या हो रहा है। तमाशा हो रहा है ये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 11.60 रुपये प्रति किलो में राजस्थान की जनता को गेहूं उपलब्ध कराया। अध्यक्ष महोदय, जो गेहूं 15 रुपये 16 रुपये किलो है, यह महंगाई ...(व्यवधान) 15 रुपये, 16 रुपये प्रति किलो गेहूं है, उसको हम 11.60 रुपये प्रति किलो में दे रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): भाव को कम किया है। (व्यवधान)

(समय : 14.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) कितनी बार बोलेंगे इस बात को? 50 बार लिखा दिया वही वही बात, यह क्या मजाक है? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वह अलग गेहूं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आसन से प्रार्थना है, राजस्थान की जनता क्या कह रही होगी, एक ही बात को 15-15 बार, कल प्रोसीडिंग उठा कर देख लेना ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग मंगवा लें, अगर मैंने अकाल के संबंध में 11.60 रुपये की इससे पहले चर्चा की हो तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): समय को इस तरह से खराब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने के लिये है क्या? एक ही बात को 15 बार बोलेंगे, 15 बार इसमें लिखा हुआ है, और नहीं लिखा तो मैं हाउस से बाहर चला जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बार-बार इनको इंटरप्ट करके डिस्टर्ब किया जा रहा है। यह नहीं कि उनका स्टेटमेंट पूरा हो जाए उसके बाद आप पूछिए जो भी पूछना हो। आप बीच-बीच में बोल कर तो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह कौनसा तरीका है? स्टेटमेंट तो होने दीजिए कम से कम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है, जोर से बोलने से नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता आपको, मुझे और सबको देख रही है कि महंगाई जैसी समस्या से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, माननीय सदस्य इस पीड़ा से कितने मन से पीडित हैं और कितनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। यह आज राजस्थान का हर व्यक्ति देख रहा है। जिस तरह महंगाई के बारे में बात हो रही है, यह लग रहा है कि हम लोग कितने सीरियस हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप जो फर्मा रहे हैं वह बिलकुल सही है लेकिन यह महंगाई का रिकार्ड आज से ही नहीं चला रखा आपने, यह नगरपालिका के चुनाव में भी चला था, यह लोक सभा के चुनाव में भी चला था और यह पंचायती राज के चुनाव में भी चला था और उसके रिजल्ट देख लिये आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पिछली बार भी आपको पता था ? अबकी बार तो आप 94 आये, पिछली बार 156 आये थे, पांच साल हम यहां 34 ही थे। हमने कहा कि आपके ये कुकर्म आपको डुबोएंगे और 156 से 56 आकर अटके थे। अगर यह अभिमान है तो अगले चुनाव में भगवान ने जिंदा रखा तो फिर आकर बताऊंगा, यह अभिमान कोई काम का नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अभिमान नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आज जनता रो रही है, 20 रुपये रोज की आमदनी है 70 प्रतिशत लोगों की, रोटी कहां से खाएंगे? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बोलो, बोलो आप, बोले जाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आज की तारीख में आप और मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रोटी खाते हैं न, तो आपकी इस तनख्वाह से गुजारा करना मुश्किल होता है। हिन्दुस्तान के 70 प्रतिशत लोगों की आमदनी केवल 20 रुपये रोज की है, क्या इस महंगाई में वह खा सकता है, जिंदा रह सकता है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह राजस्थान की सरकार ही है जो बीपीएल वालों को 2 रुपये किलो में गेहूं देगी। 2 रुपये किलो गेहूं देगी, यह राजस्थान की ही सरकार है, इतना भी समझना चाहिये आपको। देश में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) हमने उसकी तारीफ की है। हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने तारीफ की है आपके दो रुपये किलो की। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) देश में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ...(व्यवधान) जो राजस्थान की सरकार ने दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जो काम आप अच्छा करोगे उसकी तारीफ करेंगे। कल मैंने 2 रुपये किलो की तारीफ की थी अपने भाषण में, अपनी प्रतिक्रिया में भी की कि गरीब चाहता है पेट भर खाना और उसकी पीड़ा को आप लोग इस आलीशान कमरे में बैठकर ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) एक गरीब तो बताओ जो भूखा मर रहा है ...(व्यवधान) बात कर रहे हो। आपको स्टेटमेंट सुनना नहीं था, हल्ला करना था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) आप इस आसन पर बैठे हो न, आज राजस्थान की ...(व्यवधान) इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका बिहेव सुनकर क्या आपकी तारीफ करेगा कि आसन से यह व्यवस्था हुई। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): कटारियाजी, आप किसके कुकर्म झेल रहे हो? अध्यक्ष महोदय, यह किसके कुकर्म झेल कर साइड में बैठे हुए हैं, आप उन्हें शांत करवाइए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आपके आग्रह पर मैंने सरकार को वक्तव्य के लिये समय तय कर दिया। अब सरकार वक्तव्य क्या देगी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सरकार रिपीटीशन करेगी और आसन नहीं रोकेगा, कौन रोकेगा ?

श्री अध्यक्ष: सरकार अगर वक्तव्य दे रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वक्तव्य कहां है? एक ही बात 4 हजार मैट्रिक टन 14 बार आ गया, क्या आप इसको नहीं रोकोगे? अगर यह आसन से हो रहा है तो राजस्थान की जनता आपसे, मुझसे, सबसे सवाल पूछेगी।

श्री अध्यक्ष: आपने दो घंटे का समय तय करवाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दो घंटे का मतलब यह है क्या? दो घंटे की चर्चा का मतलब यह समझें कि चाहे जिस प्रकार से बोलते जाएं और महंगाई के ऊपर एक पैसे का भाव नहीं आए कि आपके गेहूं का क्या भाव था। जब किसान ने पैदा किया तब आपने 8-10 रुपये में खरीद लिया, आज वह गेहूं उसी किसान के घर में जब शादी के समय जाता है तो 1800 रुपये क्विंटल से जाता है। जिसने मेहनत की, उसे झकमारी का 10 रुपये मिला ।

श्री अध्यक्ष: आप उन्हें समाप्त करने दीजिए ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और आपने इस मुनाफाखोरी के कारण उस किसान को बर्बाद कर दिया। न आप किसान का भला चाहते हो, न उपभोक्ता का भला चाहते हो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेखने के लिये यहां आकर बैठे हैं और अपने आपको बड़ा तुर्रम खां समझ रहे हैं कि हमने जीत क्या हासिल कर ली जैसे कोई बहुत बड़ा ...(व्यवधान) उस गरीब की चिंता करो जिसको महंगाई के कारण रोना पड़ रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, जब 18 रुपये किलो गेहूं है और हम 11.60 रुपये में दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, तो इनको क्या तकलीफ है? 11.60 रुपये में हम राजस्थान की जनता को दे रहे हैं तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) बोलो, और बोलो, बोलो मजाक करो। एक घंटा और बोलो, राजस्थान की जनता आपको और मुझको दोनों को देखेगी। बोलो, खूब बोलो। बहुत अच्छा काम किया आज आपने, एक घंटे और बोलो। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने +++ , लूट खसोट करवा रखी है महंगाई पर ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) राजस्थान के इन पढ़े-लिखे लोगों ने, राजस्थान के जन प्रतिनिधियों ने राजस्थान को जिस तरह से गटर में डाल दिया न, उसके कारण उसकी पीड़ा को वही रोएगा, आपको और मुझे कोई कष्ट नहीं होगा लेकिन वह भूखा मरता हुआ आपको और मुझे सबको देखेगा और बाहर कहेगा कि आपको चुनकर इसलिए भेजा कि आप हमारे इस विषय पर एक तमाशबीन की तरह से काम करते हो। मजाक कर रखा है। एक घंटे और बोलो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि 16 रुपये किलो गेहूं है और हम 11.60 रुपये में जब गेहूं दे रहे हैं तो, महंगाई को रोकने का इससे बड़ा प्रयास और क्या हो सकता है। जब हम राजस्थान में 11.60 रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बजाओ ताली, बजाओ ताली ... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) सिर्फ गेहूं को फाकेंगे क्या, आप गेहूं को ही रो रहे हो। इतने लाख टन गेहूं ले आये, सिर्फ गेहूं से ही काम चलेगा क्या? गेहूं, गेहूं कर रहे हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इतना कहिए कि जो वक्तव्य है वह कम से कम टेबल कर दें, उसके बाद बोलें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सरकार का पक्ष, सरकार का प्रयास, सरकार की कोशिश, सरकार क्या कर रही है इस महंगाई के लिये, फिर काहे के लिये समय तय करवाया और किस बात के लिये आपने असत्य आंसू बहाये?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का महंगाई पर जो वक्तव्य है वह यहां टेबल कर दें और बाद में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। पहले स्टेटमेंट यहां रख दें और बाद में स्थिति स्पष्ट कर दें। यह भाषण तो नहीं दे सकते, वक्तव्य पर कोई अनलिमिटेड भाषण तो नहीं दे सकते।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं आपके आंकड़े बता रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जो समस्या है उसका क्या समाधान किया है, आगे क्या समाधान करना चाहते हैं, केवल वह बता दें। वक्तव्य का मतलब यह नहीं है कि अपनी मर्जी से बोलते रंहे।

(समय : 14.08 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप प्रतिपक्ष के नेता का फैसला करवा लो। एक बार यह गुलाबचन्दजी कटारिया साहब प्रतिपक्ष के नेता बन गये थे तो जब चुनाव हुए, तब 33 रह गये थे । हम तो दुबारा फिर वापस आ जाएंगे इन्हीं को बनवा दो प्रतिपक्ष का नेता, पीछा छुड़ाओ हमारा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह हमारा आंतरिक मामला है किसे बनाएं, किसे नहीं, यह दखल देने का अधिकार आपको नहीं है । (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपका जीतना हमारे लिये शुभ है, आप जीतते रहो। हम चाहते हैं आप इधर रहो। जब-जब आप आते हो, सरकार हमारी आती है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा ...(व्यवधान) आपके हर हुक्म की मैं पालना करुंगा। आप मेरे पुराने साथी हो, एक साथ हमने संघर्ष किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): लेकिन कोई लिमिट तो रखो, महंगाई सारी हुई है, सिर्फ गेहूं फांकेंगे क्या? सारी चीजों पर महंगाई है, सारी दलहनें, तिलहन, जिंसों पर, आप सिर्फ गेहूं लाये, गेहूं लाये, गेहूं फांकेंगे क्या, भाई?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उप नेता महोदय, आप अपने सदस्यों को समझाइए जो मैं सरकार का वक्तव्य दे सकूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, इतने गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही थी और मंत्री महोदय ने इसको मजाक बना कर रख दिया। अभी दो घंटे का समय निश्चित हुआ ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 18 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, हम 11.60 रुपये में गेहूं दे रहे हैं, यह मजाक है क्या? सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान) यह मजाक है, सुनना नहीं चाहते हो आप, तकलीफ होती है आपको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, वक्तव्य का मतलब है.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 52 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो वक्तव्य दे रहे हैं, यह उस स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी जो हम सब लोगों ने रखा था। नियमों के नियम 52 में लिखा है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। यानि प्रस्ताव था, सिर्फ, राज्य सरकार ने मंहगाई रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये, राज्य सरकार अपने करों में कटौती कर मंहगाई को तत्काल रोके और मंत्री महोदय ने गाथा पढ़नी चालू कर दी 1900, 2004 से। इसलिए मेरी प्रार्थना है, पूरा राजस्थान देख रहा है, मंहगाई का दंश आप भी झेल रहे हैं, इस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से, और सदन में बैठे सब लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, ऐसा विषय है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मंहगाई कैसे बढ़ी, इस पर हम चर्चा करके इससे राहत कैसे दे सकें, इस पर चर्चा होनी चाहिये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, विषयवस्तु से हटकर मंत्री महोदय वक्तव्य नहीं दे सकते, इस पर आप व्यवस्था दीजिए।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न आप उठा रहे हो....(व्यवधान) इतनी व्यवस्था भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौनसी नियम की बात है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप पूरा भाषण देते हो, मंत्री महोदय सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से पूरी बात बता रहे हैं तो उसमें भी एतराज हो रहा है। (व्यवधान) आप भाषण करते हो, उसको सही मान रहे हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वक्तव्य को टेबल कर दीजिए और फिर स्थिति स्पष्ट कर दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विषय वस्तु ....(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): टेबल कर दो न ...(व्यवधान) वक्तव्य टेबल कर दो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय राजेन्द्रजी, 18 रुपये, 17 रुपये किलो गेहूं, उसको 11 रुपये 60 पैसे ... (व्यवधान) यह सरकार प्रयास करके दे रही है तो यह विषय नहीं है? यह विषय से बाहर है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह विषय से बाहर है क्या ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): टेबल करा दीजिये। (व्यवधान) यह बोल कर बता दें। कागज को देखे बिना आप दो मिनट नहीं बोल पाएंगे। (व्यवधान) आप टेबल करो अपने वक्तव्य को।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने दो घंटे के लिए बहस की अनुमति दी थी, हमारा स्थगन प्रस्ताव 40 सदस्यों का था कि राज्य में मंहगाई बढ़ी है और बढ़ती मंहगाई के कारण से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोककर विचार किया जाए। सदन की कार्यवाही न रोककर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुग्रहित किया और सरकार से बात करके दो घंटे का टाइम तय कर दिया। हमने मंत्री महोदय को सुना और हम सुनना भी चाहते हैं, लेकिन आग्रह यह करना चाहते हैं कि हमने उन सब तथ्यों को और आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जो बता रहे हैं, इस प्रकार इतना गेहूं उठाया, उतना बेच दिया। उतना सारा काम किया, उसको हमने स्वीकार किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि राज्य सरकार ने महंगाई रोकने के लिए क्या कदम उठाये, एक, उससे महंगाई पर क्या फर्क पड़ा, दो, और आगे जो मंहगाई है उस पर रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इन तीन बातों को स्पष्ट कर दें, उनको आराम से सुनेंगे ओर उस पर हम हमारी बात रखें। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको हम मजाक के रूप में लेंगे तो गरीब जनता, 80 प्रतिशत राजस्थान के लोग जो महंगाई से पीड़ित हैं, उनको तकलीफ होगी। इसलिए इसको मजाक में न लेकर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण दें। उनको कई लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बोलो, बोलो। तो बोलो, आपको पता नहीं कि संक्षेप में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बोलकर वह जो बात कहेंगे, उसका हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, लम्बा बोलकर कहोगे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप हमको बता दें, हम सुनेंगे।

श्री सभापति: मंत्री जी।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अक्टूबर से दिसम्बर और जनवरी से मार्च इन 6 महीनों के लिए हमने राजस्थान की जनता को 27 जिलों में 11 रुपये 60 पैसे किलो गेहूं राशन कार्ड पर उपलब्ध करवाया। जितने अकालग्रस्त जिले हैं उनमें हमने उसका उठाव करवाया और करीब 98-99 प्रतिशत राजस्थान के 27 जिलों में 11 रुपये 60 पैसे किलो गेहूं का हमने वितरण करवाया। भारत सरकार से हमने फिर आग्रह किया, हमारे मुख्य मंत्री जी से पत्र लिखवाया ...(व्यवधान) मैं स्वयं दिल्ली गया और केन्द्रीय कृषि मंत्री से भी मिलकर आया। मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से हमने कहा कि राजस्थान में भंयकर सूखा है और इस सूखे की मार राजस्थान अकेले बूते नहीं झेल सकता, इस सूखे में भारत सरकार का हमें और अधिक योगदान चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने फिर राजस्थान को 1 लाख 77 हजार 340 मैट्रिक टन ....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी से निवेदन है कि 1952 से शुरू करें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह मैं आपको वर्तमान की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 1952 से शुरू करें आंकड़े।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जनवरी 2010, फरवरी 2010 की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) सारे बता दूंगा, सारे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 1 लाख 77 हजार 340 मैट्रिक टन पूरे राजस्थान के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2010, फरवरी 2010 इन दो माह के लिए....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक आंकड़े को कितनी बार बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अलग अलग आंकड़े हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कुछ तो गम्भीरता रहे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वह अकाल के हैं...(व्यवधान) ये अलग हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या हो रहा है, सभापति महोदय? मंहगाई पर सरकार ने इतनी देर में यह नहीं बताया कि क्या-क्या उपाय.... (व्यवधान) मजाक बना रखा है।

श्री सभापति: विराजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक कबूतर आया एक दाना ले गया, दूसरा कबूतर आया दूसरा दाना ले गया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपनेता महोदय, आप हमारे दल के नेता हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, क्यों तमाशा बना रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैंने एक बार आपसे निवेदन कर दिया, हम इनसे सुनना चाहते हैं, लेकिन बार-बार हम इतना गेहूं लाये, इतना लाये। लाये होंगे। मैं कह रहा हूं कि गेहूं लाए गेहूं बांटा, हमने मान लिया। इस गेहूं लाने का और बांटने का क्या...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह प्रयास नहीं है क्या हमारा ? 11.60 रुपये ...(व्यवधान) यह हमारा प्रयास नहीं है क्या? राजस्थान की जनता देख रही है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और यह सदन में मंहगाई के नाम पर...(व्यवधान) यह करना यही चाहते हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हल्ला करना, चर्चा नहीं करना... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, मुझे व्यवस्था देनी है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): महंगाई को लेकर, महिलाओं को लेकर... (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सदन के अन्दर व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री सभापति: राठौड़ साहब।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सदन का समय बर्बाद कर रहे हो आप।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजें तो सही। आप विराजें तो सही। राठौड़ साहब, आप विराजें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): जनता को धोखा दे रहे हो आप लोग, हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं न, आप विराजो तो सही। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, चर्चा को छोड़कर व्यवधान पैदा करना चाहते हैं।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजें। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजें तो सही। आप विराजें, राठौड़ साहब। मैं दे रहा हूं व्यवस्था, आप विराजें तो सही।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आप तो एकदम वैल में आ गये। मैं व्यवस्था दे रहा था और आप सब वैल में आ गये। आप विराजें तो सही।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपको बुरा लग रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: हाउस को आर्डर में लाएं। (व्यवधान) व्यवस्था दे रहा हूं, विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): व्यवधान पैदा कर रखा है आप लोगों ने। (व्यवधान) इतना बढ़िया समय बर्बाद कर रहे हो सदन का, सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब विराजें। (व्यवधान) विराजें तो सही।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: महिलाओं के नाम पर ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सदन का समय बर्बाद करके... (व्यवधान) हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया....(व्यवधान) उस समय को बर्बाद कर रहे हो और महंगाई की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजें तो सही, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप विराजें तो सही। हाउस आर्डर में लेकर आओ आप। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बार-बार बाहर जाना, वापस आना... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) उपनेता महोदय, मैं स्पेसिफिक दिलवा दूंगा, विराजें तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैंने बार-बार यह... (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, मैं स्पेसिफिक दिलवा दूंगा, आप विराजो तो सही। आप हाउस को तो आर्डर में लेकर आओ। (व्यवधान) कटारिया साहब, हाउस को आर्डर में लेकर आइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या देंगे, क्या देना है, यह हो रहा है तमाशा। (व्यवधान) हम एक घंटे से देख रहे हैं, सारे राजस्थान की जनता थू-थू कर रही है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): तमाशा बना दिया आप लोगों ने। तमाशा बना रखा है आपने सदन को। (व्यवधान) सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य तमाशा कह रहे हैं विधान सभा में। यह सुबह से कार्यवाही चल रही है, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप इसको तमाशा कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसे ही सदन चलता है क्या? (व्यवधान) आप स्वयं बैठे हुए हैं आसन पर, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं स्पेसिफिक दिला दूंगा, आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह तमाशा शब्द, माननीय वरिष्ठ सदस्यगण, यह विधान सभा की कार्यवाही को तमाशा कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मुझे यह कहना है।

श्री सभापति: मैं स्पेसिफिक दिलवा दूंगा, आप विराजें तो सही। आप विराजें तो सही।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, मैंने आगे भी निवेदन किया है कि प्रथम बार जीतकर आने वाले सदस्यों की ट्रेनिंग की बात कर रहे

(श्री मदन प्रजापत)

हैं, माननीय प्रतिपक्ष में बैठे जो सीनियर सदस्य हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, मेरा यह सुझाव है।

श्री सभापति: कृपया आप लोग हाउस को आर्डर में लेकर आएं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, हमने राजस्थान में..

श्री सभापति: आप जो महंगाई पर चर्चा करना चाह रहे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): किस पर चर्चा करें, क्या चर्चा करें? एक घंटा हो गया, क्या चर्चा करेंगे? (व्यवधान) आसन पर यह आरोप है, राजस्थान के विधान सभा का इससे शर्मनाक दिन कोई नहीं होगा।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, यह तमाशा शब्द कह रहे हैं, विधान सभा की कार्यवाही को तमाशा कह रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य कटारियाजी, माफी मांगो। यह तमाशा नहीं है, यह विधान सभा की कार्यवाही है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। कृपया आप अपनी चेयर पर पधारें। आप चेयर पर पधारें। महंगाई पर वाकई में आप गम्भीर हैं, पूरा सदन गम्भीर है, पूरा राजस्थान गम्भीर है, पूरा देश गम्भीर है, तो वक्तव्य, आप विराजें तो सही, मैं स्पेसिफिक जो उप नेता महोदय ने कहा, मैं वक्तव्य दिला दूंगा मंत्रीजी से। आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दो रुपये किलो गेहूं, सभापति महोदय, दो रुपये किलो गेहूं।

श्री सभापति: कटारिया साहब, महंगाई पर जो तीन स्पेसिफिक बातों को सुनना चाह रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, ...(व्यवधान) आप विराजें तो सही मेहरबानी करके।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं पूछना चाहता हूं कि आपके नरेन्द्र मोदी, सुपर स्टार मानते हैं, गुजरात में क्या भाव हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें तो सही। आप विराजें तो सही। आप इनको लेकर तो आइये, आर्डर में तो लेकर आएं आप।

(श्री सभापति)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

इनको आप आर्डर में लेकर आएं। (व्यवधान) आप इनको आर्डर में लेकर आएं। उप नेता महोदय, मैं दिलवा रहा हूं। आपने जो तीन बातें पूछी हैं, मैं उस पर वक्तव्य दिला दूंगा। आपने जो तीन बातें पूछी हैं।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आपने तीन ही बातें पूछी हैं। आप महंगाई पर गम्भीर हैं। गम्भीर हैं, पूरा सदन गम्भीर है। आप विराजें तो सही। आपके उप नेता महोदय ने तीन बातें कही हैं और उसके अन्दर मैं माननीय मंत्रीजी से कहकर स्पेसिफिक उसके ऊपर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, हम महंगाई के इश्यू पर बहस चाहते हैं। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दो रुपये, दो रुपये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, अपने स्थान पर आ जाएं। (व्यवधान)

(बहिर्गमन)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं। पहले आप बैठिये, हम वक्तव्य देंगे। अगर व्यवधान पैदा करेंगे तो मंत्रीजी वक्तव्य नहीं देंगे। आप शांत हो जाइये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, जानबूझकर समय बर्बाद करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मदनजी, विराजिये। हां, उप नेता महोदय। आप विराजिये, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपके निर्देश ...

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये। उप नेता महोदय बोल रहे हैं, आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। उप नेता बोल रहे हैं, आप विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): वो सिर्फ बजट के उपर चर्चा थी लेकिन इसको प्रश्न बनाते हुए करीब आधा घंटा सुबह राव राजेन्द्र सिंहजी ने बर्बाद किया। वह प्रश्न नहीं था, वह बजट की सिर्फ चर्चा थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। मैं सबको मौका दूंगा, विराजिये आप। आप विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह प्रतीत होता है, यह गरीब विरोधी हैं, प्रतिपक्ष में बैठे हुए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मदनजी, विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बार-बार व्यवधान करने की आदत पड़ी हुई है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, सदन को चलाने के लिये व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बार-बार व्यवधान पैदा करके, महिलाओं को लेकर, महिलाओं को कल आरक्षण दे दिया। (व्यवधान) फिर व्यवधान पैदा कर रहे हैं आप लोग। 11 रुपये 60 पैसे में आटा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। (व्यवधान) सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग। (व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, विराजिये। उप नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने तीन बार निवेदन कर दिया, हम सब माननीय सदस्य हस्ताक्षर करके लाये, इसलिये कि राज्य की जनता में जो दु:ख और तकलीफ है, महंगाई के कारण जो पीड़ित है... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसकी भावनाएं यहां पर आ जाएं। मंत्रीजी के वक्तव्य...(व्यवधान) में कितना गेहूं उठाया, कितना गेहूं लाये, कितना बांटा, उसमें हमने कोई विभेद पैदा नहीं किया। हमने यही चाहा कि सरकार ने जो कदम उठाये, सरकार की नीतियों के कारण से महंगाई कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई और सरकार ने जो काम किया, उसका क्या असर पड़ा। वर्तमान में महंगाई है, यह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, उसको कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है, मंत्रीजी इस बात तक अपने वक्तव्य को सीमित रखें। उसके बाद में हमको जो बात कहनी होगी, हम बात कहेंगे। फिर उनका जवाब सुनेंगे। इसलिये मैं मंत्रीजी से भी चाहूंगा, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप उन बातों तक अपने आपको सीमित रखकर कहें ताकि बहस में गम्भीरता आए, बहस में गम्भीरता रहे और राज्य की जनता को लगे कि दोनों पक्ष गम्भीरतापूर्वक महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे आग्रह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करता हूं और अपने यहां नियम भी हैं, अध्यक्षों की व्यवस्था है कि जब एक निश्चित विषय पर बहस होती है तो उस विषय के बाहर जाकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी बिल पर डिबेट हो तो सारा ओपन हो जाता है, खोलते हैं। विधेयक पर चर्चा नहीं है, यह वक्तव्य है, एक लिमिटेड पीरियड तक है, एक लिमिटेड विषय है। सभापति महोदय, इसलिये मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप निर्देश दें कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य तीन बातों तक सीमित रखें ताकि हम सुन सकें, जवाब ले सकें और राज्य की जनता की समस्या का समाधान हो सके। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें। आप विराजें तो सही।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): एक मिनट। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट, एक मिनट, साहब।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापतिजी, मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि बड़े ढंग से बातचीत चल रही है। महंगाई पर बातचीत चल रही है, अब यह कह रहे हैं कि महंगाई पर ही नहीं है। जब अनाज की बातचीत चल रही है, उसकी व्यवस्था की बातचीत चल रही है। किस तरह से सस्ताई की, इस बात पर चल रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: वह मंत्रीजी जवाब दे देंगे न। मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): वह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। यह महंगाई दूर करने वाली चर्चा नहीं चल रही है तो क्या चल रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: वह मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आप विराजो। माननीय मंत्रीजी।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): सारे प्रयत्न किये हैं महंगाई खत्म करने के लिये। सरकार क्या करना चाहती है सस्ता गेहूं देने के लिये, सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत हो रही है। फिर कौनसी बात रहती है, आप कौनसा वक्तव्य चाहते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। माननीय तिवारी साहब ने जो बात रखी है उससे हम सहमत हैं।

श्री सभापति: अब आप जो बात महंगाई पर हो रही है उस पर होने दीजिए न।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को चलाने की बात कह रहा हूं, हमारे मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं उसमें आप लोग व्यवधान पैदा मत करो। पहले जवाब लेना और फिर जो आपको बोलना हो, बात करिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आपका क्या काम रह गया?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): एक मिनट निवेदन करना है।

श्री सभापति: क्या हुआ?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय कटारिया साहब ने और तिवाड़ी साहब ने जो बात कही ...(व्यवधान) कि बाजार में गेहूं 17-18 रुपये किलो था और मंत्रीजी यह जवाब दे रहे हैं कि हमने यह प्रयास किया है कि 11 रुपये 60 पैसे में उसको 27 जिलों में वितरण किया है। कल ही मुख्य मंत्रीजी ने दो रुपये किलो बी.पी.एल., गरीब परिवारों के लोगों के लिये गेहूं की व्यवस्था की है। तो इस तथ्य को स्वीकार करने में उनको क्या आपत्ति हो रही है? उसके बाद में नैक्स्ट जो आइटम है, उस पर आप चर्चा करें, क्या दिक्कत है?

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। मदनजी, क्या बाकी रह गया? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और वरिष्ठ सदस्य उसको तमाशा कह रहे हैं। (व्यवधान) यह तमाशा आपत्तिजनक है, सभापति महोदय। (व्यवधान) कृपया महंगाई पर चर्चा चल रही है, हम साथ हैं, लेकिन वरिष्ठ सदस्य तमाशा कह रहे हैं।

श्री सभापति: मदनजी, मदनजी, विराजिये। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री महोदय, महंगाई के बारे में...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सरकार क्या उपाय कर रही है, उसको सदन में पूरी तरह से बताएंगे। क्या कर रही है, क्या करने जा रही है और उसका क्या प्रभाव, क्या आपने उपाय किये हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रतिपक्ष के बैठे हुए माननीय वरिष्ठ सदस्यगण सुबह से कार्यवाही को अगर तमाशा कह रहे हैं तो 'तमाशा' शब्द क्या है? तमाशा शब्द वापस लिया जाए, यह मेरा आग्रह है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। मंत्रीजी बता रहे हैं। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): गरीबों को गेहूं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। मंत्रीजी बता रहे हैं। अब कोई व्यवधान नहीं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो नियमित रूप से ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गेहूं को छोड़कर।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नियमित रूप से चाहे किसी भी योजना में हो, राजस्थान में जो गेहूं मिलता है, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) कमाल कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बात महंगाई की है। बात महंगाई की हो रही है। मंत्रीजी, आप महंगाई की बात करिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुनो तो सही। बात शुरू हुई है, आप विराजो तो सही। आप वरिष्ठ सदस्य हो, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, एक लाइन बोली नहीं ...(व्यवधान) एक लाइन बोली नहीं ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह लिखा हुआ है यह ...(व्यवधान) आप करवा लीजिए। इनके लिखे हुए भाषण को टेप करवा लीजिए और ... (व्यवधान) पता लग जाएगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, इस छह महीने में राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में नियमित के अलावा 503328 मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान में बांटा है अलग से। (व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): चीनी का क्या भाव हो रहा है? मसाले का क्या भाव हो रहा है? चीनी का क्या भाव हो रहा है, उसको आप बताइये? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप मेरी जबान बनाएंगे क्या? यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप इनकी सुन लेने दीजिए। (व्यवधान) आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह खुद ही नहीं सुनें तो ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): करेंगे क्या? केवल ...(व्यवधान) भर जाएगा क्या? (व्यवधान) महंगाई की बात है, महंगाई की बात करो न। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 503328 मैट्रिक टन, कितना बड़ा काम इसमें ...(व्यवधान) नहीं कहते आप। गेहूं का तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: गेहूं भी तो महंगाई की बात है न। गेहूं भी तो महंगाई का हिस्सा ही है। आप विराजिये तो सही। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, इनके भाषण में एक लाइन नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी की पूरी बात तो सुन लीजिए। आप विराजो तो सही। मंत्रीजी, जो उपाय किये हों उनके बारे में बता दें। उसका इम्पैक्ट क्या आया है, वह बता दो और आगे क्या करने जा रहे हो, वह बता दो। बस तीन ही चीजें पूछी हैं, बता दो। बता दो तीन ही चीज। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि अब इनको यह क्यों तकलीफ हो रही है कि हम 503328, ...(व्यवधान) अलग से लाये। इनको तकलीफ क्यों हो रही है? जब हमारे से यह दे रहे हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है?

श्री सभापति: यह भी सुन लीजिए। पांच लाख, हां, आगे बोलिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): समझ में नहीं आया तो आप जो चाहते हैं वह बोलूंगा क्या मैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। डाक्टर साहब, एक मिनट। डाक्टर साहब, एक मिनट। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मैंने जो तीन बातें कहीं उन पर इनका उत्तर आएगा। माननीय सदस्य, आप इनको बोलने ही नहीं दे रहे हो। आपको मंत्रीजी का वक्तव्य सुनना पड़ेगा न। डाक्टर साहब, ऐसा थोड़े ही, आप मंत्रीजी का वक्तव्य सुनना नहीं चाहते। पूरी महंगाई पर कर रहे हैं, क्या बात? मैंने तीन बातें इनको कहीं, जो आपके उप नेता महोदय के कहने से ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, जब मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रदेश की सरकार व्यवस्था कर रही है, यहां की सरकार, यहां के मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो यह भी उसका पार्ट है। (व्यवधान) यह पार्ट है। इनको बोलने दीजिए। यहां की सरकार प्रयास कर रही है। इनकी खुद की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां क्या कदम उठाये हैं, इनको जानकारी है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने व्यवस्था दे दी है। आप वैल में आ गये, डाक्टर साहब, बैठिये आप। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दी है और आप यहां वैल में आ गये। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दी है और आप यहां वैल में आ गये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): लाखों रुपये की गाढ़ी कमाई किसानों की ये बर्बाद करना चाहते हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: मान रहे हैं न। आप मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? आसन की व्यवस्था मानेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): धन्य हो तुमको। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की पूरी व्यवस्था, आसन के हर निर्देश की पालना सरकार करेगी। आप विराजो तो सही। उप सचेतक महोदय, आप विराजो तो सही। आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सुनें? क्या सुनें?

श्री सभापति: उप नेता महोदय ने कहा, जो आप चाह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कुछ वे बोल रहे हैं, वह आपको अच्छा लग रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने स्पेसिफिक कहा है न। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह आते क्यों नहीं?

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह जवाब क्यों नहीं देते?

श्री सभापति: मैंने कहा है न, उसके पहले तो वैल में आ गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपके कहने के बावजूद वह नहीं मानते। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने कहा है, मैंने निर्देश दिये हैं।

एक माननीय सदस्य: वे आपके कण्ट्रोल में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने निर्देश दिये हैं आसन से और आप सब लोग वैल में आ गये तो फिर मंत्री क्या व्यवस्था पढ़ेंगे? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तमाशा हो रहा है, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने गेहूं की पिसाई में तगड़ा घोटाला किया है इसलिए सरकार ... (व्यवधान) केवल गेहूं पर आ गये, बाकी महंगाई इनको नहीं दिख रही है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजिये। मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, दो रुपये किलो से ज्यादा पिसाई का दाम इस सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, दो रुपये किलो गेहूं दिये हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह आसन संतुष्ट है क्या? आसन संतुष्ट है क्या इनके जवाब से? (व्यवधान)

श्री सभापति: उन बातों का भी आएगा, आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप इनके जवाब से संतुष्ट हो क्या? माननीय सभापति महोदय, आप संतुष्ट हो क्या?

श्री सभापति: महंगाई के बारे में सरकार अपनी व्यवस्था दे रही है, आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप संतुष्ट हैं क्या? आप संतुष्ट हैं क्या इनके जवाब से? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सदन में व्यवधान पैदा करते हैं। सदन में व्यवधान पैदा करके सदन को चलाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुनो तो सही।

श्री करणसिंह (छबड़ा): वह बात भी आती ...(व्यवधान)... सदन में आकर व्यवधान पैदा करते हैं। इन लोगों ने दो साल पहले क्या-क्या काम किये हैं, जनता अभी भूली नहीं है और इनको नींद नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। डाक्टर साहब।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, दो रुपये किलो गेहूं दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: वे वक्तव्य दे देते, आप वैल में आ गये। क्या वक्तव्य देंगे? आप पधारो तो सही। (व्यवधान) तीन ही बातें इनको कही हैं। आप सुनो तो सही। आप सुनो तो सही। दो घंटे का टाइम है। (व्यवधान) क्या वक्तव्य दे रहे हैं, आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, इतने गम्भीर मसले पर भी मंत्री ने कोई गम्भीरता नहीं दिखायी है। बल्कि ऐसा व्यवहार। सदन के अन्दर महंगाई जैसे मुद्दे के ऊपर इतना ऊटपटांग समय बर्बाद करने का जो काम मंत्री महोदय ने किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: तीन चीजों के ऊपर वे वक्तव्य देंगे, आप विराजो तो सही। तीन ही बातों पर वक्तव्य देंगे, आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, इस गम्भीर मसले पर सरकार गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वे देते नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार ने गेहूं का आटा पिसाने में तगड़ा घोटाला किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बहुत पैसा खाया है इसलिए केवल गेहूं ...(व्यवधान) इसलिए केवल गेहूं-गेहूं याद आ रहा है। इनको दाल का भाव मालूम नहीं है, इनको सब्जी का भाव मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। आप सुन ही नहीं रहे हैं। आसन ने व्यवस्था दे रखी है। कोई सुन ही नहीं रहे हैं।

(सदन में भारी शोर-गुल)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनको चीनी, तेल, सब मसालों का भाव मालूम नहीं है। केवल गेहूं-गेहूं इसलिए कि गेहूं की पिसाई में बहुत बड़ा घोटाला किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा, आप तो पधारो। अपनी-अपनी कुर्सियों पर पधारो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह क्या मतलब हुआ?

श्री सभापति: उप नेता महोदय, यह गम्भीर विषय है। गम्भीरता से बात सुनो आप। आप लोग ही वैल में अगर आ गये तो क्या वक्तव्य देंगे मंत्री? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): गम्भीर विषय है तो ... (व्यवधान) कमाल हो गया। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, वक्तव्य सुनना ही नहीं चाहते हैं ये लोग। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हुई और आपकी मौजूदगी में और अध्यक्षजी की मौजूदगी में आसन की भी गरिमा बढ़ी है। आसन की भी गरिमा बढ़ी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सरकार क्या वक्तव्य देगी, आप पधारो तो सही। आप विराजिये। तीन ही बातों पर सरकार अपना वक्तव्य देगी।

श्री करणसिंह (छबड़ा): चर्चा हो रही है, आप लोग सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कमाल हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनो तो सही। (व्यवधान)

यह गम्भीर विषय है, आप गम्भीरता से ...(व्यवधान) आप पधार जाएंगे, आप विराज जाएंगे, सरकार का वक्तव्य भी आ जाएगा फिर। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार गम्भीर है, आसन गम्भीर है तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। तीन बातों पर आएगा वक्तव्य। गम्भीर विषय पर गम्भीरता रखिये, मेरा निवेदन है आपसे। (व्यवधान) गम्भीर विषय है, मखौल नहीं उड़ाइये। (व्यवधान)

उप नेता महोदय कह रहे हैं कि इस महंगाई की बात पर हमको मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। यह उप नेता महोदय, आपका कथन है तो आप मेहरबानी करके माननीय सदस्यों को यह फर्माएं कि अपने-अपने आसन पर जाएं। तीन बातें आपने कहीं, तीनों बातों पर सरकार का वक्तव्य आएगा। अब कुछ समय तो दें इनको। वे बोलना चाहते हैं और सब वैल में आ जाते हैं। मंत्रीजी, आप भी अपना स्पेसिफिक वक्तव्य दें। जो चीजें आप पहले कह चुके हैं उनके अलावा और कहें। आप पधारें। उप नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट बिठाता हूं। (व्यवधान) बैठो। अब करते हैं इसको। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजें। मंत्रीजी बोलेंगे। आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें। मंत्रीजी वक्तव्य देंगे, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक और माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक और माननीय मंत्रीजी से भी विनम्रतापूर्वक दो बात कहूंगा। राजस्थान के साढ़े छह करोड़ लोग पीड़ित हैं, हमने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, हमने कहा, महंगाई है और महंगाई क्यों बढ़ी, किस प्रकार से बढ़ी, उस पर सरकार क्या उपाय कर रही है, उसका सरकार जवाब दे। मंत्रीजी ने शुरू किया, इतना गेहूं। हमने मान लिया, इतना गेहूं लाये। इन्होंने कहा, हमने इतना गेहूं बांटा। हमने कहा, बांट दिया भी मान लिया। यह आंकड़ा भी आ गया। मैंने संक्षेप में इतना ही कहा, आप तो यह बताइये कि महंगाई कितनी बढ़ी? क्या यह सही नहीं है कि मई, 2009 के बाद से अब तक खाद्य पदार्थों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। नम्बर दो, चीनी का इतना बड़ा स्कैण्डल हुआ, राजस्थान को जिस तरह लूटा गया, इसका जवाब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देदो। तीसरा, हिन्दुस्तान में किसान को इतना कम देकर बाहर से महंगा गेहूं मंगाकर गेहूं का घोटाला किया, इसका जवाब दे दो। यह आपके बस का नहीं है। आपकी इसमें गलती नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने चीनी लाबी से मिलकर हिन्दुस्तान की गरीब जनता की जेब काटी, यह मैं कहना चाहता हूं। हम उसका जवाब चाहते हैं। हम यह जवाब चाहते थे, आपने लिखा घोषणा पत्र में कि वैट कम करके राजस्थान की जनता को राहत देंगे, आपने वह राहत दी कि नहीं दी, इसका जवाब दो। वह जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपने कल बजट रखा, एक प्रतिशत वैट बढ़ाया। वहां पैट्रोल-डीजल पर भारत सरकार ने पैसा बढ़ाया। सारा पैसा बढ़ाकर जेब काट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह लुटेरों को संरक्षण करने वाली और +++ सरकार है इसलिये यहां मजाकपूर्ण जवाब दे रहे हैं। महंगाई रोकने में सरकार असमर्थ रही है। हम इन मंत्रीजी का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते और सदन का बहिर्गमन करते हैं। सरकार बिलकुल निकम्मी है, नकारा है और हम सरकार की निन्दा करते हैं।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापतिजी, यह यही करना चाह रहे थे। यह यही चाह रहे थे। राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से महंगाई को कम करने के लिये प्रयास किये, वह मंत्रीजी बता रहे हैं, उनका जवाब नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) केवल हल्ला करने के अलावा कोई काम नहीं किया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार महंगाई के लिये केवल यह कहकर छुटकारा पाना चाहती है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज में बहुमत साबित किया है ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अमराराम जी, राजस्थान के इतिहास में यह अशोक गहलोत हैं जिन्होंने 170 करोड़ रुपये से गरीबों के लिये 2 रुपये किलो गेहूं दिया। राजस्थान के इतिहास में एक मात्र अशोक गहलोत मुख्य मंत्री हैं जो दो रुपये किलो गेहूं देंगे। 170 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता के लिये ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हिन्दुस्तान में पिछले 20 साल से दो रुपये किलो गेहूं और चावल मिल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान) सभापति महोदय, राजस्थान की जनता मंहगाई से पीड़ित है, अकाल पीड़ित

(श्री अमराराम)

जनता के लिये राहत देने की बजाय महंगाई बढ़ाकर निकम्मी, निठल्ली सरकार जमाखोरों के पक्ष में है, उनको लूटने की छूट दे रही है, इसलिये मैं और मेरे दल के तमाम सदस्य इस सरकार के महंगाई बढ़ाने वाले कृत्यों के खिलाफ वाकआउट करते हैं।

(माकपा के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप गरीबों और मजदूरों की बात करते हैं लेकिन गरीबों और मजदूरों को सस्ता सामान दिलाने की बात जब करते हैं तो उससे आप इंकार करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी आप वक्तव्य की तैयारी करें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वक्तव्य नहीं, साहब। वाकआउट हो गया, हम वक्तव्य नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) वक्तव्य नहीं होगा। चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री सभापति: सरकार का वक्तव्य तो आएगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आसन से व्यवस्था दे चुका हूं, सरकार का वक्तव्य आएगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: सरकार का वक्तव्य आएगा, मैं आसन से पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं। मंत्रीजी, उन उपायों और महंगाई कम करने वाली बातों पर अपना वक्तव्य दीजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, इसी तरह से हम पूरे राजस्थान में 14 रुपये प्रति किलो की सस्ती दर पर आटा पूरे राजस्थान के तमाम संभागों पर दे रहे हैं। आज जो आटे का भाव है, वह 14 रुपये प्रति किलो आज हम राजस्थान में आटा दे रहे हैं। इससे राजस्थान में आटे का भाव कम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चीनी में क्या घोटाला किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनने तो दो आप इनको। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सुनेंगे? 400 करोड़ रुपये

(श्री कालीचरण सराफ)

का घोटाला चीनी में। यहां तो किसानों से कम रेट पर और बाहर से आयात करने जा रहे हैं, करोड़ों रुपये खा गये। (व्यवधान) दाल में खा गये, आटे की पिसाई में खा गये। बिना टेण्डर के आटे की पिसाई। दाल बिना वैट के ले ली। पर्ची पर दाल ली। (व्यवधान)

श्री सभापति: सराफ साहब, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इतने गम्भीर आरोप लगाये उन्होंने, क्या इन आरोपों को साबित कर सकते हैं? आप सदन की कार्यवाही से इन आरोपों को, जो गम्भीर आरोप लगाये हैं या तो साबित करो या इनको कार्यवाही से बाहर निकालो, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक तरफ तो आप कह रहे हो, महंगाई की चर्चा का मखौल नहीं उड़ना चाहिये। सदन गम्भीर है, हम भी गम्भीर और आप भी गम्भीर, मीडिया गम्भीर, आप सुनो तो सही। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दे दी है कि सरकार जो अपने उपाय कर रही है, उनके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा रखे।

श्री सुखराम (बसेड़ी): हम कोई नहीं सुनना चाहते, सभापति महोदय। बिलकुल नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति: आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कालीचरणजी सराफ साहब, आप अगर साबित कर दें तो मैं राजस्थान विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं। (व्यवधान) मैं देता हूं चुनौती। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आटा पिसाई आपने बिना टेण्डर के कराई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कालीचरणजी, आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह एक राज्य में नहीं चल रहा है, मैं गुजरात राज्य का भी लाया हूं, गुजरात राज्य में किस हिसाब से आटा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का भी लाया हूं, दिल्ली का भी लाया हूं। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा ..(व्यवधान) विपक्ष को ..(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, तीन बातें हैं। (व्यवधान) आप विराजें माननीय सदस्य। जो तीन स्पेसिफिक चीज हैं कि सरकार ने क्या उपाय किये, उन उपायों का क्या असर आया और उसके बाद में असर आ गया तो सदन को बताएं। नहीं आया तो सरकार उसके बारे में और क्या कार्यवाही करने जा रही है, उसके बारे में आप जवाब दे दीजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये। विराजें। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, हमारी भी तो बात सुन लीजिये। सभापति महोदय, यहां विपक्ष के सदस्यगण कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता देख रही है। मैं कह रहा हूं कल बजट पेश हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया उसमें महंगाई को रोकने की कोशिश की, प्रयास किया और आज मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं..(व्यवधान) जो प्रयास किया, उसका जवाब दे रहे हैं। गेहूं दो रुपये किलो कर दिया। गरीब जनता को भूखे नहीं रहने देने का वादा किया। आप लोगों से निवेदन है कि आप इनकी बात को सुनें। राजस्थान की जनता के लिये कांग्रेस पार्टी और मुख्य मंत्रीजी ने .. (व्यवधान) माननीय सदस्य, महंगाई को रोकने की बात को आराम से सुनें।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): एक मिनट, मंत्रीजी से जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): यह कहते हैं, विधान सभा से इस्तीफा देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा। आप विराजें। मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलना? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। आसन पैरों पर है।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। गोपालजी मीणा साहब, विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बताइये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं होगा। मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि महंगाई एक गम्भीर विषय है, इसके ऊपर मेहरबानी करके सरकार जो उपाय कर रही है, उन उपायों के बारे में पूरी तरह से सुन लें। उसके बाद...(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हुआ।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हुआ। कोई अंकित नहीं हुआ, विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हुआ।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आप गम्भीर हो तो विराजें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री सभापति: विराजिये। सरकार का वक्तव्य नहीं सुनना चाहता सदन?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: सुनना चाहते हैं तो विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आप सुनना चाहते हैं या नहीं? सरकार जो वक्तव्य दे रही है, आप उसको सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? दोनों डाक्टर साहब, विराजें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री सभापति: गोपालजी, विराजिये। पीछे से विराजिये।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ×××

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): ×××

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। जो आरोप लगाये वो अंकित नहीं हुए। आप विराज जाओ। माननीय सदस्य, विराजिये। आसन पैरों पर है। आप विराजें, मैं देख लूंगा। मैं सब देख लूंगा। आपस में मत उलझो। आसन पैरों पर है। आप विराजें। मैं कोई और व्यवस्था दूं उससे पहले आप विराजिये। सरकार वक्तव्य दे रही है। मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री सभापति: आप महंगाई के बारे में सरकार का वक्तव्य सुनिए न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अगर आप लोग महंगाई के बारे में गम्भीर नहीं हैं और सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूंगा। आप हाउस को आर्डर में लाइये। आप विराज जाएं। सरकार अपना वक्तव्य दे रही है।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): ×××

श्री सभापति: तीनों माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं, विराजें। महेन्द्रजी, विराजें। सरकार अपना वक्तव्य दे रही है महंगाई के बारे में। मैं आपकी बात सुन लूंगा लेकिन वक्तव्य आने दीजिए। मैं आपको मौका दूंगा।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। बहुत समय हो गया। गरिमा रखिए। महेन्द्रजी, विराजिये। गोपालजी, विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

(समय : 15.00 बजे)

श्री सभापति: ममताजी, विराजिये। मदनजी, विराजिये।

इस वक्तव्य के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, मैं सुनूंगा, आप विराजें तो सही। आप विराजें। (व्यवधान) सरकार को अपना वक्तव्य देने दीजिए, विराजिये। मंत्रीजी, स्पेसिफिक दे दीजिए ...(व्यवधान) स्पेसिफिक दीजिए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर मुझ पर आरोप लगाया है। सभापति महोदय, नियमों में है, प्रक्रिया है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य सबूत पेश करें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह सबूत पेश करें ...(व्यवधान) इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ××× ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सब को अपने जैसा समझते हो आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी। मंत्रीजी। मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी ...(व्यवधान) सदन चर्चा कराना चाहता है और जो भी आप बता रहे हो आरोप वाली बात, वो मैंने पहले ही कह दिया कि अंकित नहीं होगा। फिर मैं दिखवा लूंगा, होगा तो एक्सपंज कर दिया जाएगा। आप विराजिये, सरकार की तरफ से वक्तव्य आने दीजिए। अगर आप गम्भीर नहीं हैं तो मैं फिर इसको यहीं समाप्त करूंगा और अगली कार्यवाही शुरू करूंगा। आप विराज जाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हुआ। मैंने कहा अंकित नहीं हुआ। मैंने कह दिया, अंकित नहीं हुआ, आप विराज जाइये। (व्यवधान) अंकित नहीं हुआ, आप विराज जाइये। मैं और दिखाता हूं, मैं एक्सपंज कर दूंगा, विराजिए आप। आप विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय कुछ बोल रहे हैं, विराजिए आप। आप विराजिए, सचेतक महोदय कुछ बोल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री सभापति: ...(व्यवधान) सदन महंगाई पर कोई चर्चा सुनना नहीं चाहता? (व्यवधान) आप चाहते हैं तो इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। (व्यवधान) बजट पर वाद-विवाद प्रारम्भ करता हूं। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं ..

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, विराजिये, मैंने समाप्त कर दी है। मैंने समाप्त कर दी है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वक्तव्य पूरा होने दीजिए।

श्री सभापति: आप विराजिये, कोई सुनना नहीं चाहता।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए।

श्री सभापति: कोई सुनना नहीं चाहता ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोई सुनना नहीं चाहता, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं यही तो कह रहा हूं, कोई सुनना नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, नाम लेकर आरोप लगाया है ...(व्यवधान) ऐसे सदस्य को प्रताड़ित करिये या हाउस से बाहर निकालिये। (व्यवधान) या साबित कराइये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री महोदय पर जो आरोप लगाए, या तो इसके लिए उनको प्रताड़ना दी जाए, वो क्षमा-याचना करें, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो नियमों के अन्तर्गत आएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) डाक्टर साहब, विराजिये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): वो नियमों के अन्तर्गत आएं, मेरा निवेदन है ...(व्यवधान) आप इस पर व्यवस्था दें, इनको प्रताड़ित करें ...(व्यवधान)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: आप सुनना ही नहीं चाहते। हो जाएगी जांच, आप

(श्री सभापति)

पधारो, आप पधारो। माननीय सदस्य, विराजो आप। माननीय सदस्य, पधारो, विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप नियमों में आएं, नियमों में आएं। आप प्रक्रिया के नियम 272 के दो को देखिए ...(व्यवधान) आप नियमों में आइये न, आप नियमों में आइये। (व्यवधान)

(समय : 15.06 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सारे भ्रष्ट हैं, पूरा कुनबा भ्रष्ट है। पूरा कुनबा भ्रष्ट है आपका, पूरा भ्रष्ट है। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजेंगे आप अब? बैठेंगे अब आप? आप बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। बैठिये आप। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, बैठिये आप। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

The House is adjourned for half an hour. सदन आधा घंटे के लिए स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.11 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय: 15.41 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: गुलाब चन्द जी कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना.(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। मैं कोई निवेदन करना चाहता हूं। अभी जो आरोप माननीय मंत्री महोदय... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आसन ने एक बार व्यवस्था दे दी तब आपने नाम पुकार लिया। यह अपनी बात कह दें उसके बाद बात कह देंगे।

श्री सभापति: क्योंकि मैंने नाम बोल दिया कटारिया साहब का, कृपया इनको बोलने दें। कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, प्रोसीडिंग में...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मैंने कटारिया साहब का नाम बोल दिया, अब कृपया आप बैठिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपसे, सभापति महोदय, मैं इतना-सा आग्रह करना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया बैठिये आप। मंत्री महोदय, कृपया बैठें। कटारिया साहब।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं आपको बाधा नहीं पहुंचाना चाहता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आसन सर्वोपरि है, आपके निर्देशों के बावजूद मंत्री महोदय खड़े हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप भी तो वही काम कर रहे हैं, माननीय।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपसे प्रार्थना भी यह करता हूं कि मैं अपनी विषय वस्तु को रखते समय सदन के किसी भी माननीय सदस्य को न तो इंटरप्ट करना चाहूंगा। जो तथ्य मेरे पास हैं और जो रिकार्ड सरकार ने मुझे दिया है, उसके आधार पर ही मैं अपनी चर्चा को सीमित रखूंगा।

ये जो दोनों बजट हैं, ये दिखने में भी सुन्दर हैं और सुनने में भी सुन्दर हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप इसके अन्दर झांकने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बजट क्या होता है। बजट राजस्थान प्रदेश की जनता को क्या दिशा देगा? पूर्व में क्या दिशा दी, यह इससे स्पष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो सरकार थी, हमारी सरकार थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना हमने पूरी की। मैं आप चाहो तो एक-एक साल का बजट बता सकता हूं कि हमने कौनसा बजट पेश किया। जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आठवीं पंचवर्षीय योजना 11,500 करोड़ की बनायी, वह हमने 12,000 करोड़ की पूरी की, किसी प्रकार से प्लान में कटौती नहीं हुई।

उसके बाद आपने देखा होगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना, आपके द्वारा आपके शासन में उसकी पूर्ति हुई थी। उसमें जो प्लान बजट हमारा पास हुआ था, 27,650 करोड़ रुपये का पास हुआ और आपकी सरकार ने पांच साल में जो बजट पेश किये इस हाउस में, वे सब मिलाकर 21,600 करोड़ के पेश हुए। जब इन पांचों सालों के खर्चे को आप जोड़ोगे तो यह 19,400 करोड़ रुपये मात्र खर्च किया। अर्थात् नवीं पंचवर्षीय योजना को, 27,000 करोड़ की योजना को अपने कुशल प्रशासन के कारण से आपने 19,400 करोड़ पर लाकर करके सीमित कर दिया। योजना घटाना यह कोई इसी साल नहीं हुआ, आपका पुराना अभ्यास है, उसी के तहत हुआ है।

फिर मैं आपको बताना चाहता हूं दसवीं पंचवर्षीय योजना, आपने देखा होगा, 31,831 करोड़ रुपये की बनी थी। उसमें से अधिकांश समय, वर्ष 2002 से 2007, इसमें एक आध साल आपका है, हमने इसको पूरा किया 33,735 करोड़ रुपया। एक नये पैसे की भी प्लान में किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई। अब इसके बाद अगर आप इसको सीरियसली देखेंगे, अगर आप मुझे समय दें तो मैं इस कटौती की डिटेल बता सकता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान ना करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 1999-2000 के लास्ट के तीन महीने में आप आ गये, प्लान था 4300 करोड़ का, प्लान पूरा किया 3632 करोड़ का, मायनस 467 करोड़। 1999-2000 में 5622 करोड़ का प्लान आपने पेश किया, आपकी पिछली सरकार ने पेश किया और उसमें से खर्चा हुआ केवल 3600 करोड़ रुपया। 1421 करोड़ रुपया मायनस खर्चा हुआ। फिर उसके बाद आप आगे चलिये, 2000-2001 में 4146 करोड़ हुआ, उसके अगेंस्ट 3722 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, मायनस 423 करोड़ रुपया। उसके बाद 2001-2002, 4515 करोड़ का प्लान पेश हुआ इसी हाउस में, मैं उसमें सदस्य था और आपने प्लान पूरा किया है 4338, मायनस 177 करोड़ रुपया। उसके बाद 2002-2003 में आपने 5105 करोड़ की योजना पेश की और पूरा किया था 4370 करोड़, मायनस 779 करोड़।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो प्लान हमेशा आप पेश करते हैं, उस प्लान को आप पूरा नहीं करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आखिर इस बजट की कोई जिम्मेदारी है? जब हम प्लान पेश करते हैं तो सब चीजों को सोच कर कि हमें कहां से आमदनी होगी, उसके आधार पर करते तो आपका प्लान साइज घटता नहीं।

फिर आपने देखा होगा 2007-2008 में हमारी सरकार रही। इससे पहले ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जो 71,731 करोड़ की है, इसमें वर्ष 2007-2008 में हमने बजट जो पेश किया इस हाउस में, वह 11,638 करोड़ का पेश किया। और पूरा कितना किया? हमने किया 13,794 करोड़ रुपया। इसका मतलब प्लस कितना हुआ बजट? 2156 करोड़ रुपया। प्लान साइज घटा नहीं, प्लान साइज बढ़ा।

उसके बाद 2008-2009 में भी हमने बजट पेश किया, लास्ट के तीन महीने में आप आ गये थे, 14,020 करोड़ का हमने पेश किया और उसकी पूर्ति कितनी हुई ? 14,935 करोड़ रुपये। इसका मतलब प्लस 915 करोड़ रुपया। कोई प्लान साइज नहीं घटा।

आपने आकर 2009-2010 में बजट पेश किया, प्लानिंग कमीशन ने जो आपका बजट स्वीकृत किया था वह 17,322 करोड़ का किया, आपने कहा, हमने इसको बढ़ाकर 18,634 करोड़ रुपया कर दिया। यह भी वाहवाही ली कि हमने 33 परसेण्ट ज्यादा बढ़ा दिया। यह 33 परसेण्ट कहां से पकड़ा आपने ? जो बजट पेश किया था हमने 14,022 करोड़ का, वहां से पकड़ा और आपने फिगर 18,634 करोड़ को मिलाकर 33 परसेण्ट किया। यह नहीं है। जो वास्तव में आर.ई. आपकी तय हो गयी और आर.ई. में पूरा 14,935 करोड़ रुपया जब आ गया तो आपको आंकड़ा वहां से उठाना था। आपका बजट तो जुलाई में आया नहीं, इसका मतलब 31 मार्च तक का तो प्लान का सारा खर्चा आपके सामने आ गया। फिर आपने उसको आधार बनाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की और आप सब लोगों ने भी प्रशंसा की और सबको लगा कि बड़ा गजब का बजट है। उसका जो हाल है वह आपके इसी जवाब में आपने देखा होगा, आज जिस प्रश्न पर बहुत ही उठा-पटक हुई थी। आपने बजट पेश किया यह 18,634 करोड़ का। आपने अभी जो आर्थिक समीक्षा की किताब दी है, इसके पेज 23 के ऊपर, बजट अब तक आप काम में ले पाये जिन हैड्स में, ये सारे के सारे हैड भी तय हैं कि किस हैड में कितना पैसा हमने रखा और बजट 18,634 करोड़ रुपये टोटल किससे मिला। यह आपने इसमें मिलाया और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वास्तव में खर्चा कितना किया? 12133 करोड़ रुपया। और आज आपने प्रश्न के जवाब में क्या भेजा? कटौती कितनी हुई है? आर ई में जब गये आपके विभिन्न डिपार्टमेंट तो क्योंकि बजट खर्च नहीं कर पाये इसलिये आर ई में उनका बजट काटा गया और काट करके 3,000 करोड़ रुपया बजट कम हो गया। अब आओ आप। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि नहीं, हमने तो केवल 70 करोड़ रुपये का डिफरेंस रखा। तो यह किन हैड्स में ? बताओ न, किस हैड में आपने बढ़ाया ? अगर इसमें किसी हैड में बढ़ाकर आपने अपनी पूर्ति की है तो जवाब दे दो। केवल यूं ही जवाब देकर कि हमने इसको पूरा कर दिया, यह नहीं है।

इस सरकार का बजट पेश करना, वाहवाही लेना, और अब की बार बड़ी वाहवाही ली कि 37 परसेण्ट बजट अप हो गया। कहां से होगा 37 परसेण्ट ? यह योजना आपकी 15,000 करोड़ की भी पूरी नहीं होगी, यह मेरी गारण्टी है। जो हमारा पिछली बार वाला साल था, 14,900-15,000 करोड़ रुपये हमने खर्च किया। वह भी आप पूरा नहीं कराओ तो प्लान बजट जो है, वह वास्तव में आपका पूरा नहीं होगा।

फिर आपने देखा क्या कि आपके पास आमदनी तो है कौड़ी और खर्चा कर रहे हो बेशुमार। हमारी आलोचना करते, चन्दनमलजी ने भी आलोचना की। हमारे खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी हुआ, आपको पता होगा। जब हम लोग 1990 से लेकर 1998 तक रहे और 1998 में जब आपकी सरकार आयी थी, चन्दनमलजी ने जब बजट रखा था तो कहा था, आपने कर्जे में इस राजस्थान को डुबो दिया और 23,000 करोड़ कर्जा कर दिया। एक श्वेत पत्र हमारे खिलाफ जारी हुआ।

उसके बाद आपने देखा होगा, मैं जो कह रहा हूं, इस साल की रेवेन्यू रिसीट है 42,463 करोड़ रुपये। इसमें से कितना परसेण्ट आपका एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो रहा है- तनख्वाह पर, पेंशन पर और बाकी जो दफ्तर को चलाना ? 38 परसेण्ट खर्चा तो आपका केवल इसमें हो रहा है। डवलपमेंट तो आपको कहां से मिलेगा? फिर आप इन दो किताबों को आप मिलाओ तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पिछली बार आपने रेवेन्यू घाटा 1408 करोड़ का रखा, इस बार के बजट में अभी जो आपने किताब दी है, वह 1408 करोड़ का घाटा कितना पहुंच गया? वह घाटा पहुंच गया 3992 करोड़। और किसका? रेवेन्यू रिसीट का। रेवेन्यू रिसीट 4 हजार घाटे में, 3992 का मतलब 4 हजार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही मान लीजिये। इस साल का जो बजट आपने पेश किया, इसमें जो रेवेन्यू घाटा बताया है 1098 करोड़ रुपये, इसका मतलब आपने दो साल के अन्दर रेवेन्यू घाटा कितना कर दिया, 5090 करोड़ रुपये। जबकि आपने देखा होगा कि भाजपा के इसके पहले के शासन में मात्र 795 करोड़ का घाटा था। अब नुकसान क्या होगा आपका? इसका नुकसान भी समझना चाहिए। केवल बात कहकर नहीं कि बहुत अच्छा काम किया। हमने भी कुछ काम पसंद किये, आपकी हमने प्रशंसा की, ताली बजायी। अच्छा काम होगा तो कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया है। हम उसको मन से स्वीकार करते हैं। मैं कम से कम उस स्वभाव का आदमी नहीं हूं, कोई अच्छा काम करे तो उसकी भी आलोचना करना यह मेरे स्वभाव में नहीं है। निश्चित रूप से जो जनता के हित में है, आपका और मेरा दोनों का धर्म बनता है कि हम उसकी रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए अपना काम करें।

सभापति महोदय, अब आपने देखा होगा, एफआरबीएम एक्ट है 2005 का, इस एक्ट में आपको तीन बातों के संबंध में पाबंद किया गया था 2005 के समय में। एक तो यह था कि आपका जो 31.03.2009 को रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व व्यय और राजस्व आय इन दोनों में जीरो डिफरेंस करेंगे, अर्थात दोनों को बराबर करेंगे। जितनी पूंजी होगी उतना ही काम करेंगे। इसके लिए आपको पाबंद किया गया था। इसके बाद कहा था कि आपका जो राजकोषीय घाटा है, यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। फिर बाद में इसका अमैंडमेंट हुआ, 3.5 हुआ और अब आपने जो बजट पेश किया, वह 3.5 में रखकर किया है। अब इसी के कारण से दूसरा क्या है कि जो कर्जा आप लेंगे वह आपकी रेवेन्यू रिसीट के दुगने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू रिसीट के दुगने से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब राज्य दिवालिया हो रहा है। अब देखिये, मैंने बताया, रेवेन्यू रिसीट आपका 42 हजार 3 सौ समथिंग है और आज की तारीख में जो आपका कर्जा जा रहा है, वह लगभग 96 हजार जा रहा है जो कि आपने अभी बीई में रखा है। एक्चुअल में 10-11 में यह एक लाख को क्रास कर जाएगा। इसका मतलब, 42 हजार का दुगना 84 हजार करोड़ तक का कर्जा लेना तो राज्य के हित में होगा। लेकिन इस एक्ट के तहत आप दिवालिया होने की ओर जा रहे हैं। 225 करोड़ का आपके ऊपर कर्जा होगा, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। जो अच्छे काम हैं उनको सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्वीकार करेंगे, लेकिन जो बजट की मंशा है, उस मंशा को ध्यान में नहीं रखकर अधिकारी घुमा-फिराकर किसी भी तरह से वाहवाही लूटने के लिए करते हैं तो इससे आपका और मेरा ही नहीं, इस प्रदेश की 6 करोड़ जनता का बुरा होगा। उसके कारण से जिस आशा से वे आपका बजट सुनते और देखते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, अब यह जो कर्ज की बीमारी है, जो मैंने आपको पहले कहा, हमने 24169 करोड़ छोड़ा और उसके बाद आप आ गये थे तो आपने छोड़ा 54903 करोड़ के ऊपर अर्थात् 24 से 54 हजार में बढ़ोत्तरी कितनी हुई, 120 प्रतिशत। कर्जे में बढ़ोत्तरी कितनी, 120 प्रतिशत हुई। उसके बाद वापस 2008 तक जो हमने कर्ज लिया वह हमने लिया 78114 करोड़ रुपये और हमारी जो वृद्धि थी वह 42 प्रतिशत थी। उसके बाद 2009 में पिछली बार 7 हजार का कर्जा अनुमानित किया था, वह अब एक्चुअल में आ गया, इस किताब में 10 हजार हो गया- 9900 समथिंग, इसका मतलब 10 हजार हो गया। इसको जोड़ लें तो 88014 करोड़ का कर्जा बन गया। उसके बाद 2010 में यह जो आपकी अभी लेटेस्ट किताब आयी, उसके आधार पर 96475 करोड़ का कर्जा है। अब आपका यह जो 2 वर्ष का कर्जा है, वह है 18400 करोड़ रुपये का। आप कर्जा लो, घी खाओ, मस्त रहो, जिसको रोना है वह रोएगा। प्रदेश इससे दुःखी होगा, कुछ भी होगा, अपने को कोई लेना-देना नहीं है। अपने को तो ताली बजाने के लिए जनता ने भेजा है। आप अपना फर्ज निभाएं, मैं मेरा फर्ज निभा रहा हूं। क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि हर पक्ष वाला तारीफ करेगा? हर विपक्ष वाला उसका विरोध करेगा? किसी अच्छे काम को अच्छा काम कहना भी हमारे स्वभाव में से लोकतंत्र में से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। इससे लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, कोई आश्चर्य नहीं है कि ऋण नहीं है। ऋण तो लेते हैं, हर सरकार लेती है। केन्द्र सरकार भी लेती है, हम भी लेते हैं। ऋण लेकर प्रदेश का डवलपमेंट अगर करें और हम अगर कोई प्रापर्टी बनाएं, हम अगर असैट्स क्रिएट करें, तब तो लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम कर्ज लेकर भी व्यवसाय करें और व्यवसाय में दो पैसे कमाकर कर्जा चुका सकते हैं तो कर्जा लेना कोई बुरा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिये आप, मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको इन किताबों के आंकड़ों के आधार पर यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सिद्ध कर रहा हूं कि पिछली सरकार ने कर्जा लिया और असैट्स तैयार करने का काम किया। आपने 1999-2000 में कर्जा लिया 4282 करोड़ और असैट्स हुए 35 प्रतिशत। उसके बाद आगे 2992 करोड़ लिये, असैट्स बने 46 प्रतिशत। 4955 करोड़ का कर्जा लिया और असेटस बने 37 प्रतिशत। उसके बाद 4630 का लिया असैट्स बने 33 प्रतिशत, उसके बाद 7479 करोड़ का लिया, 42 प्रतिशत बने। उसके बाद हमारी सरकार आयी तो मैं आपको बताता हूं, हमने कर्जा ज्यादा लिया। 6773 करोड़ का कर्जा लिया गया 2004-05 में, असैट्स क्रिएट हम 42 से उठाकर 51 पर ले गये। उसके बाद हमने कर्जा लिया लेकिन हमने 68 प्रतिशत परिसंपत्तियां बनायीं। उसके बाद आपने देखा 2006-07 में हमने जितना कर्जा लिया उतनी ही, शत-प्रतिशत, 101 प्रतिशत असैट्स क्रिएट कीं, पूंजीगत कोई सामान बनाया जिसकी वजह से हमको कोई इनकम हो। उसके बाद 2007-08 में भी हमने 109 प्रतिशत परिसंपत्तियां बनायीं तो हमने कर्जा लेकर प्रदेश को डुबोया नहीं। उसके बाद आप देखें, 2008-09 में हमारे टाइम में हमने 7166 करोड़ का कर्जा लिया और 82 प्रतिशत के असैट्स क्रिएट कर दिये। कर्जा लो, सरकार को चलाना है जनतंत्र में तो निश्चित रूप से कर्जा लेना है, पर इस बात को भी देखें कि कर्जा लेकर हम परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं या कर्जा लेकर घी खाकर मस्त हो रहे हैं। इन दोनों में अन्तर करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब आपको आश्चर्य होगा, अगर आप तुलना भी करें तो आप राज को नहीं समझेंगे क्योंकि मुख्य मंत्रीजी आपके हैं। तारीफ करना आपका धर्म है, करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको समझने के लिए वे तथ्य इसलिए रख रहा हूं कि वास्तव में सरकार कौनसी होती है और जनता ये हितों को ध्यान में रखकर काम कौन कर रहा है। इसका आपको अंदाजा किससे लगेगा? जीडीपी से लगेगा कि स्टेट की इनकम कितनी थी और आपने जीडीपी को कितना बढ़ाया। जीडीपी में मैंने तीन हैड रखे हैं, तीनों ही होते हैं- एक कृषि है, एक उद्योग है, एक सेवा क्षेत्र है। इन तीनों में भैरोंसिंहजी के टाइम पर 1993 से लेकर 1999 तक जो हमने असैट्स क्रिएट किये, कृषि में 113 प्रतिशत जीडीपी को बढ़ाया। आपने कितना बढ़ाया, 5 साल में 30 प्रतिशत। हमारी सरकार जो पिछली थी, उसने कितना बढ़ाया, 52 प्रतिशत। यह है कृषि की जीडीपी की ग्रोथ। उसके बाद उद्योग में हमने बढ़ाया 157 प्रतिशत, जीडीपी में विस्तार किया पांच साल में।

श्री सभापति: Would you please sum up now.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर आप यह चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पार्टी का समय है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजेन्द्रजी, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, आपके कटारिया साहब बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको बोलने दीजिये, मेरा यह हक है उनको कहने का ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह हमारी पार्टी का समय है ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिये कृपया ...(व्यवधान) कटारिया साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, नियम यह है कि अभिभाषण पर जब बहस होती है तो सत्तारूढ़ दल शुरूआत करता है, उनकी ओर से बोलता है। बजट पर जब बहस होती है तो प्रतिपक्ष की ओर से बहस की शुरूआत की जाती है। जो बजट की शुरूआत करने वाले लोग हैं, वे बजट की पूरी समीक्षा करते हैं इसलिए इस समय में पार्टी का जो समय है, उसमें समय की पाबंदी नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और बजट पर पूरी पार्टी की तरफ से समीक्षा कर रहे हैं इसलिए आप इनको बोलनें दें। जो समय है भारतीय जनता पार्टी का उसमें से कम हो जाएगा।

श्री सभापति: मेरा ख्याल है इतना टाइम इनको दे देते तो अच्छा रहता। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आभार आपका। मैं उद्योग की बात कह रहा था कि कांग्रेस के राज में 53 प्रतिशत जीडीपी में ग्रोथ हुई और पिछली वसुन्धराजी की सरकार में 99 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। सेवा क्षेत्र में भैरोंसिंहजी के टाइम पर 142 प्रतिशत की ग्रोथ हुई और आपके हुई 51 और पिछली सरकार हमारी थी वसुन्धराजी की, उसमें 70 प्रतिशत। अगर इनको टोटल लगाएं पूरा का पूरा तीनों में मिलाएं तो 135 प्रतिशत भैरोंसिंहजी के टाइम पर, 45 प्रतिशत आपके टाइम पर और 72 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर। यह जीडीपी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का ग्रोथ है, कोई न कोई तो आधार बताएं कि स्टेट प्रगति पर जा रहा है या पीछे हट रहा है।

(समय : 16.00 बजे)

सभापति महोदय, इसी तरह से आप देखें प्रति व्यक्ति आय। आखिर यह बजट हम बनाते क्यों हैं? ताकि लोगों की बहबूदी बढ़े, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, उनकी प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वह बढ़े, उसी लिए तो यह सारा बजट है। हमारे जो प्रश्न हैं, जो बहुत पीछे रह गये हैं, उनको कैसे ऊपर उठाएं और उनकी स्थिति कैसे बने।

आपने देखा होगा, 1999-2000 में जब आपकी सरकार थी उस समय प्रति व्यक्ति आय 13619 करोड़ थी। इससे पहले वाली थी 13208 और उसके बाद 13020 रह गई केवल, मायनस हो गई, यानि प्रति व्यक्ति आय में मायनस हुआ। हो सकता है अकाल के कारण से मायनस हुआ, कोई हर्जा नहीं। होना है, लेकिन परिस्थिति तो स्पष्ट हो जानी चाहिए।

इसी तरह से वर्ष 2001-2002 में 14098 हजार ग्रोथ हुई, यानि एकदम 1078 करोड़ की। इसके बाद 5 सालों का लें तो जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है उसमें 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अर्थात् 25 प्रतिशत 5 वर्षों में आपने बढ़ायी प्रति व्यक्ति आय। हमारे टाइम पर प्रति व्यक्ति आय 16874 थी जो लास्ट में हमने एण्ड किया तो 2701, अर्थात् हमारी जो ग्रोथ थी प्रति व्यक्ति आय में वह 12.72 प्रतिशत थी और पूरे के पूरे 5 वर्ष में आप अगर लें तो हमने 63.57 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया। तो बजट का मतलब यही है? जब तक जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, आप बांस लगा-लगाकर आदमी को जब तक खड़ा करेंगे, इससे कभी भी गरीबी नहीं जाएगी। गरीब को उसके पैर पर खड़ा करेंगे तो गरीबी जाएगी और भविष्य में कुछ उद्धार होगा। यह देखो, फिर आपने पिछली बार बजट पर बहुत तालियां पीटीं, सोचा, कमाल हो गया। अब की बार भी है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट में आपने 78 घोषणाएं की, कभी मुड़ कर भी नहीं देखा कि इनमें से पालना कितनी हुई। पालना हुई मात्र 13 की। अगर आप चाहें तो मैं बताता हूं- 10 नीति बनाने की घोषणा की, 1 भी नहीं बनी। 21 आयोग बनाने की घोषणा की, उसमें से 7 बने हैं, 21 संस्था भवन बनाने के लिए घोषणा की, 3 बने। 22 योजनाएं आपने पेश की थी, 3 बनीं। 4 कानून बनाने के लिए आपने उस बजट में घोषणा की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी, एक भी कानून नहीं बना। आप चाहें तो मैं डिटेल में बता सकता हूं कि कौनसी तो आपने घोषणा की और कौनसा बना और कौनसा नहीं बना।

इसके बाद आगे आप देखिए, जिस भर्ती को लेकर आप 1998 वाली सरकार लेकर आए थे, हमारे खिलाफ एक ही बात आपके हाथ में आ गई थी कि हमने रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल कर दी, उसके कारण से नौजवानों के मन में एक नाराजगी हुई कि मेरे भविष्य का क्या होगा। आपने एक नारा दिया था कि हम आएंगे तो 58 साल करेंगे, और वास्तव में आपने वह किया भी। पहली बैठक में किया, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन पूरे 5 साल में अगर आपने एक व्यक्ति की भी सरकारी नौकरी लगाई हो तो आप मुझे बता दें। पूरे 5 साल में एक भी व्यक्ति की नौकरी लगी हो। दुर्भाग्य से, या क्या हुआ, मैं नहीं कह सकता, इस बार भी पिछले बजट में आपने भर्ती की एक लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त निकाली थी कि हम 82 हजार लोगों को काम देंगे। पढ़कर कितना आनंद आया, तालियां बजाईं आप सबने। अब इसमें क्या निकला? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब मैं आपको डिटेल बताता हूं, मैं पहले आपको शिक्षा विभाग का बताता हूं। शिक्षा विभाग में आपने 17229 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती करने के लिए घोषणा की, एक भी भर्ती नहीं हुई। उसके बाद शारीरिक शिक्षक 1 हजार भर्ती करने थे, एक भी नहीं हुआ। उसके बाद मदरसा हेतु ढाई हजार सामान्य शिक्षक लगाने थे, आवेदन आपने ले लिये लेकिन भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई। इसके बाद उर्दू शिक्षक लगाने के लिये एक भी पद अभी तक नहीं भरा। यह मैंने नहीं बनाया है, यह सारा का सारा शिक्षा विभाग के प्रश्न के जवाब में है कि हमने 5 साल में 87683 लोगों को नौकरी दी केवल शिक्षा विभाग में। उसमें से आपके आंकड़े कौन से हैं? आपके आंकड़े हैं 2009-2010 के 102, बाकी आपका कालम खाली है। और ये 102 भी कौन से हैं? ये वे हैं जो मृतक राज्य कर्मचारियों के अगेंस्ट में नौकरी लगे। यह है आपकी नौकरी की स्थिति।

इसी तरह से आप देखें, आप घोषणा करते हैं, आप खुश होते हैं, होना भी चाहिए, आपका फर्ज है, मैं नहीं कह सकता। मैं उधर बैठता तो मैं भी आपका यही काम करता, मैं इसमें कोई न नहीं कहता। लेकिन इस सच्चाई को भी देखें कि जो हम घोषणाएं करते हैं, उनकी पालना आखिर कितनों की होती है और उसके कारण से नौजवानों के मन में कितनी निराशा होती है कि आपने हमें दिखाया है कि नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी और लगी एक भी नहीं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में आपने 26 घोषणाएं की थीं, उनमें से 6 ही पूरी हुई हैं, 3 आधी-अधूरी पूरी हुईं। यह सारी की सारी लिस्ट है, ये घोषणाएं हैं।

ये घोषणाएं लोगों को दिखाने के लिए होती हैं, एक्चुअल में जब बजट के बारे में सोचते हैं तो उस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। अब तो हद ही कर दी। आपने अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 27 में उनसे कहलवाया है कि भूजल स्तर की कमी के प्रति राज्य सरकार गम्भीर है। गम्भीर है। अब गम्भीर है तो 350 करोड़ रुपए आपके पास पड़े थे, खेत कुएं खोदने थे साढ़े दस लाख, इसमें तो केन्द्र सरकार का पैसा था, आपका तो नहीं था, आपने उसमें क्या उपलब्धि की? केवल 70 किसानों को। कितने, 70 ओनली, 70 किसानों के खेतों में कुएं बनवाये, बाकी आपका सारा का सारा पैसा डम्प पड़ा रहा, और इसलिए आपने इसको चेंज कराया। आपने यह कहा कि सवा तीन लाख का ही टार्गेट हमको दो, बाकी हम नहीं कर पाएंगे तो आपने सवा 3 लाख कर दिया। आपको चला कर पैसा दिया कि तो आप काम करो, लेकिन नहीं हो पाया।

इसी तरह से आपने देखा कि ग्रामीण जल परियोजनाएं हैं, इनमें केन्द्र से हमको पैसा मिला 771 करोड़ रुपए और जो सरेण्डर किया हमने 571 करोड़। सारे देश के राज्यों में से इस मद में केन्द्र से जो पैसा मिला था, उनका सरेण्डर कितना है, केवल 182 करोड़। और हम अकेले राज्य हैं, हमने सरेण्डर किया 571 करोड़। अपने हक का पैसा था जिसको अपन ने सरेण्डर किया।

आप आपने कहा कि हम बिजली बहुत पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी दा कर रहे हो, आप रोज नया-नया बताते हो। कितनी पैदा हुई उससे किसानों का कोई लेना-देना नहीं है उसके खेत पर कितनी बिजली पहुंची इससे उसका लेना देना है। अब इस धरातल पर अगर अपन नहीं सोचेंगे तो वह आदमी आपके आंकड़ों के मायाजाल को नहीं समझेगा कि बिजली कहां बन रही है और कहां आ रही है। उसको तो उसके खेत पर आती है तो समझ में आती है, बाकी नहीं आती। आप जिस तरीके से उसको समझाना चाहो, समझाओ, वास्तव में 2008 में हमने बिजली पैदा की। यह जो आपके कोटा थर्मल है, सूरतगढ़ है, रामगढ़ है, गिराल है, धौलपुर है, इन सबमें 145.25 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई थी 2008 में यह जो 2009 का वर्ष है, इसमें बिजली पैदा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कितनी हुई? इन्हीं सब स्टेशनों से? अगर आप नए स्थापित करते तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ेगी, भविष्य सुधरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी तो आप देखें कि चलता हुआ प्रोजैक्ट क्यों ठीक प्रकार से बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो 2009 में केवल 137 अरब यूनिट आपने बिजली पैदा की। यह स्थिति आकर खड़ी हो गई।

इसी तरह से आप देखेंगे, 20-सूत्री कार्यक्रम, अभी जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, आप उसका दुरुपयोग कर रहे थे। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वर्ष 2008 और 2009 में राजस्थान को 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बिलकुल हुआ। इसमें हमारी भी कुछ मेहनत थी कि नहीं थी? आप तो लास्ट के दिनों में आये, चमत्कार कर दिया होगा आपने तो आपने एकदम 3 महीनों में फटाफट पूर्ति कर दी होगी। कर दी, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि अगर आपकी प्रथम आने की मंशा होती तो आप इस 20-सूत्री कार्यक्रम को दफन नहीं करते। मैं आज आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम में जो पिछला वर्ष गया है इसमें 10 महीनों के अन्दर आप केवल 49 प्रतिशत पैसा खर्च कर पाए हैं और कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनमें 15 प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आप देखिए कि आपको एस जी एस वाई में 92 करोड़ रुपए मिले, आपने 54 करोड़ रुपए खर्च किये, केवल 50 प्रतिशत। उसके बाद इन्दिरा आवास में आपको 268 करोड़ रुपए मिले और आप मात्र 71 करोड़ रुपए खर्च कर पाये, 26 प्रतिशत आपकी उपलब्धि है। इसके बाद है डी पी ई पी, मरुस्थल विकास का जो कार्यक्रम है, 203 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, केवल 38 करोड़ रुपए खर्च कर पाये। पैसा हमारे पास था लेकिन हमारी मानिटरिंग नहीं होने से हम प्रथम आ गये, शील्ड लेकर खुश हो गये, फोटो खिंचवा ली कि हमने बड़ा तीर मार लिया। लेकिन आगे भी तो कुछ करो। इसके बाद आपने देखा होगा कि वाटर शेड डवलपमेंट प्रोग्राम में 446 करोड़ रुपए हमको मिले, इसके अगेंस्ट में हमने कितने खर्च किए, 40 करोड़ मात्र 10 प्रतिशत। सारों को आप देखें तो वाटर शेड डवलपमेंट में 103 करोड़, रुपए मिले, 51 करोड़ रुपए खर्च किए, 50 प्रतिशत। टैंथ फाइनेंस कमीशन का प्लान का 246 करोड़ रुपए मिला, मात्र 70 करोड़ रुपए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको 20-सूत्री कार्यक्रम में जो सहायता मिलती है, जो सहायता सीधे गरीब को मदद होती है, उसके व्यक्तिगत जीवन स्तर को ऊपर उठाने का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मौका मिलता है, उस पैसे की कोई मानिटरिंग नहीं करता। सब नरेगा में लग गये, क्योंकि एक नया काम शुरू हो गया। ऊपर से लेकर नीचे तक सब नरेगा, नरेगा। भविष्य में जब ऊपर जाएंगे तो सारी नरेगा छाती पर बांध कर फिर जाएंगे भगवान के यहां पर। एक ऐसा दुर्भाग्य। देश की जिस योजना के आधार पर हमने गरीबों को दो टाइम की रोटी देने का सोचा था, सारे लोगों ने मिलकर इसका कचरा करके एक तरह से इसकी दुर्गति कर दी और 20-सूत्री कार्यक्रम जिस रूप में सोच कर चलाया था उसको हमने सारा का सारा दफन कर दिया।

बजट आपने पेश किया उसको जरा गौर से देखो। इस बजट को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कर्जा कहां जा रहा है, हमारा रेवेन्यू रिसीट कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कितना है, इसमें आपको रेवेन्यू का घाटा कितना है, बजटीय घाटा कितना है। जो 7 हजार करोड़ रुपये हमने पिछले साल अनुमानित किया था, वह साल के अंत में 10 हजार करोड़ हो गया और अभी आपने 8 हजार 800 करोड़ का इसमें अनुमानित मान रखा है, यह आपका पता नहीं 12-14 करोड़ रुपये कहां पहुंचेगा। शिक्षा में आपने इस बजट में 18 परसेंट कमी की पिछले बजट से। इस बजट में एजुकेशन में 18 परसेंट की कमी की और अभी यह कानून पास हुआ है कि हर बच्चे को एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, उस बच्चे को स्कूल उपलब्ध कराना पड़ेगा, टीचर उपलब्ध कराना पड़ेगा। आप कहां से उपलब्ध कराओगे? सॉरी, मैं गलत बोल गया, शिक्षा में 29 परसेंट आपने कम रखा, 29 परसेंट। और जितना भी 18 परसेंट आपने कम किया। ग्रामीण विकास में जो पिछले साल का बजट था और इस साल का जो बजट है, बजट का आकार बढ़ाया है। आपने कहा, 37 परसेंट बजट का विस्तार किया, ताली बजाओ। सब ने बजा दी। लेकिन जो आवश्यक है, जिससे वास्तव में रूरल आदमी का विकास होता है, शिक्षा एक तरह से उसके लिए अनिवार्य है। आपने देखा होगा, ग्रामीण विकास में 25 परसेंट की कटौती हुई पिछले बजट से इस बजट में पशुपालन में आपने 20 प्रतिशत की कमी की बजट में। इसी तरह से पेयजल के अन्दर, आश्चर्यजनक, जो पिछला बजट आपने पेश किया था 8 जुलाई को और अभी आपने मार्च में 9 को पेश किया, उसमें आपने पेयजल के अन्दर 54.65 परसेंट की कटौती कर दी। अब आप कैसे राजस्थान की इस समय की आवश्यकता पूरी करेंगे? पेयजल के बाद, मैं सोचता हूं, कभी आवश्यकता आपको नहीं महसूस होती,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुझे नहीं महसूस होती, और सिंचाई में भी आपने पिछले साल की तुलना में 12 परसेंट की कमी की है। आपका यह जो बजट है 2010-2011 का, अब आप इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी वह काबिल मंत्री जो थे, उन्होंने महंगाई को जिस ढंग से आज पेश किया, आज देश और जनता आप पर, मुझ पर, सब पर तरस खाती होगी कि हमने कैसे जन प्रतिनिधियों को चुन कर भेजा कि वे कोई न कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कम से कम मेरी महंगाई कम होगी, मुझे दो टाइम की रोटी मिलेगी। मुझे कहते हुए बहुत दुःख है, आपको-मुझे अनुभव नहीं होता है कि वास्तव में किस तरह से आज के टाइम में व्यक्ति गुजारा करता है। इस हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है, जिस जनसंख्या की रोजाना की आमदनी 20 रुपये है। अगर आपको मैं 5 हजार रुपये दे दूं महीने का और मैं कहूं कि आप अपना परिवार चला कर बताओ तो आपकी आंखों में से पानी आ जाएगा। जब बच्चा अपने सामने आकर रोटी मांगेगा न, सब्जी मांगेगा तो आदमी हतोत्साहित हो जाएगा और कई बार तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि मैं अपने भूखे बेटों का कैसे पेट भरूं इस हालत में। यह क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने पिछली बार साढ़े 12 परसेंट वैट को 14 परसेंट किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप जरा कट शार्ट करें. There has to be a time limit. Half-an-hour you are going to take.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कोशिश कर रहा हूं।

श्री सभापति: Another two minutes.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी देर में हो सकता है।

श्री सभापति: I request you for two minutes.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह जो साढ़े 12 परसेंट से 14 परसेंट वैट किया न, इसका मतलब डेढ़ रुपये बढ़ा और डेढ़ रुपये का मतलब परसेंटेज के ऊपर आप जाओगे तो यह 11 पैसा बढ़ा है, 11 परसेंट बढ़ा है। यह जो आप गणित समझा रहे हो न कि 4 परसेंट वैट को हमने 5 परसेंट किया है, इसका मतलब 25 परसेंट वैट बढ़ा। 25 परसेंट वैट बढ़ा और इस 25 परसेंट वैट के कारण में सब चीजें आ गईं। 4 परसेंट से लेकर 5 परसेंट तक कोई भी आपने इसमें छोड़ी नहीं। तो इतना वैट जब लगेगा, महंगाई पहले से ही कमर तोड़ रही है, ऐसे समय में हम अगर वैट के आधार पर अपनी आय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा-सा ध्यान करें, और मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि एक बार इस पर विचार करें, गरीब के खाने के लायक चीज को अगर आप इसमें से छूट दे सकें तो कम से कम उसे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। अगर हमारे दो काम विकास के कम होंगे तो चल जाएगा लेकिन भूखे को दो टाइम की रोट मिल जाएगी, इतनी तो कम से कम हम मानवता रख ही सकते हैं। अब आपको लगेगा कि जो 4 परसेंट से 5 परसेंट किया है न, उसमें कम है। मैं तो कुछ ही आइटम लिख कर लाया हूं पर इसमें बहुत आइटम हैं, 277 या 234 आइटम हैं। चाय हुई है, गेहूं हुआ है, मैदा हुई है, मिठाई हुई है, सूजी हुई है, सनफ्लावर आयल हुआ है, दूध पाउडर हुआ है, चावल हुआ है, मिर्च हुई है, अचार हुआ है, पैन हुआ है। ये कुछ आइटम हैं, इन पर 4 परसेंट से आपने वैट 5 परसेंट का किया। यह गरीब आदमी काम में लेता है या कौन लेता है? गरीब आदमी के वैट के आधार पर सरकार चलेगी? दो काम नहीं, सड़क नहीं बनेगी, चलेगा। इस तकलीफ के समय में कम से कम उसको दो टाइम की रोटी मिल जाए, इसके बारे में तो विचार किया जा सकता है। आपने पिछली बार साढ़े 12 परसेंट से 14 परसेंट किया, उसमें तेल है, साबुन है, मिल्क प्रोडक्ट है, मंजन है, काली मिर्च है, जलजीरा है, गैस है, फर्नीचर और डिटरजेंट पाउडर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ......(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं उनको मैंने कुछ मन से स्वीकार किया है, इसको स्वीकार करता हूं। उसमें मैंने कहा कि यह दो रुपये किलो का जो गेहूं है, वह कम से कम उस गरीब का पेट भर देगा। उसके सब्जी नहीं बनेगी, नमक डालकर खा लेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मुझे बहुत दुःख है इतने साल की राजनीति करने के बाद भी। वह बच्चा शाम को छत पर किनारे आकर खड़ा होता है और पगडंडी देखता है मां-बाप की कि मजदूरी करके आएगा, दो किलो आटा लेकर आएगा। इसलिए इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं कभी इस बात को नहीं मानता हूं कि जो हमने कर दिया, अच्छा कर दिया। पर यह क्या तरीका है? इतना मुझे दुःख है, कई बार भावुक हो जाता हूं। आपने मूल निवास प्रमाण पत्र पर 10 रुपये का जो स्टाम्प हटाया, वह स्वागत योग्य है, उस बच्चे को कम से कम इतनी मदद तो मिलेगी। वाणिज्य कर में आपने सहूलियत दी, 5 लाख के बजाय 10 लाख का टर्नओवर करके उसको आपने मुक्त किया, बहुत अच्छी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बात है। इसी तरह से वाणिज्य कर में अभी आपने सहूलियत देकर व्यापारी को चोर कहलाने से बचाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का जो दम घुट रहा था एडेड लिस्ट में थीं, न तो अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है, न उसको पैसा मिलता है, न उनको छठा वेतन आयोग मिलता है, कुछ नहीं। आपने उनको आप्शन दिया है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में जाना चाहें तो अपना आप्शन देकर वे जा सकते हैं।

मैं सरकार को इस बात का भी धन्यवाद करता हूं कि देवास योजना उदयपुर की लाइफ लाइन है क्योंकि यह पानी बहकर समुद्र में जाता है साबरमती के माध्यम से अरब सागर में जाता है। इसको सुखाड़ियाजी जिस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने चार-फेज की योजना बनायी थी। लगभग 2 हजार एमसीएफटी पानी को पहाड़ों को चीरकर गिर में लाने से केवल उदयपुर की पूर्ति नहीं होगी, उदयपुर के नीचे जितना बैल्ट है, उसकी भी पूर्ति होगी। लेकिन अब आपने दिया कितना है? 50 करोड़ रुपये। यह 379 करोड़ की योजना है, अब तक इस पर एक सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, अभी 279 करोड़ खर्च होना है। इस साल डिपार्टमेंट ने 168 करोड़ रुपये मांगा था, अगर 168 करोड़ रुपये बनता तो टनल बन कर, एक बार डैम बन कर यह पानी आने की स्थिति बन जाती। उसको भी आपने नहीं करने की कोशिश की। अब आप विचार करें कि जब कभी हम बजट बनाते हैं, बनाएंगे तो कम से कम ......

श्री सभापति: Would you please sum up now? This is my request to you because you have taken ....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कर ही रहा हूं, एक मिनट। बस लास्ट है, कि सरकार आपकी रहे, चाहे हमारी रहे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान न करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कम से कम बजट बनाते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो सक्षम लोग हैं उनकी जेब से आप पैसा निकलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम राजनेताओं का उस समय ध्यान गरीब की तरफ नहीं होता है क्योंकि वह चुनावी चंदा नहीं देता है और जो सक्षम लोग हैं, इनको हम रियायत देते हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और रियायत देकर यह कहते हैं कि हमने वैट कम कर दिया। भले आदमी, वैट उसकी कम करो जिससे गरीब का बच्चा किसी तरह से जीवन में आगे बढ़ सके तो समझ में आएगा। अब राजस्थान की स्थिति क्या है? आपने देखा होगा सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान 20 राज्यों में 12वें स्थान पर है। इतने सब प्रयास करने के बाद, आपका इतना सब कुछ करने के बाद, 60 साल के लोकतंत्र के गुजर जाने के बाद में राजस्थान जीडीपी में हिन्दुस्तान में 20 राज्यों में से 19वीं पायदान पर जाकर टिका है। क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच बनेगी? कभी इसको आगे के लिए विचार करेंगे?

कृषि की दृष्टि से हमारी रैंकिंग क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, आल इण्डिया में हमारी रैंकिंग क्या है। कृषि में हमारी 12वीं रैंकिंग है, इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य में 13वीं रैंकिंग है, निवेश का माहौल बनाने में अपनी 16वीं रैंक है और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में हम 17वीं पायदान पर हैं। सर्व शिक्षा, इतनी स्कूल, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों की तुलना में बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से अपनी 11वीं रैंक। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 14वीं रैंक है, उपभोक्ता बाजार के हिसाब से अपनी 12वीं रैंक है, तो इसका मतलब हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। वास्तव में बजट का जो आधार होना चाहिए, वह आधार होना चाहिए कि जो हमसे पीछे हैं, उनको हम आमदनी की दृष्टि से कैसे स्ट्रेंथन कर सकें। यह जो ऊपर से डाल कर सहूलियत देते हैं न, इससे व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। मैं आज भी इस बात के लिए कि आपने स्कालरशिप निकाली बच्चों के लिए, पढ़ने की दृष्टि से उनकी स्कालरशिप को बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, बढ़ानी चाहिए। गरीब का बच्चा ……

श्री सभापति: Please sum up now. You have other speakers also. Please.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकिण्ड। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बजट को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि केवल तारीफ के पुल बांधने से या 113 बार ताली बज गई, इतनी बार बजी इससे काम नहीं चलेगा। बज जाती है क्योंकि आपका अपना घर है। आप निभाओ, मुझे कोई एतराज नहीं।

लेकिन जो बजट की हकीकत है, वास्तव में जो बजट का प्राण है वही आपने निकाल दिया। जब आप रेवेन्यू रिसीट ही कम करते जा रहे हो तो आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिवालियेपन की तरफ जा रहे हो। 308 करोड़ रुपया 2005-06 से हमको केन्द्र सरकार से एक्सेस मिलता था, वह हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण से मिलता था। हम रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जीरो पर लेकर आये थे और जो अपना घाटा था वह 3 प्रतिशत पर लाकर टिकाया था जिससे हमको 308 करोड़ रुपया हर साल एक्स्ट्रा मिला। पर अब आपको मिलने के कोई चांसेज नहीं हैं। अब 96 हजार तो मैं कह रहा हूं, पर जिस दिन यह आंकड़ा आएगा तब एक लाख को हमारा कर्जा क्रास कर जाएगा। 42 हजार रुपया हमारी आमदनी, एक लाख रुपये का हमारे पर कर्जा, फिर दिवालिया नहीं होगा तो क्या होगा? केवल ताली पिटाने के लिए 18634 करोड़ का बजट पेश करके 37 प्रतिशत अप किया, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता के आधार पर आप अपना परसेंटेज बताओगे तो निश्चित रूप से हर अच्छे काम में हम और हमारी पार्टी आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की साधारण गरीब जनता को हम कैसे ऊपर उठाकर अपने बराबर लाने की कोशिश करें। तभी तो हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। यही बात कह कर, सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल सदन में जो 2010-2011 का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। यह जन कल्याणकारी बजट है और इससे शानदार कोई बजट हो नहीं सकता था। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्धावस्था के हों, विकलांग हों, बीपीएल हों, किसान हों, हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। अभी उदयपुर से आने वाले हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य कटारिया साहब चर्चा कर रहे थे, 2010-11 का योजना का अनुमान 23822 करोड़ प्रस्तावित किया गया है जो योजना आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 के अनुमोदित आकार से 37 प्रतिशत अधिक है, यह बिलकुल सही है। कटारिया साहब ने कहा कि जो पहले घोषणाएं हुईं, जो पहले कही गईं, वो कितनी पूरी हुईं। मैं माननीय कटारिया साहब से कहना चाहूंगा कि आप 1990 से 1998 और 2003 से 2008 तक सत्ता में रहे और ऊर्जा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी रहे, आपने इस दौरान बिजली का कितना उत्पादन किया? बिजली का उत्पादन यदि सरकार करेगी, योजना विकास में

(श्री भगवान सहाय सैनी)

स्थायी परिसम्पत्तियां उत्पन्न करेगी तो निश्चित रूप से कर्जा बढ़ेगा ही। आपने आंकड़े प्रस्तुत किये, कि हमने स्थायी विकास किया, बिजली का उत्पादन किया, 2003 से 2008 के बीच में जयपुर को नया स्वरूप दिया। जो 10 साल पहले जयपुर आये और 2006 में जब जयपुर आये तो पता ही नहीं चला कि यह जयपुर वो ही है क्या जो पहले वाला था। जब इसमें पैसा इन्वैस्ट हुआ तो निश्चित रूप से कर्जा तो बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कर्जा जो बढ़ाया, उसकी परिसम्पत्तियां अर्जित की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पांच सितारा में बैठकर अलग जो पैसा जिस तरह से खर्च किया, वैसा खर्चा कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, बजट में ऊर्जा के लिए 2010-11 में 12434 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय प्रस्तावित किया गया है जो राज्य की वार्षिक योजना का 52 प्रतिशत है। यह एक बहुत अहम फैसला है, अहम प्रस्ताव है। कटारिया साहब, जो आप बजट की बात कर रहे हैं तो इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था। आज बिजली की जरूरत है। प्रदेश में ही नहीं, देश में बिजली की जरूरत है। जहां बिजली का उत्पादन अधिक है, बिजली उपलब्ध है चाहे वह बाहर से व्यापार करने वाला हो चाहे स्थानीय निवासी हो, सब को बिजली की आवश्यकता पड़ती है। बिजली के लिए जो 12434 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, इससे बिजली उत्पादित होगी और बिजली उत्पादित होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश की गतिविधियां इस तरह से बढ़ेंगी कि आम आदमी यहां बिजली का उपयोग कर सकेगा और बाहर से जो निवेश करने वाला व्यापारी है, बाहर के लोग हैं, वो भी यहां आना पसन्द करेंगे। 2009-10 में 945 मेगावाट की वृद्धि हो जाएगी। पिछली सरकार ने पांच साल में एक भी मेगावाट बिजली उत्पादन का संयंत्र नहीं लगाया, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। बजट में थर्मल पावर स्टेशन, कालीसिंध की पहली व दूसरी इकाई, छबड़ा की तीसरी और चौथी इकाई का कार्य संपादित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण कर लिया जाएगा जिसके फलस्वरूप 1860 मेगावाट की वृद्धि और हो जाएगी। इसी तरह 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 10260 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की सम्भावना है जिससे देश के इतिहास में राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य होगा। आज भी राजस्थान का बिजली उत्पादन में भारत में पहला नम्बर है और जब हम 10260 मेगावाट की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 10260 मेगावाट के आने की बात कर रहे हैं तो हम बिजली में बहुत आगे हो जाएंगे। मैं माननीय कटारिया साहब से कहना चाहूंगा

(श्री भगवान सहाय सैनी)

कि आपकी जब 2003 से 2008 तक सरकार थी तो 2004 से आपने अखबारों के माध्यम से, प्रत्येक अख़बार में पीछे पूरा पेज लेकर उसमें पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व ऊर्जा मंत्री की फोटो लगाकर कहा कि 2005 में हम बिजली में स्वावलम्बी हो जाएंगे। फिर 2005 में कहा कि 2006 में स्वावलम्बी हो जाएंगे। 2007 में कहा कि 2008 में बिजली के उत्पादन में स्वावलम्बी हो जाएंगे। केवल इश्तिहार लगाकर, लाखों रुपया सरकार का, जनता का एडवर्टाइजमेंट में देकर असत्य प्रचार किया गया और एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन आपने नहीं किया। जबकि पिछले कांग्रेस शासन 1998 से 2003 में 1750 मेगावाट का उत्पादन किया गया और इस वर्ष भी उत्पादन की जो घोषणा की है और क्रियान्वित की जा रही है, वो एक ऐतिहासिक क्रियान्विति है।

सौर ऊर्जा की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान राज्य पूरे देश में सबसे अधिक सम्पन्न है और सौर ऊर्जा नीति जारी करना अच्छा फैसला है।

चालू वर्ष में 64 हजार आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये गये हैं और 65 हजार कृषि कनेक्शन देना प्रस्तावित है, वो भी किसानों के लिए एक लाभदायक योजना है। कृषि कनेक्शन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति जारी की गई है, लेकिन मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब मांग का समय आए तो ट्रांसफार्मर, डीपी की कीमत 80 हजार रुपये किसान से लिये जाने का प्रस्तावित है, यह राशि बहुत ज्यादा है और इस कीमत में 50 प्रतिशत कमी किये जाने की आवश्यकता है। 80 हजार रुपये है इसकी कीमत 50 प्रतिशत करना जरूरी है। प्रति यूनिट जो 2 रुपया 10 पैसा की गई है, वह प्रति यूनिट भी कम किया जाना आवश्यक है। राज्य में प्रथम बार 765 केवी के दो जीएसएस फागी और अंता में स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है, और यही नहीं 33 केवी के 320 जीएसएस......

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पढ़कर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: अभी बोलने दें उनको।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, जब ये खुद कागज लेकर ऐसा करते हैं तो इनको तो दिक्कत नहीं होती है, इनको तो पता नहीं होता उस टाइम पर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पढ़कर बोलना अलाउ नहीं है।

श्री सभापति: देखिये, पढ़कर नहीं बोल रहे हैं, डेटाज देख रहे हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): डेटाज तो एक भी नहीं बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: देखिये, सभी आनरेबल मैम्बर्स हैं, वो डाटाज देखकर पहले भी बोले हैं।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): 765 केवी के जीएसएस फागी और अंता में स्वीकृत किये गये हैं और 33 केवी के 320 जीएसएस स्थापित करना प्रस्तावित है यह एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे गांव में बिजली जो काफी लम्बी दूरी से आती थी और बिजली की छीजत होती थी, उस छीजत में बचत होगी और किसान को कनेक्शन भी जल्दी मिलेगा, उसको वोल्टेज भी अच्छा मिलेगा। इससे किसानों को एवं हर आदमी को काफी फायदा होगा। बिजली कृषकों को 6 घंटे नियमित रूप से मिल रही है। बड़े गांवों में 18 घंटे और छोटे गांवों में 12 घंटे डोमेस्टिक लाइट मिल रही है। बीजेपी के राज में जगह-जगह धरने-प्रदर्शन लगते थे, अब पिछले 6 महीने से कहीं भी अख़बार में ऐसा नहीं आ रहा कि बिजली की कहीं कमी है या किसान धरना, प्रदर्शन कर रहा हो। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां गांवों में बिजली दिन में नहीं दी जा रही है, वहां पर दिन में बिजली दिये जाने की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना में जनवरी, 2009 से 26 हजार व्यक्तियों को लाभ मिला है और बीपीएल की भांति विधवा, वृद्ध एवं विकलांग को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है, वह एक बहुत अहम फैसला है। इससे सभी विधवा, वृद्ध और विकलांगों को फायदा होगा और वो अपना इलाज करा सकेंगे।

गरीब, वृद्धा, विकलांग और विधवा, तीनों इस श्रेणी के लोग हैं जिनको इलाज कराने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मुख्य मंत्रीजी ने गरीबों के लिए जो बीपीएल योजना चालू कर रखी थी, उसमें इन्हें शामिल करके बहुत अच्छा काम किया है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जीरियाट्रिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और जीरियाट्रिक केन्द्र ही नहीं, उसमें चिकित्सकों की भी व्यवस्था की जाएंगी जिससे बुजुर्गों को बहुत फायदा होगा। 108 एम्बुलेंस जो 150 और बढ़ाकर 314 करना प्रस्तावित किया गया है, यह भी अहम फैसला है और 150 एम्बुलेंस राजस्थान में और हो जाने से काफी जो दुर्घटनाएं नेशनल हाइवेज पर

(श्री भगवान सहाय सैनी)

या दूसरों रास्तों में होती हैं, तुरन्त उनको बड़े अस्पताल पहुंचा कर लोगों को काफी राहत मिलेगी। 500 स्वास्थ्य उप केन्द्रों में भवन निर्माण कराने का फैसला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 750 शैयाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है, चार जिला मुख्यालयों पर और 20 अन्य कस्बों में बढ़ोतरी की गई है। चौमूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी शैयाएं बढ़ाने की घोषणा की गई है, मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने चौमूं का ख्याल रखा। चौमूं विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत-बहुत आभारी हूं कि वहां पर बैड बढ़ाये गये। यही नहीं, चार जिला मुख्यालयों और 10 अन्य कस्बों में ट्रोमा इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसमें चौमूं भी शामिल है। ट्रोमा इकाई की स्थापना प्रस्तावित होना और जब उनको स्थापित किया जाएगा, ये सब लगभग नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के कस्बे हैं, इनमें जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, तुरन्त उनको ट्रोमा इकाई तक पहुंचा कर जान बचाई जा सकती है, तो इससे काफी फायदा होगा। 15 आयुर्वेद औषधालय, पांच होम्योपैथिक तथा 10 नये यूनानी औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ... मारेंगे तो हमारा साथी उतार दिया।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ब्लड नहीं निकलवाएंगे तो अस्पतालों में ब्लड आएगा कहां से? 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 750 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रस्तावित करना, 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 500 रुपये प्रस्तावित करना और पति-पत्नी को 1,500 रुपये मासिक पेंशन प्रस्तावित करना, यह एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे बुजुर्गों को काफी फायदा होगा, उनको राहत मिलेगी। विधवा एवं विकलांग पेंशन की दर भी 400 से 500 रुपये की गई है, यह भी एक अहम फैसला है। पेंशन दरों में बढ़ोतरी के कारण लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

सभापति महोदय, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी 8,000 से 10,000 रुपये की पेंशन देना प्रस्तावित किया गया है। जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जिनकी उम्र आज 60 साल से लेकर 100 साल तक है, ऐसे बुजुर्गों का पैसा अधिक बढ़ने से उनको काफी लाभ मिलेगा।

राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों हेतु 721 छात्रावास

(श्री भगवान सहाय सैनी)

संचालित हैं, आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्र में ऐसे 41 छात्रावासों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 किया जाना प्रस्तावित है। यही नहीं, राज्य के 33 तहसील मुख्यालयों पर जहां छात्रावास नहीं हैं, वहां पर नये खोलना प्रस्तावित है। इससे एससी, एसटी और ओबीसी के जो भी छात्र हैं, उनको पढ़ने की सुविधा होगी और वे आगे बढ़ सकेंगे।

इस बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 5,187 ढाणी और मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिए 3,354 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है जो स्वागत योग्य है। जब ये स्वीकृत हो जाएंगे तो राजस्थान में पहली बार कोई ढाणी किसी स्कीम के अन्तर्गत जुड़ेगी। यह ऐतिहासिक फैसला होगा और इससे किसानों को, आम आदमी को काफी फायदा होगा। आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा 1,350 किलोमीटर की 19 सड़कों पर 2,100 करोड़ रुपये खर्च होना अनुमानित किया गया है। रिडकोर द्वारा 263 किलोमीटर की छह सड़कों पर 750 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित किया गया है। वी.जी.एफ. योजना के तहत राज मार्गों में 1,891 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। भारत सरकार की वी.जी.एफ. योजना के तहत बी.ओ.टी. के आधार पर 1,378 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्गों पर 3,445 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। सुओमोटो योजना के तहत 323 किलोमीटर की चार सड़कों पर 275 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। नाबार्ड के सहयोग से 160 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी लेकिन...

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं करें। माननीय सदस्य को अपना बोलने दें भाषण।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, बजट में मिसिंग सड़क का प्रावधान नहीं रखा गया है, मिसिंग सड़क का भी प्रावधान किया जाए। जब मांग पर चर्चा आए तो उसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इस बात का ध्यान रखें।

इस सरकार ने यही नहीं, व्यापारियों के लिए काफी राहत प्रदान की है। इसके लिए कटारिया साहब ने भी धन्यवाद दिया है। मैं उनका आभारी हूं कि कुछ बिन्दुओं के लिए तो उन्होंने कम से कम धन्यवाद दिया। व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न का व्यापक सरलीकरण करना प्रस्तावित किया है। इसके साथ नौ में से छह दस्तावेज को हटाना सराहनीय है। वैट दर जो बहुत विस्तृत है, को जमा कराने की आवश्यकता नहीं करना प्रस्तावित किया गया है। इससे

(श्री भगवान सहाय सैनी)

70,000 व्यापारियों को राहत मिलेगी। वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना प्रस्तावित है, इससे लगभग 11,000 व्यापारियों को पंजीयन दायित्व से मुक्ति मिलेगी।

हैण्डीक्राफ्ट में काम आने वाली सफेदा एवं अडूसा लकड़ी की कर दर को 14 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, हैण्डीक्राफ्ट में काम आने वाली सफेदा एवं अडूसा लकड़ी की कर दर को कम कर दिया लेकिन हैण्डमेड पेपर पर वैट लगाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। अन्य राज्यों में भी हैण्डमेड पेपर पर वैट कर नहीं है। राजस्थान में भी हाथ से बनाये जाने वाले पेपर को वैट कर से मुक्त किया जाए जिससे सांगानेर में स्थित हैण्डमेड पेपर इकाइयां जीवित रहें। वैट टैक्स चार से पांच प्रतिशत बढ़ाया गया है, कटारियाजी सही कह रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया क्लोज-अप करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): इसे कम किया जाना चाहिए। इसकी बजाय शराब, तम्बाकू, सिगरेट और पांच सितारा होटलों पर टैक्स बढ़ाकर इसकी पूर्ति की जानी चाहिए जिससे आम आदमी पर बोझ नहीं पड़े।

पत्रकारों के लिए जयपुर के समान अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूखण्ड देना प्रस्तावित किया गया है। मेरे चौमूं में भी कई सालों से यह योजना पेंडिंग चल रही थी, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि पत्रकारों के लिए उन्होंने पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं के लिए कहा है कि वे भूखण्ड रियायती दर पर देने की योजना बनाएंगे।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व-सैनिकों को भी पेंशन 800 से 1,200 रुपये बढ़ाई गई है, इसमें 7500 पूर्व-सैनिकों और उनकी पत्नियों को फायदा होगा।

जयपुर, जोधपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के लिए पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू करना भी जन हित में होगा। 19 पुलिस जिलों में महिला पुलिस थाना नहीं है, अभी पांच जिलों में इस वर्ष खोलना प्रस्तावित किया गया है। जिला स्तर पर पुलिस थाना उपलब्ध होंगे तो महिलाओं को उनको एफ.आई.आर. दर्ज कराने में या उनकी कोई भी...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): इसमें फायदा होगा। राज्य में राजीव आवासीय योजना में कच्ची बस्तियों को नियमित करके उन्हें मकान आबंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

एक मई, 2010 से बीपीएल परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं, 4.70 रुपये किलो की बजाय दो रुपये किलो में गेहूं उपलब्ध कराने का जो प्रस्ताव किया गया है, वह अहम फैसला है। इससे आम गरीब आदमी को, बीपीएल को काफी राहत मिलेगी।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान काफी प्रभावशाली रहा और इसमें राजस्थान की लाखों जनता को खाने के लिए शुद्ध मिला। जो गलत चीज मिलाते थे, जहर मिलाते थे, मावा में यूरिया मिलाते थे, ऐसे लोगों से काफी राहत मिली है।

पशुपालन के माध्यम से किसानों को काफी राहत देने की घोषणा की गई है। 1,862 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। 100 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में और 71 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाना, 100 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को स्थापित करना और 100 पशु चिकित्सकों और 225 पशुधन सहायकों की नई नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव है। पशुधन सहायक काफी लम्बे समय से, पिछले तीन-चार साल से काफी संघर्ष कर रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): इसलिए यह भी इससे किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों के लिए डीएपी के अग्रिम भण्डारण की जो व्यवस्था पिछले साल थी, 2.60 लाख मैट्रिक टन का भण्डारण पिछले साल किया गया और तीन लाख मैट्रिक टन डीएपी तथा एक लाख मैट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण किया जाना प्रस्तावित है, इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करके वहां से यह वितरण व्यवस्था की जाएगी उससे भी काफी राहत मिलेगी।

गांवों के विकास के लिए शहरों की भांति सुनियोजित तरीके से भावी आवश्यकताओं को देखते हुए जो मास्टर प्लान योजना प्रस्तावित की है, यह योजना गांवों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कहां बस स्टैण्ड बने, कहां रोडवेज का डिपो हो, कहां पर अस्पताल हो, कहां पर सरकारी आवास हो, सारा उसमें होगा तो उसमें लोग जहां-तहां बना लेते हैं उसको तोड़ना पड़े, इस तरह की बात नहीं होगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, घंटी बजने से पहले।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कुछ मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं, वह बताता हूं। चौमूं में सैटेलाइट हास्पीटल व कालाडेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किये जाने का निवेदन है। पीएचसी जो पांच हजार से अधिक आबादी के गांवों में है, वहां केवल एक चिकित्सक रहता है, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां एक महिला चिकित्सक का पद भी सृजित किया जाए तो इससे महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। एसएमएस हास्पीटल में सीटी स्कैन की केवल एक मशीन है और अभी पिछले पन्द्रह दिन वह खराब रही, एक्सीडेंट होकर जो पेशेंट आये उनको दुर्लभजी में रैफर किया गया, वहां सीटी स्कैन करा कर आते थे। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कम से कम दो सीटी स्कैन मशीनें एसएमएस हास्पीटल में होनी चाहिए।

साठ वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को बिना शर्त वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। कितनी ही महिलाएं ऐसी हैं जिनके बेटे हैं लेकिन वे उनको खाना वगैरह नहीं देते हैं, तो ऐसी महिलाओं को इससे काफी राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग ने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सर, दो मिनट। कृषकों के फ्लैट रेट, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

यह चौमूं बाई पास की जो मांग कर रहे हैं, पन्द्रह साल से चल रही है, आपने दस साल पहले और पांच साल अभी पिछला राज कर लिया, बाई पास सैंक्शन करवा दी है, दो महीने में उसका काम चालू हो जाएगा।

कृषकों के लिए फ्लैट रेट जारी रहे, बिलिंग मीटर बंद किये जाएं, फ्लैट रेट के स्थायी आदेश जारी हों। पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज में जिन फ्लेट रेट पर मीटर लगा दिया गया था तो सरकार ने अस्थायी आदेश दिया था कि इनका बिल तो फ्लैट में दिया जाए लेकिन मीटर सिस्टम में बिल में जोड़ा जाए, वह यथावत् चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन किसानों के फ्लैट रेट है, उनके फ्लैट रेट के स्थायी आदेश जारी हों, उन पर तलवार लटकी रहती है, चाहे जब अधिकारी उसको मीटरिंग कर देते हैं, चाहे जब उसको फ्लैट कर देते हैं। यह फ्लैट रेट स्थायी आदेश हो। ए, बी करने पर, एक से दूसरा कनेक्शन लेने पर, शिफ्टिंग करने पर या नाम परिवर्तन करने पर बिलिंग प्रक्रिया, जो मीटर प्रक्रिया चालू

(श्री भगवान सहाय सैनी)

की जाती है, वह नहीं की जाए, फ्लैट रेट वाला फ्लैट ही रहे, ये आदेश किये जाएं। फ्लैट रेट वाले कृषकों की डी पी कुए पर ही ठीक हो तथा अन्य सभी डी पी जल जाने या खराब हो जाने पर 33 केवी जीएसएस पर ठीक करवाने व बदलवाने का प्रावधान किया जाए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): गांवों में विद्युत कनेक्शन खोला जाए। राजस्व ग्राम की सीमा पांच सौ मीटर तक की कनेक्शन देने को हटा कर गांवों में सभी नये उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान किया जाए। शहरी कालोनियों में डीएल कनेक्शन देने की नीति को सरल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए जेडीए, आवासन मण्डल, अन्य प्रन्यासों द्वारा जमीन विक्रय की राशि में से पन्द्रह प्रतिशत राशि देने का अनिवार्य किया गया है, चौमूं नगरपालिका...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): चौमूं उप नगर कस्बा है, इसको विशेष श्रेणी में शामिल करके कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये की राशि दी जाए।

श्री सभापति: डाक्टर दिगम्बर सिंह। कृपया बैठिये आप। डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सर, दो मिनट। चौमूं में जेडीए द्वारा 2003 में स्टेडियम आरक्षित किया गया था...

श्री सभापति: कृपया बैठिये आप।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त करके फार्म हाउस में बेचने का निर्णय लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन करके, विरोध करके फार्म हाउस योजना पर जिला कलक्टर से स्टे करवाया। अब चौमूं में स्टेडियम निर्माण करवाने के आदेश जारी करवाये जाएं। चौमूं विधान सभा क्षेत्र जयपुर राजधानी का उप नगर है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग में कर्मचारियों की संख्या काफी लम्बे समय से नहीं बढ़ाई गई है। चौमूं, सामोद, कालाडेरा व गोविन्दगढ़ थानों में

(श्री भगवान सहाय सैनी)

पुलिसकर्मियों की संख्या वर्तमान से दुगनी की जाए। चौमूं में रोडवेज डिपो और केन्द्रीय विद्यालय, शिक्षा मंत्रीजी प्रस्ताव भेज कर करवाएं। मैट्रो रेल परियोजना को जयपुर शहर से चारों ओर चालीस किलोमीटर परिधि तक, चौमूं-गोविन्दगढ़ तक चलाने के लिए योजना बनाई जाए। चौमूं-गोविन्दगढ़ से जयपुर की ओर रोजाना बीस-पच्चीस हजार लोग अप-डाउन करते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुन: मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: कृपया बैठिये आप। माननीय सदस्य, कृपया बैठिये अब आप। कृपया बैठिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा दिये गये समय में ही अपनी बात मैं कह पाऊं, परन्तु फिर भी मेरा टाइम खतम हो तो मुझे इशारा कर देना मात्र आप। (व्यवधान) हां, थोड़ा सा, पड़ोसी होने का थोड़ा-सा तो मुझे भी लाभ मिलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन निष्पक्ष होता है, सभापति महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट वित्त मंत्री की हैसियत से इस सदन में पेश किया, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नीरस, महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला, किसान विरोधी, छात्र विरोधी और एक मध्यम वर्ग के परिवार पर आर्थिक बोझ डालने वाला बजट हो नहीं सकता। सभापति महोदय, आज सुबह भी महंगाई के ऊपर एक बहुत गम्भीर चर्चा सदन के अन्दर होनी थी परन्तु जिस तरह का माहौल सदन में रहा, मैं समझता हूं हम सब के लिए कोई अच्छी, शोभनीय बात जनता के बीच वह नहीं लगेगी कि ऐसे गम्भीर मुद्दे को भी हम गम्भीरता से डिस्कस नहीं कर पाये। परन्तु इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आज केवल राजस्थान ही नहीं परन्तु पूरा देश महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, हमें उम्मीद थी कि इस बजट में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान की गरीब जनता को कुछ राहत पहुंचाएंगे। एक आम आदमी को, मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनको मुख्य मंत्री महोदय कुछ राहत देंगे।

(डा. दिगम्बर सिंह)

परन्तु सभापति महोदय, हुआ बिलकुल उलटा और ऐसी-ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ाने की स्थिति इस बजट ने कर दी जिसके बारे में कभी हम सोच नहीं सकते थे।

पिछली बार जब सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा था तो सत्ता पक्ष के हर माननीय सदस्य ने करीब-करीब इस बात से शुरूआत की थी कि हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हमने एलान किया है कि हम पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढाएंगे परन्तु इसी बजट में सौ यूनिट से ज्यादा काम लेने वाले व्यक्ति के ऊपर...

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): वह कृषि के लिए थी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): दस पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज... (व्यवधान) सभापति महोदय, इसमें आपके लोग भी आएंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरचार्ज अगर लगाना ही था तो कम से कम 250 यूनिट के ऊपर इसको लगाते। सौ यूनिट का खर्चा तो एक आम परिवार का, एक मध्यम वर्ग के लोगों के भी, मेरे ख्याल से, परिवार में आ जाता है। इस तरह से घोषणा करने के बाद जबरदस्ती के टैक्स थोपना, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है और यह राजस्थान की जनता के साथ अच्छा न्याय नहीं किया गया है। डीजल-पैट्रोल में कुछ रियायत दिलाते, उस बात का इस बजट में कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। मुझे तो बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बिलौने की खल पर भी पांच प्रतिशत वैट लगा दिया। वह किसान नहीं है? कौन खाता है, कौन पैदा करता है बिलौना? कहां काम आता है बिलौना, यह सब आप लोग जानते हैं कि किसान ही काम में लेता है बिलौना को। बिलौना पर अगर पांच प्रतिशत आपने वैट लगाया तो आपका दूध भी महंगा होगा, हर चीज में महंगाई आयेगी। मैं समझता हूं, ऐसी चीजों के ऊपर जिन पर टैक्स कभी था नहीं, पांच प्रतिशत टैक्स लगा कर किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है।

अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कल कि ढाई लाख से कम के जो व्हिकल, चार-पहिया वाहन आएंगे उन पर..(व्यवधान) नहीं, अब मैंने पूछा कि ढाई लाख के हमें तो कहीं मिल नहीं रहे चार-पहिया वाहन, एक नैनो को जरूर सुना था वह मिल जाय कम की।

अब तो मारुति-800 भी बंद हो गई, वह गाड़ी तो बंद हो चुकी है और

(डा. दिगम्बर सिंह)

उसका जो लोएस्ट माडल आता है अल्टो, मेरे ख्याल से उसकी भी तीन लाख के करीब-करीब कीमत है। इन पर इतना पैसा बढ़ाना मध्यम वर्ग के परिवारों के ऊपर एक आर्थिक बोझ डालना है। मेरा निवेदन यह है, इसको कम करना चाहिए। अभी हम ना पक्ष लाबी में बैठे थे उस समय टी.वी. पर एक लाइन आ रही थी...

श्री सभापति: डाक्टर साहब, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: मैं समझता हूं, आप सबकी सहमति है। ठीक है सदन का टाइम बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, अभी हम ना पक्ष लाबी में बैठे थे, टी.वी. देख रहे थे तो उस पर आ रहा था कि कुछ 4-5 आइटमों के ऊपर जो 5 प्रतिशत वैट किया था, वह 5 प्रतिशत से घटाकर वापस 4 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं समझता हूं, कि एक बार जब यहां पर बजट की घोषणा हो गई हो तो वह इस सदन की सम्पत्ति हो गई और सदन में बिना डिस्कशन के अगर बाहर जाकर इसको घटिया जाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की कहीं-न-कहीं इसमें नीयत ठीक नहीं है। यह बिलकुल गलत है। यह प्रिविलेज है इस हाउस का, इस हाउस में डिस्कशन के बाद ही कुछ इस पर यह होना चाहिए।

सभापति महोदय, आज महंगाई के वक्तव्य पर जब चर्चा हो रही थी, केवल गेहूं की बात हुई। सभापति महोदय, केवल गेहूं महंगाई की बात नहीं है, आज हर चीज इतनी महंगी हो गई कि आदमी दाल से रोटी नहीं खा सकता, बच्चे को गुड़ की डली नहीं दे सकता, चाय में चीनी नहीं डाल सकता। मसाले महंगे हो गए, हर चीज जो आम आदमी के घर में काम आती है। अब तो ऐसा लगता है, हर मध्यम परिवार को भी किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना

(डा. दिगम्बर सिंह)

पड़ेगा। क्योंकि उसमें वैट कम कर दिया। घर पर जो काम आती थीं चीजें, उन पर वैट बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट में कम कर दिया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है इस बात को देखकर।

अभी माननीय कटारिया साहब ने बजट की और इनकी वार्षिक योजना है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया। आज एक क्वेश्चन जो सुबह-सुबह लगा था, उसमें भी बजट की पोल खुली, वह भी सब लोगों के सामने थी। परन्तु सरकार की यह फितरत में है, जब ये घोषणा करते हैं अपनी योजना की तो बहुत बढ़ा-चढ़ा कर करते हैं कि हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है। परन्तु जब नीचे आते हैं, धरातल पर आते हैं तो पता लगता है कि वह योजना जो कुछ घोषणा की थी, वह कुछ और थी और कटौती करते हुए यह योजना कहां आकर समाप्त हुई। इसी में, 2009-10 के बजट में जो इनकी योजना थी 18 हजार 634 करोड़ की, इसमें कौन-कौन से विभागों में कितना-कितना आकार इन्होंने कम किया? 3 हजार 44 करोड़ कम हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं चिकित्सा-स्वास्थ्य में 139 करोड़ का, ऊर्जा में 95 करोड़ का, ग्रामीण विकास में 19 करोड़ का और कृषि में 217 करोड़ का। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणा वही करनी चाहिए, जो क्रियान्विति कर सकें। केवल झूठी वाहवाही लेने से मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता का कोई भला नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैंने पूरे बजट को बड़े ध्यान से सुना और पढ़ा भी। मैं सोचता था कि बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई चीज आएगी, पर न तो कोई स्कूल, न कोई स्कूलों के क्रमोन्नयन की बात। एक बात जरूर आई कि जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चियां मैरिट में टाप तीन में आएंगी, उनको विदेश में पढ़ने की सुविधा। मैं कहता हूं कि आज हमारे राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, सरकारी स्कूल में जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या उनके मां-बाप इस बात को सोच सकते हैं कि हमारी बच्ची को विदेश में हम भेज पाएंगे? उसको अच्छी शिक्षा हमारे देश में हम दें, हमारी शिक्षा का स्तर हम खुद बढ़ाएं। हम विदेश की तरफ अपने बच्चे को भेजने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी उस तबके को बेचारे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, उनके बच्चों को विदेश भेजने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप अपने स्तर पर सुधारिए शिक्षा को, अपने स्कूल में टीचर्स लगाइए, आप अपने अच्छे स्कूलों को क्रमोन्नत करिए, बच्चों का स्टैण्डर्ड आफ एजुकेशन बढ़ाइये, तब तो कुछ

(डा. दिगम्बर सिंह)

बनती है। केवल भ्रामक-सी एक लाइन उसमें लिखकर मैं समझता हूं, हमारे बच्चों के साथ में बहुत अन्याय किया है।

अभी अनुदानित पाठशालाओं की बात भी इस बजट में आई थी, मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि अनुदानित स्कूल थे इनको बंद करना ठीक है, परन्तु इनके टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देने वाली बात, उनका विकल्प भी लेंगे, उनको सरकारी स्कूलों में खपत करेंगे, तो जो नये बच्चे आ रहे हैं, जो बी.एड. कर-करके बैठे हैं, बहुत दिनों से अपने थैले में, पोलीथिन के बैग में मार्कशीट और पूरा पुलिंदा लेकर घूमते हैं उनके एम्प्लायमेंट का कोई चांस नहीं है।

इतना लम्बा चौड़ा चिठ्ठा इस पूरे बजट के अन्दर इसमें कहीं रोजगार देने की बात नहीं कहीं गई हैं। हमारी बेरोजगारी का कि आलम है, पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार यहां तक कि आईटीआई, पोलीटैक्निक किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, एमबीए किए हुए बच्चों को आज रोजगार की दिक्कत आ रही है, मारे-मारे घूम रहे हैं। रोजगार का इसमें कोई जिक्र तक नहीं किया है। एक बात जरूर कही थी वह कौनसी इण्डस्ट्री की बात थी कि वहां के लोकल लोगों को प्रतिशत उसमें रोजगार देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से उदयपुर के लिए सीमित है पचास प्रतिशत। मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जिस-जिस क्षेत्र में भी बड़ी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको बाध्य करना चाहिए, वहां के लोकल लोगों को एम्प्लायमेंट देना उनका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीनें किसानों से लेकर हमने इण्डस्ट्रीज खुलवा दी, उनके बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम उस इलाके में उनको मजदूरी मिल जाए, उनको दो टाइम की रोटी तो उपलब्ध हो जाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा विभाग में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं, अभी माननीय सैनी साहब ने एक पेज से लेकर करीब करीब पूरा ही पढ़ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिन्होंने धन्वन्तरि योजना शुरू की। इस महत्वपूर्ण योजना में पहली बार 164 एम्बुलेंस आई थीं 108 की, जो आज राजस्थान के कोने-कोने में आप लोग देख रहे हैं। ये उस समय की एम्बुलेंस हैं। पिछले बजट में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि 150 एम्बुलेंस हम खरीदेंगे। आज फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, 150 खरीदीं? इस वर्ष में एक भी एम्बुलेंस नहीं खरीदी गई है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, केवल घोषणा करना

(डा. दिगम्बर सिंह)

ही अगर काम है तो बात अलग है। इस एम्बुलेंस के लिए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की चिट्ठी गई सारे विधायकों के पास कि आप अगर अपनी कान्स्टीट्युएंसी में 108 एम्बुलेंस चाहते हैं तो 15 लाख रुपये आप अपने कोटे से जमा करा दें। सरकार क्या बिलकुल नंगी हो चुकी है? सरकार अगर ऐसी महत्वपूर्ण चीज में भी बजट की कटौती कर रही है जिसमें कितनी जानें बचाई गई हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, इन्होंने बजट में लिखा हुआ है पैरा नम्बर-53, सैनी साहब, खोल लेना 53 नम्बर का पैरा, उसमें लिखा है, भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में ट्रोमा यूनिट स्थापित की जाएंगी। भरतपुर का मैं रहने वाला, सीकर के रहने वाले हमारे कामरेड यहां बैठे हैं, श्रीगंगानगर के बैठे हैं, ट्रोमा यूनिट शुरू हुए तीन साल हो गये, सभापति महोदय, और आज घोषणा करवाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या मुख्य मंत्रीजी को फीड बैक मिलता है? यह मेरी समझ से बाहर है। इसी के पैरा नम्बर-52 में लिखा है, ब्यावर, अलवर, पाली जहां-जहां के माननीय सदस्य बैठे हैं वह सुन लेना, ब्यावर, अलवर, पाली, प्रतापगढ़ में तो बर्न यूनिट हैं। इनके अलावा जिला चिकित्सालय ब्यावर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बूंदी, चूरू एवं जैसलमेर में रिहैबिलिटेशन सेंटर और आई.सी.यू. के लिए इन्होंने कहा है कि ब्यावर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, चूरू, टौंक, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, नागौर एवं राजसमन्द के जिला चिकित्सालयों में आईसीयू स्थापित की जाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप यहां से जांच कमेटी बनाकर भेज दीजिए, इनमें से एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें आज आईसीयू उपलब्ध नहीं हो। सारे जिला चिकित्सालयों में आज आईसीयू उपलब्ध हैं। तो इस तरह की भ्रामक घोषणाएं अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं तो मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है।

(समय : 17.00 बजे)

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि मेडिकल कालेज से अटैच जो हास्पिटल्स हैं, उनमें एक हजार के करीब बैड स्ट्रैंथ बढ़ायी जाएगी। बैड बढ़ाने की जहां तक बात है, आज अगर हमारे गांव के आदमी को बेड नहीं मिलता है तो बेचारा जमीन पर अपना इलाज करा लेता है, कोई दिक्कत की

(डा. दिगम्बर सिंह)

बात नहीं है। हमें आवश्यकता है वहां पर डाक्टर्स की, हमें आवश्यकता है वहां पर पैरा मेडिकल स्टाफ की, हमें आवश्यकता है वहां दवाइयों की और उपकरणों की। केवल शैया बढ़ायी हैं, शैयाओं की बढ़ोतरी करने से गरीब आदमी की सेवा या गरीब आदमी का इलाज नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छी घोषणा जिसका स्वागत भी करता हूं मैं। कटारियाजी भाई साहब ने तो कई चीजों का स्वागत कर दिया पर मैं तो एक चीज का करूंगा। पैरा नंबर 99 है इसका, 'सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने वाली महिलाओं को गरम भोजन दिया जाएगा।' माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में पांच किलो घी की घोषणा की गयी थी, अभी तक एक किलो डालडा भी नहीं मिल रहा है। अब घोषणा की है कि प्रसव के दौरान उनको गरम खाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिया जाएगा। सभापति महोदय, चाहे पक्ष के बैठे हों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हों, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि रात को जब आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई स्टाफ ही नहीं रुकता- नर्स नहीं, कोई कंपाउडर नहीं, कोई डाक्टर नहीं तो गरम भोजन जच्चा को खिला कर उसको मारना है क्या? उसका इलाज कौन करेगा? और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठें, बोलने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का बहुत हितैषी यह बजट बता रहे हैं, यह जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इसकी कापी लेकर उसका अध्ययन जरूर करना। अध्ययन करने से आपको लगेगा कि ऐसा इसमें तरीका अपनाया है कि कुछ जिलों से केवल प्रीमियम इकट्ठा करना है और कुछ जिलों में वो पैसा बांटना है। जैसे मैं भरतपुर से आता हूं, भरतपुर के लिए लिखा हुआ है कि दो सेंटीग्रेड टैम्प्रेचर से अगर कम टैम्प्रेचर लगातार दो दिन रहेगा तो यह फसल बीमा योजना लागू होगी और तब उस किसान को लाभ मिलेगा। न तो दो डिग्री से नीचे टैम्प्रेचर आना है और न उनको लाभ मिलना है, केवल प्रीमियम उनसे वसूल करना है। ये मेरे मित्र बैठे हैं, गंगानगर-हनुमानगढ़ से आने वाले हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, इनके जिलों के लिए मापदंड है, 0.5 डिग्री टैम्प्रेचर अगर लगातार दो दिन रहे। कुन्नर साहब, सुन लेना, अगर दो दिन लगातार 0.5 टैम्प्रेचर गंगानगर में

(डा. दिगम्बर सिंह)

रहेगा तो ही आपके सरसों की फसल पर बीमा के हकदार होंगे किसान, नहीं तो नहीं होंगे। जहां से हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय पधारे हुए हैं बारां से, वहां बारां के लिए 8 डिग्री टैम्प्रेचर से अगर कम टैम्प्रेचर दो दिन रह गया तो किसान को पूरा लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि ये राजस्थान में किस तरह से क्या मापदंड बनाये गये हैं किसी जिले से पैसा उगाहना और किन्हीं जिलों में उस पैसे को बांटना? इसलिए इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी इस बारे में भी सोचें।

और शुद्ध के लिए युद्ध तो आज चल ही लिया, उसमें तो ज्यादा कुछ कहने से कोई मतलब ही नहीं है। परन्तु एक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सभापति महोदय, यमुना जल का बंटवारा। यमुना जल का एक समझौता 1994 में हुआ हुआ है। पांच मुख्य मंत्रियों के बीच में एक समझौता जिसमें भरतपुर, चूरूं और झुंझुनूं तीन जिलों के लिए पानी सप्लाई होना था यमुना जल का, परन्तु आज तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ताजेवाला हैड से झुंझुनूं और चूरू को पानी जाना था और भरतपुर के लिए जाना था ओखला हैड से। ओखला हैड से भरतपुर का ढलान है उसमें न तो पानी को लिफ्ट करने की जरूरत है और न ही उसको और कुछ करने की, केवल कैनाल बन जाए तो पानी अपने आप बह कर आ जाएगा। चूरू और झुंझुनूं के लिए उसको लिफ्ट करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे यमुना जल के प्रोजैक्ट को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एक बार प्रायोरिटी से लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास न जमीन पर पानी है, न कुओं में पानी है, न हमारे पोखरों में पानी है, न हमारे लिए पीने का पानी है। जन प्यासा, जानवर प्यासा, जमीन प्यासी, ऐसी स्थिति में इतने इम्पोर्टेंट प्रोजैक्ट को जरूर एक बार मुख्यमंत्री महोदय देखें तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा। माननीय राजेन्द्रजी राठौड साहब को कहूंगा कि आपके जिले का भी मामला है तो इसको आप भी जरूर टेकअप करें। एक निवेदन करना चाहूंगा, भरतपुर का नाम पूरे वर्ल्ड के अन्दर है वर्ल्ड हैरीटेज घना बर्ल्ड सैंक्चुरी के नाम से जाना जाता है। टूरिस्ट का नंबर भी बहुत ज्यादा है। परन्तु आज स्थिति यह हो रही है, सभापति महोदय, कि वहां पर पानी नहीं होने के कारण चिड़ियों का नंबर कम हो गया, जो माइग्रेटरी बर्डस हैं, उनका नंबर कम हो गया। आज स्थिति यह है कि अगर

(डा. दिगम्बर सिंह)

2011-12 तक उसमें पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो बर्ल्ड हैरीटेज में से उसका नाम हट जाएगा। इससे वहां की घना बर्ल्ड सैंक्चुरी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पर एक छप्पन करोड़ की योजना थी, गोवर्धन डैम से पानी आना था, पाइप लाइन डलनी थी, परन्तु पता नहीं किस घपले में अभी तक वो पाइप लाइन अटकी हुई है। उसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, 22 किलोमीटर की एक पाइप लाइन डलनी थी। मैं समझता हूं कि चिड़ियों का जीवन वहां पर अच्छा बीते और वहां के नागरिकों के लिए भी सुविधा हो जाए।

दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि भरतपुर भी राजस्थान का हिस्सा है, यह बात कई बार सोचने में हमको ऐसा लगता है कि शायद सरकार भूल जाती है, क्योंकि न तो बजट में कोई चर्चा होती है, चम्बल का प्रोजैक्ट चल रहा है, उसको आज आठ साल हो गये होंगे, अभी तक वहीं पड़ा है, उसमें कोई प्रयास नहीं। हम रोजाना भाषण दे रहे हैं, मीठा पानी आया, मीठा पानी आया, चम्बल का पानी आया परंतु उसमें टांय-टांय फिस्स, अभी बजट के अभाव में उसका काम फिर से बंद है। भरतपुर, सीकर और अलवर, डा. राजकुमार जी, सुन लेना, भरतपुर, सीकर, अलवर के लिए विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी, बजट का प्रावधान भी किया गया था, बिलकुल खड्डे में उस फाइल को डाल दिया गया। आज तक कोई शुरूआत नहीं है वहां पर ओएसडी की नियुक्ति की गयी थी, उसके बाद कोई उसमें अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई है। यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एजुकेशन के मामले में सरकार को बहुत ब्राड माइंडेड होना चाहिए। अगर भरतपुर से कांग्रेस जीतकर नहीं आयी तो इसमें भरतपुर की जनता का कसूर नहीं है। अलवर से भी नहीं आयी तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पालिटिकल वे से नहीं सोचें।

एक सबसे बड़ी समस्या मेरे यहां की है, चालीस-पचास गांवों की समस्या है जिसको मैं विधान सभा के अन्दर कई बार उठा भी चुका हूं। माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन भी दिया था। मांढेरा की रूंध है डीग और कुम्हेर के बीच में, उसमें जंगली गायों का इतना भयंकर आतंक है कि पचास गांवों के लोग रात भर गांव में न सोकर खेत में पड़े रहते हैं। अपनी फसल को बचाने के लिए, रात भर वहां पड़े रहते हैं। इतना है कि एक खेत में जहां ये गायें घुस गयीं तो पूरा साफ करके चली जाती हैं फसल को। बाउंड्रीवाल बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था।

(डा. दिगम्बर सिंह)

तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सत्र के दौरान कोई ठोस काम इसमें हो जाए, केवल आश्वासन बन कर न रहे। यह भी बहुत आवश्यक चीज है।

लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जयपुर और जोधपुर के लिए पुलिस की कमिश्नर प्रणाली जो अभी घोषणा की गयी है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई सुधार होने की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अधिकारी आज फील्ड में देखने को मिल रहे हैं, बंटवारा कर-कर के जनता का खून चूस रहे हैं। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि एक एक केस में चाहे चालान हो, चाहे एफआर हो, चाहे किसी तरह का केस हो, बिना पैसे के कोई काम पुलिस का नहीं हो रहा है। कमिश्नर बनाने से नहीं होगा इनको कुछ सद् बुद्धि का पाठ पढ़ाएं, इनको कुछ सामाजिक ज्ञान दें। इनको कुछ बुराई करने से डर लगे, ऐसी कुछ व्यवस्था करें तो ही पुलिस में सुधार कर सकते हैं, केवल कमिश्नर प्रणाली से नहीं। आपने समय दिया, सभापति महोदय, आपने आज भाई-चारा निभाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, 2010-11 के लिए मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया उस पर बहस चल रही है। उदयपुर से आने वाले आदरणीय विधायकजी हमारे बड़े भाई हैं कटारिया साहब, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जब वो भावुक हुए तो उनकी भावुकता को देख कर मुझे भी दर्द हुआ कि उनके मन में दर्द है इस बात का कि झोंपड़ी से रोने की आवाज आए, चिल्लाने की आवाज आए तो राजस्थान की विधान सभा में भी दर्द महसूस होना चाहिए। जब आप भावुक हुए तब, मैं गारंटी से कह सकता हूं, यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, सब लोग भावुक हुए और उनको लगा कि आपका दर्द वाजिब है। लेकिन अभी-अभी मेरे पास एक पर्ची आई जिसमें हमारे ही एक साथी ने लिख कर भेजा है कि आदरणीय कटारिया साहब जब गेहूं के मामले में भावुक हो रहे थे तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जब आरक्षण मांगने वाले गुर्जरों पर, घड़साना, गंगानगर, टोंक में पानी मांगने वाले किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई तब लगभग 90 गुर्जरों एवं किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। कटारिया साहब, आप उस वक्त भावुक हो जाते तो मैं आपको गारंटी से

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

कह रहा हूं, हिन्दुस्तान में राजस्थान बदनाम नहीं होता और तमाम राजस्थान की जनता आगे बढ़कर आपका स्वागत करती, आपको माला पहनाती और खुद यह महसूस करती कि राजस्थान की विधान सभा में एक ऐसा बहादुर विधायक है जो लगातार जीत कर ही नहीं आता, बल्कि उस आदिवासी क्षेत्र से जीत कर आता है जहां पर लोग सच बोलते हैं, उस मेवाड़ की धरती से जीत कर आता है जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जो हमेशा अव्यवस्था के खिलाफ लड़े, तो लोग आपका शुक्रिया अदा करते। मैं मानता हूं, सवा वर्ष का शासन राजस्थान में कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस शासन से राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान की जनता यह महसूस करती है कि हम पांच वर्ष तक उस शासन से निकल कर आये हैं जिस शासन में अपोजिशन ने नहीं कहा, अपोजिशन के लोगों ने नहीं कहा बल्कि दिल्ली में इनके बड़े नेताओं के बीच में इनके खुद के बड़े नेता आदरणीय कैलाशजी मेघवाल ने कहा कि 5 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इस तरह की बातें मैं नहीं कह रहा, मैं यहां कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा। मैं तो यह कह रहा हूं, लोग उस शासन से जब निकले और कांग्रेस का शासन आया तो लोगों की उम्मीद क्या थी। लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद थी, एक ईमानदार मुख्य मंत्री चाहिये, एक ईमानदार शासन चाहिये। एक ऐसा शासन चाहिये जो आम आदमी का शासन हो, झोंपड़ी का शासन हो, गरीब का शासन हो, गांव का शासन हो और ऐसा शासन हो जिस शासन में राजस्थान का आम-आवाम यह समझे कि यह राज हमारा है, इस राज में बैठा हुआ व्यक्ति हमारा है, यह विधायक हमारा है, यह एमपी हमारा है, यह मुख्य मंत्री हमारा है। आज इस सवा वर्ष में जब हम बजट लेकर आये, हम मानते हैं, बजट हमारे लिये चुनौती है, राजस्थान की जनता के लिये चुनौती है। एक प्रतिशत वैट भी बढ़ा है। लेकिन इन सबके बावजूद हमको यह समझना होगा कि इन सवा वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। ऐसे समय में जीत कर आई जब लोग महंगाई का ताना दे रहे थे। लोग यह कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में महंगाई बढ़ रही है। लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को दाल नहीं मिल रही। जब चुनाव हो रहा था तब कांग्रेस के लोग भी डरे हुए थे, महसूस करते थे। लेकिन जब चुनाव चल रहा था उस वक्त हिन्दुस्तान की जनता देख रही थी कि पूरी दुनिया मंदी से लड़ रही है और इस मंदी के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमरीका के

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

130 बैंक बंद हो गये, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लड़ रहा है हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति को बचाने के लिये, हिन्दुस्तान को आगे ले जाना चाहता है। और आज इसी दौर में हमारा बजट आया है। यह बजट तब आया है जब हम नगर निगम के चुनावों में जीत गये, पंचायत चुनावों में जीत गये, एमपी के चुनावों में जीत गये। ऐसे समय में बजट आया है जब कांग्रेस शासन पिछले कई वर्षों से पैंडिंग पड़े महिला बिल को लेकर आ रहा है।

मैं आज इतना कह सकता हूं कि जब आंकडों के मायाजाल में जाते हैं, हमारे सीनियर विधायक निश्चित रूप से हम से ज्यादा इंटेलीजेंट हैं, लेकिन राजस्थान का आम आदमी इस सकल घरेलू उत्पाद को कितना समझता है, कितना समझ कर महसूस करता है? जब हम आंकड़े बोलते हैं चाहे हमारे पक्ष के लोग बोलते हैं, चाहे आपके पक्ष के लोग बोलते हैं, ये आंकड़े यहां सदन के सदस्यों की समझ में आ सकते हैं लेकिन यहां पर भी आप से सुन कर जब मैं जाता हूं तो मैं भी जाकर पढ़ता हूं कि आज लम्बे चौड़े आंकड़े घनश्यामजी भाई साहब ने, गुलाबजी भाई साहब ने दिये हैं, पढ़ तो लें, इसमें है क्या। पर मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैंने मिलाकर देखें हैं कई जगह तो आप आंकडों को ऊपर-नीचा करते हो, या तो आप बाबो-सा के चेले हो इसलिए करते हो, पर कहीं न कहीं करते हो यह मैंने खुद देखा है। मैंने खुद घर जाकर देखा है। घनश्यामजी भाई साहब ने जब भाषण दिया, बहुत अच्छा बोले उस दिन। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उस दिन इतना अच्छा बोले जब मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बोले। मैं तारीफ कर रहा हूं। लेकिन मैंने वे आंकड़े देखे तो कहीं न कहीं उन आंकड़ों में ऊपर नीचे था।

अभी मैं तो इतना कह सकता हूं, 2009-10 संशोधित अनुमान जो मेरे पास है, मैं और आप सब इसको सही मानते होंगे, क्योंकि पहले आप भी ऐसी ही किताब छपवाते थे, हम तो तब सदन में नहीं थे क्योंकि हम तो हारे ज्यादा हैं, जीते कम हैं, पहली बार आये हैं। 2010-11 का बजट अनुमान मेरे सामने जो है उसमें तो साफ दिखता है राजस्व प्राप्तियां 2009-10 में 37207 करोड़ 13 लाख रुपये हैं और अबकी बार राजस्व प्राप्तियां 42463 करोड़ 49 लाख रुपये हैं। अबकी बार कुल मिलाकर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा पिछली बार 9900 करोड 12 लाख रुपये था इस बार राजकोषीय घाटा 8400 करोड़ 10 लाख रुपये है। मैं यह मानता हूं, इन वर्षों का जो हिसाब सामने आया है इसमें इस मंदी के दौर में जो बजट हम लेकर आये हैं इस बजट में

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

से एक परसेंट वैट वाला मामला, यदि, मुख्य मंत्रीजी, आगे बढ़ कर इसमें कहीं सुधार हो जाए तो उसके बाद तो आपके पास बोलने के लिये कुछ भी नहीं है।

सबसे बड़ी बात महंगाई को लेकर यहां चल रही थी। बार-बार चैलेंज हो रहा था कि महंगाई बहुत जबरदस्त है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई है भी, मैं भी स्वीकार करता हूं। सब जगह बात होती है, महंगाई है। लेकिन इस दौरान जो सबसे सराहनीय कदम राजस्थान की सरकार का है, वह एक कदम है कि निर्णय लिया। आप बार-बार डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे कि सरकार महंगाई से लड़ना नहीं चाहती। सरकार महंगाई से लड़ना चाहती है। महंगाई से लड़ने के लिये हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जो आटा बेच रही है, दाल बेच रही है, लोगों के बीच में जा रही है। लोगों को आटा तो सस्ता मिल रहा है। अब यह आपकी और हमारी बहस है, आप जाकर पता कर लो, अबकी बार जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राशन की दुकान पर 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आटा बंटेगा, यह बहुत बड़ी बात है। और आटा सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में बंटेगा। इसमें यह नहीं है कि घाटा कितना हो रहा है, नफा कितना हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। राशन की दुकानों पर ईमानदारी से आटा बंटवा देना, यह कहीं न कहीं सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। राशन का गेहूं जो गरीब के लिये पहुंचता है सरकार चाहती है कि वह गरीब तक पहुंचे, गरीब तक सहायता पहुंचे। लेकिन वह राशन का गेहूं, आटा गरीब तक नहीं पहुंचता है। लेकिन सरकार इस बेइमानी को रोकने के लिये लड़ रही है। मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है, पूरी कांग्रेस सरकार की इच्छा है कि गरीब आदमी का सामान गरीब तक पहुंचना चाहिये और इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। राजस्थान में घोषणा हुई, 2 रुपये किलो में हम गेहूं बेचेंगे। 4 रुपये 70 पैसे किलो में गेहूं खरीदा जाएगा और 2 रुपये किलो में गरीब तक पहुंचेगा। 2 रुपये किलो में कहीं गेहूं नहीं है लेकिन जब अ ब बटेगा तब राजस्थान की जनता कहेगी कि राज गरीब का आया है और गरीब की भूख मिटाने के लिये आया है। राजस्थान की जनता यह खुद महसूस करती है। आपने कहा, निश्चित रूप से आपकी ड्यूटी बनती है। आप लोग बुराई करेंगे कि, साहब, आपका बजट खराब है, हम लोग कहेंगे कि हमारे बजट में बहुत अच्छाइयां हैं। कल जब मेरे से बाहर टीवी वालों ने पूछा तो मैंने मुख्य मंत्रीजी की बात पूरे ध्यान से सुनी थी, क्या कर सकता है, आदमी

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

बाहर जाता है तो जो मोटी-मोटी बात थी वह मैंने वहां बता दी। जब मैं आज यहां आया तो मैं सही कह रहा हूं, यह बजट मैंने दुबारा यहीं पर आकर पढ़ा। मुझे दिमाग में नहीं था कि मुझे आज यहां पर बोलना है, लेकिन मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद यह तय बात है कि इस बजट में ईमानदारी से कोशिश यह नहीं की गई कि जनता की जेब काटी जाए। ऐसा मन में सोच कर बजट नहीं लाये हैं। मुख्य मंत्रीजी का या इस सरकार का यह इरादा नहीं है कि हम जनता में जाएं तो हमारी बदनामी हो, हमारी लोकप्रियता साबित नहीं हो, लोग हमारी बुराई करें, हाय-हाय के नारे लगाएं। हर मुख्य मंत्री, हर सरकार यह चाहती है कि हमारी वाहवाही हो, हम जनता के बीच में जाएं तो लोग जिंदाबाद के नारे लगाये। हर नेता यह चाहता है कि हमारा बजट जब आए तो लोग यह कहे कि यह सरकार वापस आएगी। हर आदमी वाहवाही लूटना चाहता है। लेकिन जो राज में होता है उसको राज में आने के बाद बहुत बातें सोचनी पड़ती हैं। आप जब राज में थे तो राज में आप ही के लोग, आप ही के सीनियर विधायक बार बार सरकार पर अटैक करते थे। कहते थे, गड़बड़ हो रही है, सरकार का पैसा सरकार में नहीं आ रहा, कहीं और जा रहा है। जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, इन सवा वर्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि यदि इस बजट में कोई देखने को मिलती है तो सबसे बडी बात यह है कि आम आदमी यह महसूस करता है कि ईमानदारी से बजट बनाया गया है, इसमें कहीं बेइमानी की बू नहीं आती। इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री, राजस्थान की सरकार राजस्थान के लिये कुछ करना चाहती है। आने वाले दिनों में राजस्थान को मजबूत पांवों पर खड़ा करना चाहती है। कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे खेती हो, कहीं पर भी पैसे की जरूरत पडे तो राजस्थान की सरकार कमजोर नहीं रहे। अबकी बार 2010-11 के बजट में योजना का आकार 23822 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। पीडब्ल्यूडी में राष्ट्रीय राज मार्गों के लिए मोटा पैसा निकाला गया। रिडको की तर्ज पर सड़कें बनेंगी, अलग अलग प्रावधान इसके लिए किये गये हैं।

ऊर्जा के लिए मैं मानता हूं कि राजस्थान में बिजली के लिए हर सरकार घोषणा करती है। हम भी चाहते हैं, पूरी बिजली मिले। आप भी यही कहते हो, हमारे राज में पूरी मिल रही थी, हम कह रहे हैं हमारे राज में पूरी मिल रही है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बिजली की कमी पूरे

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

राजस्थान में है। राजस्थान के गांव का आदमी यह महसूस करता है कि बिजली हमको उतनी मिलनी चाहिये जितनी शहरों को मिलती है। अब की बार सबसे बड़ी बात यह हुई, लोगों ने कहा कि प्रति यूनिट पर दस पैसे लगा दिये शहरों में 100 यूनिट के ऊपर, यह 250 या 500 से ऊपर लगाया जाता तो अच्छा होता। मुझे भी लगा मैं शहर से चुनाव लड़ता हूं, सिविल लाइन से लड़ता हूं, पूरा शहर है और सिविल लाइन में तो सारे चुने हुए ऐसे ऐसे महारथी रहते हैं आप सब जानते हैं वे वहीं पर वोट डालते हैं, मुझे भी लगा कि यह हमारे लिये चेलेंज है। जब मैं घर गया तब तक मेरे मन में नाराजगी थी मुझे लग रहा था कि शहर पर दस रुपये टैक्स लगा दिये। लेकिन जयपुर शहर का आम आदमी यह महसूस करता है कि शहर में सफाई होनी चाहिये, शहर का विकास होना चाहिये, शहर में आने पर ऐसा लगना चाहिये कि जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है, राजस्थान के हर शहर में यदि नगर निकायों को मजबूत नहीं किया गया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको कि आने वाले समय में शहरों की हालत खराब हो जाएगी। राजधानी जयपुर के लिए 179 करोड़ रुपये के मैट्रो बजट का प्रावधान किया गया। मैट्रो यदि जयपुर में चलेगी तो आप क्या समझते हैं, इस मैट्रो का फायदा सिर्फ राजस्थान की सरकार को मिलेगा, राजस्थान के मुख्य मंत्री को मिलेगा? मैट्रो का काम आने वाले दस वर्षों तक होगा और जब दस वर्षों तक मैट्रो का काम चलेगा तो लगभग सात हजार करोड़ की परियोजना है, गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, जो भी छोटा -मोटा दुकानदार है, सबको रोजगार मिलेगा, इतनी बड़ी योजना जयपुर में आ रही है। कुल मिलाकर कहीं पर भी जयपुर के विकास की बात आती है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चालू करने की तैयारी है। मैं इतना कह सकता हूं कि से जो भी प्रयास राजस्थान की सरकार का रहा है, इस बजट में रहा है, उसमें इतनी सी हमारी कोशिश रही है कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन आम आदमी को राहत मिलनी चाहिये।

बीच में बात आई कि रेस्टोरेंट्स में आपने वैट कम कर दिया, थ्री स्टार से नीचे के जितने रेस्टोरेंट हैं। कल मेरे पास एक रेस्टोरेंट मालिक का फोन आया, क्रिस्टल माल में टीजीबी रेस्टोरेंट चलता है, अच्छा रेस्टोरेंट है, उसने मुझे फोन किया कि आपको धन्यवाद, बधाई हो, हमने आपसे कहा था और हमारे रेस्टोरेंट का कम हो गया। मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा था? बोला, हां, हमने तो मुख्य मंत्रीजी से एक बार पत्र लिखा था और आपका कम हो गया। उसने मुझे कहा, कि यह कम होने से रेस्टोरेंट में बड़ी भीड़ है। आज इन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए कौन जाता है? गांव से चलकर जो विद्यार्थी

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आता है वह रेस्टोरेंट में, खाना खाने के लिए जाता है, जो गरीब आदमी आता है वह भी जाता है, वैट सब जगह लग रहा है। जब वैट सब जगह लग रहा है ऐसे में यदि रेस्टोरेंट में, थ्री स्टार से नीचे के रेस्टोरेंट में वैट कम हुआ है तो उसका फायदा भी निश्चित रूप से आम आदमी को मिलेगा, विद्यार्थी को मिलेगा, पूरे राजस्थान को मिलेगा। मैं इतना कह सकता हूं, जब यह आंकड़ों का मायाजाल, जब बता रहे थे तब यह कहा गया कि आपने पालनहार योजना के लिए अब की बार बहुत बड़ा काम किया, सभापति महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से आपके जरिये अनुरोध करूंगा हमारे श्याम नगर में एड्स से जो पीड़ित महिलाएं हैं वे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर अपना सेन्टर चलाती हैं, दस हजार रुपये महीने का किराया देती हैं। छोटे-छोटे दो बच्चे जो शिशु गृह में गये थे, उनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे एड्स वाले थे। सरकार की तरफ से अभी एड्स के लिए पैसा बहुत आ रहा है सेन्टर से, लेकिन एड्स से लड़ने के लिए जो पैसा आ रहा है वह एनजीओ के नाम पर बेइमानों के हाथ में जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: I don't expect it at least from senior members.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सही आदमी के पास एड्स का पैसा नहीं जा रहा। राजस्थान में एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और वे महिलाएं जो एड्स से पीड़ित हैं, करीब 22 बच्चों को वहां पर पाल रही हैं। अब की बार पालनहार योजना में एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए 675 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। यदि आप कोई जाएंगे श्याम नगर में उस सेंटर में, तो आपको खुद दुःख होगा- छोटे-छोटे बच्चे, उनके मां-बाप का पता नहीं है, उनके रिश्तेदार उनको अचानक छोड़कर चले जाते हैं जब उनको बाद में पता चलता है। कई बच्चे हैं जिनको 14 वर्ष हो गये, 14 वर्ष। एक महिला जिसका नाम मुकेश यादव है, वह 14 वर्ष से जिंदा है, उस सेंटर को चला रही है, उसके साथ 5 महिलाएं और हैं 22 बच्चे हैं, दस हजार रुपये महीने का किराया देते हैं उस मकान का। एनजीओ के नाम से केन्द्र से पैसा आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार को इसमें इच्छाशक्ति के साथ हजार गज, पन्द्रह सौ गज, दो हजार गज, पांच हजार गज, सवाल यह नहीं है कि हम राज में बैठे हैं, सवाल यह है कि एड्स के नाम पर एक भी सेंटर न तो पिछली सरकार ने खोला न हमने खोला। एड्स से जो पीडित बच्चे हैं अब वे कहां जाएं, उनको शिशु गृह वाले

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

रखते नहीं हैं, कोई जगह देने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब एड्स के पीड़ित लोगों को कार्ड दिये गये तो आप आश्चर्य करेंगे, जो बच्चा एड्स से पीड़ित हैं उसको बस वाले ने नीचे उतार दिया, उसको बैठने के लिए मना कर दिया। बस में सफर कर रहा था, उसका कार्ड देखकर बस से मां-बेटे दोनों को नीचे उतार दिया, यह किस्सा कल उन्होंने मुझे बताया। मैं कहूंगा, जब हम इतनी बड़ी सहायता दे रहे हैं, इस सदन की मोरल ड्यूटी बनती है कि कम से कम हजार गज जमीन एड्स पीड़ितों के लिए अलग से दी जाए और वहां पर एड्स पीड़ितों के रहने के लिए सरकार की तरफ से केन्द्र बनाया जाए। राजस्थान इसकी शुरुआत करे। मैं इतना कह सकता हूं वे मां-बहन-बेटियां जो एड्स से पीड़ित हैं, जो बच्चे एड्स से पीड़ित हैं, जो आगे बढ़कर कह रहे हैं कि हम पाजिटिव हैं, गले में लेकर चलते हैं, आज उनको मदद की जरूरत है। मेरे साथ जो चार लोग गये थे, यह किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि मानवीय पक्ष है, किसी ने वहां पर पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी। मैंने साथ वालों से मजाक में कहा कि मरोगे नहीं, पी लो। कोई तैयार नहीं पीने को, डरते हैं। रोज टीवी देखते हैं लेकिन कोई वहां जाने को तैयार नहीं, मदद करने को तैयार नहीं। ऐसे में मैं बधाई दूंगा, सबसे बड़ी बात कि आपने पालनहार योजना शुरू की।

एक नई बात मैं कह रहा हूं, अब की बार मैंने 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान देखा, मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी घोषणा की कि मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ में अब स्टाम्प की जरूरत नहीं होगी, वहां जाकर स्टाम्प में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण-पत्र, मैं गारंटी से कह सकता हूं, न घनश्यामजी के पास है, न मुख्य मंत्रीजी के पास है, न प्रतापसिंह खाचरियावास के पास है लेकिन गरीब आदमी मूल निवास प्रमाण-पत्र के लिए धक्के खा रहा है। यह हमारी सबकी गलती है। मूल निवास प्रमाण-पत्र की बात तो हमें खतम करनी चाहिये, कहना चाहिये कि वोटर आइडी मूल निवास प्रमाण-पत्र है, पैन कार्ड आपका मूल निवास प्रमाण-पत्र है, आपके पास और भी दस्तावेज हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र है। गरीब आदमी जिसने कभी स्कूल नहीं देखी, जाकर, कुछ उसके पास है ही नहीं तो वह देगा क्या आपको? दस वर्ष का रिकार्ड चाहिये, रिकार्ड आएगा नहीं, गरीब आदमी अनपढ़ है, अब एक नया डवलपमेंट हो गया, पिछली सरकार में हो गया, कल मुझे लोगों ने कहा, हम मुख्य मंत्रीजी से

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

अनुरोध करेंगे, सुनते हैं कि आठवीं पास व्यक्ति का ही अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। अनपढ़ व्यक्ति अब आटो रिक्शा नहीं चला सकता, अनपढ़ अब जीप नहीं चला सकता। अनपढ़ व्यक्ति के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं है लेकिन अनपढ़ व्यक्ति राबड़ी देवी राजस्थान की मुख्य मत्री बन सकती है और अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है यह अधिकार लोकतंत्र में है लेकिन अनपढ़ व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब इस सदन में चर्चा हो रही हो बजट पर, कभी विश्वास मत पर भी हो रही हो, कुछ सच्ची बातों पर हमको गौर करना पड़ेगा। मैं आदरणीय बिरजू भाईसाहब से अनुरोध करूंगा इसकी आप जांच करवाये कि आठवीं पास वाले को ही लाइसेंस मिल रहा है। मुझे बहुत लोगों ने आकर कहा है। इतना कहूंगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र से आपने स्टाम्प की बाध्यता हटाई, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यक्ता जो मामले हैं जिनको हम बहुत छोटा मानते हैं हर एमएलए जानता है वृद्धावस्था में आपने पैसे बढ़ाये, विकलांग पेंशन के पैसे बढ़ाये, यह क्या दर्शाता है? कि राजस्थान की सरकार आम आदमी का दर्द समझती है, आम आदमी की परेशानी समझती है। उस गरीब की परेशानी समझती है जो सुबह-सुबह एमएलए के दरवाजे पर आता है। जब हम साइन करते हैं तो उसको विधवा पेंशन मिले या नहीं मिले लेकिन उसके चेहरे पर चमक देखिये जब एमएलए साइन करता है, ठप्पा लगाता है तो वह ऐसे पांव पकड़ लेता है कि हमारे तो मिल गई। विधवा पेंशन कितने लोगों को मिलती है जब हम तैयारी करके दें? लेकिन जिसको भी मिलेगी, यह सरकार की मंशा स्पष्ट करता है कि सरकार विधवा पेंशन के मामले में, विकलांग पेंशन के मामले में, वृद्धावस्था पेंशन के मामले में, स्वतंत्रता सेनानी के मामले में आठ हजार से दस हजार कर दी, कुछ मन में भावना रखती है। द्वितीय विश्व युद्ध में 7500 सैनिकों के लिए 1500 रुपये कर दिया 800 से, तो कहीं न कहीं उस वर्ग को फायदा पहुंचाने की मंशा है जिस वर्ग के बारे में लोग सोच नहीं सकते। आज कह रहा हूं यह वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन के जो पैसे बढ़ाये सरकार ने, इसमें एक कमी और दूर कर दें। मैं विश्वास करता हूं, मुख्य मंत्रीजी जब जवाब देंगे, बजट भाषण पर बोलेंगे दुबारा, तब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन में यह जो बच्चों का मामला है, कह दिया कि दो बच्चे जिनके हैं उनको नहीं मिलेगी। सुबह-सुबह आती हैं मां-बहनें- बेटी, खून के आंसू रोती हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हम एम.एल.ए. बन गये, किसके लिये बन गये? क्या

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

करेगा एक एम.एल.ए.? एम.एल.ए. का मतलब इतना-सा है कि हम जल्दी से भागते हुए आएं कि विधान सभा जाना है, विधान सभा जाना है। वह आकर कहती है, मेरा नहीं बन सकता है, पटवारी ने मना कर दिया, तहसीलदार ने मना कर दिया, आप बनवा दो, मैं तो भूख से मर रही हूं। हालात ये हैं। आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं आज कह रहा हूं आपसे इस योजना के लिये, कोई कितनी हंसी उड़ा ले, इनसानियत के नाम पर हिन्दुस्तान में भूख मिटाने का काम यदि कोई योजना कर रही है तो वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर रही है। कौन कह रहा है कि इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं है? हर आदमी कह रहा है। है, लेकिन भ्रष्टाचार कौन खड़ा कर रहा है? इस भ्रष्टाचार को रोकने की ड्यूटी किसकी है? हमारी सबकी मारल ड्यूटी है। इस भ्रष्टाचार के बावजूद गांव का आदमी आज इतना समझदार हो गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम मेरा अधिकार है, यह मेरा कानून है। आज वह महसूस करता है कि यह कानून मेरे लिये बनाया गया है, मुझे सौ दिन का रोजगार गांव में देना पड़ेगा। यदि काम नहीं होगा तो भी मुझे पैसे मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं छाती पर चढ़कर पैसे ले लूंगा। आज गांव का मजदूर एक हो रहा है। आज हम इस योजना की हंसी उड़ाते हैं सिर्फ इस बात के लिये कि यह योजना फलां सरकार लेकर आई है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की देन है। सिर्फ इसलिये हम इस योजना को चैलेंज कर दें? आज इस योजना का मैं इतना कह सकता हूं, इतना फायदा मिल रहा है मेरे खुद के गांव में लोग कहते हैं कि, साहब, यहां पर मशीन काम में ले ली जाती है। यह केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति है कि कहीं पर भी यदि मशीन काम में लेते हैं तो कलक्टर को डांट पड़ती है, अफसर सस्पैंड हो गये भीलवाड़ा में। यह पहली सरकार है जिसने खुद अरुणा राय को कह दिया कि आप आ जाओ। उनसे जांच करवा रहे हैं जो लोग कल तक आन्दोलन कर रहे थे। इससे बड़ी ईमानदारी कोई राज दिखा नहीं सकता है। अरुणा राय और उनकी टीम को जो सामाजिक आन्दोलन चलाते हैं, खुद को बुलाया। भीलवाड़ा में खुद मंत्रीजी ने आगे जाकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर दी। इस योजना की बुराई सिर्फ इसलिये कर दें क्योंकि हमको तो बुराई करनी है? इतना मैं कह सकता हूं कि इस योजना से गांव की गरीबी मिट रही है। गांव

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

के मजदूर की मजदूरी बढ़ रही है, गांव का मजदूर अधिकार के साथ खड़ा है, अब उसको भूख की टेंशन नहीं है। मां के मन में यह दर्द नहीं है कि शाम को मेरा बेटा भूखा सोएगा। उसको अधिकार मिल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, छोटा करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, बिलकुल। तो मैं आपसे अनुरोध करुंगा, सभापतिजी, कि जो हम यह बजट लेकर आये हैं उस बजट में कोई कमी नहीं है। बजट में कमियां नजर आती हैं तो आपको राज से गये हुए, हमारे विपक्ष के राज को गये अभी सिर्फ सवा वर्ष हुआ है और हमें सवा वर्ष आये हुए हुआ है, तो आप तो हमसे ज्यादा सीनियर हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, आपको आपकी उपलब्धियां भी पता हैं। एक ऐसा भी वक्त आया था जब आपके मंत्री खुद यह महसूस करते थे, आपके विधायक यह महसूस करते थे कि हमारी एप्रोच नहीं है सरकार में। हम हमारा काम नहीं करवा सकते हैं। ऐसे समय में हम इतना गारण्टी से कह सकते हैं कि कोई लोकतंत्र नजर आता है तो इस राजस्थान की सरकार में नजर आता है। आज यहां पर एम.एल.ए. को बोलने का अधिकार है, एम.एल.ए. को नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। एम.एल.ए. को खड़े होकर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करने का अधिकार है। हमारा मुख्य मंत्री, हमारे मंत्री, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो लेकिन जहां आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की गलती महसूस करके उसमें सुधार करने की तैयारी भी करते हैं। अभी तक आपस में समन्वय है और एक दूसरे में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं मनमानी हो गई, जो जंचे वह कर लेंगे। मंत्री चाहेंगे जैसे कर लेंगे। आज यहां पर लोकतंत्र में कांग्रेस जिस मजबूती के साथ बजट लेकर आई है, मैं इतना कह सकता हूं कि इस बजट में चाहे मेडिकल हो, जल हो, सबसे बड़ी बात, अब की बार मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में आपने वृद्धा, विकलांग, विधवा सबको शामिल कर लिया। पिछली बार 28 करोड़ रुपये दिये, अबकी बार चाहे कितना भी पैसा आये लेकिन उसमें तय कर लिया कि अब इन सबको हम मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता करेंगे। पशुपालन के लिये, पशुओं के लिये इतने स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा हुई है। बात आई बीच में कि आप सिर्फ घोषणा करते हो, मैसेज देती है आपकी सरकार, अपोजिशन के साथियों ने कहा कि कांग्रेस मैसेज बहुत अच्छा देती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती है। मानता हूं मैं, कुछ कमियां हमारे में हो सकती हैं कि हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हों, उनमें से

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

कुछ बातें रह गई हों। लेकिन हमारे पास अभी समय है। आप यह मानकर चलिये कि इस बार सवा साल तक लगातार चुनाव आते रहे लेकिन अब हमारा एम.एल.ए. तैयार हो गया है, हमारे मंत्री भी तैयार हो गये हैं और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी तैयार हो गये हैं। कार्यपालिका की ड्यूटी है सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करना, अब यदि कार्यपालिका के लोग बजट घोषणाएं पूरी नहीं करेंगे तो हमारा एम.एल.ए. तैयार बैठा है। मुख्य मंत्रीजी से बात होगी, एम.एल.ए. जाएगा और ऐसे अधिकारियों को हम उस जगह पर नहीं रहने देंगे मुख्य मंत्रीजी से कहकर। जो हमारी सरकार की बुराई करने के लिये आगे रहते हैं, जो हमारी सरकार की योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं, मैं यह बात खुलकर कहता हूं कि यदि कोई अधिकारी गलती करता है, काम नहीं करता है, सरकार का सहयोग नहीं करता है तो सरकार के चाहे मुख्य मंत्रीजी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, ऐसे अधिकारियों का हमें भी सहयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम चुनाव लड़ने के लिये जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, विश्वास जीतने के लिए जाएंगे, वह अधिकारी आपके साथ खड़ा नहीं होगा कि ये तो राज के लोग हैं, लड़ने के लिये जा रहे हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। वह दूसरी साइड में खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इसलिये जरूरी है कि यदि कोई अधिकारी गलत है और उस अधिकारी की गलती इस सदन में आती है, तो मैं बधाई दूंगा हमारे गृह मंत्रीजी को, जब 2-4 अधिकारियों की बात तिवाड़ी साहब ने उठाई, इन्होंने आगे बढ़कर तुरन्त उनके खिलाफ कार्यवाही की। जब आप लोगों ने कहा कि ब्याज मूलधन से ज्यादा हो रहा है, मुख्य मंत्रीजी ने उसको स्वीकार किया और आपके प्रति जवाबदेही दिखाई। तुरन्त कह दिया, ब्याज माफ भी कर दिया। उस दिन खड़े होकर कह दिया। मूलधन से ब्याज किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं होने देंगे। ऐसा मुख्य मंत्री जो खुद खड़ा होकर यह बात करता हो, कहीं ज़िद्द नहीं है, मन में कोई अहम् नहीं है, मन में कहीं तानाशाही नहीं है कि यदि अपोजिशन कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हो। यह सरकार आपके सामने खड़ी है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, हमारी सरकार के लोग निश्चित रूप से जवाबदेही के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं और राजस्थान की जनता के साथ ईमानदारी से अपनी पूरी योजनाएं रखना चाहते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह राजस्थान की जनता के लिये, राजस्थान के लिये मजबूती के साथ विकास का रास्ता दिखाएगा और राजस्थान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापतिजी, एक सैकिण्ड। सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने लाइसेंस के बारे में जो बात कही है आठवीं पास की, वह स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है। लाइसेंस बनाने का नोटिफिकेशन सेण्ट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई लेना-देना नहीं है। हम इस मैटर को सेण्ट्रल गवर्नमेंट के साथ आलरेडी टेक-अप कर चुके हैं।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, कल सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया और आज उस पर चर्चा चल रही है। बजट कैसा है, जन-भावनाओं के अनुरूप है कि नहीं, पक्ष और विपक्ष वाले दोनों अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रतिष्ठित अख़बार राजस्थान पत्रिका में एक कार्टून, झरोखा के नाम से जो छपता है, उसने बजट की परिभाषा दी, उसमें बताया, कड़ी से कड़ी जोड़ने का मतलब कमर पर महंगाई का कोड़ा। यह पत्रिका ने छापा है। इससे एक बात तो साबित होती है कि इस बजट से महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। जब पूरे प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है और सदन भी बहुत ज्यादा चिन्तित है कि किसी प्रकार महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए, ऐसे में महंगाई बढ़ाने वाला बजट पेश करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी ने अच्छी घोषणाएं नहीं की हैं। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी घोषणाएं भी की हैं। मैं उसकी तारीफ भी करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जो वैट बढ़ाया, उस वैट का कितना फर्क जनता की क्रय शक्ति पर पड़ेगा, यह आने वाले कल में पता लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, जनता को इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। जनता ने एक बार नहीं लगातार चौथी बार, चाहे विधान सभा चुनाव हो और चाहे उसके बाद लोक सभा चुनाव हो, उसके बाद नगरपालिका

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चुनाव और अब पंचायत चुनाव, जितना समर्थन दिया, जनता उतनी उम्मीद भी इस सरकार से करती थी कि हमने सरकार को दिल खोल कर समर्थन दिया है। जैसा सरकार चाहती थी वैसा हमने उनको समर्थन दिया तो यह सरकार भी हमारे दु:ख-दर्द को कोसने के लिए बहुत अच्छा बजट पेश करेगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि अभी वक्त है, तीन दिन बहस चलेगी और इस बहस में जहां-जहां नजर आए, एक विधायक की पीड़ा जो वह जनता से सुनता है और यहां कहता है वो उस बजट को वापस करैक्ट कर दें। अभी सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि हम भी आग्रह करेंगे कि वैट वापस घटा दें। निश्चित रूप से इसको घटाना आज की आवश्यकता है। चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष के सदस्य हों, सबको इस बात का दबाव बनाना पड़ेगा कि कर नहीं बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस बात के लिए वाहवाही हो रही है कि उन्होंने विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, नि:शक्तजनों के लिए, वृद्धों के लिए पेंशन की राशि बढ़ा दी। माननीय सभापति महोदय, यह 14 दिसम्बर का अख़बार का सरकार का विज्ञापन है, आपका एक साल पूरा हुआ और आपने अखबारों में एक साल में किस-किस वर्ग के लिए क्या-क्या किया, वह विज्ञापन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उसमें लिखा है, 65 वर्ष से अधिक सभी निराश्रित विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं नि:शक्त महिलाओं को बिना कोई शर्त साढ़े सात सौ रुपये प्रति माह पेंशन। यह आपने छपवाया है, मैंने नहीं छपवाया। न हमारे विपक्ष के किसी सदस्य ने छपवाया। अब आप तीन महीने पहले अख़बार में विज्ञापन देते हो कि हम साढ़े सात सौ रुपये 65 वर्ष से अधिक जो विधवा निराश्रित या परित्यक्ता महिला है उसको दे रहे हैं और बजट में आप बढ़ोतरी करते हो कि वृद्धावस्था पेंशन 75 वर्ष से अधिक आयु, 75 वर्ष आपने घटाई या बढ़ाई, यह थोड़ा आप बता दें? यह विज्ञापन गलत है? यह 400 मिलती थी पहले, अब आपका विज्ञापन एक बार छप गया, आपकी गलती से छप गया, उसको सुधारना आपके हाथ में है। जब बजट बहस के अन्तिम दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी को वापस यह अवसर मिलेगा तो उस 75 को मेहरबानी करके वापस 65 कर दें ताकि आपका यह दिया हुआ विज्ञापन या आपके मुख्य मंत्रीजी के ऊपर जनता का कोई विश्वास खतम नहीं हो। यह आप पूरी व्यवस्था करवा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि 75 साल की उम्र की बहुत कम वृद्ध विधवा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आपको मिलेंगी। गरीब जीता ही नहीं है 75 साल तक तो, वह तो पहले ही मर जाता है। तो इस गलती को आप मेहरबानी करके ठीक करवा दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कुहनी के गुड लगा दियो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, अब विकलांग पेंशन की बात तो हम करते हैं लेकिन वाकई में कितने विकलांगों को पेंशन मिलती है वह भी सच्चाई जान लें। विकलांग पेंशन में स्पष्ट प्रावधान है कि विकलांग अकेला होना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको गलतफहमी है। पुराने लोग जिनकी लिस्ट में एण्ट्री है, 65 वालों को ही हम 70-75 कर देंगे। पहले वाले लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, न कोई जन्मपत्री है, 65 वर्ष में और 70 वर्ष में कोई अन्तर नहीं है। उनका नाम हम 75 में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह तरीका आप माननीय मुख्य मंत्रीजी को बतला दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, आप लोगों को संतुष्ट करना मेरा दायित्व बनता है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, विकलांग पेंशन बहुत कम विकलांगों को मिलती है। उसमें शर्त है कि यदि उसके भाई है तो भाई उसका पालन करेगा। उसकी पत्नी है तो उसकी पत्नी उसका पालन करेगी। उसके माता-पिता हैं तो वे उसका पालन करेंगे। अकेला विकलांग हो तो बात दूसरी है या बी.पी.एल. का विकलांग हो तो बात दूसरी है। आज भी मात्र 5 परसेंट विकलांगों को विकलांग पेंशन मिलती है। बाकी के आवेदन सारे खारिज कर दिये जाते हैं। चाहे आप अपने खुद के कैम्प के आंकड़े मंगवा लें, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि महंगाई के जमाने में परिवार पालना बहुत मुश्किल, और ऐसे में किसी विकलांग सदस्य को पालना और भी मुश्किल काम है, तो जितने भी विकलांग हैं, सरकार के कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सात सौ-आठ सौ रुपये उसको भी मिल जाएंगे तो इस सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इसलिए मेहरबानी करके इसमें थोड़ा संशोधन करवा दें।

'पालनहार योजना' के बारे में सारे सदस्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वैसे इस तारीफ की हकदार हमारी पूर्व मुख्य मंत्री, यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी थीं जिन्होंने इस योजना की शुरूआत की थी ।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): इसीलिए आपने पर्ची पर उठाया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं उसका धन्यवाद दूंगा न, आपकी बात पर धन्यवाद दूंगा, चिंता क्यों करते हो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप उस वक्त इधर बैठते थे, कुछ तो सच्चाई बोलो और धन्यवाद दो। पारख साहब, कुछ तो सही बोलो, यहां बैठते थे, जो काम आपने नहीं किया वह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया। और अभी भी पूर्व मुख्य मंत्री, कुछ तो सही बोलो। मैं यह नहीं कहता, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सही बोल रहा हूं पर कुछ सच्चई बोलो। दिल पर हाथ रखकर यहां कसम, कसम सब खाते हैं बैठे हुए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही, जो कमियां थीं वे मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तक सदन के माध्यम से पहुंचा रहा हूं।

'पालनहार योजना' में प्रावधान है, यदि विधवा के दूसरी संतान, उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाए तो उसके बच्चों को इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में यदि किसी के दो पुत्रियां हैं तो भी उस विधवा को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार विधवा पेंशन में उसके पुत्र की आयु 25 वर्ष होने तक विधवा पेंशन का लाभ मिलता है, मेरा सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि 'पालनहार योजना' में भी विधवा का बेटा यदि 25 साल तक नहीं हो जाए तब तक इस योजना का लाभ उस विधवा को दिया जाए। यह मेरा आग्रह है, सरकार माने, या नहीं माने, सरकार की मर्जी। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ऐसी बात जो सही लगती है तो उसको मानते भी हैं, तभी वे पूरा कर देते हैं, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे सत्ता पक्ष वाले इस बजट की कितनी भी तारीफ कर लें, कुछ मुद्दे हैं तारीफ के लायक, तारीफ करेंगे वो, लेकिन इस बजट में जो निराशा शिक्षित बेरोजगार को हुई है, यदि आपने मुख्य मंत्रीजी को आगाह नहीं किया तो शिक्षित बेरोजगार जो नौकरी की आस लगाये बैठे हैं, वे आपको कोसेंगे। अब देखो आप, भर्ती के नाम पर पूरे बजट में क्या है? एक हजार वन रक्षक, 74 ग्रामीण विकास अधिकारी, 2300 कांस्टेबल लगाना जरूरी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है आपको। यह तो जरूरी है, हम लगाएंगे ही, 300 जेल प्रहरी, 100 पशु चिकित्सक, 225 पशु-धन सहायक, 161 डाक्टर, 400 नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, कुल 4560 रोजगार के अवसर जो ट्रेंड व्यक्ति हैं, मात्र उनके लिए हैं। और कतार लगी हुई है लाखों की। जो-जो पद रिक्त हैं उतने ही भरवा दो तो भी हजारों का कल्याण हो जाएगा। पाली जिले में 161 से ज्यादा डाक्टरों के पद रिक्त हैं। एक पाली जिले में रिक्त पड़े हैं और आप पूरे राजस्थान में 161 ले रहे हो, कैसे चलेगा आपका अस्पताल? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, छोटा करें, आप छोटा करें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): साहब, मैं तो बोला ही नहीं अभी तक तो। बाकी सदस्यों को आपने इतना टाइम दिया, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, 11 मिनट हो गये आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं इनकी बात, जो बोल रहे हैं, बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, पर इनको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने एक गरीब की बेटी को विदेश जाने का मौका दिया है। यह गरीब के प्रति उदासीन हैं..(व्यवधान) खुशी मनानी चाहिये इनको।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, बीच में टोककर यह मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि कम से कम जिस विभाग में जितने पद रिक्त हैं, वे तो पूरे भर दें ताकि कइयों का कल्याण उससे हो जाए और व्यवस्था भी ठीक-ठाक हो जाए। अब सबको पता है कि विद्यालयों में शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। मेरे पाली विधान सभा के रोहिट तहसील में 450 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं और महीने में तालेबंदी की दो-चार घटनाएं होती हैं। गांव वाले ताला ठोकते हैं फिर डैपुटेशन पर किसी टीचर को लगाते हैं। जब आप चाहते हो कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिये तो जब तक आप शिक्षकों की भर्ती नहीं करोगे, शिक्षा किसी को मिलेगी नहीं। गांवों में अभी भी वही हालत है। जो बच्चा कक्षा पांच में बैठा है, उसको अ-आ से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ज्यादा नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता। पांचवीं तक पहुंच गया, पर पढ़ना नहीं आता। शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उन पदों को भरने की यह सरकार कृपा करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से उद्योग-धन्धों को लेकर अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम उद्योग के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। जितने उद्यमी राजस्थान में हैं, उतने दूसरे राज्यों में नहीं हैं, पर उनको यहां अनुकूल वातावरण मिलता नहीं है। सरकारी सुविधा मिलती नहीं तो उनको मजबूरन अपना उद्योग दूसरे राज्यों में जाकर लगाना पड़ता है। अब मैं रीको की बात करूं, यहां राजस्थान में और तो कुछ है नहीं, बिजली आप उद्योग को ज्यादा देना चाहो तो वह आपके पास है नहीं, पानी बिलकुल नहीं। पाली में आता ही नहीं है। जमीन आपके पास पड़ी है पर जमीन भी रीको इतनी मंहगी देता है कि उससे एक चौथाई दर पर बाहर जमीन मिल जाए। रीको एक साल में 100 करोड़ का लाभ कमाता है। नये उद्यमी से कितने ज्यादा पैसे जमीन के नाम पर वसूल किये, यह बात इससे साबित होती है। 100 करोड़ रुपये का लाभ पिछले वर्ष रीको ने कमाया, 30 करोड़ रीको ने इनकम टैक्स भरा है। आप कोई और चीज नहीं दे सकते तो जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहे, उसको उस रेट पर जमीन दे दें जिस रेट पर आपको पड़ती है, ताकि उसको थोड़ी बहुत सहायता सरकार की ओर से मान ली जाए।

श्री सभापति: Please sum up now.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा टैक्सटाइल का जो उद्योग है, वह राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में है चाहे भीलवाड़ा में है, चाहे पाली में है। उनका साहस है कि वे उद्योग चला रहे हैं। सरकारी सहायता उनको कुछ भी नहीं मिलती। मेरे पाली में 800 से ज्यादा टैक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई हैं पर उनका स्थाई पंजीयन नहीं किया जा रहा है। चाहे वे पोल्यूटेंट हैं या पोल्यूटेंट नहीं हैं। जो भी टैक्सटाइल यूनिट है, जब पोल्यूशन बोर्ड ने कैटेगरी तय कर रखी है कि ओरेंज कैटेगरी पोल्यूशन नहीं करती, वाटर पोल्यूशन नहीं करती, उनका स्थाई पंजीयन करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी 1981 से जिला उद्योग केन्द्र उनको स्थाई पंजीयन की सुविधा नहीं दे रहा है, जिससे उनको कोई सरकारी सहायता लेनी होती है, चाहे आर एफ सी से लेनी है, चाहे और कोई सरकारी संस्था से लेनी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है, वह मिलती नहीं है। यह मामूली-सा काम है। नोन पोल्यूटेंट इंडस्ट्री हैं, उनका स्थाई पंजीयन हो जाए ताकि उनको जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिये, वह मिल जाए। इसका जो भी रा-मैटीरियल है, उसके ऊपर जो वैट है या प्रवेश कर है, उसको कम करके भी हम बहुत बड़ी राहत यहां के उद्यमियों को दे सकते हैं जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी अगर वे अपना टैक्स भर देंगे।

श्री सभापति: Would you please finish now?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पांच मिनट और, सिर्फ पांच मिनट।

श्री सभापति: No. No. Please.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरे पांच मिनट और हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर शहर और उसके उप नगरों की पेयजल की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बजट भाषण के पैरा नम्बर 36 पर 540 करोड़ की योजना बनाने की घोषणा की है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि जो शहर वर्तमान में समस्या से ग्रस्त हैं, जो आज पानी के लिये तरस रहे हैं, उनके लिये भी मेहरबानी करके इस योजना का लाभ दें। मेरा पाली शहर भी है, पूरा पाली जिला है, यहां सोजत वाले बैठे हैं, वहां पीने के लिये खारा पानी मिल रहा है और जोधपुर में पानी खूब सारा है, जहां वर्तमान में समस्या है, बिना भेदभाव के वहां भी जलदाय योजना बनाकर उसकी मंजूरी यह सरकार करे, यह मेरा आग्रह है। मेरी अन्तिम बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अन्तिम बात बता रहा हूं। मुझे 10 मिनट चाहिये, लेकिन दो बात सुनें, तो ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण के पैरा संख्या 198 में रेलवे क्रासिंग हैं उनके ऊपर ओवरब्रिज बनाने की बात कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की कि चरणबद्ध तरीके से हम रेलवे की मदद से ओवरब्रिज बनाएंगे। मेरा आग्रह है और जानकारी दूं कि जो ओवरब्रिज स्वीकृत हैं, जिनका निर्माण कार्य चालू हो गया, लेकिन कुछ कारणों से उसकी राशि में वृद्धि हो गयी तो उस काम को बंद कर दिया गया, तो आप नये ओवरब्रिज बनाओ या नहीं बनाओ, वह दूसरी बात, जो स्वीकृत हो गये, एक बार सरकारी राशि उन पर खर्च हो गयी और उस जमाने में यदि एस्टीमेट बढ़ गया तो सरकार अपनी ओर से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कुछ राशि और देकर उस अधूरे काम को पहले पूरा करवा दे, उसके बाद में नये काम हाथ में ले।

अन्त में, मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वाकई में कुछ काम इन्होंने ऐसे किये जो गरीबों के लिये एक बहुत बड़ा तोहफा हैं और पाली शहर के लिये बहुत बड़ी बात है। अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के जो परिवार हैं, जिन्होंने सरकार से लोन लिया था, उनका ब्याज बहुत ज्यादा हो गया। मैंने मांग की थी कि ब्याज में कुछ छूट दे दी जाए। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा ब्याज माफ कर दिया, उसके लिये मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र में उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता खतम कर दी, उसके लिये भी उनको धन्यवाद है। विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में उन्होंने राशि बढ़ाई, मेरी पुरानी बातों के साथ जो बढ़ाई, उसके लिये धन्यवाद। लेकिन जो कमियां रह गयीं, उनको भी वह ठीक करेंगे इसी आशा के साथ मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। नये सदस्य के रूप में हम चुनाव जीतकर आये हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो जनता की उम्मीदें हैं, भावनाएं हैं, उन सबके अनुरूप यहां घोषणाएं होती हैं और उन घोषणाओं की बाद में क्रियान्विति होती है। पर इन 13-14 महीनों का हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो घोषणाएं यहां होती है। उन घोषणाओं को कागजों में समेटने के अलावा हम कुछ भी नहीं करते। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया है, मैं समझता हूं अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान के 6 करोड़ लोगों की कमर से कमर तोड़ने के काम में अब लग चुकी है। सभापति महोदय, आज सुबह मंहगाई के ऊपर राजस्थान के मंत्री महोदय से बहस के दौरान हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई तथ्य पेश करेंगे और बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। किन्तु मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, सवा और डेढ़ घंटे के बीच राजस्थान की जनता का समय बर्बाद करने के अलावा माननीय मंत्रीजी ने कुछ भी नहीं किया।

(समय : 18.00 बजे)

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

जहां तक विधवा पेंशन का सवाल है, वृद्धावस्था पेंशन का सवाल है, सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य भाई प्रताप सिंहजी खाचरियावास कहते-कहते बीच में रह गये, अब पता नहीं क्यों रह गये, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार आखिर विधवा किसको मानती है, राजस्थान की सरकार आखिर वृद्ध किसको मानती है? सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने विज्ञापन दिखाया था, उसमें इस बात का जिक्र था कि बिना शर्त 65 साल से ऊपर जो वृद्ध हैं, उनको राजस्थान की सरकार पेंशन देगी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। मगर, सभापति महोदय, जिसके 24 साल का बेटा हो, जिसके 25 साल का बेटा हो और उसके पति का निधन हो जाए, राजस्थान की सरकार उसको विधवा नहीं मानती, उसको पात्र नहीं मानती। ऐसे कितने केस हैं, राजस्थान की सरकार फिर किन विधवाओं को सहूलियत दे रही है? क्या 26 साल का जिसका बेटा है और उसका पति गुजर जाए, मर जाए तो क्या राजस्थान की सरकार उसको कोई सहूलियत नहीं देगी? जिसका 25 साल का बेटा हो और उम्र 65 साल हो जाए, राजस्थान की सरकार उसको वृद्ध नहीं मानेगी? मेरा आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि यह लाइन कि उसके 25 साल का बेटा हो, पूरी तरह से हटाकर वृद्ध को वृद्ध और विधवा को विधवा मानकर लोगों को सुविधा दो तब असली राजस्थान के विधवा और वृद्ध को सहूलियत मानी जाएगी।

सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, बावजूद इसके इस बजट में किसानों के लिए क्या किया है? हम तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के एक हिस्से से आये हैं, छह-सात विधायक हैं, मैं आज दावे से कहता हूं कि एक साल के अन्दर राजस्थान का राज आने के बाद न तो खरीफ की फसल हुई है और न रबी की फसल हुई है और ये किसान को कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया।

सभापति महोदय, कल राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेज नम्बर 47 पर यह घोषणा की है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ओलम्पिक, एशियाड एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के बारह खिलाड़ियों को राज्य सरकार पच्चीस बीघा भूमि नि:शुल्क देगी। कहां देगी? इन्दिरा गांधी नहर पर, जहां पर 25 लाख लोग अभी भी मर रहे हैं। उन प्रतिभाओं को वहां

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

पच्चीस बीघा जमीन देकर उनकी कब्र खोदने का काम राजस्थान की सरकार करने जा रही है। सभापति महोदय, इससे तो बेहतर है कि उनको कहीं और पांच-पांच बीघा दे दो, तो कम से कम उनके सम्मान को ठेस नहीं लगेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के इस बजट की इस आधार पर आलोचना करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में खूब इन्होंने वाहवाही लूटने की कोशिश की है मगर इन 13-14 महीनों में न तो कोई द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हुई है और न ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। कल से हमारे सैकड़ों बेरोजगार साथी विद्यार्थी मित्रों ने विधान सभा को घेर रखा है। यहां हमारे साथी ने शून्यकाल में प्रश्न उठाया, पर सरकार ने जबाव देना मुनासिब नहीं समझा। बेरोजगार लोगों के साथ राजस्थान की सरकार ने मजाक बनाने का काम किया है।

सभापति महोदय, हम उस इलाके से चुनाव जीतकर राजस्थान की विधान सभा में आये हैं जो भारत और पाकिस्तान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर है। सभापति महोदय, उस पूरे इलाके के अन्दर जो गंगानगर से शुरू होकर बीकानेर तक और आगे जाता है, हमारे यहां शिवानी पोस्ट है और शिवानी पोस्ट से पिछले पन्द्रह महीनों के अन्दर कम से कम भी एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी आतंककारी राजस्थान में घुसे हैं। राजस्थान की नीतियों का पता लगता है, सभापति महोदय, कि वहां चौकियां मजबूत नहीं हैं और पुलिस थानों में स्टाफ की भारी कमी है। तीन-चार केस तो ऐसे हैं कि मिलिटरी ने शूट किया है, आतंककारियों को। बार्डर पर रहने वाले लोग आतंकित हैं, बार्डर पर रहने वाले लोग तकलीफ में हैं। बार्डर पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां सड़कों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए चाहे ये किन्हीं प्रतिभाओं को विदेश भेजने की बात करें पर गांवों में रहने वाले हमारे बेटा या बेटी विदेश जाने के लिए किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान के एकल प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक अध्यापक है, और जिन विद्यार्थी मित्रों को रखा है उनके ऊपर राजस्थान की सरकार ने तलवार लटका रखी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को अपील करना चाहूंगा, सरसों की खरीद में इन्होंने वैट बढ़ाने की कल घोषणा की है, सभापति महोदय, एक किसान पशुपालक है और वह पशुपालक की हैसियत से अपने परिवार को चलाता है। उसके काश्त नहीं होती उसकी वजह से इन्होंने

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

खल पर दाम बढ़ाये हैं जिससे इन गरीब किसानों को पशुपालकों को भारी नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, कल बजट अभिभाषण चल रहा था, हम भी यहां थोड़ा-सा झुक गये थे। हमारे मीडिया वाले साथियों ने कल फोटो लगायी कि सो रहे हैं। असल में सो नहीं रहे थे, हम चिन्तन और मनन कर रहे थे कि राजस्थान की सरकार हम जो जीतकर आये हैं, उनके साथ इस प्रकार का नाटक कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और लैब टैक्नीशियन का मानदेय बढ़ाया है, हम इसका स्वागत करते हैं। मगर इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि गांवों के अन्दर जो आयुष चिकित्सक हैं उनको सिर्फ आठ हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। ए. एन. एम. और जी. एन. एम. का वेतन दस हजार रुपये तक पहुंच गया है, वहीं चिकित्सा अधिकारी का आठ हजार है, उसके ऊपर इनको मनन करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अपना दूसरा बजट भाषण दिया है, घोर निराशा केवल किसानों के लिए ही नहीं, मजदूरों के लिए भी हुई है, नौजवानों के लिए भी हुई है और विद्यार्थियों के लिए भी हुई है। कोई स्कूल क्रमोन्नत करने की इन्होंने घोषणा नहीं की है। हमने बार-बार इनसे निवेदन किया है कि हमारे इलाके में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ऐसे इलाकों को चिह्नित करें जो बार्डर पर हैं, जहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें। मगर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा तो दूर, जहां स्कूलों में स्टाफ की कमी है, उनकी भर्ती करने का भी प्रयास नहीं किया है। इसलिए मैं इस बजट को किसान, मजदूर, विद्यार्थी और नौजवान विरोधी करार देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा। (अनुपस्थित) श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 09 मार्च को राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह बजट राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके पूर्व में समाज का हर वर्ग का व्यक्ति यह कयास लगा रहा था कि बजट में क्या-क्या राहतें हमें मिलने वाली हैं। हमको भी पत्रकारों ने पूछा, अनिताजी, आप क्या अपेक्षा करती हैं बजट से? मैंने पहली बार में ही उनको यह बताया

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि हमको बजट से अपेक्षा है, महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम, पैट्रोल और डीजल पर जो सैस लगाया हुआ है, उसको समाप्त करेंगे। सबसे पहली अपेक्षा वही है। परन्तु जब दो घंटे तक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पढ़ा, मैं इन्तजार करती रही कि कब वह बारी आएगी और कब वह कहेंगे कि हम पैट्रोल और डीजल के दाम कम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो सैस लगा हुआ है उसको हटा रहे हैं। पूरा दो-ढाई घंटे तक बजट पढ़ा परन्तु एक भी पंक्ति इस विषय में इस बजट में नहीं लिखी गयी है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह बजट पूरी तरह से राजस्थान की आम जनता की कमर तोड़ने वाला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं करें माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): राजस्थान की आम जनता को महंगाई से त्रस्त करने वाला है। अभी जब माननीय कटारियाजी भाई साहब ने बजट की डिबेट की शुरूआत की तब बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किये गये और बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट-स्पष्ट रूप से बतायीं। पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आंकड़ेबाजी आम जनता नहीं समझती कि आंकड़े क्या होते हैं। आम जनता चाहती है कि उसको सस्ता गेहूं मिले, महंगाई कम हो, रोजगार मिले, उसकी सड़क ठीक हो, उसके लिए ठीक ढंग से पेयजल की व्यवस्था हो, चिकित्सालय में उसके लिए डाक्टर्स उपलब्ध हो जाएं। पर यह व्यवस्था कैसे होगी? यह व्यवस्था तभी होगी जब आप इन आंकड़ों में जो प्रावधान रखते हैं उन प्रावधानों को पूरी तरह से खर्च करेंगे, जो बजट रखते हैं उस बजट को पूरी की पूरी जनता के लिए उपयोग करते हैं और अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहूंगी कि किस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने वापस इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी में ले जाने की तरफ अग्रसर किया है। यह आपकी आर्थिक समीक्षा है और इसका पेज नम्बर 15 है, इसको उठा कर देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा, 2003-04 में राजस्व घाटा यह छोड़ कर गये थे 7367 करोड़ रुपये, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, उस सरकार ने इस घाटे को कम करने का प्रयास किया। जो आप 7000 करोड़ रुपये छोड़ कर गये थे, 2004-05 में यह घट कर हमारी सरकार के प्रयत्नों से हुआ 6145 और उसके बाद फिर यह घटा । 2005-06 में यह घट कर हुआ 5150 ।

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसके बाद फिर वर्ष 2006-07 में यह घटा और घट कर आंकड़ा हुआ 3969 करोड़ रुपये, 2007-08 में और यह घटा और हुआ 3408 करोड़ रुपये।

माननीय सभापति महोदय, अब पारी इनको खेलनी है, इनकी बारी आयी तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी सरकार 2003-04 में जो छोड़ कर गयी थी उस आंकड़े पर पहुंचने के लिए धीरे-धीरे कैसे कदम बढ़ा रही है। 2008-09 में रेवेन्यू एस्टीमेट जो था उसके अकोर्डिंग 6714, अब बताइये, 2007-08 में जो 3408 था यह 2008-09 में 6714 कैसे हुआ? यह तो आपने किया न इसको? आप 7000 तो छोड़ कर गये थे, फिर 3000 से 6000 पर ले जा रहे हैं। अब 2009-10 में जो बजट एस्टीमेट है उसमें फिर 6714 से 8419 करोड़ रुपये है। आप 7000 तो छोड़ कर गये थे 2003-04 में और अब जैसे ही सरकार आयी तो 7000 से 8000 पहुंचा दिया। जब तक आप जाओगे शायद 12-13 हजार करोड़ रुपये इसको मायनस में करके जाओगे। ठीक है, ठीक है न?

आप सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हम यह काम कर रहे हैं, पारदर्शी सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है, अच्छा वित्तीय प्रबन्धन कर रही है। यह आपका वित्तीय प्रबन्ध हुआ क्या? बहुत-बहुत डींगें हांकी गयीं और बहुत जोर-शोर से यह बात कही गयी कि हमने बहुत सारी बिजली उत्पादित की है, हमने बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा किया है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, कि बिजली के बारे में इन्होंने क्या किया है, ऊर्जा का खर्चा इन्होंने कितना किया है। यह तो माननीय वसुन्धराजी का भला हो कि उन्होंने प्रोजैक्ट तैयार किये और उनको वित्त पोषित किया। जब आपकी सरकार आयी तो उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया, नहीं तो इतनी भी बिजली नहीं मिलती आपको। यह आपने किया है, एनुअल प्लान की बता रही हूं मैं। ठीक है? यह है ऊर्जा का, 2007-08 में 5692 हमारी सरकार में खर्च हुआ। फिर 2008-09 में 6044 करोड़ रुपये, यह भी हमारी सरकार में खर्च हुआ। अब आपने कितना रखा था इसको, 2010-11 में? 2009-10 में रखा था 7654 करोड़ रुपये, और जब मुख्य मंत्रीजी ने बात कही तो कहा कि बिजली की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे पास हैं लेकिन आपने 7654 रख कर 5246 करोड़ रुपये खर्च किये। यह बताएं, आपने इतना कम पैसा खर्च क्यों किया? जितना रखा था उतना ही करते खर्च, लेकिन आपने खर्च कम किया (व्यवधान) नहीं, चिंतित नहीं हैं, बिजली के लिए

(श्रीमती अनिता भदेल)

चिंतित है ही नहीं, क्योंकि उत्पादन तो हो ही रहा है जो प्रोजैक्ट पहले से तैयार हैं उनसे। तो मैं इतना कहना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, कि जो बात हम कहें वो उतनी ही करें जितनी हमारी क्षमता हो उस काम को करने की।

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात करना चाहती हूं। सुबह भी इस बात की बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कितना बजट प्रोविजन इसमें होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। मैं आपको 2010 जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसका एक आंकड़ा यहां प्रस्तुत करना चाहती हूं। जो हमारा एनुअल प्लान था? 18 हजार करोड़ रुपये उसके अनुसार 2,97,16,255 यह राशि वास्तव में खर्च होनी थी अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन इन्होंने कितनी राशि खर्च की है? 62,16,073, जो इस एनुअल प्लान का मात्र दो प्रतिशत हिस्सा है, 2.09 फिर हम यह कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति की भलाई के बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम अनुसूचित जातियों के लिए यह कर रहे हैं, हम अनुसूचित जातियों के लिए यह कर रहे हैं। इस सम्पूर्ण बजट में अनुसूचित जाति के लिए एक भी पैरा नहीं है, एक भी नवाचार की कोई स्कीम नहीं है। जो वसुन्धराजी ने नवाचार प्रारम्भ किये थे, अन्य पिछड़ा वर्ग तक भी उस योजना का विस्तार किया गया। माननीय गहलोत साहब ने जो चीजें यहां रखीं हैं कि हम जिले में प्रथम आने वाली बालिकाओं को आठवीं, दसवीं और बारहवीं में पुरस्कार देंगे, तो मेरा इतना निवेदन है कि अभी भी अनुसूचित जाति के बालक इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि वो अपनी काबिलियत से पढ़ कर या सरकारी स्कूलों में पढ़ कर जिले में प्रथम आ जाएं। तो मेरा यह सुझाव है, इसमें जिले के साथ-साथ में यह शर्त और जोड़ दी जाए - उसी जाति वर्ग में जिले में जो प्रथम आएगा। तो इस योजना का लाभ कई बालिकाओं को मिलेगा और वो प्रोत्साहन प्राप्त करके आगे की शिक्षा के लिए भी अग्रसर होंगी।

दूसरी बात, महिलाओं के सशक्तीकरण के सन्दर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और यह कहा जाता है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, सुरक्षित मातृत्व की ओर हमारा बहुत ध्यान है, हम जननी सुरक्षा योजना और बालकों पर बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में आंगनबाड़ियों के माध्यम से बहुत सारी

(श्रीमती अनिता भदेल)

सेवाएं सरकार लोगों तक पहुंचाती है, आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में हमारे पास बहुत अच्छा एक नैटवर्क है, हम आम जनता तक, सुदूर गांव में बैठे हुए लोगों तक आंगनबाड़ियों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचते हैं। लेकिन वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो वहां जाकर काम करती है, सबसे पहली बात तो यह है कि उसको प्रैक्टिकल प्राब्लम है वह यह कि उसको चार से पांच प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन करने पड़ते हैं तीन से छः वर्ष की उम्र के अलग, छह से चौदह वर्ष के उम्र के बालकों के अलग, धात्री महिलाओं के अलग और इसके अतिरिक्त जो गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं उनके रजिस्टर अलग। बालकों पर उनको ध्यान देना चाहिए लेकिन बालकों पर ध्यान नहीं देकर उस पुरस्कार का रजिस्टर मेन्टेन करने में ही उनको चार से पांच घंटे लग जाते हैं। वो बालकों पर इतना ध्यान नहीं दे सकतीं जितना ध्यान उनको देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसी काम से गयी थी तो मैंने यहां निदेशालय में माननीय मंत्रीजी का एक विज्ञापन देखा, उसमें उनका बहुत सुन्दर फोटो लगा हुआ है। हम आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्या पोषाहार, धात्री महिलाओं, गर्भावस्था वाली महिलाओं को और तीन से छह वर्ष के बालकों को देते हैं, वो पोषाहार का एडवर्टाईजमेंट उसमें दिखाया गया था। उसमें एक गिलास दूध है, पपीता है, अंगूर हैं, चावल है दही है और रोटी है। मैंने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा खाना सरकार खिला रही है, अपन भी एक बार जाकर देखते हैं। लेकिन जब मैं वहां गयी आंगनबाड़ी केन्द्र पर, तो वहां सिर्फ दलिया दिया जाता है महिलाओं को और उसकी भी जो खर्च करने की सीमा है वह सिर्फ पांच रुपये है। क्या पांच रुपये से उस गरीब महिला का स्वास्थ्य हम ठीक कर सकते हैं? होटल में जाओ तो एक कप चाय भी पांच रुपये की नहीं आती है, लेकिन हम एक वक्त का नाश्ता, एक वक्त के पोषाहार के लिए सिर्फ पांच रुपये खर्च करते हैं। और बालकों के लिए चार रुपये की सीमा है। मेरा इतना निवेदन है कि वहां कोई संभ्रान्त परिवार की महिलाएं नहीं जाती हैं, कोई सक्षम परिवार के बच्चे उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं जाते। जो जरुरतमंद हैं वही बच्चे उन केन्द्रों पर जाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैंने तो एक ही विषय लिया है अभी तक, चार पांच और विषय हैं।

श्री सभापति: आप ही बोल रही हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं बोल रही हूं तो इतना निवेदन है कि सरकार उस पांच रुपये में अपनी ओर से भी राशि मिलाए और गरीब महिलाओं के पोषाहार की पुख्ता व्यवस्था करे ताकि महिला स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है उसको पूरा किया जा सके, उसको स्वस्थ बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त जब हम वहां पर जाते हैं तो कई बार यह जो रजिस्टर मेंटेन करने वाली चीज है इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक कार्यकर्ता पूरे समय रजिस्टर का संधारण ही करती रहती है और उसको बच्चों को देखने या और जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए समय नहीं मिलता। मेरा सुझाव है कि इस व्यवस्था को अलग से किया जाए और इस पोषाहार की जो सीमा है पांच रुपये और चार रुपये, उसको बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: थोड़ा छोटा करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं छोटा ही कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और इसमें पेंशन के बारे में कही गयी है। बार-बार पेंशन की बात आयी है, मैं भी यह बात उठाना चाहती हूं कि भारत में जिस प्रकार से वातावरण परिवर्तित हुआ है और जैसे हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आया है, हमारे रहन-सहन में परिवर्तन आया है, उससे व्यक्ति की औसत आयु सौ वर्ष से घटी है। इसलिए मेरा इतना निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए दो हजार रुपये की राशि बढ़ाई गई है, उसी प्रकार जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इसको 75 वर्ष से घटा कर 65 वर्ष किया जाएगा तो हम अधिक दायरे में लोगों को कवर कर पाएंगे, अधिक से अधिक सुविधा हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और इसमें कही गयी है अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के बारे में कि उनको विकल्प दिया जाए, कि वे राज्य सरकार की नौकरी पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए शर्तें और सेवा नियम अलग से बनेंगे। परन्तु मेरा इतना निवेदन है, हमारे यहां सावित्री कालेज एक बहुत प्रतिष्ठित कालेज है और पिछले डेढ़ सौ-दो सौ वर्षों से संचालित है। यदि यह आप्शन आप उनको देते हैं तो सारे के सारे व्याख्याता निश्चित रुप से गवर्नमेंट जाब में जाएंगे और पूरा महाविद्यालय जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर की पहचान है, उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, वह एक तरह से समाप्त हो जाएगा। सरकार के पास इस बात का प्रस्ताव भी आया है कि सरकार उस महाविद्यालय को अधिग्रहण कर ले और पूरा का पूरा संचालन राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले तो वहां पर जो दो-तीन हजार छात्राएं अध्ययन करती हैं, उनको भी सुविधा होगी और अजमेर की जो एक सुविधा है छात्राओं के लिए, वह भी समाप्त नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अजमेर में मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जो भी चिकित्सालय हैं, उनकी शैयाओं में बढ़ोतरी की गयी है। हर कालेज की शैयाओं में बढ़ोतरी की गयी, लेकिन अजमेर में मात्र सौ शैयाओं की बढ़ोतरी की गयी है। मेरा एक निवेदन है कि अजमेर की यह मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है कि शैयाओं में बढ़ोतरी की जाए। हर वार्ड में पेशें नीचे बैड पर नजर आते हैं, एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पूरे के पूरे पेशेंट को पलंग की सुविधा मिल सके। तो मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से बीकानेर में तीन सौ से ऊपर की शैयाओं की बढ़ोतरी की बात यहां कही गयी है, उसी प्रकार से अजमेर के लिए भी तीन सौ के लगभग शैयाओं की बढ़ोतरी की जाए, तो ही उसके लिए पर्याप्त होगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक बात और कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगी। अजमेर में जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने राजस्थान के तीन शहरों के लिए डवलपमेंट के कार्य स्वीकृत किये थे और माननीय परिवहन मंत्री उसी के तहत बसों के संचालन को हरी झण्डी भी देकर आये थे । 2010 के बजट में माननीय गहलोत साहब ने एक घोषणा की है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं- ''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रिन्युअल मिशन के तहत जयपुर, अजमेर, पुष्कर के विकास हेतु चालू वर्ष में 544 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।'' माननीय सभापति महोदय, इस योजना की शर्त थी कि अजमेर और पुष्कर में जो भी कार्य स्वीकृत होंगे, उनकी अस्सी प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार वहन करेगी, पन्द्रह प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी और पांच प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय वहन करेंगे। लेकिन विभिन्न कार्य स्वीकृत होने के बावजूद भी सरकार

(श्रीमती अनिता भदेल)

की ओर से इसमें पहल नहीं की जा रही है। बजट में प्रोविजन होने के बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया और अधिकारी इतनी अकर्मण्यता से काम कर रहे हैं कि जो योजना मई में पूरी होनी थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

अजमेर-बीसलपुर प्रोजेक्ट, फेज सैकिण्ड, इसकी मैं बात करती हूं जिसके लिए 188 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे। बी जे पी सरकार में सारे टेंडर हो गये, लाइन डल गयी सिर्फ पानी को जोड़ने का काम करना था जो कि अभी तक नहीं हुआ। अब पुनः इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि बीसलपुर फेज सैकिण्ड मई में पूर्ण कर दिया जाएगा। दूसरी बात, बीसलपुर फेज सैकिण्ड, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई-ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए 166 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किये। राज्य सरकार ने मैसूर पैटर्न पर करने के कारण से जो टेंडर हो चुके थे, उनको कैन्सिल करके पुनः मैसूर पैटर्न पर उसके एस्टीमेट बनाये। अब वह योजना 166 करोड़ से बढ़कर 720 करोड़ रुपये की हो गयी है, केन्द्र सरकार ने पैसा देने के लिए मनाही की है। लेकिन राज्य सरकार को अभी तक यह ध्यान नहीं है कि यदि केन्द्र सरकार का यह 166 करोड़ भी नहीं मिलेगा तो बाकी का सरकार के पास तो पैसा है ही नहीं, फिर यह योजना कैसे पूर्ण होगी। इस योजना को दिसम्बर 2010 में पूर्ण होना है, कब टेंडर होंगे, कब काम होगा? केन्द्र सरकार हमें पैसा दे रही है उसका हम उपयोग कर लें, बाद में आप उसको मैसूर पैटर्न पर करते रहें। कैसे आपको व्यवस्था करनी है, आप जानें, परन्तु जो पैसा हमारे पास है उसका उपयोग हो जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अरबन रिन्युअल आफ दरगाह एरिया, इस दरगाह एरिया के रिन्युअल के लिए भी केन्द्र सरकार ने अड़तीस करोड़ रुपये दिये थे फरवरी 2008 में, वे पूरे होंगे मार्च 2011 में।

श्री सभापति: Madam, would you please finish now.

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, अजमेर के विकास का पैसा है, केन्द्र सरकार ने रिलीज किया है।

श्री सभापति: I believe that you don’t like to give you the bell.

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इसको कम्प्लीट कर लूं फिर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी।

मेरा निवेदन इतना है कि ये काम मार्च 2011 में पूर्ण होने थे, फरवरी 2008 से सैंक्शंड वर्क हैं, 2008 निकल गया, 2009 निकल गया, 2010 शुरु

(श्रीमती अनिता भदेल)

हो गया, 2011 में कम्प्लीट होने हैं, कब दरगाह एरिया के ये सारे काम कम्प्लीट होंगे, पता नहीं। अभी तक टेंडर नहीं, कोई राशि की यू सी नहीं, कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर भी ध्यान दिया जाए।

इसके अतिरिक्त अजमेर, पुष्कर का सीवरेज प्रोजेक्ट 112 करोड़ रुपये का 19 अगस्त, 2008 को स्वीकृत, मार्च 2012 तक कम्प्लीट होना है...

श्री सभापति: Madam, please cut it short now. Please sum up now.

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की राशि नहीं मिल रही है। मैं समाप्त कर रही हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि जो केन्द्र सरकार से राशि आयी है, बड़ी मुश्किल से डी पी आर तैयार करके बी जे पी सरकार ने वह राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराई थी, उसका उपयोग हम कर लें।

एक बात कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी, माननीय सभापति महोदय, कि गरीब तभी खुशहाल होगा जब उसको हम अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देंगे। उसको पैसे की सहायता नहीं चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और रोजगार उसको मिले। इस सरकार ने बजट में रोजगार की एक भी घोषणा नहीं की है, उससे युवाओं में बहुत निराशा है, वे हताश हैं। हजारों युवक बी एड करके बैठे हैं, नर्सिंग कालेज में चार-चार लाख रुपये लगाकर लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग करके बैठे हैं, तो कम से कम रोजगार मिले, सरकार इस ओर ध्यान दे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदनलाल वर्मा।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सन् 2011 का बजट पेश किया गया, उस बजट के माध्यम से राजस्थान की लगभग 6 करोड़ जनसंख्या के दिल में यह विश्वास पैदा हुआ कि पारदर्शी और संवेदनशील सरकार ने राजस्थान की जनता के लिये, राजस्थान के गरीब के लिये, राजस्थान के मजदूर के लिये, राजस्थान के किसान के लिये और राजस्थान के छात्रों के लिये जो सरकार से उम्मीद और अपेक्षा लिये हैं, वास्तव में इस बजट के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री मदन लाल वर्मा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने योजना का आकार बढ़ाकर 23,822 करोड़ की योजना पेश की, उस योजना के द्वारा इस बजट का अधिकांश हिस्सा गांव के गरीब को समर्पित है, मजदूर को समर्पित है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ बी सी, अल्पसंख्यक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उन सबको इस बजट के माध्यम से राहत देने का मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले सालों में राजस्थान में नरेगा के माध्यम से गांव के मजदूर को रोजगार मिला। जबकि इससे पूर्व यह स्थिति थी कि हजारों की तादाद में मजदूर गांव से पलायन करते थे दूर-दूर रोजगार के अवसर ढूंढने के लिये। दूरस्थ बड़े-बड़े शहरों में जाते थे। आज इस योजना के माध्यम से गांव का मजदूर अपने ही गांव में रहकर अपनी आजीविका कमा रहा है और इस योजना का लाभ उसके घर तक पहुंच रहा है। उसके परिवार को इस योजना के माध्यम से 100 रुपये रोज मजदूरी मिल रही है। इस योजना के माध्यम से उसका परिवार सक्षम हो रहा है। इस योजना में पिछले समय काफी कुछ विसंगतियां थीं, धीरे-धीरे आज एक साल के शासन में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस योजना को चुस्त-दुरुस्त करके उसका लाभ सीधा मजदूर को मिले उसका पूरा-पूरा प्रयास किया गया है।

राजस्थान की ढाणी, गांव, वहां के लोगों को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि सड़कों से हम जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद 100, 250 और 300 की आबादी वाले जो गांव राजस्थान में बच गये थे ऐसे कम से कम 5787 ढाणी, मजरों को जोड़ने का इस बजट में प्रस्ताव रखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में इच्छा है गांव का विकास करने की, वह निश्चित ही एक सराहनीय कदम है।

राजस्थान में इस बजट में लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा विद्युत के नाम पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा, यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है। हम सभी माननीय सदस्य प्रजातंत्र में अपने-अपने वोट मांगने जब गांवों में जाते हैं, निश्चित ही वहां का किसान, वहां का मजदूर, वहां का हर वर्ग का आदमी हमसे विकास की अपेक्षा रखता है कि हमारे यहां बिजली की सुविधा पूरी मिलनी चाहिये। आज खेत में खड़े किसान को यदि बिजली की पूरी सहायता मिलती है तो निश्चित ही सरकार के लिये बहुत सुखद बात है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में किसानों को 6 से 7 घण्टे सिंचाई के लिये बिजली की व्यवस्था लगातार चार महीने से हुई है, आज किसान के दिल में

(श्री मदन लाल वर्मा)

इस बात का भरोसा है कि राजस्थान के संवेदनशील मुख्य मंत्री जो पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं, वे निश्चित ही राजस्थान के किसानों का भला करेंगे। आज इस बजट के माध्यम से 33 के.वी.ए. के 320 जी एस एस स्थापित करने का उन्होंने लक्ष्य रखा क्योंकि बड़े-बड़े पावर हाउस तो निश्चित ही शहरों की तरफ जाएंगे, बाकी 33 के.वी.ए. के 320 जी एस एस फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत गांव के विद्युत प्रसारण तंत्र को मजबूत करने में सहायक होंगे और वहां के किसान को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रावधान किया है।

किसान सरकार से यह अपेक्षा रखता है कि उसके हितों की रक्षा हो, उसको विकास की इस कड़ी में पूरा-पूरा लाभ मिले। जो सरकार शासन कर रही है उस सरकार की योजना गरीब के, किसान के घर तक, झोंपड़ी तक पहुंचे, तभी उस किसान को उस सरकार का महत्व मालूम पड़ता है। आज मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने गांव के गरीब तक पहुंचने का प्रयास किया। जो आदमी झोंपड़ी में बैठा है वृद्धावस्था में, चाहे वह विधवा हो, विकलांग हो, नि:शक्तजन हो, ऐसे लोगों तक पहुंचकर उन लोगों की पेंशन की राशि बढ़ायी, निश्चित ही हमारे मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग पर ध्यान इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरी तरह से दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भी इसमें प्रावधान किया है। छात्रावासों का निर्माण और नये छात्रावास खोलने के इसमें प्रावधान किये हैं। एक खास बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिये जयपुर में छात्रावास खोलने का इस बजट में प्रावधान किया, यह बहुत स्वागत योग्य बात है। हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं शिक्षा से वंचित थीं, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक आगे नहीं बढ़ पा रही थीं, उन छात्राओं का ध्यान रखकर उस वर्ग के ऊपर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान गया, सरकार का ध्यान गया। उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर मजबूती देने का प्रयास निश्चित ही हमारे लिये बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय, एक बात का प्रावधान मुख्य मंत्रीजी ने और किया कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति के लिये 10 रुपये

(श्री मदन लाल वर्मा)

का जो स्टाम्प पेपर का शुल्क लगता था, उसको मुक्त करके इस प्रदेश के हजारों छात्रों को और सभी नागरिकों को राहत प्रदान की है। यह निश्चित ही हमारे लिये बहुत अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में झालावाड़ जिले के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने जो ध्यान दिया, उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में महिला थाना खोलने का निर्णय लेकर झालावाड़ जिले को भी इसमें शामिल किया।

सिंचाई क्षेत्र में झालावाड़ जिले की जो हमारी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं- कालीखाड़, गुलेंडी, पृथुपुरा, गागरीन, पीपलाज, उन सभी परियोजनाओं को इस बजट में शामिल किया, इसके लिये मैं और झालावाड़ जिले की जनता मुख्य मंत्रीजी की आभारी है।

कोटा स्टोन के हमारे झालावाड़ जिले में जो उद्यमी हैं- काफी लोग कोटा स्टोन का काम करते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं। हजारों की तादाद में इस व्यवसाय से झालावाड़ जिले के लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस बजट में राहत मिली, उनका जो टैक्स था उसको कम करने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। पूरे झालावाड़ जिले के उद्यमियों की तरफ से मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक काम और मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में किया कि गांव में नर्स का काम जो करती थीं, एन आर एच एम में जो नर्स का काम करती थीं उनका पारिश्रमिक 4,500 था, उनका गांवों में ठहराव निश्चित हो, गांवों में चिकित्सा सुविधा मिले और उस चिकित्सा सुविधा के जरिये गांवों को लाभ मिले, इस उद्देश्य से उन नर्सों की तनख्वाह बढ़ाकर 7,500 की, यह स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा झालावाड़ जिले के लिये। झालावाड़ जिले में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, जहां पर दूसरे राज्यों के छात्र भी अध्ययन कर रहे हैं। काफी लम्बे समय से दो करोड़ रुपये के अभाव में उस महाविद्यालय के कार्य रुक गये थे, वहां पर सुविधाओं का अभाव था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो करोड़ रुपयों का प्रावधान करके इस बजट में झालावाड़ जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूती दी है, हम सब मुख्य मंत्रीजी के इस अवसर पर आभारी हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात, चम्बल नदी के शुद्धिकरण के लिए

(श्री मदन लाल वर्मा)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 149 करोड़ का प्रावधान रखा है, इसके लिए हम कोटा डिवीजन के सभी लोग उनके आभारी हैं। सामाजिक सहायता के रूप में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन बढ़ायी, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ायी और उन लोगों की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, तबके हैं। जो सरकार से यह अपेक्षा लगाये बैठे हैं कि सरकार की सहायता, और सरकार का विकास हम तक पहुंचे और निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी ने वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, और सरकार की योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): सभापति महोदय, इसके साथ एक बात और है, गरीबों को राहत उपलब्ध कराने की घोषणा करके मुख्य मंत्रीजी ने उन गरीब परिवारों की झोंपड़ी तक सहायता पहुंचाकर इस पारदर्शिता, प्रतिबद्धता वाली सरकार का जो विश्वास जनता के प्रति है, उसको दर्शाया है। इस प्रदेश का गरीब, मजदूर और किसान जो हम पर भरोसा करता है, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने उन हजारों, लाखों मजदूरों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, इस बजट का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, किसानों के प्रति भी ध्यान दिया गया, पहले फसल बीमा 10 जिलों में ही था, उसके बाद सम्पूर्ण राजस्थान में फसल बीमा का प्रावधान आज इस प्रदेश के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा, यह निश्चित है। राजस्थान के 27 जिले भयंकर अकाल की चपेट में हैं और उसके बाद जो परिस्थितियां हमारे यहां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है, यह राजस्थान के हजारों किसानों के लिए बहुत लाभदायक है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल के लिए लगभग अनुसूचित जातियों की 900 बस्तियों का चयन करके उन लोगों को पेयजल योजनाओं से जोड़ने का प्रावधान किया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं। उन्होंने उन गरीबों का ध्यान रखकर उन तक पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): इसके साथ ही नरेगा में जो पंचायतों में रोजगार सहायक का काम करते थे, उन लोगों का मानदेय बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। वहां पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को 2500 रूपये मिल रहे थे, आज उन्हें 3500 रुपये का प्रावधान किया है, ताकि वह ईमानदारी से अच्छा काम करे और गांव के लोगों को रोजगार देने में सहयोग करे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए इस बजट का स्वागत करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: जनाब अब्दुल सगीर।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जनाब सदरे मोहतरम, मैं अपनी बजट तकरीर का इस शेर के साथ आगाज करना चाहूंगा- सूना-सूना है सारा मयखाना, होम मिनिस्टर साहब, 'सूना-सूना है सारा मयखाना और रिन्द सारे उदास बैठे हैं।

वादाकश सजे हैं मेजों पर, कुर्सियों पर गिलास बैठे हैं।

और उन्हीं को सौंप दी तकदीर गुलिस्तानों की' जिनको दामन की पता है ना गिरहबानों की।' और मैं होम मिनिस्टर साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं कि' 'तू इधर-उधर की ना बात कर, तू बता ये काफिले क्यों लूटे। और, मुझे रहजनों से है क्या गरज, तेरी रहबरी का सवाल है'।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): शेर बोलो तो सही बोलो ... (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में अपना बजट पेश किया है और मैं अपने ज्ञान के मुताबिक उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जादूगर हैं, मर्चेंट आफ ड्रीम्स हैं और बड़ी कार्यकुशलता से उन्होंने अपनी जादूगरी इस बजट में पेश की है। एक हाथ की सफाई से उन्होंने जनता को कुछ दिया है और उससे कहीं ज्यादा जनता से ले लिया है। यह उनके हाथ की सफाई का कमाल है, मैं उन्हें दाद देता हूं और बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, बजट बनाने के लिए a lot of planning is required. और यह राजस्थान की डेस्टिनी का प्रश्न है कि बजट कैसा हो, राजस्थान प्रगति की ओर जाए या राजस्थान स्टेगनेंट रहे। यह बजट it is inflationary. It is stagnant, directionless and without a direction.. किस तरफ आप राजस्थान

(श्री अब्दुल सगीर खां)

को लेकर जाना चाहते हैं? आपके एलोकेशन क्या हैं बजट के? शर्म की बात है कि एक-सवा साल होने के बाद इस राजस्थान के पास उद्योग की कोई नीति ही नहीं है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि कितने उद्योग आप खोलेंगे। सवा साल के अन्दर अगर यह सरकार उद्योग की नीति नहीं बना सकती, एग्रीकल्चर की नीति नहीं बना सकती तो शर्म की बात है। आप किस तरह की इकोनोमी बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड या इंडस्ट्री बेस्ड? आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आप किसानों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं।

सभापति महोदय, आपने विधवाओं को पेंशन दी, आप गरीबों को, भिखारियों को पैसा बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसी योजना बनाई जिसके तहत राजस्थान का गरीब, मजदूर और किसान अपने पैरों पर खड़ा हो और राजस्थान हिन्दुस्तान के नक्शे में एक नम्बर पर नहीं तो कम से कम दसवें नम्बर पर तो आ जाए?

सभापति महोदय, जो-जो एलोकेशन किये गये हैं, राजस्थान खास तौर से मशहूर है, जयपुर मशहूर है, जोधपुर मशहूर है, उदयपुर मशहूर है तो ट्यूरिज्म के लिए। बहुत कुशल मंत्री हैं बीना काकजी, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी सोच है, सब कुछ है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी मेहरबान नहीं थे, मात्र 400 करोड़ रुपये उसके लिए अलॉट किये हैं। अगर आप राजस्थान को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार ट्यूरिज्म था जिससे आप फोरेन एक्सचेंज भी कमा सकते थे और इस राजस्थान के अन्दर खुशहाली ला सकते थे। लेकिन सोच नहीं है। सवाल है सोच का। बजट आते हैं, आते रहेंगे, हमारी सरकार ने भी बजट पेश किया, आपकी सरकार ने भी बजट पेश किया लेकिन बजट पेश करते वक्त आपको यह तय करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या हैं। प्राथमिकतायें क्या हैं। यह धन जनता की अमानत है इसको सिर्फ बांटने का काम ही प्रोग्रेसिव नहीं है, आपको ऐसी इकोनामी बनानी पड़ेगी भविष्य को दिमाग में रख कर। लेकिन राजस्थान का वह भविष्य मुझे इस बजट में झलकता हुआ नजर नहीं आता है। राजस्थान की इकोनामी को मजबूत करना है तो आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। और जहां तक प्रायोरिटी का सवाल है, किसी भी इकोनोमी को मजबूत करने के लिए या तो आप कृषि प्रधान हों या आप इण्डस्ट्री प्रधान हों। इण्डस्ट्री की बात नहीं, कृषि में आपने कुछ सुविधाएं दी हैं किसान को, लेकिन दूसरे हाथ से ले ली हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आंकड़ों सहित यह साबित कर दिया है

(श्री अब्दुल सगीर खां)

इस सदन में कि यह सरकार सिर्फ जादूगरी का कार्य कर रही है और उसके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अप्रैल और मई में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की हरित राजस्थान की, बड़ी अच्छी भावना थी। मैंने भी कहा, बड़ा अच्छा विचार है, पूरा राजस्थान हरा-भरा नजर आएगा। गर्मी का मौसम, अप्रैल-मई, पशु और पक्षी बड़ी शिद्दत से गर्मी से कांप रहे थे, पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे थे और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने छाती बाहर निकाल कर कहा कि हम पेड़-पौधे लगाएंगे। 3 करोड़ 80 लाख पौधे लगाये गये, मुझे नहीं लगता कि वे 15 दिन भी चले हैं। उन पौधों का क्या हुआ? एक हजार करोड़ रुपए इण्डिविजुअल इन्कम टैक्स पेयर्स की जेब से गये, आपने एक हजार करोड़ रुपए का सत्यानाश कर दिया। It is a criminal negligence on the part of the Government which deserves to be prosecuted for the criminal negligence.

माननीय सभापति महोदय, एक-एक पैसा गरीब जब टैक्स देता है तो सरकार को बहुत सोच-समझ कर योजनाएं बनानी पड़ेंगी। एक हजार करोड़ अगर किसी अच्छे काम में लगता तो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन उसके लिए सोच चाहिए, विजन चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, मात्र भावना से काम नहीं चलेगा। आप हो सकता है, बाड़मेर के महात्मा गांधी हो, मुझे मालूम है, आपकी Dr Pro poor इमेज है, आप गरीबों के मसीहा हैं, बी पी एल को आपने दो रुपए किलो गेहूं दिया है, आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि राजस्थान की इकोनोमी को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है। आप अपने आप को गरीबों और अल्पसंख्यकों का मसीहा कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान किया? मात्र दो करोड़ रुपए। यह औकात है राजस्थान के पूरे अल्पसंख्यकों की। आप दो करोड़ रुपयों से उनको बुक्स देंगे, कम्प्यूटर्स देंगे, आई टी की कहीं पांच शाखाएं खोल देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप तथाकथित जो अल्पसंख्यकों के मसीहा अपने आप को कहने का दावा करते हो, आपको इस समाज को शिक्षित करना होगा, इसको मेनस्ट्रीम से जोड़ना होगा। हिन्दुस्तान का वफादार मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ेगा, आप इन्हें शिक्षित करें। इसके लिए हमको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं, हम रिजर्वेशन के हामी नहीं हैं, हम खुद्दार लोग हैं और मैं खास तौर से व्यक्तिगत रूप से

(श्री अब्दुल सगीर खां)

रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। आप हर गरीब को जिसमें मुसलमान भी हैं, शिक्षित बनाएं, अपने पैरों पर उनको खड़ा करें और उनको आप नौकरियां दें जिससे कि यह समाज भी आगे आए।

मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भिन्न-भिन्न विभागों में जैसे हैल्थ की बात है, अब हमारे जो हैल्थ मिनिस्टर हैं, बहुत शरीफ इन्सान हैं, नेक इन्सान हैं, मैंने हमेशा, हर बार उनको इस बात के लिए बधाई दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो दुर्दशा है मेडिकल हास्पिटल्स की, वह देखने योग्य है। अगर आप अपने आप को कम्पेयर करना चाहते हैं, अपनी तुलना करना चाहते हैं तो आप राजस्थान से बाहर निकल कर देखिए कि कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आज महाराष्ट्र में है। आप अपनी तुलना कीजिए। आप कूप मंडूक हैं, आप खुश हैं जिस परिस्थिति में रह रहे हैं। लेकिन कभी आपने तुलना की अपने आप की महाराष्ट्र से? कभी तुलना की आपने गुजरात से? कभी तुलना की आपने कर्नाटक से? क्या कभी आपने तुलना की और हिन्दुस्तान के प्रदेश हैं जिन्होंने तरक्की की है उनसे? राजस्थान का मारवाड़ी समाज आज महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर राजस्थान को गौरवान्वित कर रहा है। यह शर्म की बात है हम सबके लिए कि इतने मारवाड़ी लोग आज महाराष्ट्र को सम्पन्न बना रहे हैं, गुजरात को सम्पन्न बना रहे हैं लेकिन राजस्थान में इन्वैस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी को उद्योग में दिलचस्पी नहीं है, वह मात्र कृषि की बात करते हैं। जब कभी भी वह सत्ता में आते हैं तो अकाल पड़ता है,

आज भी पूरा राजस्थान पानी के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, पानी और बिजली कृषि के लिए बहुत जरूरी हैं। आज बिना बिजली की कल्पना किए हुए, पानी की कल्पना किए हुए क्या आप कृषि का उत्थान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज यह सवाल है कि कहां-कहां से हमारे जन प्रतिनिधि जीते हैं। जहां पूर्वी राजस्थान है, चाहे वह धौलपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, झालावाड़ हो, जहां पानी है। धौलपुर में पानी है, चम्बल नदी से हम पूरे राजस्थान को पानी देने के लिए तैयार हैं, भरतपुर को हम पानी दे रहे हैं। हमारे पास बिजली भी है, हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन भी हैं लेकिन केवल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आज धौलपुर जिले के अन्दर कांग्रेस का सफाया हो गया। इसलिए धौलपुर के अन्दर इण्डस्ट्री नहीं लगेगी, धौलपुर के अन्दर कोई कार्य नहीं होगा। आज धौलपुर जिले में मात्र एक कालेज है। बाड़ी के हमारे यहां आदरणीय पार्लियामेंटरी

(श्री अब्दुल सगीर खां)

सेक्रेटरी हैं गिर्राजसिंहजी मलिंगा, उनकी बहुत बड़ी मांग है कि बाड़ी के अन्दर कालेज हो, 20 साल से मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्रीजी की उन पर कृपा नहीं हैं। बाड़ी के अन्दर जिला कालेज नहीं है, धौलपुर जिले में कोई गर्ल्स कालेज नहीं है।

हमारी सरकार ने, आदरणीय वसुन्धरा राजेजी ने लिफ्ट इर्रिगेशन की घोषणा की थी, उस लिफ्ट इर्रिगेशन परियोजना की फाइल दिल्ली में लटकी हुई है। मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि एन्वायर्नमेंट रिलेटेड आब्जेक्शन्स हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): चंद मिनट लूंगा।

लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर आप लिफ्ट इर्रिगेशन परियोजना लेकर आते हैं तो धौलपुर जिले की तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी और धौलपुर जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, वहां पर डकैती की समस्या है, वहां पर क्राइम जो होते हैं यह क्राइम होने की वजह गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, अगर आप इण्डस्ट्री वहां सैट-अप करते हैं तो ये क्राइम और ये ओफेंसेज, यह डकैती, लूट, यह रॉबरी बंद हो जाएगी और धौलपुर तरक्की की ओर चला जाएगा।

श्री सभापति: Hon'ble Member, please sit down.

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): इसी तरह से भरतपुर और दूसरा क्षेत्र है, उन सबके अन्दर आप फैक्ट्रीज लगाएं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं हैं, रेगिस्तान में फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मजदूर चाहिए। और भी उसके लिए इन्ग्रेडिएण्ट्स, इनपुट्स चाहिए जो हमारे क्षेत्र में हैं, आप क्यों नहीं लगाना चाहते? सिर्फ इसलिए कि हम लोग विरोध में बैठे हैं और हम बी जे पी से सम्बन्धित हैं।

श्री सभापति: Would you please cut it short?

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस का एक प्लान है कि हम किस तरह से राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दें। किसी तरह से आप इसमें लगे हुए हैं, आप विकास के लिए नहीं लगे लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी-

हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं,
जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(समय : 19.00 बजे)

फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे,
वोह शमां क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
धन्यवाद, थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की बैठक के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा वेट की दरों में परिवर्तन की सदन के बाहर घोषणा करने बाबत

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, I am on a point of order.

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय। मुझे एक मिनट की अनुमति दें, सभापति महोदय। आज ही सुबह महंगाई पर हुई बहस की जिस तरह चर्चा चली, उसके बाद प्रतिपक्ष के दबाव में आकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन चलते हुए सदन के बाहर घोषणा की है कि राजस्थान वैट अधिनियम के शिड्यूल चार में वर्णित वस्तुओं पर वेट 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया था, वह प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, पैडी, चावल, जौ, तिल और सरसों, मूंगफली तेल, सोयाबीन पर लागू नहीं होगी। इसका तो मैं स्वागत करता हूं, सभापति महोदय, परन्तु यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के संकलन 1952 से 2008 के बीच में जो महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह एक तरह से पूरे सदन की अवमानना हुई है...

(समय : 19.01 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

यह निश्चित तौर पर प्रिविलेज का मोशन तो बनेगा ही। पर, सभापति महोदय, अगर इसी तरह चलते हुए सदन के अन्दर राज्य के मुख्य मंत्री बाहर घोषणा करेंगे, यह सदन का अपमान है। मैं आपका ध्यान अध्यक्ष के महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पेज 692 की ओर दिलाना चाहता हूं। जब सदन चल रहा हो तो नीति संबंधी निर्णयों की सूचना सर्वप्रथम सदन को दी जानी चाहिए। 10 दिसम्बर, 1959 को औद्योगिक पदामर्शदात्री परिषद् के समक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिये गये मुख्य मंत्री के वक्तव्यों पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया। '' इस प्रकार सदन के बाहर वक्तव्य दिया जाना विशेषाधिकार के हनन की गणना में आता है। यहां इतना अवश्य बताना चाहूंगा कभी भी सरकार द्वारा इस तरह के नीति संबंधी कोई निर्णय लिये जाएं, सदन की बैठक चालू हो, उन निर्णयों की सूचना सर्वप्रथम सदन को दी जानी चाहिए।'' सभापति महोदय, यही नहीं कई निर्णय हैं, मैं एक अन्य निर्णय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 6 मार्च, 1964 को अध्यक्षीय निर्णय हुआ है। इस प्रकार सदन के बाहर निर्णय दिये जाने के संबंध में इस सदन के समक्ष 10 दिसम्बर, 1959 को माननीय अध्यक्ष के द्वारा एक व्यवस्था दी जा चुकी है जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है। जब कभी सरकार द्वारा इस तरह का नीति संबंधी कोई निर्णय हो और उस समय सदन की बैठक चालू हो, उस निर्णय की सूचना सर्वप्रथम सदन को दी जानी चाहिए।

यह, सभापति माहदेय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सरासर सदन की अवमानना है, यह सदन का अपमान है। सदन चल रहा हो, मुख्य मंत्रीजी ने वेट को 4 परसेंट से 5 परसेंट किया, उनका अधिकार क्षेत्र था, मुख्य मंत्री ने वेट को 5 परसेंट से 4 परसेंट वापस लेकर आए, कुछ जिंसों में छूट दी, हम उसके विरोध में नहीं हैं परन्तु अच्छा रहता मुख्य मंत्रीजी का उत्तर आना था, मुख्य मंत्रीजी यहां सदन में आते, सदन में आकर उन कारणों को स्पष्ट करते, जिन कारणों के कारण उन्होंने प्रतिपक्ष के दबाव में आकर उनकी बात मानी। मैं यह भी जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि जो इन्होंने शिड्यूल में चेंज किया है उससे कितना स्टेट एक्सचैकर पर हमें नुकसान होगा। इन सब की चर्चा अगर इसमें होती, यह फाइनेंस बिल के रूप में आएगा, फाइनेंस बिल में सब का खुलासा होता तो हम आपकी बात का स्वागत करते। इसलिए, सभापति महोदय, यह अत्यन्त गंभीर बात है, सदन के अपमान की बात है। प्रिविलेज का मोशन, उप नेता महोदय, मैं आपका सहयोग चाहूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप विधिवेत्ता भी हैं, यह मेरी बात नहीं है, यह सदन में बैठे हुए सब लोगों की बात है। इसमें, सभापति महोदय, सबसे पहले आपकी व्यवस्था दी जानी चाहिए और, उप नेता महोदय, मेरी प्रार्थना आपसे है कि इसके ऊपर आपको भी प्रकाश डालना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिए ......(व्यवधान)......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

न तो पक्ष का है, न विपक्ष का है, यह पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में उस ओर बैठने वाले और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों का भी प्रश्न नहीं है, यह भारत में स्थापित, भारत में ही नहीं पार्लियामेंटरी सिस्टम आफ डेमोक्रेसी में स्थापित सारे जो नार्म्स हैं, उनमें अगर शुरू से चर्चा करें, एक नहीं है, माननीय सचेतक महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, चाहे पी जी मावलंकर साहब, जो हमारे पहले पार्लियामेंट के मेम्बर थे, अनंगसमन आयंगर साहब जो हमारे थे, हुकुमसिंह जी जो हमारे वहां पर पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं, उन सब की व्यवस्था है। राजस्थान विधान सभा में स्वर्गीय रामनिवास जी मिर्धा की व्यवस्था है और माननीय सदस्यों की व्यवस्था है कि राजस्थान की विधान सभा में जब एक बार, कोई भी महत्वपूर्ण यह तो बजट है, सभापति महोदय, बजट के अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणा सदन चलते समय सदन के बाहर करना सदन की मानहानि, सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन है, किसी पक्ष और विशेष पक्ष का नहीं है बल्कि विशेषाधिकार का भी हनन है।

सभापति महोदय, इसमें विशेषाधिकार के हनन का लिखित में प्रश्न उठाना भी जरूरी नहीं है, यह प्रक्रिया को ही तय कर देंगे। चलते हुए सदन में सन् तो याद नहीं है मुझे, चलते हुए सदन में हमने प्रश्न उठाया था, स्वर्गीय श्री हरिदेवजी जोशी उस समय मुख्य मंत्री थे, कोई उन्होंने घोषणा कर दी थी, पूनमचंदजी विश्नोई सभापति के पद पर थे, उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था दी, वह अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं मिलेगा, मुझे इस समय वह याद नहीं है, लेकिन नियम यह है कि सदन जब चले तो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणा सदन के बाहर करना सदन की अवमानना है, सदन की मर्यादाओं का हनन है और केवल एक सदस्य का ही नहीं है, प्रतिपक्ष का नहीं, सम्पूर्ण सदन का अपमान भी है। सभापति महोदय, इस प्रश्न को आप सामान्य रूप से नहीं ले सकते, इस प्रश्न पर आपको मुख्य मंत्रीजी को यहां बुलाना पड़ेगा। (व्यवधान) मैं मेरी बात कम्प्लीट कर दूं Let me complete. I am on a, point of order. (व्यवधान) इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्योंकि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं, एक यह उठाया है कि मुख्य मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत करते समय वैट की दर 4 से 5 परसेंट की, यह फाइनेंशियल मामला है। उससे कितना टैक्स आया, यह भी उन्होंने बताया है। अब जब कि बजट पर आम बहस चल रही है, बजट की बहस का उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जवाब देना है, मुख्य मंत्रीजी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वह सदन के बाहर इस प्रकार की घोषणा करें। यह सदन का बहुत बड़ा अपमान है और सभापति महोदय, एक पक्ष की ही मत सुनिए, आप इस विषय पर मुख्य मंत्रीजी को बुलाइए और बुला कर मुख्य मंत्रीजी को पूछिए आप कि मुख्य मंत्री महोदय, इस सारे सदन का आपने अपमान क्यों किया है। आपको उनको बुलाना पड़ेगा। और मुख्य मंत्रीजी को बुला कर के इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। और मुख्य मंत्रीजी को सदन के सामने बताना पड़ेगा या तो वह यह कहें कि मैंने यह घोषणा नहीं की है क्योंकि वह केवल और केवल विधान सभा के अन्दर इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं, विधान सभा के बाहर इस प्रकार की घोषणा करने का उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे वह प्रतिपक्ष में हों, किसी भी माननीय सदस्य को, लेकिन सरकार इस प्रकार की घोषणा सदन के बाहर नहीं कर सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण गम्भीर और सदन की मर्यादाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, इसीलिए आप इसको तुरन्त निपटाने के बजाय इसको देखिए, इस पर बातचीत करिए और बातचीत करके यह घोषणा कीजिए, जो किताब में अंकित हो। इसलिए मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, कि पहले यहां मुख्य मंत्रीजी को बुलाया जाए, मुख्य मंत्रीजी आएं और सदन में स्पष्टीकरण करें कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि नहीं की है और अगर की है तो सीधा-सीधा प्रिविलेज का हनन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दें, बोलने दें। (व्यवधान) मुख्य सचेतक खड़े हैं न, बैठें आप। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य और माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य जो कि प्रतिपक्ष के उप नेता भी हैं, उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाये जाने की एक रीति भी है, फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले वस्तुस्थिति से आप अवगत हों और आपकी व्यवस्था को आप उसके अनुरूप दें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा गम्भीर मामला कोई हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी बात सुन ली। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सदन की कार्यवाही चल रही है, सदन में कल घोषणा की है मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री सभापति: आपकी बात सुन ली। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और आज पत्रकार वार्ता में दूसरी घोषणा कर रहे हैं .....(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप कोई नई बात कह रहे हो? वह सारी कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, यह मामला नहीं हो सकता ......(व्यवधान) यह सदन का अपमान है ......(व्यवधान) और मुख्य मंत्रीजी के द्वारा इस प्रकार अपमान किया जाना यह सदन के लिए गरिमामय नहीं है ......(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): यह जो बात कह रहे हैं ...... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, इनके कार्यकाल में इनकी मुख्य मंत्री साहिबा ने जो सदन के बाहर घोषणा की थी, उस पर सदन के अन्दर अध्यक्ष महोदय ने क्या व्यवस्था दी, उसको आप देख। लें क्योंकि इनकी आदत पड़ी हुई है ......(व्यवधान इसलिए यह आरोप लगा रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें स्पष्ट कहा गया है ......(व्यवधान)......

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इनके समय में भी हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, ऐसा नहीं है। आपने ठीक कहा, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। मैं कोई वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं, जो आपके मुख्य सचेतक बेनीवाल साहब ने बात कही है, मैं कह रहा हूं, सभापति महोदय, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं चार लाइन- ''जयपुर, 10 मार्च राज्य के बजट, 2010-11 में आम आदमी के प्रयोग में आने वाले सभी खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन आदि वस्तुओं पर कोई कर नहीं बढ़ाया गया है।'' अब इसमें देखिये, इसके अलावा मुख्य मंत्री श्री अशोक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गहलोत ने इन आदेशों का अनुमोदन कर दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने आज फाइल में इन आदेशों का अनुमोदन किया है कि मैंने जो वैट बढ़ाया है मैं इसमें से इन चीजों को हटा रहा हूं। कोई अधिकार नहीं है, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई अधिकार नहीं है। यह डीपीआर का कागज है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोई अधिकार नहीं है, किसी भी कीमत पर अधिकार नहीं है। कागज यह बोल कर कह रहा है, कौन अपमान कर सकता है सदन का? यह डीपीआर का कागज है, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह डीपीआर का कागज है, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मैं हस्ताक्षर करके इस कागज को टेबल कर रहा हूं। अपने हस्ताक्षर करके टेबल कर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बजट भाषण में कहां है? बजट भाषण में खाद्यान्न पर बढ़ाया, वह कहां पर है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सदन चलता रहे और मुख्य मंत्री जी सदन के बाहर जाकर आदेश जारी कर दें इस बात का.....

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं टेबल करना चाहता हूं यह कागज, जो डीपीआर ने जारी किया है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ..... मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह बात कही, हाउस को मिसलीड किया गया। (व्यवधान) आज पूरे दिन भर डिबेट चली है, इस पर हजारों रुपये खर्च हुए हैं। (व्यवधान) बहस में हजारों रुपये खर्च हुए हैं। (व्यवधान) हाउस को मिसलीड किया गया है और इस पर एक्शन होना चाहिए, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। इस सदन की कार्यवाही चल रही है और मुख्य मंत्रीजी ने जब 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत वैट करने की घोषणा की है और आज वो सदन का उपयोग नहीं करके बाहर इस प्रकार की घोषणा करते हैं, इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो यह पूरे सदन का अपमान है। यह पूरे सदन का अपमान है और मुख्य मंत्रीजी को अधिकार नहीं है इस बात का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यही नहीं, चर्चा यह है कि मुख्य मंत्रीजी से आज सुबह कुछ लोग मिले- कौन लोग मिले, कैसे मिले, किस दबाव में आकर सदन के चलते सदन के बाहर उन्होंने इस तरह की घोषणा की, यह हवा में कई यक्ष प्रश्न तैर रहे हैं। सभापति महोदय, यह छोटी बात नहीं है, मैंने अध्यक्षीय निर्णयों के साथ इस बात को आपके सामने रखा है, मुझे व्यवस्था दीजिये। सभापति महोदय, आपकी विद्वता का पूरा सदन कायल है, आप जैसे विद्वान आदमी आसन पर विराजे हों और उसके बाद व्यवस्था नहीं हो किसी रूप में, यह हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। (व्यवधान) आप नियमों के विपरीत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, जब मुख्य सचेतकजी ने कह दिया कि वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने टेबल किया है। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): ..... कुछ नहीं कह रहे हैं। जब तक क्या कहा उसके बारे में मालूम नहीं पड़ जाए तब तक कोई....... (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मुख्य सचेतक महोदय ने कह दिया कि आप वस्तुस्थिति से अवगत हो जाएं और पूर्व में इस तरह की क्या व्यवस्था दी अध्यक्ष ने वह आप देख लें, उसके अनुरूप व्यवस्था दे दें। (व्यवधान) पूर्व मुख्य मंत्री साहिबा के समय में हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया, विराजो। माननीय सदस्य विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, यह संविधान का भी अपमान है, सदन का भी अपमान है, इसको लाइटली नहीं लें। यह बड़ा गम्भीर मसला है। यह सारी प्रक्रिया प्रीसीडेंट हो जाएगी और सदन का कोई महत्व नहीं रहेगा। सदन का महत्व टोटल खत्म हो जाएगा। इस प्रकार सरकार सदन के बाहर मर्जी आए जो घोषणा कर देगी तो इस सदन का यूज क्या है? ग्राम पंचायत का स्तर है उससे भी नीचे चली जायेगी यह बात। आप इस पर व्यवस्था फर्माएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, एक एक ही बात बोले जा रहे हैं। सारा प्रतिपक्ष एक ही बात कह रहा है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): यह व्यवस्था भविष्य के लिए काम आएगी। (व्यवधान) आप व्यवस्था दें, यह बड़ा गम्भीर मसला है सभापतिजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुख्य मंत्रीजी आएं और वो यह बताएं कि उन्होंने कम किया है या नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम सदन के नेता के मुख से सारी चीज की जानकारी चाहते हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि कल तो क्या कारण था कि 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत उन्होंने वैट किया इन चीजों पर और आज ऐसे क्या कारण थे कि उनको वापस लेना पड़ा और वो भी सदन में घोषणा नहीं की, बाहर घोषणा की। इसमें कोई न कोई गड़बड़ नजर आती है। क्या कारण है, इसका स्पष्टीकरण सदन में करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गड़बड़ कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में नई परम्पराएं पड़ जाएं चाहे इस सदन का महत्व घट जाए..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपके अधिकारों को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आपको सज़ा दिलाने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सब अगर एक साथ बोलेंगे तो मैं व्यवस्था क्या दूंगा?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, आप इनको तो बिठा दो पहले। (व्यवधान) सभापति महोदय, सारी व्यवस्था इधर ही दोगे? हमारी भी सुनिये आप। सारी व्यवस्था इधर ही देनी है? बार-बार एक ही बात सब बोल रहे हैं। उप नेता महोदय घनश्यामजी तिवाड़ी बोल गये, उन्होंने अपनी बात कह दी, सुन ली। वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी फिर भी भाषण चले जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आपके नेता महोदय बोल चुके और आपकी बात मैंने सुन ली।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अभी जवाब आ जाएगा इस पर?

श्री सभापति: मैं सारी स्थिति को देखकर सदन के अन्दर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कब तक दे देंगे?

श्री सभापति: यह आसन पर छोड़िये आप। श्री रमेश मीणा।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, इस सदन के दूसरे बजट को मुख्य मंत्रीजी ने नगरपालिका और पंचायती राज चुनावों में मिली सफलता को समर्पित किया है। मुझे ध्यान है, 7 साल पहले 'इण्डिया टुडे' में एक लेख छपा था जिसमें श्रीमान् अशोकजी गहलोत को देश के प्रथम मुख्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। इस बार भी ऐसा लग रहा है, पिछली बार जैसे सरकार चलाई थी और अति आत्मविश्वास में जिस तरह से जनता के हितों के खिलाफ फैसले लिये जा रहे हैं, आगे उसके परिणाम मिलने वाले हैं। उससे पहले इन्होंने जो प्राथमिकता बताई हैं उनमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को पुन: 9 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा है। दूसरा विकास को अधिक समावेशी बनाना, तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर बल देना, चौथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना, पांचवां, शिक्षा के अवसर बढ़ाना, छठा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और सातवां, प्रशासन में विभिन्न स्तर पर सरकारी प्रणाली और संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ करने पर बल देना। इन सात बिन्दुओं में हम सबसे पहले बिंदु को लेते हैं कि किस तरह इस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9 प्रतिशत पर रहेगा। तो जो पिछला रिकार्ड है उसके आधार पर इस बार का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2.5 प्रतिशत आ रहा है, जो उससे पहले लगातार 4-5 सालों में हमेशा 6 प्रतिशत, उससे पहले 9 प्रतिशत, उससे पहले 12 प्रतिशत और उससे पहले 9 प्रतिशत यानि सब महंगाई मुद्रा स्फीति के बावजूद भी सारे कारकों को ध्यान में रखकर भी काफी संतोषजनक रहा था। इस सरकार के कारण पहली बार यह सकल घरेलू उत्पाद 2.51 प्रतिशत रहा है, यह सोचने की बात है। आखिर में राजस्थान को उन्नतिशील, राष्ट्रीय पटल पर, विश्व पटल पर आगे रखने के लिए किस तरह करना है, यह हम सभी सदस्यों के लिए सोचने की बात है।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

कुछ बातें ऐसी हैं जो पक्ष-विपक्ष की तरह करनी चाहिए लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको, सदन को राजस्थान के गौरव को बढ़ाने के लिए करना जरूरी हैं। उनमें लगातार स्थिर कीमतों पर अगर इस तरह आगे चलता रहा तो यह नकारात्मक जाने वाला है क्योंकि मुद्रा स्फीति के प्रभाव अभी आने बाकी हैं। सबसे अधिक तो इस बार के बजट में विशेष चिंता का विषय कृषि, सिंचाई, पेयजल आदि को लेकर जो उपेक्षा की गई है, और उसके पहले के प्रोजैक्ट थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसके बारे में है। इसमें आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए कृषि के उत्पाद को बढ़ाना बहुत जरूरी था। अन्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और दूसरे प्रगतिशील स्टेट जैसे पंजाब आदि हैं, केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1100 रुपये डिक्लेयर किया है उससे बढ़ाकर भी कई राज्यों ने किया है, मध्य प्रदेश ने भी ज्यादा बढ़ाकर किया है। विपरीत परिस्थितियों में गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए इस साल जो केन्द्र सरकार ने 1100 रुपये समर्थन मूल्य रखा, उस पर हमें विचार करना चाहिए और कम से कम 1400 रुपये इसको कर देना चाहिए जिससे कि यहां गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों को काफी सीमा तक आगे के लिए प्रोत्साहन भी मिले और उनको एक आर्थिक बल मिले। इसके साथ-साथ खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में भी इससे सहायता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि शिक्षा के अवसर बढ़ाये जाएंगे।

...परन्तु इस राज्य में काफी विद्यालय इस तरह के हैं 10 से 12वीं में क्रमोन्नति के जो 1974-75 से क्रमोन्नति की राह देख रहे हैं। कुछ-कुछ विद्यालय पिछले सालों में क्रमोन्नत होते रहे हैं, काफी विद्यालय अब तक क्रमोन्नत हो चुके हैं फिर भी लगभग 100 के ऊपर विद्यालय ऐसे हैं जो 1975 से लेकर और 2007 तक बने हैं और वे अभी क्रमोन्नत नहीं हुए हैं, सभी मानदण्डों को पूरा करते हैं। ऐसे विद्यालय जो 1974-75-80 के माध्यमिक विद्यालय हैं, अभी तक क्रमोन्नत नहीं हुए हैं, जो ठीक से चल रहे हैं, उनको इस सरकार के रहते हुए, इस सरकार के द्वारा इसी बजट में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

इसके बाद में आज राजस्थान की तहसीलों में अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं जिनमें अभी तक कालेज नहीं हैं। करौली जिले में केवल पांच कालेज हैं, वे भी सभी तहसीलों में नहीं हैं जबकि

(श्री रमेश चन्द मीणा)

एक कालेज में ज्यादा से ज्यादा प्रति वर्ष 100-125-150 एडमिशन होते हैं। उन एडमिशन्स को अगर ध्यान में लिया जाए तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रामीण इलाकों के छात्र पलायन करके शहरी इलाकों की तरफ आते हैं। यह जो चुम्बक की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, उसमें यह भी एक बहुत बड़ा कारक है क्योंकि रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में उनको कम उपलब्ध हैं। अध्यापक भी अगर पोस्टेड है तो वह भी शहरों में इसलिए जा रहा है कि उसके बच्चों को उस तरह की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। 10वीं से 12वीं तक के भी स्कूल बहुत-सी जगह नहीं हैं तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ अर्थव्यवस्था का एकतरफा प्रवाह अभी चल रहा है। इस तरह इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है।

पीने के पानी के बारे में सम्पूर्ण राजस्थान में काफी चिंताजनक बात है। परन्तु जल संरक्षण और उसके संवर्द्धन के लिए आगे आने वाले समय के लिए क्या करना चाहिए? मोटे तौर पर जल नीति हमारे राज्य में तैयार की गई है, पिछले समय से, लगभग सवा साल से, हम देख रहे हैं, सवाई माधोपुर-करौली जिले के 1,200 गांवों के लिए चम्बल लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की गई थी पेयजल के लिए, उनकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपये थी। और 187 करोड़ रुपये अभी तक इन्वैस्ट हो चुके हैं, परन्तु जब से यह सरकार आई है, तब से उसका टोटली काम बंद हो चुका है, जंग लग चुकी है और प्रोजैक्ट ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब तो दुबारा चालू भी करेंगे तो भी कम से कम 10-20 करोड़ रुपये का नुकसान उसमें 187 करोड़ रुपये के अलावा और भी होने वाला है। एक तरफ तो दूसरे नवीन गांवों के लिए घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुराने प्रोजैक्ट हैं, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, विशेषकर पूरी तरह से एक क्षेत्र विशेष के लिए। यह सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है, अकुशल प्रबन्धन का परिणाम है जिसके कारण से 187 करोड़ रुपये अभी तक वेस्ट पड़े हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। लक्ष्य के मुताबिक तो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था और इससे लगभग 10 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाती।

इस परियोजना में चम्बल से लिफ्ट होकर टोडाभीम-नादौती को भी पानी जाना था, उसमें बीच में करौली कस्बा पड़ता है, करौली जिला मुख्यालय

(श्री रमेश चन्द मीणा)

पड़ता है। करौली शहर है जिसमें आर.यू.आई.डी.पी. का प्रोजेक्ट है। हमको ऐसी सूचना मिली वहां से और यहां से भी मालूम हुआ है कि आर.यू.आई.डी.पी. के प्रोजैक्ट में लगभग 30 करोड़ रुपये का पेयजल का प्रावधान करौली शहर के लिए रखा गया है। जब यह परियोजना पूरी नहीं होगी तो 187 करोड़ रुपये के साथ-साथ ये 30 करोड़ रुपये भी पुन: वेस्ट होने वाले हैं। ठेकेदारों को पैसा मिल जाएगा, और जो भी हिस्सा है जिनको जहां-जहां मिलना है, अधिकारियों से लेकर सरकार तक, मिल सकता है लेकिन जनता को पानी नहीं मिलने वाला। कारण कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल एक्शन ग्रुप बना हुआ है और आगे की पर्यावरण की मंजूरी के लिए है, उस पर सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, ऐसा मालूम चला है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केवल एक प्रोजैक्ट है, 25,000 बीपीएल कनेक्शन करौली जिले में होने थे। बीपीएल कम्पनी को ठेका दिया था, एपीएल कनेक्शन का ठेका भी उनके पास था। मार्च तक का प्रोजेक्ट था लेकिन अभी तक मात्र 4,000 कनेक्शन दे सके हैं। जैसे-जैसे डिले होता जा रहा है, उसी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के बावजूद भी कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक। तीन बार यह मामला जिला कमेटी में भी उठ चुका है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस तरफ ध्यान दें ताकि। आगे चलकर इस बात की शिकायत नहीं आए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: सम-अप करो। श्री कैलाश जी भंसाली (अनुपस्थित) श्री सुखरामजी कोली।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, कल वित्त मंत्री के तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट यहां पर पेश किया, अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले यह चार पंक्तियां उस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा-

"सब्ज बाग की टोकरी, दिखा गये गहलोत।
दिखा गये गहलोत, चली महंगाई की आरी।
बिजली का बिल देख, रो रही दुनिया सारी।

(श्री सुखराम)

महंगा डीजल देख, रो रही चीनी प्यारी ।

दाल बहन का हाल, न अब तुम मुझसे पूछो।

लूट डकैती हाल, यह सरकार से पूछो।"

किस तरह की राजस्थान की तस्वीर उन्होंने पेश की है, यह तस्वीर इस बजट में स्पष्ट दिखाई देती है। कोई भी बजट जिसकी इंगित करता है उसकी प्रतिछवि योजनाओं में दिखाई देती है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में क्या कुछ है, यह तो जो बजट विशेषज्ञ हैं, वे ही जाने। हमारे तो सीधे -सीधे सब कुछ ऊपर से ही निकल गया है। हम तो इतना ही जानते हैं कि धौलपुर की घोर उपेक्षा इसमें की गई है। धौलपुर जिला पूरे राजस्थान में पिछड़ा हुआ है, धौलपुर जिले की एक ही पहचान है डकैती, लूटपाट इत्यादि। धौलपुर को इस बजट में कुछ नहीं मिला है।

अगर हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले शिक्षा के बारे में, तो पहले से ही धौलपुर में शिक्षा की कमी है। पूरे धौलपुर में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में संचालित है और उस महाविद्यालय में भी स्टाफ की कमी है। अभी वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। बार-बार एक ही मांग उठती आई हमारा जो बाड़ी कस्बा है वह धौलपुर जिले के बीचों-बीच स्थित है, वहां पर अगर एक कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति मिलती तो निश्चित रूप से धौलपुर जिले की जो बालिकाएं सिर्फ सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी की शिक्षा प्राप्त कर घर बैठ जाती हैं, उनको सम्बल मिलता और उनकी निश्चित रूप से कुछ उन्नति होती। परन्तु इस सरकार की अनीति ने हमारे धौलपुर जिले को शिक्षा से और उस महाविद्यालय से वंचित रखा।

सभापति महोदय, हमारा धौलपुर जिला और विशेषकर बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र डांग क्षेत्र है और इस डांग क्षेत्र के विद्यालयों में 45 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां पर आज अध्यापक नहीं हैं। अगर सरकार इन विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की व्यवस्था करती तो निश्चित तौर से धौलपुर जिले के युवाओं के जो हाथ बंदूक की तरफ जाते हैं, लूटपाट की तरफ जाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगता। आये दिन होने वाली घटनाओं पर प्रतिबंध लगता और निश्चित तौर से हमारा धौलपुर जिला विकास की राह पर आगे चलता।

अगर पेयजल की बात है बजट में बयासी गांवों की एक पेयजल

(श्री सुखराम)

योजना थी जो सरमथुरा नाम से स्वीकृत थी, उसमें नाम जरूर आया है कि बयासी गांव की पेयजल व्यवस्था को इसमें व्यवस्थित किया गया है परन्तु उसमें क्या कुछ दिया, यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। सभापति महोदय, गर्मी का समय आने वाला है और इस गर्मी के समय में डांग क्षेत्र में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है, उस डांग क्षेत्र की ऐसी घोर उपेक्षा के बावजूद भी इस बजट को आमजन का बजट बताया जा रहा है, यह हमारी समझ से तो बिलकुल ही परे है। सभापति महोदय, यह धौलपुर जिला है, आप अगर धौलपुर की जनता की उपेक्षा करेंगे तो, निश्चित रूप से अगर धौलपुर से भरतपुर के लिए पानी जाएगा तो उसी समय जायेगा जब सबसे पहले राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी को पानी मिलेगा, तब भरतपुर के लिए पानी जाने देंगे। या दूसरे जिलों के लिए तब पानी जाने देंगे जब पहले धौलपुर के लिए पानी होगा। हां, सीधी-सच्ची बात है साहब। (व्यवधान) धौलपुर को तो एक ही काफी है, क्या दिक्कत है,

अस्पताल की स्थिति, सभापति महोदय, बसेड़ी और सरमथुरा दोनों ही अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ दोनों की हमेशा से कमी रहती है। सभापति महोदय, सरमथुरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अगर धौलपुर तक जाया जाए तो 70 किलोमीटर पड़ता है। अगर एक प्रसूता को झिरी से सरमथुरा तक लाया जाता है झिरी से सरमथुरा और सरमथुरा से धौलपुर जाती है वह प्रसूता तो निश्चित रूप से 122 किलोमीटर पड़ता है, इतना होने पर तो उसका राम ही रखवाला है, (व्यवधान) हां, यह सही कह रहे हैं डाक्टर साहब कि बच्चे की उम्र ही नहीं रह जाएगी जब तक वह धौलपुर पहुंचेगा। सभापति महोदय, हम तो बड़ी आस लिये हुए थे कि और किसी को कुछ मिले या नहीं मिले, हमारे डांग क्षेत्र को कुछ न कुछ मिलेगा। पर कुछ नहीं मिला। हमें मिला तो वही ढाक के तीन पात। (व्यवधान) यहां पर बाड़ी है, बाड़ी में जिस तरह से शैया बढ़ाई गई, वास्तव में धन्यवाद की पात्र है सरकार। परन्तु उसमें जो मूलभूत आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ अगर सरकार ध्यान देती तब जाकर मरीजों का भला होता। सभापति महोदय, आप कह रहे हैं डाक्टरों की, अस्पतालों की, इसमें धौलपुर जिले का एक जगह नाम आया है कि वहां पर आईसीयू वार्ड खोला जायेगा। पांच साल से आईसीयू वार्ड चल रहा है वहां पर। इसमें छह जगह ऐसी घोषणाएं हैं धौलपुर की मैं बता सकता हूं। सेपऊ में एक पंचायत भवन की स्वीकृति दी है

(श्री सुखराम)

परन्तु वह पंचायत भवन तीन साल पहले ही बनकर कम्प्लीट हो गया। झिरी से लेकर के करौली रोड, उसे आज बने हुए डेढ़ साल हो गया, बजट में अब प्रस्ताव आ रहा है। यह कौन सी वो है? (व्यवधान) आप नहीं जानते धौलपुर के बारे में तो मत बोलो। धौलपुर के बारे में आपको पता नहीं है, धौलपुर वाले समझ लेंगे तो फिर बोलेंगे नहीं आप। यहां सबसे बड़ी जो हमारी आवश्यकता है, सभापति महोदय....

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): चम्बल के पानी का कमाल नहीं देखा है अभी धौलपुर का।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सरकार से अगर आशा थी धौलपुर जिले को तो वह थी चम्बल लिफ्ट योजना। चम्बल लिफ्ट योजना अगर स्वीकृत होती तो निश्चित रूप से राजाखेड़ा, बाड़ी, धौलपुर और विशेषकर बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के लिए एक वरदान सिद्ध होती। चम्बल लिफ्ट योजना से रामसागर बांध में, पार्वती बांध में और उर्मिला सागर बाँध में, अगर उसमें पानी डालते, तो निश्चित रूप से पानी पीने के लिए तो मिलता ही, साथ ही साथ सिंचाई को भी, जहां पर एक लाख छत्तीस हजार लोग वहां फायदा उठाते। बाड़ी विधान सभा क्षेत्र, धौलपुर, राजाखेड़ा, यह तीनों का एक भविष्य है चम्बल लिफ्ट योजना। बीजेपी सरकार ने उस चम्बल लिफ्ट योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यरूप में परिणत किया था। हम सोच रहे थे कि चलो, एक साल निकल गया, इस साल तो हमारी चम्बल लिफ्ट योजना कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से आ ही जायेगी परंतु देख कर हाल हमारा भी बेहाल हो गया कि चम्बल लिफ्ट योजना की तरफ कोस-कोस तक मुख्य मंत्रीजी का ध्यान ही नहीं है। कुछ नहीं देते हमको, एक यह चम्बल लिफ्ट योजना तो स्वीकृत कर देते।

सेवर पुल, यह एक सीधा-सादा एम.पी. से जोड़ने वाला पुल है। अब वह सेवर पाली वाला पुल अगर बन जाता तो मध्य प्रदेश सीधा-सीधा पाली से जुड़ता, जो दुर्गम क्षेत्र है, जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे धौलपुर के बारे में, माननीय सदस्य, यह वह क्षेत्र है जहां जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर नाम भी सुन लो तो शायद तीन दिन तक आपको नींद नहीं आए। यह वह झिरी क्षेत्र है जहां पर डकैतों के सौ-सौ गैंगों के, निर्भय गुर्जर जैसे शरण लेते हैं। अगर वह पुल बन जाता तो निश्चित रूप से वहां पर डाकुओं की संख्या

(श्री सुखराम)

कम होती। परन्तु सरकार ने उस अधरझूल में पड़े हुए पुल को भी स्वीकृत नहीं किया।

पत्थर हमारे धौलपुर जिले का मूल व्यवसाय है। पत्थर व्यवसायियों के वहां पर कई गैंग-सा यूनिट लगे हुए हैं परन्तु वहां पर डकैतों का इतना आतंक है कि आये दिन वहां पर कोई न कोई आ जाता है ले चिट्ठी ढाई लाख की, कि ले आइयो, ले चिट्ठी तीन लाख की। यह चिट्ठी की परम्परा धौलपुर में, सभापति महोदय, मुझे तो डर लगता है कि कोई न कोई डकैत आकर सभापति को दे जाएगा ढाई लाख की चिट्ठी या मुख्य मंत्रीजी को पकड़ा जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि धौलपुर क्या चीज है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन था कि इन पत्थर व्यवसायियों को बचाने के लिए वहां पर उनको संरक्षण प्राप्त होता, उनके लिए कोई विशेष नीति बनती जिससे पत्थर व्यवसाय बढ़ता। यह वह पत्थर है जिससे लाल किले की इमारत बनी है, यह वह पत्थर है जिससे राष्ट्रपति भवन बना है, यह वह पत्थर है जिससे इंडिया गेट बना, परन्तु आज उसी पत्थर के व्यवसायियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। चाहे डकैत एक दिन में चिट्ठी दे या चार दिन में चिट्ठी दे, उसका रक्षक कोई नहीं है। जब व्यवसायी एस.पी. के पास जाते हैं तो वह दुत्कार कर भगा देता है और कहता है कि डकैत क्या घोड़े पर बैठकर थोड़े ही आये हैं आपको लूटने। अरे भाइयों, वैसे भी चारों तरफ इतना आतंक मचा हुआ है, लोग-बाग़ धरने पर बैठे हुए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं अपनी लाज बचाने के लिए, परन्तु सरकार ने उन पत्थर व्यवसायियों को संरक्षण देने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई।

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सभापति महोदय, एक विशेष निवेदन है, यहां पर गृह मंत्रीजी बैठे तो हैं नहीं, परन्तु आपके माध्यम से मांग है जो विशेष धौलपुर के लिए आवश्यक है। धौलपुर जिला डाकू प्रभावित क्षेत्र है और इसके लिए पुलिस नकारा साबित होती है। अगर किसी डाकू के विरूद्ध कार्यवाही करती भी है तो वह कार्यवाही इतनी होती है कि पहले उसको कोई न कोई गांव वाला मार देता है, खाई से खड़ा कर लेते हैं फिर वह मरे-मराये को पुलिस वाले गोली देते हैं, इतनी ही कार्यवाही होती है परंतु उस पर..(व्यवधान) वह सही बात है, भइया। एडीएफ की व्यवस्था है धौलपुर में, परंतु धौलपुर का

(श्री सुखराम)

एडीएफ धौलपुर में है, वह धौलपुर का कार्यालय एडीएफ कार्यालय सरमथुरा में होना चाहिए। जो एडीएफ के जवान हैं, जिन जवानों को डकैतों की अत्याधुनिक बंदूकों का सामना करना पड़ता है, उनके पास आज वही थ्री-नॉट-थ्री की बंदूकें हैं, एक खटारा गाड़ी है, जो अगर स्टार्ट हो तो छह महीने में सरमथुरा पहुंचे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस एडीएफ फोर्स के लिए नई गाड़ी और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाएं। परशु राम जैसे सिपाही हैं जो डकैतों की गोली से घायल हुए, परन्तु सरकार ने उसे किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया। ऐसे जवानों का सम्मान करना चाहिए, वह सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

श्री सभापति: सम-अप करें माननीय सदस्य। अब समाप्त करें आप।

श्री सुखराम (बसेड़ी): दो मिनट लूंगा। यहां पर एक...

श्री सभापति: माननीय सदस्य सम-अप करें अब।

श्री सुखराम (बसेड़ी): आपसे इतना निवेदन है कि धौलपुर जिले के लिए एक विशेष कार्य नीति बनती। क्यों? क्योंकि धौलपुर के पास बिजली है परन्तु उस बिजली का उपयोग वह उस धौलपुर के लिए नहीं कर रहे हैं, सीधी जयपुर के लिए आ रही हैं। धौलपुर के पास लगा हुआ आगरा है, आगरा का सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण के कारण वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है...

श्री सभापति: अब संक्षिप्त कर दो आप। अभी डिमाण्ड के ऊपर काफी समय है अपने पास में।

श्री सुखराम (बसेड़ी): और यह ट्रांसफर धौलपुर हो सकता था। इस प्रकार की योजना बनती क्योंकि धौलपुर के पास जमीन है, लेबर है, बिजली है, चंबल का पानी है। सब कुछ होते हुए भी उस धौलपुर के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं दिया। हम तो बड़ी आशा लिए हुए थे, परन्तु वह आशा हमारी निराशा में बदल गई।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सिर्फ मैं यह दो पंक्तियों में धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोतजी को, धन्यवाद गहलोतजी,

धन्यवाद गहलोतजी, जादू गिरी कमाल। आम आदमी को कर दिया तुमने आज हलाल। दिया नहीं बिजली, पानी, और महंगाई ने पिला दिया तुमको भी पानी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में कल सदन में जो 2010-11 का बजट प्रस्तुत किया, वह बजट लोक कल्याणकारी और विकासोन्मुख है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सरकारी प्रणाली संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। आम आदमी गरीब किसान, महिला, खिलाड़ियों, युवाओं, गांव, शहर, उद्योग, व्यापार हर वर्ग को समर्पित बजट है। जिससे प्रदेश के समग्र विकास की राह आसान होगी। ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और पेयजल को प्राथमिकता दी गई है। स्थानीय निकायों को कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा जिससे स्थानीय निकायों के काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। राजकीय भुगतान नकद न करके बैंक में डाकघर के माध्यम से किया जाएगा, इससे डाकघरों के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में नवाचार के लिए 5 करोड़ का कोष गठित कर राज्य कर्मचारियों के अधिकारों के लिए स्थानान्तरण की अलग से नीति बनाई जाएगी। स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य में शहरीकरण आयोग का गठन किया जाएगा जिससे शहरों के विकास को नया आयाम मिलेगा। शहरी निकायों के लिए 400 करोड़ रुपए के राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड की स्थापना स्वागत योग्य कदम है। नगरीय विकास कर को सरल बनाया जाएगा। कच्ची बस्तियों में राजीव आवास प्रारम्भ करने की योजना है, यह योजना एक स्वागत योग्य कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। जयपुर के समान नगरपालिका क्षेत्र में पत्रकारों को प्राथमिकता से रियायती दर पर भूखण्ड और मकान आबंटन की जो घोषणा की गई है। यह एक अच्छा व स्वागत योग्य कदम है। जन अभाव अभियोग निराकरण अभियोग का गठन किया जाएगा, यह भी एक अच्छा कदम है। सार्वजनिक निर्माण के बारे में कहना चाहूंगी केन्द्रीय सड़क निधि और राज्य सरकार के मदों से सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिससे सभी जिले लाभान्वित होंगे। आरएसआरडीसी द्वारा 1350 किलोमीटर की 19 सड़कें 2 हजार करोड़ नाबार्ड के सहयोग से निर्मित की जाएंगी। नाबार्ड के सहयोग से 160 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनेंगी जिनकी लागत 76 करोड़ 75 लाख आएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। अजमेर में कायड़

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

विश्राम स्थली का सम्पर्क मार्ग निर्मित किया जाएगा। जिसमें 1 करोड़ की लागत आएगी 1 करोड़ की लागत की घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, इस घोषणा का मैं स्वागत करती हूं। क्योंकि कायड़ मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, मैं इसका हार्दिक स्वागत करती हूं और मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूं। इस सम्पर्क मार्ग के बनने से उसमें आने वाले राहगीरों को सिटी में एप्रोच रोड मिलेगा और क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लिए भी सुविधाएं होंगी। राज्य में पहली बार ऊर्जा के लिए 765 के.वी. के 2 जी.एस.एस. अंता और फागी में स्वीकृत किए गए हैं जिन पर 2 हजार 56 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण करने हेतु आगामी वर्ष में 33 के.वी. के 320 जी.एस.एस. स्थापित करना प्रस्तावित हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी और विद्युत आपूर्ति से क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है इसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही बिजली की समस्याएं ज्यादा होती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली निर्बाध गति से मिलती रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की जो समस्या है उसका समाधान भी होगा। चालू वर्ष में 64 हजार आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किए हैं, और 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। पेयजल के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल नीति तैयार की है, हम उसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 508 करोड़ की राशि पुन: जारी करने से वर्ष 2010-11 में काफी हद तक पेयजल समस्या का निदान होगा। आगामी वर्ष में आपदा राहत नीति से पेयजल के लिए 80 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रावधान है, हम उसका स्वागत करते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बी.पी.एल जीवन रक्षा कोष योजना से 26 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया है, इसका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 28 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है मुख्य मंत्री सहायता कोष से, आगामी वर्ष में 500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का लक्ष्य है। जिसमें 55 करोड़ की लागत आएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होगी। वृद्धजनों की देखभाल के लिए जेरियाट्रिक केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसका भी हम स्वागत करते हैं, इससे वृद्धजनों को चिकित्सा सुविधा में अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी, उनका इलाज अच्छे से हो पाएगा। 150 एम्बुलेंस खरीदी

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

जाएंगी 108-एम्बुलेंस जो जीवनदायिनी साबित हुई हैं। जो एक्सीडेंटल जोन पर पहुंचती हैं और तत्काल सुविधा उपलब्ध कराती हैं। जहां कोई नजदीक अस्पताल होता है वहां मरीजों को पहुंचाया जाता है। संविदा नर्सिंग कर्मियों का वेतन साढ़े 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े 7 हजार रुपए कर दिया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। इससे संविदा कर्मियों को राहत मिलेगी और उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा। राज्य के 15 जिला अस्पतालों को कम्प्यूटराइज किया जाएगा। 15 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक, 10 यूनानी नए औषधालय खोले जाएंगे। यह चिकित्सा की तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी की चिंता और संवेदनशीलता का परिणाम हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी घोषणाएं की हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। यूनानी निदेशालय की घोषणा भी एक स्वागत योग्य कदम है, एक सराहनीय कदम है। इसकी तो सराहना विपक्ष में बैठे हुए हमारे माननीय विधायकों से भी, इस सदन से भी मैं कहना चाहूंगी कि आपको भी करनी चाहिए। यूनानी पद्धति पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, उसका हमको स्वागत करना चाहिए। जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कालेज अजमेर में 85 लाख रुपए की लागत से संक्रामक रोगों के लिए एक वार्ड व 1 करोड़ की लागत से शिशु शल्य गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। अजमेर संभाग में मेडिकल कालेज में शिशु चिकित्सा के लिए इतना बजट देने के लिए अजमेर संभाग की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी की आभारी है। जनता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का ही यह परिणाम है। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से विशेष पिछड़ा वर्ग-गुर्जरों, बंजारा, गाड़िया लुहार, रैबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए निर्णय लिया गया है कि 10वीं के बाद उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। विशेष पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए अधीनस्थ सेवाओं के लिए 50 हजार की, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इससे पिछड़ी जाति के युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और वे अधिक सक्षम बन सकेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए मदरसों को क्रमोन्नत किया जाएगा। मदरसों को 2 करोड़ का बजट दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगी कि मदरसों को जो बजट दिया गया है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 करोड़ का छोटा बजट है। मदरसे आल ओवर राजस्थान में चलते हैं, ये शिक्षा देते हैं, इसका बजट बढ़ाया जाए। शिक्षा के उद्देश्य से जयपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, इससे अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएं जो चौथी-पांचवीं पढ़कर शिक्षा छोड़ देती थीं, उनको छात्रावास में रह कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

अवसर मिलेगा इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां पांच आईटीआई खोले जाएंगे, यह भी स्वागत योग्य कदम है, अल्पसंख्यकों के उत्साहवर्धन का बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। वक्फ बोर्ड को पैंतालीस लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार सही मायने में अल्संख्यकों के हितैषी हैं और यह अल्पसंख्यकों को सुदृढ़ बनाने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति स्तर पर पच्चीस लाख व ग्राम पंचायत स्तर पर दस लाख की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे, इससे ग्रामीण क्षेत्र को अब सरकारी...

श्री सभापति: समाप्त करें अब।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सर, पांच मिनट। योजनाओं की जानकारी लेने में आसानी होगी। संविदाकर्मी रोजगार सहायकों का जो वेतन बढ़ाया गया है, मानदेय बढ़ाया गया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की पात्रता के अनुसार आबादी के पट्टे दिये जाने की जो घोषणा की गई उसका हम स्वागत करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 1975 के बाद अभी तक आबादी विस्तार नहीं हुआ, इससे आबादी का विस्तार होगा और लोगों को सुविधाएं होगी, रहने का मकान मिल पाएंगे, अतिक्रमण भी बंद होंगे। डेढ़ सौ विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी और राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन भी किया जायेगा। गांवों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गांवों का मास्टरप्लान बनाया जाएगा यह भी एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। मौसम आधारित फसल बीमा भी एक अच्छा कदम है, इसमें 160 करोड़ रुपये की लागत आएगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की कृषि और किसानों के प्रति अच्छी सोच का परिणाम है। अकाल को देखते हुए 9 लाख 2 हजार लोगों को चारे के मिनीकिट्स नि:शुल्क वितरित किये जाएंगे और रबी की फसल के बाद 2 लाख 80 हजार मिनीकिट्स आबंटित किये जाएंगे जिससे पशुओं को हरा चारा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से केन्द्र सरकार से 248 करोड़ की राशि सहकारी बैंकों को प्राप्त हुई है, यह सहकारी आंदोलन में अच्छा कदम है जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, वो काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करके दिखाया है। केन्द्र से इतनी बड़ी राशि लेकर आये हैं

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लागू किया, आपकी सरकार तो उसे लागू ही नहीं कर पायी। लागू किया पर जो संशोधन करने थे वो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये, उसका परिणाम है कि इतना बड़ा अनुदान सहकारी संस्थाओं को मिला। इससे सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होगा। पशु सेवाओं के लिए...

श्री सभापति: समाप्त करो अब आप। अभी और है समय।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सर, थोड़ा-सा। पांच मिनट सिर्फ।

शिक्षा के लिए 74 हजार माध्यमिक स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय क्रमोन्नत किये जाएंगे तथा तीन सौ अंग्रेजी व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। दृष्टिहीन, मूक, बधिर छात्रों के लिए स्कूलों को क्रमोन्नत कर नि:शुल्क किया जाएगा और विशेष प्रकार का साफ्टवेयर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। यह नि:शक्तजनों का ध्यान रखने की राजस्थान सरकार की एक अच्छी योजना है। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पिछड़े, अल्पसंख्यक, नि:शक्त बालिकाओं को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से नवाजा जाएगा यह भी एक अच्छा कदम है बालिका शिक्षा की तरफ बढ़ता हुआ। राजकीय विद्यालयों में दसवीं में मैरिट आने वाली छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसका सारा खर्चा बालिका शिक्षा फाउंडेशन वहन करेगा। अनुदानित स्कूलों के लिए और अनुदानित कालेज शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में जहां शिक्षकों की कमी है, वहां नियुक्त किया जाएगा जिससे अनुदानित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही साथ ग्रामीण अंचल की स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, वो कमी भी दूर होगी और इन अनुदानित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी होगा। दोनों काम हो जाएंगे इस चीज से। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि गत बजट पर जब मैं बोली थी तो अनुदानित शिक्षकों के लिए मैं बोली थी मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि अनुदानित शिक्षक बहुत पीड़ा में हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनकी पीड़ा को समझते हुए यह कदम उठाया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में छात्र संख्या ज्यादा होने की वजह से कला संकाय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा, इसका भी हम स्वागत करते हैं। इससे अजमेर संभाग के सारे छात्रों को सुविधाएं मिलेंगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। सारे राज्य के अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों को दो करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। धार्मिक मेलों के लिए मेला ऑथोरिटी का गठन किया जाएगा, मेला ऑथोरिटी का गठन होने से मेलों का सफल आयोजन होगा। साथ ही साथ पुष्कर का पशु मेला, धार्मिक मेला और अजमेर के दरगाह उर्स मेले में पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी तो आने वाले तीर्थयात्रियों को सम्बल भी मिलेगा भगदड़ जैसी समस्याओं से निजात मिल पाएगी। अजमेर हाकी एसोशियेशन के लिए दो करोड़ की लागत आएगी और ये दो करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं, इसके लिए अजमेर का हॉकी एसोशियेशन और अजमेर संभाग की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करना सराहनीय कदम है इससे कानून व्यवस्था पर नियंत्रण होगा साथ ही साथ अपराधों में भी कमी आएगी। रिक्त होने वाले 2300 पदों पर भर्ती की जाएगी कांस्टेबलों की। 7 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, इससे पारिवारिक मामलों का जल्दी निपटारा होगा। निगम की बसों में नि:शक्तजनों और सात श्रेणियों को नि:शुल्क सुविधा प्रदान करने की घोषणा एक अच्छा कदम है सराहनीय कदम है। दो रुपये किलो बीपीएल परिवारों को गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा, इसका स्वागत करते हैं। यह गरीबों के लिए एक अमूल्य तोहफा दिया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, इसके लिए राजस्थान के सारे बीपीएल परिवार जितना भी उनका आभार प्रकट करें, उतना कम है। इससे माननीय मुख्य मंत्रीजी की गरीबों के प्रति सोच का पता चलता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है मेरी डिमाण्ड है कि जगतपिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के धार्मिक महत्व को देखते हुए नगरपालिका की कम आय और पुष्कर के चहुंमुखी विकास को देखते हुए, जब आप बजट की रिप्लाई दें तो दरगाह विकास बोर्ड की जो मैंने मांग की थी, आप जब पुष्कर में आये थे, पुष्कर विकास बोर्ड को पुनर्जीवित किया जाए जैसा कि पहले बरकतुल्लाह साहब के मुख्य मंत्री थे तो पुष्कर विकास बोर्ड हुआ करता था, उसके माध्यम से पुष्कर क्षेत्र का विकास कराया जाता था। माननीय मुख्य

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि पुष्कर विकास बोर्ड को पुनर्जीवित किया जाए जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा, विकास को गति मिलेगी और विकास के नये आयाम स्थापित होंगे और पुष्कर की जनता की लम्बे समय से यह मांग है वो भी पूरी होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र का रूपनगढ़ बहुत बड़ा कस्बा है, उसमें आस-पास के पचास गांव लगते हैं। शिक्षा के महत्व को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि रूपनगढ़ कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय खोल दिया जाए तो आस-पास के पचास गांवों के छात्रों को शिक्षा की सुविधा वहीं मुहैया हो जाएगी और उनको अजमेर राजकीय महाविद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं गांव में अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। तो राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, ताकि उस क्षेत्र की जनता को राहत मिले। रूपनगढ़ कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करके क्षेत्र की जनता की लम्बे समय से जारी मांग, जो हाइवे पर स्थित गांव हैं उनकी मांग को पूरा करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जल्द से जल्द क्रमोन्नत करके क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि वर्षों पहले उर्दू एसटीसी का एकमात्र शिक्षण संस्थान अजमेर में था जो दस साल पहले बंद कर दिया गया था। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि जब उर्दू टीचर पैदा ही नहीं होंगे तो आप भर्ती कहां से करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उर्दू टीचरों की भर्ती के लिए उर्दू प्रशिक्षण संस्थान जो अजमेर में संचालित था आठ साल पहले, उसको पुन: चालू किया जाए ताकि उर्दू पढ़ने वाले छात्र उर्दू का प्रशिक्षण लेकर राजस्थान में उर्दू का टीचर बन सकें और अपनी सेवाएं अच्छे ढंग से राजस्थान राज्य में ही दे सकें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): खोल देंगे, सगीर भाई, मुझे विश्वास है। आप चिन्ता न करें, खोलेंगे। मैं आपसे यह वादा करती हूं आपसे कि खुलवा कर रहूंगी।

(समय : 20.00 बजे)

पेयजल आज के जमाने की महती आवश्यकता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि बीसलपुर सेकिंड फेज, अजमेर-पीसांगन फ्लोराइड प्रोजैक्ट जो

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

सैंक्शंड है, जिसमें कुल 112 गांव, 162 मजरे व ढाणियां जुड़नी थीं- पीसांगन तहसली के 53 गांव और 85 मजरे ढाणी, अजमेर तहसील के 59 गांव व 84 मजरे-ढाणी व रुपनगढ़ तहसील के फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट में 29 गांव व 117 ढाणियां जुड़ना बची हैं, वित्तीय स्वीकृति नहीं होने के कारण, बजट आबंटन के अभाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन वंचित रहे गांवों को फ्लोराइड युक्त पेयजल से मुक्त कराने के लिये ...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई बीमारियां हो रही हैं, पानी की महती समस्या है और पानी के ये प्रोजैक्ट स्वीकृत हैं, अगर इस प्रोजैक्ट को बजट आबंटन मिल जाता है तो पुष्कर विधान सभा क्षेत्र और नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र की जनता को फ्लोराइड युक्त पानी से राहत मिलेगी। मैं चाहती हूं कि माननीय जलदाय मंत्रीजी जब रिप्लाई दें तो इस प्रोजैक्ट को बजट आबंटन दें, पुष्कर और नसीराबाद क्षेत्र की जनता को इससे राहत मिलेगी।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला आरक्षण का जो यह बजट पेश किया गया है, कल्याणकारी बजट है। वक्फ बोर्ड का अनुदान बढ़ाया गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जो यह अनुदान 50 लाख है इसको बढ़ा कर कम से कम एक करोड़ आप करें क्योंकि वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की सार-संभाल करना जरूरी होता है। वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की अगर सार संभाल नहीं होगी तो लोग अतिक्रमण करेंगे, कब्जा करेंगे फिर आपको हटाना भारी पड़ेगा।

अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिये हर संभाग स्तर पर छात्रावास ....

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): दो मिनट लूंगी। अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिये हर संभाग स्तर पर एक छात्रावास होना चाहिये जिससे हर संभाग की लड़कियां अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। जयपुर में ही नहीं, मेरी मांग है कि हर संभाग स्तर पर ऐसा छात्रावास होना चाहिये जिससे अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा के नये अवसर प्राप्त हो सकें।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

हमारे पुष्कर की जनता की एक बहुत पुरानी मांग है वह भी मैं रखना चाहूंगी। खेल मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी खेल स्टेडियम नहीं है, पुष्कर के धार्मिक महत्व को देखते हुए एक खेल स्टेडियम की जल्द से जल्द घोषणा करें और खेल स्टेडियम बनाने का प्रयास जल्द से जल्द करें इससे इस क्षेत्र की जनता एवं युवा वर्ग जिनका खेलों के प्रति रुझान है उसको राहत मिलेगी और वे आपका आभार भी व्यक्त करेंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नरवर एक कस्बा है, उसमें बहुत सारी सरकारी जमीनें हैं, उसमें एक रीको औद्योगिक प्रस्तावित है, मुख्य मंत्रीजी से और मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उस रीको प्रोजैक्ट को जल्द से जल्द सैंक्शन कर मेरे क्षेत्र की जनता को रोजगार मुहैया कराएं, इसके लिये मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला, अल्पसंख्यक और कर्मचारी वर्ग के लिये जो कल्याणकारी बजट पेश किया गया है, उसके लिये राज्य की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी की आभारी है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली ।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिये आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने कल 2010-11 का बजट प्रस्तुत किया, उसमें लोक-लुभावनी घोषणाओं को सुन कर बार-बार मेजें थपथपाई गई, परन्तु उसके साथ ही साथ जब कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तो मेजें थप थपान बंद हो गई। एक अख़बार ने ठीक ही लिखा है कि राहत से आहत का यह बजट है। आम जनता को करों के बोझ से आहत किया गया है। सबसे बड़ा कर वैट की दर को 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया है। पिछले वर्ष स्पेसिफिक वैट साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर प्रदेश की जनता पर करारोपण किया गया था, अब इस बार जनरल वैट को 4 से 5 प्रतिशत कर के 25 प्रतिशत की महंगाई और बढ़ाने का एक रास्ता खोला है। अभी जो केन्द्रीय बजट आया था उसमें डीजल, पैट्रोल और एक्साइज ड्यूटी को 8 से 10 प्रतिशत करने से सभी अखबारों में लिखा है कि 20 प्रतिशत से महंगाई बढ़ेगी और राज्य सरकार के इस बजट से 5 प्रतिशत और महंगाई बढ़ेगी। इस प्रकार 25 प्रतिशत की महंगाई एक माह में राजस्थान के प्रदेशवासियों को झेलनी पड़ेगी।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

यह बजट आम आदमी के हितों के विपरीत है। बीपीएल परिवारों के लिये दो रुपये किलो गेहूं की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही साथ कमर-तोड़ महंगाई जिस पर आज चर्चा होनी थी, वह दुर्भाग्यवश नहीं हो सकी, आम आदमी आज महंगाई से त्रस्त है, दाल, आटा, चीनी, चाय जो भी रोज उपयोग की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही है। 60 रुपये से कम कोई दाल नहीं है, 40 रुपये चीनी के हैं, गेहूं का आटा 18 से 20 रुपये किलो है, चावल 30 से 40 रुपये किलो है। कोई ऐसा आइटम नहीं है जो आदमी को सुलभ और ठीक दाम में मिल रहा हो। जैसा अभी यहां चर्चा में सुनने में आया कि कुछ आइटम पर वैट को 4 प्रतिशत वापस किया गया है, मेरी मांग है कि 277 आइटम में से 77 आइटम जो आम आदमी के काम आने वाली चीजें हैं, उन पर वैट की दर जो प्रस्तावित की गई है, उसको वापस लिया जाए और 77 जिंसों को वैट की इस वृद्धि से मुक्त किया जाए।

दूसरा, इस सरकार ने पिछले 6 माह में बिजली के दाम अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाये हैं। सितम्बर माह में व्यवसाय के लिये काम में आने वाली बिजली के लिये जल कर लगाया गया 10 पैसे प्रति यूनिट। यानी ढाई प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है बिजली के बिल में। हर व्यवसाय के लिये या दुकानदार के लिये पानी का कनेक्शन लेना आवश्यक नहीं है परन्तु उसको भी यह कर देना पड रहा है। इसके साथ-साथ कल के बजट में भी 100 यूनिट से ज्यादा उपयोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर 10 पैसा प्रति यूनिट जो सरचार्ज लगाया गया है, वह भी ढाई प्रतिशत बैठता है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी के बिजली के बिल को बढ़ा दिया गया है। मैं कहता हूं, 100 यूनिट से कम बिजली के बिल वाले 5 प्रतिशत भी नहीं हैं। जितने भी शहरी उपभोक्ता हैं उनमें से 5 प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 100 यूनिट से कम है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें और इस नये कर को वापस हटाएं।

नगर विकास कर जो भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगाया गया है, उसको भी एक नये कर के रूप में लगाया जा रहा है, यह भी वापस लिया जाए। व्हीलकल के लिये आल इण्डिया परमिट फीस को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार किया है, इससे पर्यटन उद्योग बहुत ही घाटे में जाएगा और

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

लोग इस व्यवसाय से हटना चाहेंगे। इसी तरह से टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर पर जो कर है, उसमें 4 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत कर लगाया गया है, यह भी बहुत अधिक है। यह किया गया है कि ढाई लाख की गाड़ी पर, ऐसा आज सदन में कई लोगों ने कह दिया लेकिन ढाई लाख की कोई गाड़ी आती ही नहीं है, यह बात निश्चित है, इसलिए यह कर बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। 50 लाख के टर्नओवर वालों को कम्पोजिट योजनान्तर्गत 0.25 प्रतिशत से अब 0.50 प्रतिशत देना पड़ेगा, यह भी बहुत अधिक कर बढ़ाया गया है। बिलोना पर 5 प्रतिशत वैट के रूप में नया कर लगाया गया है। कुल मिलाकर ऐसा बजट प्रस्ताव में बताया गया है कि 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय, राहतों की राशि को घटाने के बाद सरकार को प्राप्त होगी।

जिस सरकार के बजट में राजस्व घाटा हो, वह अच्छा वित्त प्रबन्धन नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यह एक अर्थशास्त्र के हिसाब से खराब बजट है। अरस्तु ने कहा था आप इतना ही करारोपण कीजिए जितना करदाता की जेब सहन कर सके। इस बार जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने जो कर लगाये हैं उसने आम आदमी को झकझोर दिया है। मंहगाई से त्रस्त आम व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ किया गया है, जन भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लिया जाएगा, यह भी अधिक है, इससे वापस आमद भी आती है। परन्तु राजस्व खर्चे के लिए भी ऋण लिया जाएगा, यह बहुत ही खराब संकेत है प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में। मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन सभी कर प्रावधानों पर पुनर्विचार कर लोगों की क्षमता के अनुसार इनका ठीक ढंग से विवेचन करें और राहत दें।

इस बजट में कुछ स्वागत योग्य कार्य हैं, उनकी प्रशंसा करता हूं। बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रति किलो गेहूं, वैट फार्मों की कमी, स्टाम्प ड्यूटी में एफीडेबिट पर निल ड्यूटी, नगरीय निकायों में 15 प्रतिशत जमीनों के विक्रय का भाग दिया जाएगा, इसकी पाबंदी की जो बात कही है उसका पूर्ण रूप से मानिटरिंग किया जाए। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को राज्य की सेवा में जाने का जो विकल्प दिया है, उसका स्वागत करता हूं। रोजगारोन्मुखी नई नियुक्ति नहीं होने से केवल और केवल मात्र 3300 पुलिस कान्स्टेबल रिटायर

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

होंगे, उनके स्थान पर नई भर्ती की जाएगी, मेरी मांग है, पिछली बार आपने 87000 नई नियुक्तियों का कहा था, उसको पूरा किया जाए। उन सभी लागों को कार्य दिया जाए जिनके यूजीसी में पैंडिग पड़े हैं इन्टरव्यू, सीधे सम्पन्न कराकर उनको नौकरी दी जाए।

जोधपुर में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना 2 लाख 60 हजार, उसका स्वागत करता हूं। इसरा के रिमोट सेंसिग सेंटर के लिए स्वागत करता हूं। 100 बैड एमजीएच में तथा एमजीएच में एक नया आपातकालीन आउटडोर वार्ड खोलने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। राजकीय विद्यालयों में मैरिट में तीन छात्रों- फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड को विदेश जाने के लिए सरकार सहायता देगी, मेरी मांग है इसमें बालिकाएं सब एक समान हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं चाहे सरकारी स्कूल में, सभी छात्राओं के लिए इस योजना को लागू किया जाना चाहिये, सबको समान अवसर मिलना चाहिये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जोधपुर की कुछ समस्याएं हैं उनका ध्यान भी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को...(व्यवधान) बिलकुल समस्या है। हमारे यहां सफाई की इतनी दुर्गति हो गई है आम आदमी इतना परेशान हो गया कि रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है। सीवर लाइन टूटी फूटी होने के कारण सड़कों पर चालीस पाइंट ऐसे हें जहां पर आपको हमेशा जाना मुश्किल हो जाता है। सारी महिलाएं मंदिर जाती हैं, बहुत दिक्कत का सामाना करती हैं, तो यह सब सफाई-व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जोधपुर विधान सभा शहर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, सड़कों की खस्ता हालत है। अभी मेले आ रहे हैं, गणगौर के साथ में एक महीने तक जोधपुर में बराबर मेले चलेंगे, सड़कों की अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। सब जगह सड़क टूटी -फूटी पड़ी हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। जोधपुर में पिछले एक साल में इतनी आग लगी है कि उसमें कन्ट्रोल पाने के लिए हमेशा वायुसेना या मिलिट्री से सहायता लेनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू आता है। तो मेरा आपके मार्फत निवेदन है संबंधित मंत्री से कि जोधपुर में हैवी ड्यूटी दो-तीन नये व्हीकल लगाये जाएं। 92 फायरमैन की जगह नियुक्ति होनी है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, परन्तु अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, वह नियुक्ति की जाए ताकि समुचित स्टाफ फायर ब्रिगेड को मिल सके। जोधपुर विश्वविद्यालय के अंशकालीन....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जोधपुर के विषय में तो मुख्य मंत्रीजी वैसे ही ...(व्यवधान) आप सीधे ही मिलकर करा लेना ना।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ठीक है कोई बात नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं, उनका 250 रुपये, 100 रुपये घंटे की जगह एक हजार रुपये जैसे दूसरे विश्वविद्यालय में प्रतिघंटा दिया जाए वैसा ही दिया जाता हैं, महात्मा गांधी अस्पताल में कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट ट्रान्सफर कर दिया गया है, वहां कार्डियोलोजी विभाग की बहुत सख्त जरूरत है, नये डाक्टर की नियुक्ति कर उसको पुन: चालू किया जाए। कोई भी नये विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हों, जोधपुर में कम से कम 50 ऐसे विद्यालय हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दसवीं से बारहवीं होना चाहिये।

श्री सभापति: और आप मांग पर बोलना।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): एक मिनट। उद्योगों के लिए कोई क्षेत्र नहीं बनाया गया है, रीको कोई नया क्षेत्र घोषित करे ताकि लोग उद्योग लगा सकें। पर्यटन उद्योग की विपुल सम्भावनाएं जोधपुर में हैं, हैण्डीक्राफ्ट का सबसे बड़ा उद्योग है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर की सड़कों की सफाई की नितान्त आवश्यकता है करों में राहत दी जाए। एक्सपोर्ट वालों को इन्सेंटिव दिया जाए। कुछ मांगें मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरूवार दिनांक 11 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.15 बजे गुरूवार दिनांक 11 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

गुरूवार, दिनांक 25 फरवरी, 2010

झालावाड़ में मसाला पार्क की स्थापना

39. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देश की 70 प्रतिशत धनिये की खेती हाड़ौती सम्भाग में होती है? क्या किसान को उचित मूल्य मिले व सही विपणन भी हो इसके लिए सरकार द्वारा झालावाड़ में मसाला पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब और इसकी स्थापना हेतु कार्य कब शुरू होगा व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ में स्थापित होने वाले मसाला पार्क को झालावाड़ से जोधपुर ले जाने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देश में लगभग 53 प्रतिशत धनिये की खेती राज्य के हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बारां, झालावाड़ व बूंदी जिलों में होती है।

अध्यक्ष स्पाईसेस बोर्ड के द्वारा मार्च 2008 में राज्य सरकार से झालावाड़ जिले में एक स्पाईसेस पार्क स्थापित किये जाने हेतु 100 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव के क्रम में ग्राम झालरापाटन तहसील झालरापाटन में 109 बीधा 5 बिस्वा भूमि स्पाईसेस बोर्ड, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को नि:शुल्क आबंटित की गयी। इसके पश्चात स्पाईसेस बोर्ड द्वारा झालरापाटन में स्पाईसेस पार्क की स्थापना की कोई पहल नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष स्पाईसेस बोर्ड कोचीन को 29 सितम्बर, 2009 तथा सचिव, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 9 नवम्बर, 2009 को झालरापाटन में स्पाईस पार्क शीघ्र स्थापित करने हेतु लिखा गया। निदेशक, वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी, 2010 के द्वारा यह सूचित किया है कि झालरापाटन में स्पाईस पार्क के स्थान पर उनके द्वारा उद्यान विभाग राजस्थान सरकार की सहभागिता में मसाला नर्सरी लगाया जाना प्रस्तावित है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। स्पाईसेस बोर्ड द्वारा जोधपुर जिले में एक अतिरिक्त स्पाईस पार्क स्थापित किया जा रहा था। स्पाईसेस बोर्ड द्वारा ही झालरापाटन जिला झालावाड़ में पूर्व में स्थापित किये जाने वाले स्पाईस पार्क के स्थान पर अब मसाला नर्सरी खोलने का निर्णय लिया है।

कोटा शहर में बस टर्मिनल निर्माण कार्य

68. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा शहर में बस टर्मिनल निर्माण हेतु कार्यादेश दे दिया है? यदि हां, तो कार्यादेश कब और किस कम्पनी को दिया गया और उसके साथ क्या शर्तें रखी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा का बस टर्मिनल निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों और अब सरकार इसे कब तक शुरू कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम ने कोटा शहर में डी.सी.एम. रोड पर बस टर्मिनल, कामर्शियल काम्पलेक्स एवं आगार कार्यशाला के निर्माण हेतु बी.ओ.टी के आधार पर Letter of Acceptance पत्रांक 443 दिनांक 25.06.2007 मैसर्स आहलूवालिया कान्ट्रेक्टर्स (इण्डिया) लिमिटेड साकेत नई दिल्ली को दिया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट '1' पर एवं शर्तों के लिए अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निर्माण कार्य हेतु खुदाई का कार्य अगस्त 2009 में प्रारम्भ हो गया। कन्ट्रोल ब्लास्टींग की अनुमति जिलाधीश कार्यालय से 08.10.2009 को प्राप्त हुई इसके बाद ब्लास्टींग से नींव की खुदाई का कार्य किया जा रहा है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

69. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में ऐसे कौन-कौन से राजकीय भवन एवं सड़कें हैं, जिनकी देख-रेख का दायित्व अथवा स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(2) उक्त में से किस-किस सड़क पर वर्तमान में क्या-क्या कार्य प्रगति पर है तथा क्या-क्या विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं? क्या सरकार सड़कों को चौड़ा करने, उनकी मरम्मत कराने तथा पेवरीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त में से विभाग के अधीन सूचीबद्ध राजकीय भवनों में क्या-क्या कार्य प्रगति पर हैं एवं क्या-क्या विकास/जीर्णोद्धार योजनायें प्रस्तावित हैं? उक्त योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में एक राजकीय भवन की देख-रेख का दायित्व एवं स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है एवं 21 अन्य विभागों के राजकीय भवनों की देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराई जाती है, विवरण परिशिष्ट-''1'' में प्रस्तुत है। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में 96 सड़कें हैं, जिनकी देख-रेख का दायित्व एवं स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, की सूची परिशिष्ट-''2'' में प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढबास की जिन सड़कों पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, की सूची मय कार्य का विवरण तथा प्रस्तावित योजनायें क्रमश: परिशिष्ट-''3'' एवं ''4'' में प्रस्तुत है।

जी हां, परिशिष्ट-''4'' में उल्लेखित सड़कों के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की अन्य सड़कों का भी आवश्यकता एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित चक्र के अनुरूप चौड़ा करने/मरम्मत करने/नवीनीकरण का सरकार विचार रखती है, जो कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) परिशिष्ट–''1'' में सूचीबद्ध राजकीय भवनों में से जिन पर कार्य प्रगति पर है, उनकी सूची एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट-''5'' में प्रस्तुत है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में विभाग के दायित्व में भवनों के विकास/जीर्णोद्धार की कोई योजना प्रस्तावित एवं लम्बित नहीं है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीसलपुर बांध (टोंक) से बहकर जाने वाले पानी का जनहित में उपयोग

70. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बीसलपुर बांध (टोंक) के वेस्टवियर से व्यर्थ बहकर निकलने वाले पानी का तहसील देवली, हिण्डोली एवं नैनवां क्षेत्र के तालाबों, तलाइयों एवं सिंचाई बांधों में डालकर उसका उपयोग जनहित में लेने तथा सिंचाई क्षमता बढ़ाने व पेयजल समस्या का निराकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही की जाने के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति एवं इस संबंध में की जा रही कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बांध के पानी भराव पश्चात् व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को उपयोग में लेने के लिये सरकार द्वारा सर्वे करवाकर निर्णय लिया जायेगा? यदि हां, तो कब व तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बीसलपुर बांध में कोई वेस्टवीयर नहीं है। इस बांध पर सरप्लस जल की निकासी हेतु गेटेड स्पिलवे बना हुआ है। बीसलपुर बांध जिला टोंक के गेटेड स्पिलवे से व्यर्थ बहकर निकलने वाले पानी का तहसील देवली, हिण्डोली एवं नैनवां क्षेत्र के तालाबों, तलाइयों एवं सिंचाई बांधों में डालकर उसका उपयोग जनहित में लेने तथा सिंचाई क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रस्तावित नहीं है क्योंकि बीसलपुर बांध के गेटेड स्पिलवे से व्यर्थ बहकर जाने वाले व फ्री-केचमेन्ट के पानी का उपयोग ईसरदा गांव जिला सवाईमाधोपुर के समीप एक बांध बनाकर पेयजल हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। बीसलपुर बांध से बहकर निकलने वाले पानी का उक्त क्षेत्रों में उपयोग हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु बीसलपुर बांध के उपलब्ध पानी में से इन क्षेत्रों में पानी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं इन प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही की प्रति (प्रपत्र-1) संलग्न है।

(3) जी हां। बीसलपुर बांध के भराव पश्चात व्यर्थ बहकर जाने वाले

(जल संसाधन मंत्री)

पानी को उपयोग में लेने के लिए ईसरदा बांध का सर्वे कराकर विस्तृत तखमीना केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भेजा गया था लेकिन केवल जल प्रदाय योजना होने के कारण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसे लौटा दिया गया फिर भी योजना की हाइड्रोलोजी अनुमोदन हेतु केन्द्रीय जल आयोग से निवेदन किया गया है।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की जेलों में जैमर की स्थापना

71. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जेलों में कैदियों की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिये उच्चतम न्यायालय ने सभी जेलों में जैमर लगाने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो राज्य की कितनी जेलों में जैमर लगा दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जेलों में जैमर लगाने के आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दिये गये हैं, परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 386/05 में अपने आदेश दिनांक 11.10.2007 के द्वारा जोधपुर जेल में जैमर लगाने के सम्बन्ध में क्रियान्विति रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिये गये।

केन्द्रीय कारागृह जोधपुर पर 8 सैल्यूलर जैमर स्थापित कर दिये गये हैं। राज्य की अन्य 7 केन्द्रीय कारागृहों पर सैल्यूलर जैमर लगवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्थगित प्रश्न

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2010

राज्य में ई-सब-मार्केट प्रारम्भ होने से किसानों व व्यापारियों के हितों की रक्षा

44. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में निजी ई-सब मार्केट के माध्यम से व्यापार शुरू करने के लिए दो निजी कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की गई है ? यदि हां, तो उक्त कम्पनियां राज्य में किस तरह से व्यापार करेंगी ? सरकार द्वारा व्यापार के लिए जारी की गई स्वीकृति एवं दस्तावेजों व अन्य शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निजी क्षेत्र में ई-सब-मार्केट प्रारम्भ होने से राज्य के लोगों, किसानों व व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये गये हैं व कार्य दल गठित किये हैं? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन निदेशालय द्वारा (1) नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड एवं (2) एन.सी.डी.ई.एक्स. स्पॉट लिमिटेड को सब ई-मार्केट का अनुज्ञापन जारी किया गया है।

एन.सी.डी.ई.एक्स. स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड, एन.सी.डी.ई.एक्स. कम्पनी में विभिन्न शेयर धारक है जिनमें से नेशनल स्टाक एक्सचेंज (15 प्रतिशत), एल.आई.सी. (15 प्रतिशत), नाबार्ड (15 प्रतिशत), सी.आर.आई.एस.आई.एल. (क्रिसिल) (12 प्रतिशत), इफको (12 प्रतिशत), आई.सी.ई. (5 प्रतिशत), पी.एन.बी. (8 प्रतिशत), केनरा बैंक (8 प्रतिशत) प्रमुख है।

नेशनल स्पार्ट एक्सचेंज लिमिटेड, फाईनेशसियल टेक्नोलौजीज एवं नैफेड के द्वारा प्रमोटेड कम्पनी है। फाईनेशसियल टेक्नोलौजीज एक पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बाय शेयरर्स कम्पनी है जिसके बैंक एवं वित्तीय संस्थान शेयर होल्डर है।

सब ई-मार्केट के तहत अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा निजी मण्डियों की तरह कार्य करेगी। ई-सब-मार्केट एक इलेक्टोनिक बाजार है जहां आन-लाइन स्क्रीन पर किसान या व्यापारी कृषि जिन्सों का देशभर में क्रेता को अपनी उपज का क्रय-विक्रय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। इन्हें जारी अनुज्ञापत्र एवं इस हेतु प्रभावी नियमों एवं शर्तों की प्रति संलग्न है।

(2) इस हेतु पृथक से किसी कार्य दल का गठन नहीं किया गया है। राज्य के लोगों, किसानों व व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा इस बाबत प्रभावी नियमों में संबंधित मण्डी समिति सचिव, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, निदेशक कृषि विपणन एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को निजी एवं ई-मार्केट पर प्रभावी नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से निरीक्षण करने, व्यवसाय स्थल पर प्रवेश करने, जब्त करने एवं निदेशक,

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

कृषि की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। विपणन को आवश्यकता पड़ने पर अनुज्ञापत्र निरस्त करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अटलबंद यार्ड व कुम्हेर (भरतपुर) की कृषि उपज मण्डी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

72. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी, अटलबंद यार्ड भरतपुर एवं कृषि उपज मण्डी, कुम्हेर के लिए भूमि आबंटित की गई थी ? यदि हां तो कब-कब? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में उक्त दोनों मंडियों हेतु आबंटित भूमि में से कितनी भूमि कृषि उपज मण्डी के कब्जे में है?

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, अटलबंद यार्ड भरतपुर एवं कृषि उपज मण्डी, कुम्हेर की भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किये हुये हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के अन्तर्गत गौणमण्डी अटलबन्ध एवं गौणमण्डी कुम्हेर के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गयी है। गौणमण्डी अटलबन्ध के लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना 12 सितम्बर, 1985 (रकबा 118 बीघा 19 बिस्वा) एवं विज्ञप्ति दिनांक 23 अगस्त, 1988 (रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा) कुल रकबा 134 बीघा 1 बिस्वा तथा गौणमण्डी कुम्हेर के लिए अवाप्ति की विज्ञप्ति दिनांक 11.12.1980 (50 बीघा 14 बिस्वा) तथा 12.07.1984 (रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा) कुल रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा जारी की गयी थी। जारी की गई विज्ञप्तियों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 1 लगायत 4 पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के द्वारा गौणमण्डी अटलबन्ध के लिए 133 बीघा 4 बिस्वा तथा गौण मण्डी कुम्हेर के लिए 51 बीघा 15 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया है।

(3) गौणमण्डी अटलबन्ध की भूमि 50x 90 वर्गफुट एवं गौणमण्डी

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

कुम्हेर की भूमि 1 बीघा 19 बिस्वा पर अतिक्रमण है। जिनके सम्बन्ध में प्रकरण क्रमश: उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन एवं यथास्थिति के अन्तरिम आदेश है। न्यायालय के प्रभावी स्थगन निरस्त होने पर तुरन्त कब्जा लिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम विधान सभा क्षेत्र के अकालग्रस्त गांवों में राहत हेतु चारा-पानी की व्यवस्था

73. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम को सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे से ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये?

(2) क्या सरकार अकालग्रस्त सभी गांवों को पेयजल हेतु टैंकर एवं पशुओं हेतु चारा-पानी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अकालग्रस्त गांवों की सूची संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले में उपखण्ड स्तरीय कमेटी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्काल स्वीकृति जारी कर पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन कर आपूर्ति करवायी जा रही है। पशुओं हेतु चारा डिपो खोले जाने के लिए उपखण्ड स्तरीय समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावानुसार चारा डिपो खोले जाते हैं। दिनांक 3-3-2010 तक चारा डिपो खोले जाने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व में कमी

74. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007-08 से 2009-10 में राज्य में मदिरा विक्रय की कुल कितनी दुकानें किस-किस श्रेणी की स्वीकृत की गईं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) उक्त वर्षों में स्वीकृत दुकानों से राज्य को कितनी आय होना प्रस्तावित थी एवं कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में आय बढ़ने के बजाय कम हुई है? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10, तीनों वर्षों में 6660 देशी मदिरा की दुकानें स्वीकृति की गई ।

वित्त वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 1800 एवं वर्ष 2009-10 में 1000 दुकानें स्वीकृति की गई हैं। दुकानों की वर्ष वार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2007-08 में आबकारी राजस्व के वार्षिक लक्ष्य 1750 करोड़ रु. के विरुद्ध 1805.12 करोड रु. वर्ष 2008-09 में वार्षिक लक्ष्य 2025 करोड़ रु.के विरुद्ध 2169.85 करोड रु. एवं वर्ष 2009-10 में वार्षिक लक्ष्य 2300 करोड रु. के विरुद्ध माह जनवरी, 2010 तक 1631.21 करोड रु. की आय हुई।

(3) जी नहीं । उक्त वर्षो में आबकारी विभाग की आय में निरन्त वृद्धि हुई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में विशेष आरक्षण की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही

75. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विशेष आरक्षण के बगैर नियुक्तियां करने का विचार रखती हे? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कितनी-कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विशेष आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में जुड़वाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विशेष आरक्षण दिलवाने हेतु इसे संविधान की 9वीं सूची में जुड़वाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र भेजा गया ? यदि हां, तो कब-कब? भेजे गये पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2009 एवं 04.11.2009 (डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पीआईएल) नं. 12810/2009 –

(कार्मिक मंत्री)

जी. शर्मा बनाम राज्य सरकार) के अध्यधीन विशेष आरक्षण के बगैर नियुक्तियां करने का अन्तरिम आदेश दिनांक 08.02.2010 जारी किया गयपा । यह आदेश मा. उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित रिट पिटिशन के अन्तर्गत पारित होने वाले किसी भी भावी निर्णय/आदेश के अध्यधीन रहेगा। विभाग एवं पदवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रकरण भारत सरकार को भेजा हुआ है।

(3) जी हां। भारत सरकार को प्रथम बार पत्र दिनांक 04.08.2009 को भेजा गया तथा समय-समय पर स्मरण कराया जाता रहा है। उक्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर के प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना

76. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जोधपुर को वायु प्रदूषण के मामले में देश के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में सम्मिलित किया है और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका में जोधपुर की एयर क्वालिटी सुधारने के लिए एक्शन प्लान बनाने के आदेश दिए थे? यदि हां, तो जोधपुर की एयर क्वालिटी में सुधार के लिए बनाई गई कार्य-योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त कार्य-योजना पर पूर्ण रूप से अमल नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) जोधपुर नगर के वर्ष 2008 व 2009 तथा जनवरी, 2010 तक के दौरान वायु प्रदूषण स्तर के प्राप्त परिणामों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2009 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मडण्ल ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से देश के औद्योगिक प्रदूषित नगरों की सूचकांक रिपोर्ट जारी की है तथा उक्त रिपार्ट में जोधपुर को सूचकांक में 23वें नम्बर पर रखा गया है? यदि हां, तो गम्भीरतम औद्योगिक प्रदूषित होने के कारण जोधपुर नगर में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित पानी की रोकथाम के क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर की एयर क्वालिटी में सुधार के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा कार्य योजना बाबत निर्धारित प्रपत्र में बनाई गई अ दिनांक कार्य योजना की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

जी हां। की जाने वाली कार्यवाहियों, उन पर दिनांक 31.01.2010 तक की गई कार्यवाही एवं जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है, उनका मय कारण विवरण भी परिशिष्ठ 'ख' में वर्णित है।

(2) वांछित तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा आई.आई.टी. नई दिल्ली के सहयोग से तैयार किए गए सूचकांक पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र समूहों की सूची कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी, 2010 द्वारा जारी की गई है, जिसमें क्रम संख्या 23 पर औद्योगिक क्षेत्र समूह, जोधपुर का उल्लेख है। औद्योगिक प्रदूषण की समस्या के समग्र समाधान हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के साथ मिलकर एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

77. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में पूर्व निर्मित डामर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों को तथा इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई है व सड़कों की चौड़ाई कितनी की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सड़कों को चौड़ी करने हेतु दिया गया ठेका सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर में दिया गया है? यदि हां, तो इसकी गुणवत्ता के मानदण्ड क्या होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गुणवत्तानुसार कार्य नहीं होने पर ठेकेदारों पर शास्ति का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत की अधिकांश

(श्रीमती संजना आगरी)

मुख्य सड़कें निर्माण के पश्चात् क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सड़कें गारण्टी अवधि में ही क्षतिग्रस्त हो गई? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सोजत में जिन पूर्व निर्मित डामर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, का विवरण मय स्वीकृत राशि एवं प्रस्तावित चौड़ाई परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। परन्तु राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित खुली निविदा प्रक्रिया में प्राप्त न्यूनतम दर अनुमानित दर से कम, अधिक या बराबर हो सकती है। निविदा स्वीकृति प्रकरण के विश्लेषण के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है। महानरेगा के अन्तर्गत पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य दर अनुसूची से कम दर पर उक्त कार्यों के सामग्री मद के ठेके विभाग द्वारा न्यूनतम निविदादाताओं को निर्धारित प्रक्रिया पश्चात् दिये गये हैं। इन कार्यों हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित गुणवत्ता के मानदण्ड प्रभावी रहेंगे। विवरण परिशिष्ट-2 व 3 में प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। गुणवत्तानुसार कार्य नहीं होने पर विभाग के निर्धारित अनुबन्ध में कार्यों को अस्वीकार करने एवं क्लाज संख्या 2, 3 एवं 14 के अनुसार खराब कार्य को प्रत्याहारित कर संवेदक के अधिकता क्षतिपूर्ति 10(दस) प्रतिशत लगाकर अन्य संवेदक से उसके हर्जे खर्चे पर कार्य को गुणवत्ता युक्त करवाने का प्रावधान है। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत है।

(4) क्षतिग्रस्त होने पर नियमानुसार गारण्टी अवधि में संवेदक द्वारा मरम्मत की जाती है। गारण्टी अवधि की सड़कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। गारण्टी अवधि की सड़कों का अनुबन्धानुसार मरम्मत एवं रख-रखाव संवेदकों द्वारा किया जा रहा है, तदानुसार किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ तहसील (जोधपुर) हेतु वृहद् जलप्रदाय योजना

78. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के लिए वृहद् जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया नाथडाऊ शेरगढ़ चाबा व आर.डी. 159.50 खुडियाला आगोलाई सिहांदा बालेसर का द्वितीय चरण कार्य स्वीकृत है? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के 206 ग्रामों में नहरी पेयजल उपलब्ध कराने के लिये वर्णित दो वृहद् परियोजनाओं के द्वितीय चरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है:-

स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत राशि/ व्यय राशि	स्वीकृत माह/वर्ष	लाभान्वित ग्राम
क्षेत्रीय जल योजना आर.जी.एल.सी. आर.डी. 134 देवानिया नाथड़ाउ कनोडिया 54 मील शेरगढ़ चाबा (पार्ट-द्वितीय) सम्मिलित ग्राम-129	234.46 करोड़/17.78 करोड़	अक्टूबर, 2007	11
आर.जी.एल.सी.आर.डी. 159.50-खुडियाला जियोबेरी आगोलाई सियांदा बालेसर (पार्ट-द्वितीय) सम्मिलित ग्राम-77	74.38 करोड़/24.23 करोड़	फरवरी, 2007	36

उक्त पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में जारी स्वीकृति आदेशों की प्रति क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त दोनों योजनाओं के द्वितीय चरण के स्वीकृत कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं पर उपरोक्तानुसार 42.01 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर जाकर अब तक 47 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश की जेलों में अवांछनीय गतिविधियों के दर्ज प्रकरण

79. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की कारागारों में दिनांक 1-1-2009 से 30-6-2009 तथा 1-7-2009 से 31-12-2009 की अवधि में कितने प्रकरण मोबाइल/सिम/मादक पदार्थ/हथियार आदि के अवैध तरीके से लाने के दर्ज किये गये?

(2) उक्त अवधि में कितने कैदी कारागारों से या पुलिस की हिरासत से फरार हुये? इनमें से कितने कैदियों को पुलिस पुन: पकड़ पाई व कितने आज भी फरार हैं?

(3) सरकार द्वारा राज्य के केन्द्रीय कारागृहों पर लगाये जाने वाले सेल्यूलर जैमर कितने कारागृहों पर लगाये गये व शेष में कब तक लगाये जाने की योजना है?

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.2009 से 30.6.2009 तक की अवधि में राज्य की कारागृहों में निरीक्षण/तलाशी में बंदियों, कर्मचारियों, अन्य के पास एवं लावारिस रूप में कुल 254 मोबाईल व 39 सिम बरामद हुये तथा 7 मादक पदार्थ एवं 2 हथियार मिलने के प्रकरण सामने आये। दिनांक 1.7.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि में कुल 360 मोबाईल व 97 सिम बरामद हुये तथा 4 मादक पदार्थ एवं 6 हथियार मिलने के प्रकरण सामने आये।

(2) दिनांक 1.1.2009 से 30.6.2009 तक की अवधि में तथा 1.7.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि में जेल हिरासत एवं पुलिस हिरासत से फरार हुये एवं पुन: गिरफ्तार किये गये तथा अब तक फरार चल रहे बंदियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

अवधि	जेल से फरार				पुलिस से फरार			
	फरारी की घटना	फरार हुये बंदियों की संख्या	पुन: गिरफ्तार हुये बंदियों की संख्या	अब तक फरार चल रहे बंदियों की संख्या	फरारी की घटना	फरार हुये बंदियों की संख्या	पुन: गिरफ्तार हुये बंदियों की संख्या	अब तक फरार चल रहे बंदियों की संख्या
1.1.09 से 30.6.09 तक	7	15	10	5	15	15	3	12
1.7.09 से 31.12.09 तक	3	3	1	2	12	12	2	10

(जेल राज्य मंत्री)

(3) राज्य की केन्द्रीय कारागृह जोधपुर पर 8 सैल्यूलर जैमर स्थापित कर दिये गये हैं। शेष 7 केन्द्रीय कारागृहों पर जैमर लगाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि उपज मण्डी ग्राम जावाल (सिरोही) में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

80. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम जावाल, तहसील सिरोही, जिला सिरोही में स्थापित कृषि उपज मण्डी का निर्माण कब हुआ?

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त कृषि उपज मण्डी बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि उपज मण्डी कम्प्यूटर तौलयन्त्र सुविधा नहीं होने से तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में तथा नियुक्त कार्मिकों की मिलीभगत से बन्द है? यदि हां, तो आवश्यक सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी तथा क्या सरकार दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम जावाल, तहसील सिरोही, जिला सिरोही में कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर के अधीन गौणमण्डी यार्ड जावाल का निर्माण वर्ष 1996-97 से 2008-09 के मध्य हुआ है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) उक्त गौणमण्डी यार्ड के निर्माण पर कुल रु. 62.56 लाख राशि व्यय की गयी है।

(3) नवनिर्मित गौणमण्डी में व्यापार स्थानान्तरण नहीं होने के कारण व्यापार नहीं हो रहा है। व्यापारियों को भूखण्ड शीघ्र आबंटन कर व्यापार शीघ्र नियमानुसार स्थानान्तरण कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। मूलभूत सुविधाऐं यथा सफाई, चौकीदारी, जल व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है। कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा के स्थान पर तौल कांटों से व्यापार हो सकता है। व्यापारियों को भूखण्ड शीघ्र आबंटन कर व्यापार शीघ्र नियमानुसार स्थानान्तरण कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-''अ''

गौण मण्डी यार्ड जावाल, तहसील सिरोही के निर्माण पूर्ण होने का विवरण

क्र. सं.	मण्डी का नाम	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	निर्माण वर्ष
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	सुमेरपुर	चार दिवारी निर्माण कार्य	6.65	1996-97
2	सुमेरपुर	खुला निलामी चबुतरा	12.39	2006-07
3	सुमेरपुर	केन्टिन भवन सी सी रोड	8.87	2006-07
4	सुमेरपुर	न्यू बी टी रोड	4.29	2006-07
5	सुमेरपुर	चार दिवारी को ऊंचा करना एवं तारबंदी	6.19	2006-07
6	सुमेरपुर	कियोस्क	0.98	2006-07
7	सुमेरपुर	कार्यालय भवन	3.10	2006-07
8	सुमेरपुर	वाटर सप्लाई टयूब वेल पाइप लाइन कार्य	5.89	2007-08
9	सुमेरपुर	खुला निलामी चबुतरा	7.50	2008-09
10	सुमेरपुर	अर्थ फिलींग कार्य	6.70	2008-09
		योग	**62.56**	

रोहट तहसील (पाली) में संचालित चारा डिपो की बकाया अनुदान राशि

81. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा तहसील रोहट (पाली) में गत 3 माह में किस-किस चारा डिपो की स्वीकृति जारी की गई ?

(2) उक्त तहसील के किस-किस चारा डिपो में कितना-कितना चारा अनुदानित दर पर कब-कब वितरित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील के किस-किस चारा डिपो में अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु कब-कब प्रार्थना पत्र पेश किये एवं उन्हें अनुदान राशि का भुगतान कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब अनुदान राशि प्राप्त करने के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील रोहट (पाली) में गत 3 माह में जिन चारा डिपो की स्वीकृति जारी की गयी उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त तहसील के विभिन्न चारा डिपो द्वारा अनुदानित दर पर वितरित चारे की दिनांकवार मात्रा परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(3) दिनांक 04-3-2010 तक किसी भी चारा डिपो संचालक का अनुदान राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र/क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र/क्लेम प्राप्त होने पर निस्तारण कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

तहसील रोहट (पाली) में गत 3 माह में स्वीकृत चारा डिपो की सूची

चारा डिपो का नाम	स्वीकृत तिथि
महादेव नवयुवक मण्डल संस्थान भाखरीवाला	11-11-2009
ग्रामसेवा सहकारी समिति झीतडा	11-11-2009
श्री बाबा रामदेव सेवा समिति रामटीला	21-12-2009
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति वायद	21-12-2009
किसान गौसेवा समिति पीपलिया ढाणी	21-12-2009
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति इन्द्रोका की ढाणी	7-1-2010

परिशिष्ट-2

तहसील रोहट (पाली) में विभिन्न चारा डिपो पर अनुदानित दर पर वितरित चारे का विवरण

चारा डिपो का स्थान	चारे की वितरण तिथि	वितरण की मात्रा (क्विं में)
रोहट	14-10-2009	149.00 78.00 77.65
भाखरीवाला	16-12-2009 14-2-2010	0.30 90.00
झीतड़ा	2-1-2010 13-1-2010 16-1-2010 2-2-2010	114.00 103.00 0.45 105.80

	5-2-2010 7-2-2010 8-2-2010 11-2-2010 12-2-2010 13-2-2010	119.30 123.70 85.10 88.90 117.30 94.40
गाजनगढ़	24-12-09 27-12-09 2-1-2010 10-1-2010 11-1-2010 15-1-2010 20-1-2010 22-1-2010 30-1-2010 1-2-2010 2-2-2010 2-2-2010 3-2-2010 5-2-2010 8-2-2010 17-2-2010	106.00 102.00 110.00 110.00 81.00 100.00 110.00 82.00 59.85 133.30 42.70 53.60 111.60 185.00 116.47 105.90
पिपलिया ढाणी	8-2-2010	106.00
इन्द्रो की ढाणी	23-1-2010	87.10

धौलपुर जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना

82. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में रीको द्वारा वर्ष 1998 से अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरमथुरा के झीरी भम्पुरा क्षेत्र धौलपुर में सीमेन्ट उत्पादन में काम आने वाली सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यदि

(श्री अब्दुल सगीर खां)

हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में रीको द्वारा वर्ष 1998 से अब तक निम्न दो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं :-

1. ग्रोथ सेन्टर विस्तार, धौलपुर
2. स्टोर पार्क विश्नोदा, धौलपुर

(2) सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन हेतु एक पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र सरमथुरा के झिरी क्षेत्र का लम्बित है। उक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति एवं पूर्वेक्षण कार्य किये जाने के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि क्षेत्र में उपलब्ध लाइमस्टोन सीमेन्ट उत्पादन के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं ? इसके पश्चात ही सीमेन्ट उद्योग की स्थापना की संभावनाओं का पता चल सकेगा। सीमेन्ट में काम आने वाले अन्य खनिज की इस क्षेत्र में पुष्टि अभी नहीं हुई है।

प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन नियमों में संशोधन

83. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वृद्धावस्था/विधवा एवं विकलांग पेंशन आवेदन करने के पश्चात् कितने दिन में स्वीकृति कर दी जाती है?

(2) प्रदेश में गत एक साल में वृद्धावस्था/विधवा एवं विकलांग पेंशन के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा उनमें से कितनों को पेंशन जारी की गई ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वृद्धावस्था/विधवा एवं विकलांगता पेंशन हेतु आवेदनकर्ता के पुत्र या पुत्री की उम्र 25 वर्ष अथवा उससे कम होना आवश्यक है? यदि हां, तो जिनके 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र, पुत्रियां बेरोजगार अथवा गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं क्या सरकार द्वारा उन आवेदकों को भी पेंशन स्वीकृत की जाती है ?

(4) जिन आवेदनकर्ताओं के पुत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक हो किन्तु उनके द्वारा आवेदनकर्ताओं का भरण-पोषण नहीं किया जा रहा हो व वे अलग रहते हों, तो क्या ऐसे आवेदकों को भी सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है?

(श्री कालीचरण सराफ)

(5) जिन आवेदनकर्ताओं के इकलौती पुत्रियां हैं और विवाह के पश्चात् वे अपने ससुराल में रहती हैं, जो क्या ऐसे आवेदनकर्ताओं को भी सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति की जाती है?

(6) क्या सरकार उक्त समस्याओं के समाधान हेतु नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के नियम 9 (v) में प्रावधान है कि पेंशन हेतु आवेदन करने के पश्चात् सत्यापन कार्य यथा सम्भव एक माह की अवधि में पूरा कर तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत करने का प्रयास रहता है।

(2) प्रदेश में गत एक साल में वृद्धावस्था/विधवा एवं विकलांग पेंशन के कुल प्राप्त हुये आवेदन पत्र तथा उनके विरुद्ध स्वीकृत आवेदन पत्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि वृद्धावस्था/विधवा एवं विकलांगता पेंशन हेतु आवेदनकर्ता के पुत्र की उम्र 25 वर्ष से कम होना आवश्यक है। उक्त पेंशन नियमों में कुटुम्ब की परिभाषा में पुत्री सम्मिलित नहीं है।

परन्तु जिन आवेदनकर्ताओं के 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुत्र की कोई आय नहीं है या अंधता, पागलपन, कोढ़ या हाथों-पैरों दोनों ही की क्षति के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से पूर्णतया या अंशत: अयोग्य हो जाने से कमाने में असमर्थ हो, तो उन आवेदकों को पेंशन देय है।

इसी प्रकार राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965 में बी.पी.एल. परिवार के 8 वर्ष व अधिक आयु के विकलांग को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

(4) जिन आवेदनकर्ताओं के पुत्र की आयु 25 वर्ष से अधिक हो किन्तु उनके द्वारा आवेदनकर्ताओं का भरण-पोषण नहीं किया जा रहा हो व अलग रहते हों, तो ऐसे आवेदकों के लिये पेंशन नियमों में पेंशन स्वीकृति का प्रावधान नहीं है।

(5) वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन नियमों में कुटुम्ब/परिवार की परिभाषा में पुत्रियां सम्मिलित नहीं हैं। अत: वे आवेदनकर्ता जिनके इकलौती पुत्री है, को भी पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पेंशन देय है।

(6) सरकार द्वारा उचित प्रस्तावों पर समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है।

परिशिष्ट-1

प्रदेश में गत एक वर्ष में वृद्धावस्था/विधवा एवं विकलांग पेंशन के कुल प्राप्त हुए आवेदन पत्र तथा उनमें से स्वीकृत की गई पेंशन की जिलेवार संख्या

दिनांक 01.04.08 से 31.03 .09 तक की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	वृद्धावस्था		विधवा		विकलांग	
		प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	2836	2458	2652	2159	452	305
2	Alwar	1788	1717	1116	1063	283	256
3	Banswara	3582	3006	745	678	232	156
4	Baran	1610	1354	542	440	252	193
5	Barmer	4688	4422	1936	1823	329	306
6	Bharatpur	2993	2882	1765	1703	415	366
7	Bhilwara	4696	3798	2560	2013	503	343
8	Bikaner	1612	1488	980	911	254	222
9	Bundi	818	663	743	653	165	129
10	Chittor-garh	1358	1244	888	798	199	157
11	Churu	2110	2070	1105	1086	271	247
12	Dausa	2449	2363	1046	999	584	531
13	Dholpur	1202	1133	915	873	181	153
14	Dungarpur	3257	2944	518	437	354	326
15	Hanauman garh	1044	835	748	578	307	221

क्र. सं.	नाम जिला	वृद्धावस्था		विधवा		विकलांग	
		प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
16	Jaipur	3029	2407	2836	2137	696	557
17	Jaisalmer	1494	1431	413	343	116	84
18	Jalore	770	729	688	660	149	114
19	Jhalawar	2521	1919	1049	828	300	231
20	Jhunjhunu	653	619	787	723	132	127
21	Jodhpur	2945	2911	2248	2230	336	327
22	Karoli	1718	1155	1379	819	424	186
23	Kota	1043	553	942	406	367	127
24	Nagour	1973	1863	1330	1282	501	445
25	Pali	2702	2288	1638	1481	427	273
26	Rajsamand	1214	1179	1094	1068	101	95
27	Sawai Madhopur	1141	1055	669	588	205	168
28	Sikar	1669	1604	1077	1013	259	244
29	Sirohi	298	276	436	411	102	82
30	Sh. Ganga-nagar	2412	2366	1320	1299	743	736
31	Tonk	1163	1067	1106	1005	253	208
32	Udaipur	2858	2631	1622	1280	362	190
33	Pratapgarh	834	767	505	457	152	133
	Total	**66480**	**59197**	**39398**	**34244**	**10406**	**8238**

आजाद सिनेमा श्रीगंगानगर का प्रस्तावित ओवर ब्रिज

84. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आजाद सिनेमा के फाटक श्रीगंगानगर के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

आजाद सिनेमा के पास रेलवे फाटक के दोनों तरफ घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण रोड ओवर ब्रिज निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने तथा शहरी क्षेत्र होने के कारण भूमि अधिग्रहण किया जाना व्यवहारिक न होने से प्रथम-दृष्टया रोड ओवर ब्रिज का निर्माण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परकोटा क्षेत्र जयपुर शहर की जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनें

85. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में पेयजल संकट से निबटने के लिये सरकार द्वारा कोई आपातकालीन योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर में वर्ष 2003 से अब तक कितने ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प खोदे गये हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से अब तक जयपुर शहर की जीर्ण-शीर्ण पेयजल लाइन को बदलने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो अब तक कितनी लाइनें बदली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि परकोटा क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण पेयजल लाइनें नहीं बदली गई हैं? यदि हां, तो क्यों व इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये ग्रीष्म कंटीजेन्सी/आपातकालीन योजनाओं की स्वीकृति समय समय पर निम्नानुसार जारी की गई:-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**स्वीकृत माह/वर्ष**	**स्वीकृत राशि (रु. लाख में)**
1	ग्रीष्म कंटीजेन्सी, मार्च, 2009	मार्च, 2009	387.00
2	आपात योजना, फेज प्रथम (माह सितम्बर, 09 से दिसम्बर, 09 तक)	अगस्त, 2009	762.02
3	आपात योजना, फेज द्वितीय (माह जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 तक)	फरवरी, 2010	880.50

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवार स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2003 से माह फरवरी, 2010 तक जयपुर शहर में विभिन्न योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत 649 नलकूपों में से 631 नलकूप एवं कुल स्वीकृत 1488 हैण्ड पम्पों में से 1476 हैण्ड पम्प निर्मित किये जाकर पेयजल व्यवस्था से जोड़ दिये गये हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्न परिशिष्ट–'ब' पर उपलब्ध है।

शेष 18 नलकूप एवं 12 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है जिन्हें शीघ्र पेयजल व्यवस्था से जोड़ना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। जयपुर शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा जयपुर शहर में पुरानी/जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने के लिये वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक 5 योजनाओं की स्वीकृति कुल राशि रुपये 67.45 करोड़ की जारी की गई । इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 177.37 किलोमीटर पाइप लाइन के विरूद्ध माह फरवरी, 2010 तक 167.01 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। योजनावार स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र हेतु उक्त योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत कुल 111.20 किलोमीटर वितरण पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। इसमें से लगभग 1.0 किलोमीटर पाइप लाइन के इन्टरकनेक्शन का कार्य शेष रहा है तथा यह कार्य शीघ्र पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विकलांग राज्य कर्मियों को वाहन भत्ता

83. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार विकलांग राज्य कर्मचारियों को वेतन के साथ वाहन भत्ता उपलब्ध कराती है? यदि हां, तो नवीनतम आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वाहन भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जा रहे वाहन भत्ते से तुलनात्मक रूप से कम है ? यदि हां, तो तुलानात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार केन्द्र के समान अन्य वेतन भत्तों की भांति विकलांग कर्मियों को वाहन भत्ता भी तदनुरूप उपलब्ध कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में नवीनतम आदेश की यथा संशोधित प्रति (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) जी हां। तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

केन्द्र सरकार			राज्य सरकार
कर्मचारी जो ग्रेड पे पा रहे हैं	वाहन भत्ता की दर (प्रति माह)		विकलांग वाहन भत्ते की दर (प्रति माह)
	जयपुर	अन्य स्थान	
रु. 5400 एवं उससे अधि	रु. 6400 एवं इस पर देय महंगाई भत्ता	रु. 13200 एवं इस पर देय महंगाई भत्ता	मूल वेतन का 3% किन्तु अधिकतम रु. 300
रु. 4200, 4600 एवं रु. 4800	रु. 3200 एवं इस पर देय महंगाई भत्ता	रु. 1600 एवं इस पर देय महंगाई भत्ता	
रु. 4200 से कम ग्रेड पे किन्तु पे बैंड में वेतन रु. 7440 एवं उससे अधिक			
रु. 4200 से कम ग्रेड पे एवं पे बैंड में वेतन रु. 7440 से कम	रु. 1200 एवं इस पर देय महंगाई भत्ता	रु. 1000 एवं इस पर देय महंगाई भत्ता	

(वित्त मंत्री)

(3) राज्य सरकार द्वारा वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया है, अन्य प्रकरणों के साथ विकलांग कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता भी समिति के समक्ष विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance (Gr. 2) Department

ORDER

No. F. 10 (4) FD (Gr. 2)/76 Dated Jaipur, the 13th March, 1984

Subject : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopedically Handicapped Government Servants.

The Governor has been pleased to order that conveyance allowance to the blind and orthopaedically handicapped Government servants may be allowed @8% of their pay not exceeding Rs. 75/- p.m. subject to the following conditions :-

(i) An orthopaedically handicapped employee will be eligible for conveyance allowance only if he or she has a minimum of 40% permanent partial disability of either upper or lower limbs or 50% permanent partial disability of both upper and lower limbs together, For purpose of estimation of disability, the standards as contained in the Manual for Orthopaedic Surgeon in Evaluating Permanent Physical Impairments brought out by the American Academy of Orthopeadic Surgeons, U.S.A., and published on their behalf by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, G.T. Road, Kanpur shall Apply.

(ii) In the case of a blind employee, the allowance will be admissible only if he or she has a vision less than 3/60 or field vision less than 100, in both eyes.

(iii) The convgyance allowance will be admissible to the Orthopadically handicapped employees on the recommendation of the Head of Orthopaedic Department of a Government Hospital.

(iv) In the case of a blind employee, the allowance will be admissible on the recommendation of the Head of Opthalmological Department of a Government Hospital.

(v) The allowance will not be admissible during leave (except casual leave), joining time or suspension.

2. In cases where handicapped employee is required to under take journey from the place of his posting to the nearest Government Hospital in the State in order to obtain the required certificate from the Head of orthopaedic/ Opthalmological Department, he shall be treated as on duty for the period of the journey and the actual stay at the Head Quarters where the hospital is situated. He shall also be allowed Travelling Allowance as on tour for such a journey without halting allowance on production of a certificate of attendance given by the hospital authorities.

3. All Heads of Departments will be competent to sanction conveyance allowance under these orders. The Government servants concerned shall accordingly apply for the grant of conveyance allowance to their Head of Department. It shall be the responsibility of the Head of the Department concerned to refer the cases of the concerned employees to the appropriate medical authorities for obtaining their recommendations for the grant of conveyance allowance. The allowance shall be granted with effect from the date, the recommendations of the concerned medical authority is received by the Head of Department.
4. These Orders are in supersession of all previous order issued in this regard.

By Order of the Governor
S.S. Parnami
Deputy Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
RULES DIVISION
<u>ORDER</u>

No. F. 10(4)FD(Rules)/76 Jaipur, dated: 12th September, 2008

Subject : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopedically Handicapped Government Servants.

Consequment upon promulgation of The Rajasthan Civil Services (Revised pay) rules, 2008, the Governor is pleased to order that in para 1 of the Finance Department Order No. F.10(4)FD(Gr.2)/76 dated 13.03.1984 as amended vide order dated 18.08.1989 and 02.05.1998 the existing words and figures ‘‘@5% of their pay not exceeding Rs. 200/- per month’’ shall be substituted by the words and figures ‘‘@ 3% of their basic pay not exceeding Rs. 300/- per month.’’

This order shall come into force with effect form 01.09.2008.

By Order of the Governor,
Subhash Garg
Principal Secretary to the Government

पाली जिले में सिविल पेंशनर्स को छठे वेतन का लाभ

84. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):- क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में अब तक कितने सिविल पेंशनर्स को छठे वेतन का परिलाभ नहीं दिया गया? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशनर्स को परिलाभ में विलम्ब किन कारणों से हुआ तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) सरकार उपरोक्त पेंशनर्स को कब तक उक्त परिलाभ देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) (क) पाली जिले में दिनांक 1.9.2006 से पूर्व के पेंशनर्स में से 91 पेंशनर्स को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। तहसीलवार संख्या सूची निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	तहसील का नाम	प्रकरणों की संख्या
1	पाली	16
2	सोजत	16
3	मारवाड जंक्शन	7
4	रायपुर	4
5	देसूरी	4
6	जैतारण	8
7	बाली	35
8	सुमेरपुर	1
	कुल योग	**91**

(ख) दिनांक 1.9.2006 को या इसके पश्चात सेवानिवृत पेंशनर्स के प्रकरणों में छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतन स्थिरीकरण उपरान्त प्रकरण प्राप्त होने पर लाभ देय किया जाना है। इस प्रकार के पाली जिले में पेंशन संशोधन के 94 प्रकरण बकाया है। इनकी तहसीलवार संख्या सूची निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	तहसील का नाम	विभागों में प्रकरण कमी पूर्ति हेतु लम्बित	विभागों द्वारा प्रकरण प्रेषित नहीं किये गये	योग
1	पाली	9	45	54
2	बाली	0	2	2
3	सोजत	1	8	9
4	जैतारण	3	4	7

(वित्त मंत्री)

क्र. सं.	तहसील का नाम	विभागों में प्रकरण कमी पूर्ति हेतु लम्बित	विभागों द्वारा प्रकरण प्रेषित नहीं किये गये	योग
5	देसूरी	3	1	4
6	रायपुर	1	5	6
7	रानी	0	2	2
8	सुमेरपुर	4	2	6
9	मारवाड जंक्शन	2	2	4
	योग	**23**	**71**	**94**

(2) उत्तर क्रमांक 1(क) में बताए गए 91 प्रकरण पेंशनर्स के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण बकाया है।

1(ख) में दर्शाये गये 94 प्रकरणों में से 71 प्रकरण विभिन्न विभागों से प्राप्त नहीं होने के कारण एवं 23 प्रकरण पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने बाबत लौटाये जाने के कारण बकाया है।

(3) राज्य सरकार पेंशनर/संबंधित कार्यालय द्वारा वांछित पूर्ति करने पर लाभ देने का विचार रखती है।

नोट : दिनांक 1.9.2006 से पूर्व के 13 पेंशनर्स के प्रकरणों में छठे वेतन आयोग के अनुसार समेकन का लाभ मिल चुका है। पद आधारित न्यूनतम पेंशन का लाभ वांछित सूचना प्राप्ति पर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना है।

आबकारी थानों में जब्त वाहनों का निस्तारण

85. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किस-किस आबकरी थाने में कितने दुपहिया व चौपहिया वाहन कब से जब्तशुदा हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वाहनों में से अनेक वाहन नीलामी योग्य हैं? क्या सरकार उक्त समस्त वाहनों की जांच करवाकर नीलामी योग्य वाहनों को नीलाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(आबकारी मंत्री)

उत्तर

(1) जब्त वाहनों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इन वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा वाहन छुड़ाने हेतु एक माह में आवेदन नहीं करने पर वाहनों को राजसात (Confiscate) कर विभागीय सम्पत्ति घोषित करने हेतु नियमों में प्रावधान करने का आबकारी नीति 2010 11 में निर्णय लिया गया है।

परिशिष्ट-अ

अवैध शराब प्रकरणों में जब्त शुदा वाहनों की प्रवर्तन स्टेशन/जिलेवार सूची

क्र.सं.	आबकारी प्रवर्तन स्टेशन का नाम व जिला	जब्त वाहनों की संख्या	
		दुपहिया	चौपहिया
1.	अजमेर दक्षिण जिला अजमेर	2	1
2.	अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर	4	7
3.	किशनगढ़ जिला अजमेर	-	5
4.	केकड़ी जिला अजमेर	3	2
5.	ब्यावर जिला अजमेर	3	3
	योग जिला अजमेर	**12**	**18**
6.	टोंक	1	-
7.	निवाई जिला टोंक	1	-
	योग टोंक जिला	**2**	-
8.	मेड़ता जिला नागौर	2	0
9.	डीडवाना जिला नागौर	-	1
	योग जिला नागौर	2	1
10.	भीलवाड़ा ग्रामीण	2	1
11.	गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	-	5
	योग जिला भीलवाड़ा	**2**	**6**

क्र.सं.	आबकारी प्रवर्तन स्टेशन का नाम व जिला	जब्त वाहनों की संख्या	
		दुपहिया	चौपहिया
12.	नयापुरा जिला कोटा	1	2
13.	गुमानपुरा जिला कोटा	3	3
14.	रामगंजमंडी जिला कोटा	1	-
15.	सांगोद जिला कोटा	-	1
	योग जिला कोटा	**5**	**6**
16.	नैनवां	2	-
17.	छबडा जिला बारां	2	-
18.	झालावाड़	2	1
19.	भवानीमण्डी जिला झालावाड़	-	1
	योग जिला झालावाड़	**2**	**2**
20.	बीकानेर शहर जिला बीकानेर	3	1
21.	बीकानेर ग्रामीण जिला बीकानेर	14	3
22.	लूणकरणसर जिला बीकानेर	1	10
23.	**खाजूवाला जिला बीकानेर**	**1**	-
24.	नौखा जिला बीकानेर	2	-
	योग जिला बीकानेर	**21**	**14**
25.	हनुमानगढ़	11	-
26.	संगरिया जिला हनुमानगढ़	10	4
27.	नोहर जिला हनुमानगढ़	5	13
	योग जिला हनुमानगढ़	**26**	**17**
28.	चूरू	01	01
29.	राजगढ़ जिला चूरू	-	4
30.	रतनगढ़ जिला चूरू	-	3

क्र.सं.	आबकारी प्रवर्तन स्टेशन का नाम व जिला	जब्त वाहनों की संख्या	
		दुपहिया	चौपहिया
31.	सुजानगढ़ जिला चूरू	-	1
	योग जिला चूरू	**01**	**09**
32.	श्रीगंगानगर शहर जिला श्रीगंगानगर	11	05
33.	श्रीगंगानगर ग्रामीण जिला श्रीगंगानगर	03	03
34.	श्रीकरणपुर	3	1
35.	रायसिंह नगर	2	1
36.	अनुपगढ़	1	-
37.	सूरजगढ़	2	2
	योग जिला श्रीगंगानगर	**22**	**12**
38.	अलवर शहर जिला अलवर	32	4
39.	अलवर ग्रामीण	15	2
40.	लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर	7	-
41.	भिवाड़ी जिला अलवर	14	1
42.	राजगढ़ जिला अलवर	5	-
43.	बहरोड	3	11
	योग जिला अलवर	**83**	**18**
44.	धौलपुर शहर	12	1
45.	धौलपुर ग्रामीण	-	1
46.	बाड़ी धौलपुर	1	1
	योग जिला धौलपुर	**13**	**3**
47.	सवाईमाधोपुर ग्रामीण	2	-
	योग जिला सवाईमाधोपुर	**2**	-

क्र.सं.	आबकारी प्रवर्तन स्टेशन का नाम व जिला	जब्त वाहनों की संख्या	
		दुपहिया	चौपहिया
48.	भरतपुर शहर जिला भरतपुर	35	-
	योग जिला भरतपुर	**35**	-
49.	जोधपुर एवं जोधपुर	8	6
50.	जोधपुर पश्चिम जिला जोधपुर	4	4
51.	जोधपुर ग्रामीण	4	6
52.	पीपाड शहर जोधपुर	8	7
53.	ओसिया जोधपुर	1	-
54.	फलोदी, जोधपुर	-	4
	योग जिला जोधपुर	**25**	**27**
55.	रेवदर सिरोही	3	-
56.	आबूरोड सिरोही	3	1
	योग जिला सिरोही	**6**	**1**
57.	जैसलमेर जिला जैसलमेर	1	-
58.	पोकरण जिला जैसलमेर	2	1
	योग जिला जैसलमेर	**3**	**1**
59.	बाड़मेर जिला बाड़मेर	2	1
60.	जालोर	1	2
61.	सांचोर	-	4
	योग जिला जालौर	**1**	**6**
62.	पाली शहर जिला पाली	1	1
63.	सोजत सिटी	-	1
64.	जैतारण	2	-

क्र.सं.	आबकारी प्रवर्तन स्टेशन का नाम व जिला	जब्त वाहनों की संख्या	
		दुपहिया	चौपहिया
65.	बाली	1	1
	योग जिला पाली	**4**	**3**
66.	झुन्झुनूं	-	2
67.	नवलगढ़ (झुन्झुनूं)	2	-
68.	चिड़ावा	1	1
69.	खेतड़ी	2	-
	योग जिला झुन्झुनूं	**5**	**3**
70.	नीम का थाना	5	2
71.	श्रीमाधोपुर (सीकर)	1	1
	योग जिला सीकर	**6**	**3**
72.	जयपुर ग्रामीण जिला जयपुर	6	-
73.	कोटपूतली जिला जयपुर	5	12
74.	दूदू जिला जयपुर	-	1
75.	शाहपुरा जिला जयपुर	1	4
76.	सांगानेर जिला जयपुर दक्षिण जिला जयपुर	30	12
77.	अशोक नगर जयपुर दक्षिण जयपुर जिला जयपुर	29	11
78.	मानसरोवर जयपुर दक्षिण जिला जयपुर	31	21
79.	झोटवाडा, जयपुर	09	15
80.	कोतवाली जयपुर	06	01
81.	रामगंज जयपुर	04	04
	योग जिला जयपुर	**121**	**81**

क्र.सं.	आबकारी प्रवर्तन स्टेशन का नाम व जिला	जब्त वाहनों की संख्या	
		दुपहिया	चौपहिया
82.	उदयपुर शहर	05	07
83.	सलूम्बर	01	02
84.	खैरवाड़ा	-	01
85.	नाथद्वारा	-	01
86.	कमलीघाट	02	01
87.	मावली	01	07
88.	योग जिला उदयपुर	**09**	**31**
89.	बांसवाड़ा	02	02
90.	घाटोल	-	01
91.	कुशलगढ़	01	05
92.	योग जिला बांसवाड़ा	**03**	**08**
93.	निम्बाहेड़ा	01	04
94.	चित्तौड़गढ़	-	03
95.	योग जिला चित्तौड़गढ़	**01**	**07**
96.	डूगर	02	16
97.	डूंगरपुर	02	16
98.	योग जिला डूंगरपुर	**02**	**16**
	योग समस्त जिला	**407**	**287**

राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को देय छूट का प्रचार-प्रसार

86. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सामान्य दर से 2 प्रतिशत की छूट पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्तमान सत्र सहित गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को कितना ऋण दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उचित प्रचार-प्रसार के अभाव में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकांश व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संदर्भ में कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक के ऋण उद्योग की स्थापना हेतु सामान्य दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत वित्त निगम द्वारा वर्तमान सत्र सहित गत तीन वर्षों में 41 उद्यमियों को 126.60 लाख रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये एवं 140.13 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये (ऋण वितरीत में पूर्व में स्वीकृत ऋणों का वितरण भी शामिल है)।

(2) निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ऋण योजना का उचित प्रचार-प्रसार किया जाता है। शाखा स्तर पर आयोजित बिजनिस प्रमोशन कैम्पों के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके तहत ही उद्यमियों द्वारा उक्त योजना का लाभ उठाया जा रहा है।

बीकानेर के जिला उद्योग केन्द्र में व्याप्त अनियमितताएं

87. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर में नियुक्त महाप्रबन्धक, सहायक निदेशक व औद्योगिक निरीक्षकों ने हाथकरघा उत्पादन सहकारी समितियों से मिलीभगत कर फर्जी उत्पादन व बिक्री दर्शा कर अनुदान राशि के रूप में सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों ने क्या-क्या अनियमितताएं की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषी अधिकारियों

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा हैण्डलूम वस्त्र के विक्रय पर 10 प्रतिशत रिबेट के पुनर्भरण के संबंध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर एवं 3 हाथकरघा निरीक्षक तथा 11 हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के विरूद्व दुराचरण के संबंध में सी.बी.आई. जोधपुर द्वारा प्रारम्भिक जांच पंजीकृत प्रतिवेदन दिनांक 30.9.2009 को दर्ज किया गया है। तत्पश्चात ब्यूरो द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2010 को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर, हाथकरघा निरीक्षक तथा हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के विरूद्ध 3 पृथक-पृथक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की जाकर विस्तृत जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

बायतू विधान सभा क्षेत्र में तकनीकी कार्मिकों के रिक्त पद

88. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तकनीकी स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बायतू में कितने पद रिक्त हैं? उपखण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रभारित संवर्ग के तकनीकी कर्मचारी कार्यरत होते हैं। वर्ष 1994 से पूर्व विधान सभा क्षेत्र बायतू में कार्य प्रभारित संवर्ग में 385 तकनीकी पद स्वीकृत थे तथा इनमें से 308 तकनीकी कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। राज्यादेश दिनांक 28.02.1994 से कार्य प्रभारित संवर्ग मृत संवर्ग घोषित होने के कारण इस संवर्ग में पदोन्नति, पद सृजन एवं नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। अत: शेष 77 पद स्वत: ही समाप्त होने के कारण कार्य प्रभारित संवर्ग का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार। वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार संधारण कार्य करवाया जा रहा है ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाएं

89. श्रीमती अंजु खंगवाल (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम दूदावाला, गोकुलपुरा, लसाडिया, टोडाभाटा, खोरी, बराला, कुथांडाकला, चित्तौड़ी एवं दामोदरपुरा की पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब उक्त जल योजनाओं का कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के वर्णित ग्रामों की पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अक्टूबर, 2008 में जारी हुई थी। इसके उपरांत माह जनवरी, 2009 में स्वीकृतियों के पुनर्निरीक्षण का निर्णय लिया गया।

योजनाएं ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम'' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया में हैं एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उपरोक्तानुसार।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में संचालित जनता जल योजना

90. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जनता जल योजना संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कहां-कहां जनता जल योजना पूर्ण रूप से बन्द है अथवा पूरी पेयजल व्यवस्था बाधित है?

(3) क्या यह सही है कि जनता जल योजनाओं का संचालन पंचायत स्तर पर किया जाता है? यदि हां, तो क्या कई पंचायतों के पास राजस्व संसाधनों की कमी होने की स्थिति में उक्त योजनाएं बन्द हो जाती हैं? यदि

(श्री ओटाराम देवासी)

हां, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं के संचालन में असक्षम पंचायतों में पेयजल की नई योजना लागू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिरोही की पंचायत समिति सिरोही एवं शिवगंज में क्रमश: 9 एवं 6, कुल 15 संचालित जनता जल योजनाओं से कुल 20 ग्राम (पंचायत समिति सिरोही-14 ग्राम एवं पंचायत समिति शिवगंज-6 ग्राम) वर्तमान में लाभान्वित हैं। ग्रामवार संचालित जनता जल योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्र में कोई भी जनता जल योजना वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द नहीं है। समस्त जनता जल योजनाओं से संबंधित ग्रामों में वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था संबंधी सम्पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' में निहित है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा योजना की क्रियान्विति कर जनता जल योजना के पैटर्न पर संचालन हेतु विभिन्न स्थानीय एजेन्सियों को सुपुर्द की हुई हैं और इसी स्वरूप में इन्हें संचालन किये जाने का प्रावधान है। सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों के अनुरूप समस्त जनता जल योजनाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-'क'

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित जनता जल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत का नाम	जनता जल योजना का नाम	लाभांवित ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या		जल स्त्रोत	जल सेवा स्तर (लीटर/ व्यक्ति/ दिन)	योजना संचालन एजेन्सी	योजना की वर्तमान स्थिति	करवाये गये कार्य		क्रियाशील हैण्डपम्प
						वर्ष 2001	वर्तमान					ग्रीष्म कंटीजेन्सी- मार्च 09	कंजेन्सी फेज प्रथम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सिरोही	मनोरा	मनोरा-सतापुरा	मनोरा	2349600	2253	2839	1 नलकूप	21	पंचायत	चालू	-	1 नलकूप	15
				सतापुरा	2349500	731	921	1 नलकूप	22	पंचायत	चालू	-	-	8
2	सिरोही	तवरी	तवरी-फासरिया	तवरी	2353500	2205	2778	1 नलकूप, 1 खुला कुआ	26	पंचायत	चालू	-	-	15
				फासरिया	2353300	599	755	1 खुला कुआ	26	पंचायत	चालू	-	-	6
3	सिरोही	हालिवाडा	सिरोडकी हालिवाडा	सिरोडकी	2356400	722	910	1 खुला कुआ	44	पंचायत	चालू	-	-	4
				हालिवाडा	2354100	1347	1697	1 नलकूप, 1 खुला कुआ	42	पंचायत	चालू	-	1 हैण्डपम्प	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	सिरोही	नवारा	नवारा बावली	नवारा	2351000	1676	2112	1 खुला कुआ	9	पंचायत	चालू	-	-	10
				बावली	2350900	1290	1625	2 नलकूप	25	पंचायत	चालू	1 हैण्डपम्प	-	6
5	सिरोही	भूतगांव	जामोतरा	जामोतरा	2349800	1613	2032	1 नलकूप	20	पंचायत	चालू	-	-	6
6	सिरोही	मडिया	मडिया	मडिया	2354000	1732	2182	2 खुले कुए	37	पंचायत	चालू	-	1 हैण्डपम्प	14
7	सिरोही	भूतगांव	भूतगांव	भूतगांव	2349700	1712	2157	1 नलकूप	30	पंचायत	चालू	-	-	13
8	सिरोही	रामपुरा	रामपुरा-पालडी	रामपुरा	2351800	3117	3927	1 नलकूप	20	पंचायत	चालू	-	-	16
				पालडी	2351700	1098	1383	1 नलकूप	48	पंचायत	चालू	-	-	7
9	सिरोही	मण्डवारिया	मण्डवारिया	मण्डवारिया	2350700	2013	2536	1 नलकूप, 1 खुला कुआ	28	पंचायत	चालू	-	-	9
10	शिवगंज	रोवाडा	केराल	केराल	2342800	1285	1619	1 खुला कुआ	37	पंचायत	चालू	-	-	6
11	शिवगंज	खेजडिया	खेजडिया	खेजिडया	2347100	1518	1913	2 नलकूप	31	पंचायत	चालू	-	1 हैण्डपम्प	16
12	शिवगंज	छीबागांव	छीबागांव	छीबागांव	2348000	1434	1807	1 खुला कुआ	33	पंचायत	चालू	-	-	16
13	शिवगंज	अरठवाडा	अरठवाडा	अरठवाडा	2345600	4736	4967	3 नलकूप	58	पंचायत	चालू	-	-	20
14	शिवगंज	पालडी एम	वेरा विलपुर	वेरा दिलपुर	2348800	808	1018	1 खुला कुआ	49	पंचायत	चालू	-	-	10
15	शिवगंज	अन्दौर	अन्दौर	अन्दौर	2345300	2057	2592	1 नलकूप, 1 खुला कुआ	39	पंचायत	चालू	-	-	12

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

91. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर व कितनी?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाडोल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु स्वीकृत 7 पेयजल योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन योजनाओं की प्रगति के संबंध में विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20 फरवरी, 2010 को आपात योजना फेज-द्वितीय की स्वीकृति के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के 20 ग्रामों में आवश्यकता अनुसार 20 नये हैण्डपम्प निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। ग्रामवार स्वीकृति विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीम विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पनघट योजना

92. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम की 500 की आबादी वाले गांवों को स्वच्छ पेयजल हेतु पनघट योजना में लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विभागीय नीति अनुरूप जिन ग्रामों की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1500 से कम है एवं पानी, विभागीय मानकों के अनुसार पीने योग्य है, ऐसे ग्रामों हेतु हैण्ड पम्प योजनाएं तथा 1500 से 4000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में पम्प एवं टैंक (पनघट) योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम'' के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण योजनाओं के आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन और रख रखाव में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मांग आधारित योजनाएं बनाई जाकर संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

खैरथल (अलवर) नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन

93. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के नगरपालिका क्षेत्र खैरथल के वार्ड नं. 14, 15, 16, 17, 23 एवं 24 में पानी की किल्लत है तथा इन वार्डों में पाइन लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है? यदि हां, तो कितनी पाइन लाइन और डाली जानी है?

(2) क्या सरकार उक्त वार्डों में पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के नगरपालिका क्षेत्र, खैरथल के वर्णित वार्डों में विभाग द्वारा पेयजल पाइप लाइनों के माध्यम से की जा रही पेयजल व्यवस्था वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। इसके अतिरिक्त इन वार्डों में आवश्यकतानुसार हैण्ड पम्प भी स्थापित हैं ।

वार्ड संख्या 16, 17 एवं 24 में कृषि भूमि पर विकसित कुछ क्षेत्रों में विभागीय पेयजल पाइप लाइन नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति हो रही है । उक्त वार्डों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट–'अ' पर उपलब्ध है

(2) उपरोक्तानुसार। कृषि भूमि पर विकसित क्षेत्रों हेतु मांग आने पर सहभागिता आधारित पेयजल योजना पर भू-जल की पर्याप्त उपलब्धता होने पर विचार किया जा सकता है।

परिशिष्ट-'अ'

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के नगरपालिका क्षेत्र, खैरथल के विभिन्न वार्डों में वतर्मान पेयजल व्यवस्था का विवरण

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	वर्तमान पेयजल व्यवस्था की स्थिति
1	14	इस वार्ड में कुठली मौहल्ला आता है जिसमें स्थानीय नलकूप द्वारा जल सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त वार्ड में 2 हैण्ड पम्प भी क्रियाशील हैं।

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	वर्तमान पेयजल व्यवस्था की स्थिति
2	15	इस वार्ड में मुरली कालोनी व जसोरिया कालोनी का क्षेत्र आता है। इस वार्ड में कुठली व मुरली कालोनी स्थित नलकूपों से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2 हैण्ड पम्प भी क्रियाशील हैं।
3	16	इस वार्ड में इस्माइलपुर रोड से अम्बेडकर कालोनी व गुरूनानक कालोनी क्षेत्र आता है। इस वार्ड को आनन्द नगर स्थित स्वच्छ जलाशय द्वारा तथा गुरूनानक कालोनी स्थित नलकूप से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वार्ड में 8 नग हैण्ड पम्प भी क्रियाशील हैं। इस क्षेत्र की कुछ आबादी कृषि भूमि पर बसी हुई है।
4	17	दस वार्ड में इस्माइलपुर रोड से खिरकची व औद्योगिक क्षेत्र का आबादी क्षेत्र आता है। इस वार्ड में नलकूप भट्टेवाला से पेयजल सप्लाई किया जाता है। इस वार्ड में 9 नग हैण्ड पम्प भी क्रियाशील हैं। इस क्षेत्र की कुछ आबादी कृषि भूमि पर बसी हुई है।
5	23	इस वार्ड में बिजली घर के पास व माया कालोनी का क्षेत्र आता है। इस वार्ड में आनन्द नगर स्थित स्वच्छ जलाशय द्वारा सीधी बूस्टिंग द्वारा जल सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वार्ड में 5 नग हैण्डपम्प भी क्रियाशील हैं।
6	24	इस वार्ड में किशनगढ़बास रोड पर खिरकची वाला क्षेत्र आता है। इस वार्ड में नलकूप भट्टे वाले से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वार्ड में 6 नग हैण्ड पम्प भी क्रियाशील हैं। इस वार्ड की कुछ आबादी कृषि भूमि पर बसी हुई है।

आदिवासी क्षेत्र की खानों के बेचान/हस्तांतरण की छूट

94. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र में चल रही खानों के बेचान एवं स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार

(डा. रघु शर्मा)

उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 3 जुलाई, 2009 (प्रति संलग्नक ''अ'' पर) के द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन पटटों/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों आदि की स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश का अभिप्राय स्थानान्तरण पर भी आगाजी आदेशों तक रोक लगाए रखने का है। प्रकरण को विस्तृत समीक्षा हेतु मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा। प्रकरण में आगे की कार्यवाही मंत्रिमण्डल द्वारा लिये जाने वाले निर्णय पर निर्भर है।

संलग्नक-'अ'

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.14(10)खान/ग्रुप-2/1999		जयपुर, दिनांक

निदेशक,

खान एवं भूविज्ञान विभाग,

राजस्थान, उदयपुर।

विषय:- राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रधान व अप्रधान खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र एवं खनन पट्टा अनुदान हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार इस विभाग के आदेश दिनांक 5.2.2008 एवं समसंख्यक दिशा-निर्देश दिनांक 5.2.2003 के क्रम में लेख है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन पट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों आदि की स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक यथावत रखी जाये एवं प्राप्त आवेदन पत्रों पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जावे।

कृपया सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निर्देश प्रदान करावें।

भवदीय,

उप शासन सचिव

बीकानेर जिले के खनन क्षेत्रों में खान मालिकों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

95. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर एवं कोलायत तहसील के स्वीकृतशुदा खनन पट्टों पर खानों को सुरक्षित रखने एवं सुरक्षित ढंग से खनन कार्य करने संबंधी दिशा-निर्देश समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? जारी दिशा-निर्देश/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मौके पर खान मालिकों द्वारा खान सुरक्षा नियमों का पालन न करके असुरक्षित ढंग से खनन कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा गत 10 वर्षों में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खान मालिकों द्वारा खान सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक तकनीकी प्रबन्धकों की नियुक्ति की गई है व मौके पर खान मालिकों द्वारा मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कितने तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई? नियुक्त कर्मियों का नाम, पता व वेतन व कब से कार्यरत हैं, संबंधी विवरण तथा कितने खान मालिकों द्वारा मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खानों को सुरक्षित रखने तथा सुरक्षित खनन हेतु खान अधिनियम 1952 के नियम 22 में प्रावधान किये हुए हैं। (नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(2) मौके पर खान मालिकों को खान सुरक्षा नियमों की पालना करते हुए ही खनन कार्य करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। जिन खान मालिकों द्वारा असुरक्षित ढंग से खनन कार्य करवाया गया उन खनन पट्टाधारियों के विरूद्ध समय-समय पर भारत सरकार के खान सुरक्षा निदेशालय, अजमेर द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 22 एवं 22-ए के तहत कार्यवाही के नोटिस पर विभाग द्वारा खनन कार्य बंद करवाया गया तथा तत्पश्चात् सुरक्षित ढंग से खनन कार्य करने पर ही पुन: खनन कार्य चालू करने की अनुमति प्रदान की गयी है। पिछले 10 वर्षें में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है।

(3) खान मालिकों द्वारा खान सुरक्षा की दृष्टि से नियमों के अन्तर्गत जिन खानों हेतु तकनीकी प्रबन्धकों की नियुक्ति की जानी आवश्यक है उनमें तकनीकी प्रबन्धकों की नियुक्ति की जाती है। प्रधान खनिज के खनन पट्टा धारियों द्वारा नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की सूची व मशीनों से करवाये जा रहे खनन कार्य की सूचना परिशिष्ट-''स'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रणथम्भौर के बाघों की सुरक्षा

96. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में क्षमता से ज्यादा बाघ हैं जिससे बाघ कैलादेवी (करौली) राष्ट्रीय उद्यान की ओर पलायन कर रहे हैं जिससे बाघों के शिकार की आशंका बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में माह मार्च-अप्रैल 2009 में कैमरा ट्रेप पद्धति से कराई वन्य जीव गणना में रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर में कुल 40 बाघ एवं कैलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में एक बाघ पाया गया है। रणथम्भौर के बाघों में 10 शावकों की संख्या भी सम्मिलित है। लगभग ढाई वर्ष मां के साथ रहने के पश्चात् शावक मां से अलग होकर स्वतंत्र टेरीटरी बनाते हैं, इस प्रक्रिया में कभी-कभी बाघ उद्यान क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। मुख्त: सर्दी के मौसम में जब सरसों की फसल चारों तरफ होती है जो बाघ को अच्छा शेल्टर प्रदान करती है। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना का कोर क्षेत्र है जबकि कैलादेवी अभयारण्य बाघ परियोजना का बफर क्षेत्र है जिनमें बाघों का विचरण सामान्य प्रक्रिया है।

वर्तमान में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व की सीमा से दो बाघ बाहर निकले हुये हैं जिनमें से टी-37 नाम की बाघिन का विचरण वर्तमान में वन मण्डल कोटा के सुल्तानपुर रेंज के आटून गांव के आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। इसी प्रकार कैलादेवी में एक नर बाघ लगभग पिछले दो वर्ष से विचरण कर रहा है जो वर्तमान में वन मण्डल भरतपुर के अधीन बंध बारेठा वन क्षेत्र तथा वन मण्डल करौली के मासलपुर रेंज के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। इन बाघों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वन मण्डल तथा रणथम्भौर बाघ परियोजना के स्टाफ द्वारा नियमित ट्रेकिंग कर मोनिटरिंग की जा रही है। इन दोनों बाघों की उपस्थिति की लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है।

घाड़ (टोंक) हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण

97. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बड़ी आबादी वाले ग्राम घाड़ (टोंक) में उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस थाना, 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन सहित सरकारी

(श्री रामनारायण मीणा)

चिकित्सालय आदि होने से समीपवर्ती क्षेत्र के खरोई, मुगलाना आदि विभिन्न ग्रामों के निवासियों का तथा विद्यार्थियों का आवागमन रहने पर भी खरोई से घाड़ तथा मुगलाना से दौलतपुरा होते हुए घाड़ को सम्पर्क सड़कों से अभी तक नहीं जोड़ा गया है एवं उक्त के सीधे रास्ते पर आने वाले नालों पर पुलिया निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घाड़ से खरोई पहुंचने वाले सीधे रास्ते पर स्थित नाले में वर्षा के मौसम में एनीकट का पानी भर जाने से आस-पास के विभिन्न ग्रामों के निवासियों तथा घाड़ स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को आवागमन में आ रही परेशानी एवं नुकसान को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा पुलिया के निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम खरोई से घाड़ व मुगलाना से दौलतपुरा तक सम्पर्क सड़क नहीं है, दौलतपुरा से घाड़ तक डामरीकृत सड़क बनी हुई है।

वर्तमान में घाड़, खरोई, मुगलाना व दौलतपुरा ग्राम डामर सड़कों से जुड़े हुए हैं।

इन मिसिंग सड़कों एवं पुलियाओं का निर्माण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित इस ग्रेवल सड़क मार्ग पर आने वाले नालों पर पुलियाओं के निर्माण हेतु महानरेगा के अन्तर्गत रुपये 15.10 लाख का कार्य स्वीकृत है। उक्त कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

पाली शहर में ओवरब्रिज निर्माण कार्य

98. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर में ओवर ब्रिज निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया एवं इसे कितनी अवधि में पूर्ण किया जाना था?

(2) अब तक इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(3) उक्त ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अनुमानित लागत क्या थी एवं किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी राशि दी जानी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कितनी राशि किन-किन द्वारा दे दी गई एवं कितनी राशि देनी अभी तक शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(5) उक्त कार्य किन कारणों से बंद कर दिया गया ? क्या सरकार इसे पुन: चालू कराने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पाली शहर में ओवर ब्रिज निर्माण कार्य दिनांक 19-10-2008 से प्रारम्भ किया गया एवं इसे 12 माह में पूर्ण किया जाना था।

(2) अब तक इसके निर्माण पर रुपये 26.39 लाख का व्यय राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जा चुका है।

(3) उक्त कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1200.00 लाख थी। जिसमें से रुपये 432.00 लाख नगर परिषद् पाली, रुपये 54.00 लाख सांसद मद, रुपये 54.00 लाख विधायक एवं शेष रुपये 660.00 लाख राज्य मद में दी जानी थी।

(4) उक्त में से रुपये 78.18 लाख नगर परिषद, पाली, रुपये 50.00 लाख सांसद मद, रुपये 25.00 लाख विधायक मद एवं शेष राज्य मद से उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रकार रुपये 353.82 लाख नगर परिषद, पाली, रूपये 4.0 लाख सांसद मद, रुपये 29.00 लाख विधायक मद से प्राप्त होनी अभी शेष है।

(5) उक्त कार्य हेतु टेण्डर प्रीमियम अनुमानित से अधिक आने एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सेवाओं के स्थानान्तरण कार्य हेतु अनुमानित राशि से वास्तविक तकमीने में अधिक राशि की मांग करने, रेल्वे विभाग द्वारा रेल्वे क्षेत्र में कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु पूर्व में सूचित राशि रुपये 394.38 लाख के विरूद्ध संशोधित स्वीकृत तकमीना राशि रुपये 1188.68 लाख का प्रस्तुत करने के कारण संशोधित तकमीना लागत राशि रुपये 2214.00 लाख आंकी गई है। इस राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन है। कार्य दिसम्बर, 2009 से अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात कार्य की सहयोग राशि उपलब्ध होने पर कार्य पुन: प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर जिले में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों हेतु सड़क निर्माण

99. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009-10 में पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों

(श्री निर्मल कुमावत)

को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो कितनी सड़कों का निर्माण किया गया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर एवं विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ऐसी कितनी व कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित 58 पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों में से अब तक 53 सड़कों का निर्माण किया गया है। विवरण परिशिष्ट ''1'' में प्रस्तुत है।

(2) जयपुर जिले एवं विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्ष 2009-10 में किसी भी पर्यटन एवं धार्मिक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत-राजोला सड़क का नवीनीकरण

100. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सोजत में सोजत 0 किमी. से राजोला रोड मेले का चौक एक किमी सड़क का निर्माण कब व किसके द्वारा करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क गारण्टी अवधि में ही क्षतिग्रस्त हो गई? यदि हां, तो उसका नवीनीकरण किस विभाग द्वारा एवं किसकी अनुमति से कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सोजत में सोजत 0 कि.मी. से राजोला रोड मेले का चौक एक कि.मी. तक सड़क की चौड़ाइकरण एवं नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2004-05 में सा.नि.वि. द्वारा मैसर्स रामचन्द्र कुमावत नाथद्वारा संवेदक की मार्फत आर.एम.यू.पी. प्रथम योजना के तहत करवाया गया। जिसकी स्वीकृत राशि रुपये 10.00 लाख थी, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने? निर्धारित तिथि क्रमश: 10-01-2005 व 09-04-2005 थी तथा कार्य 24-02-2006 को पूर्ण हुआ।

(2) जी नहीं। सड़क के उक्त हिस्से की गारण्टी अवधि 23.02.08 को समाप्त हो चुकी है एवं सड़क की स्थिति वर्तमान में भी संतोषजनक है।

किशनगढ़-जयपुर मार्ग पर पथ कर की वसूली

101. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

किशनगढ़-जयपुर मार्ग पर टोल टैक्स के पेटे अब तक कितनी राशि वसूल हुई तथा कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

किशनगढ़-जयपुर मार्ग पर टोल टैक्स के पेटे 31 जनवरी, 2010 तक राशि रुपये 638.04 करोड़ वसूल हुई, तथा रुपये 1136.54 करोड़ की राशि व्यय हुई। इस सड़क के निर्माण एवं संधारण राशि का व्यय एवं टोल वसूली का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर से सिंचाई को प्रोत्साहन

102. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :'-

(1) क्या सरकार प्रदेश में ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर सिस्टम से सिंचाई को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसको बढ़ावा देने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना व अन्य परियोजनाओं में किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर सिस्टम से सिंचाई चालू की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य जल नीति में दाबीय सिंचाई पद्धति (ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर सिंचाई पद्धति) को बढ़ावा देने एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत फव्वारा व ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को फव्वारा संयंत्र की इकाई लागत का 50 प्रतिशत तथा ड्रिप सिंचाई संयंत्र की लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके साथ-साथ समय-समय पर कृषि/उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न अभियानों, समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन, कृषि मेलों, प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से योजना की जानकारी प्रदान की जाती है।

(2) वर्ष 2006-07 से अब तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, कोटा, बूंदी व बारां क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं यथा इ.गां.न.प. गंगकैनाल, भाखडाकैनाल, चम्बल कमाण्ड व नर्मदा कमाण्ड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत क्रमश: 9991, 645, 1054,

(जल संसाधन मंत्री)

1836, 5308 है तथा ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत क्रमश: 1327, 1934, 965, 371 व 10 है. क्षेत्र में संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में फव्वारा व ड्रिप सिंचाई के तहत क्रमश: 18834 व 4607 है. क्षेत्र लाया जा चुका है। वर्षवार व परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

सिंचाई परियोजनाओं में फव्वारा एवं ड्रिप क्षेत्र

क्र. सं.	जिला	वर्ष	सिंचाई परियोजनाओं में फव्वारा एवं ड्रिप क्षेत्र (है.)												
			इ.गां.न.प.		गंग कैनाल		भाखड़ा कैनाल		चम्बल कैनाल		नर्मदा कैनाल		योग		कुल योग
			फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप	फव्वारा	ड्रिप	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्री गंगानगर	2006-07	145	226	237	412	36	51					418	699	1117
		2007-08	570	146	296	386	103	79					969	611	1580
		2008-09	754	227	63	514	15	104					832	845	1677
		2009-10 जनवरी तक	846	220	49	622	6	162					901	1004	1905
		योग	**2315**	**819**	**645**	**1934**	**160**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3120**	**3159**	**6279**
2	हनुमानगढ़	2006-07	188	36			124	146					312	194	496
		2007-08	476	67			349	124					825	191	1016
		2008-09	596	99			275	197					871	296	1167
		2009-10 जनवरी तक	236	49			146	92					382	141	523
		योग	**1496**	**253**			**894**	**559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2390**	**812**	**302**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	बीकानेर	2006-07	1330	35									1330	35	1365
		2007-08	1500	30									1500	30	1530
		2008-09	1450	95									1450	95	1545
		2009-10 जनवरी तक	1790	95									1790	95	1885
		योग	**8070**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6070**	**255**	**6325**
4	जैसलमेर	2006-07											0		0
		2007-08	80										80		80
		2008-09	30										30		30
		2009-10 जनवरी तक											0		0
		योग	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**0**	**110**
5	बाड़मेर	2006-07											0		0
		2007-08											0		0
		2008-09									22		22		22
		2009-10 जनवरी तक											0		0
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**	**22**	**0**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	जालौर	2006-07											0	0	0
		2007-08											0	0	0
		2008-09									1854	4	1854	4	1858
		2009-10 जनवरी तक									3432	6	3432	6	3438
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5286**	**10**	**5286**	**10**	**5296**
7	कोटा	2006-07							552	61			552	61	613
		2007-08							572	45			572	45	617
		2008-09							448	112			448	112	560
		2009-10 जनवरी तक							200	100			200	100	300
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1772**	**318**	**0**	**0**	**1772**	**318**	**2090**
8	बूंदी	2006-07											0	0	0
		2007-08											0	0	0
		2008-09											0	0	0
		2009-10 जनवरी तक							32	48			32	48	80
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**48**	**0**	**0**	**32**	**48**	**80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	बारां	2006-07								3			0	3	3
		2007-08							5				5	0	5
		2008-09							13	2			13	2	15
		2009-10 जनवरी तक							14				14	5	14
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**5**	**0**	**0**	**32**	5	**37**
	योग	2006-07	1663	299	237	412	160	207	552	64	0	0	2612	982	3594
		2007-08	2626	243	296	386	452	203	577	45	0	0	3951	877	4828
		2008-09	2830	421	63	514	290	301	461	114	1876	4	5520	1354	6874
		2009-10 जनवरी तक	2872	364	49	622	152	254	246	148	3432	6	6751	1394	8145
		कुल योग	**9991**	**1327**	**645**	**1934**	**1054**	**965**	**1836**	**371**	**5308**	**10**	**18834**	**4607**	**23441**

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में बनेठिया एनीकट का निर्माण

103. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत बनेठिया में एनीकट निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में ली गई है एवं एनीकट की ऊंचाई भी कम रखी गई है?

(2) क्या सरकार उक्त घटिया निर्माण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत बनेठिया में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत एक एनीकट निर्माणाधीन है। इस एनीकट के निर्माण में मापदण्डों के अनुसार ही सामग्री उपयोग में ली गई/ली जा रही है। एनीकट की ऊँचाई नाले के तल से 1.50 मीटर है जो कि कार्यस्थल की स्थिति एवं नाले में जल आवक के अनुसार पर्याप्त है।

(2) जी नहीं। एनीकट का निर्माण मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है एवं वर्तमान में भी इस एनीकट में 1.20 मीटर जल का भराव है तथा एनीकट में कोई रिसाव नहीं हो रहा है। अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावास

104. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों क्या–क्या हैं प्रत्येक योजनावार आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में समाज कल्याण विभाग के कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से चलायी जा रही योजनाएं, लाभ उठाने के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

लिए पात्रता की शर्तें प्रत्येक योजनावार आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में विभाग को कोई भी छात्रावास संचालित नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित आवासीय विद्यालय

105. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गौ, पशुपालकों तथा भिक्षावृति में लिप्त परिवारों के बच्चों के लिए कब से आवासीय विद्यालय संचालित हैं? वर्ष, स्थान, छात्र-छात्राओं की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय विद्यालयों को स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय राशि का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गौ, पशुपालकों तथा भिक्षावृति में लिप्त परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय क्रमशः वर्ष 2005-06 एवं 2008-09 से संचालित हैं। वर्ष, स्थान, छात्रों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आवासीय विद्यालयों की स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत निष्क्रमणीय पशुपालक व भिक्षावृति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालयों में वर्षवार स्वीकृत एवं लाभान्वित बालक/बालिकाओं की स्थिति

क्र.सं.	आवासीय विद्यालय का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		स्वीकृत	लाभान्वित	स्वीकृत	लाभान्वित	स्वीकृत	लाभान्वित	स्वीकृत	लाभान्वित	स्वीकृत	लाभान्वित
1	निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय हरियाली, जालौर (बालक)	120	102	160	137	200	190	240	210	280	246
2	भिक्षावृति व अवांछनीय वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु रा.आ.वि. मण्डाना, कोटा (बालक)	-	-	-	-	-	-	120	35	120	106
	योग	**120**	**102**	**160**	**137**	**200**	**190**	**360**	245	**400**	**352**

परिशिष्ट-ब

आवासीय विद्यालय, मण्डाना (कोटा) व हरियाली, (जालौर) का संचालन व्यय

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय (जनवरी, 2010 तक)
1	बजट मद- 2235-02-200-10 (आयोजना) भिक्षावृति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय, मण्डाना (कोटा)	-	-	-	-	-	-	21.70	21.50	36.00	23.19
2	बजट मद- 2235-02-200-11 (आयोजना) पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय, हरियाली (जालौर)	10.42	*	14.60	9.57	27.90	26.26	51.80	48.67	62.00	48.64

* पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय हरियाली (जालौर) का भवन निर्माणाधीन होने के कारण यह विद्यालय अस्थाई तौर पर आवासीय विद्यालय केनपुरा (पाली) परिसर में सत्र 2005-06 से 2007-08 तक संचालित किया गया है तथा वर्ष 2005-06 में इसका संचालन केनपुरा विद्यालय के बजट से किया गया।

धौलपुर जिले में पेंशन के लंबित प्रकरण

106. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला धौलपुर में विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन कुल कितने व्यक्तियों को व कितनी-कितनी दी जा रही है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेडी में दिसम्बर, 2007 से अब तक पेंशन के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को पेंशन स्वीकृत की गई व कितने शेष हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार नि:शक्त महिलाओं व पुरुषों को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पात्र आवेदनकर्ताओं को मौके पर पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में वर्तमान में विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन निम्नानुसार दी जा रही है, जिनकी संख्या व पेंशन दर निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रेणी पेंशन	पेंशनर की संख्या	पेंशन दर रुपये प्रतिमाह
1	विधवा पेंशन	7235	400
2	विकलांग पेंशन	1307	400
3	वृद्धावस्था पेंशन		
	(i) 65 वर्ष व उससे अधिक आयु का वृद्ध पुरुष/महिला	8283	400
	(ii) 58 वर्ष व अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु का वृद्ध पुरुष	114	100
	(iii) 55 वर्ष व अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु की वृद्ध महिला	170	200

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	**श्रेणी पेंशन**	**पेंशनर की संख्या**	**पेंशन दर रुपये प्रतिमाह**
	(iv) पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष से कम आयु के हों	48	300
	(v) पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दम्पति में से किसी एक की आयु 65 वर्ष एवं अधिक होने पर	184	500
	(vi) पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष व अधिक आयु के हों	736	600

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में दिसम्बर, 2007-08 से अब तक पेंशन के लिये प्राप्त आवेदन पत्र, उनमें से स्वीकृत आवेदन पत्र एवं शेष रहे आवेदन पत्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**पेंशन की श्रेणी**	**प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या**	**स्वीकृत पेंशन प्रकरणों की संख्या**	**निरस्त पेंशन प्रकरणों की संख्या**	**शेष पेंशन प्रकरणों की संख्या**
1	वृद्धावस्था पेंशन	932	908	14	10
2	विधवा पेंशन	702	683	4	15
3	विकलांग पेंशन	107	100	5	2
	योग	**1741**	**1691**	**23**	**27**

(3) उपरोक्त शेष 27 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा।

(4) राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्त पूर्ण करने वाली नि:शक्त महिलाओं व पुरुषों को पेंशन देय है।

(5) माह अप्रैल, 2010 पश्चात प्रस्तावित ''प्रशासन गांवों की ओर'' अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् पात्र पाये गये व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थानी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा

107. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई।

उत्तर

जी हां। दिनांक 25 अगस्त, 2003 को राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु राजस्थान विधान सभा में संकल्प पारित किए जाने के पश्चात् दिनांक 03.09.2003 को ततकालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु तत्कालीन गृह मंत्री महोदय को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया।

पुन: राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए भारत सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पुन: मा. प्रधानमंत्री महोदय को स्मरण कराते हुए दिनांक 28.06.09 को अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में प्रकरण केन्द्र सराकर के स्तर पर लम्बित है।

तेवड़ी ग्राम (विराटनगर) के राशन विक्रेता से अधिशेष गेहूं की वसूली

108. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम तेवड़ी के राशन विक्रेता को अकाल राहत के तहत उपलब्ध करवाया गया गेहूं अधिशेष है? यदि हां, कितना?

(2) उक्त गेहूं की वसूली के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गेहूं की वसूली करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। अकाल राहत सम्वत 2059 का 613.09 क्विं. गेहूं बकाया निकाला गया था।

(2) उक्त गेहूं की वसूली हेतु तहसील कार्यालय विराटनगर द्वारा दिनांक 12-2-09, 9-6-09, 24-7-09 एवं 8-9-09 द्वारा गेहूं की राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये। डीलर ने जवाब में 1721.41 क्विं. गेहूं के कूपन एसजीआरवाई (एससी) पेटे तहसील कार्यालय में जमा कराया जाना बताया गया। विशेष जांच के अनुसार भौतिक सत्यापन एवं तहसील में कराये गये भौतिक सत्यापन के अनुसार 3.70 क्विं. गेहूं के कूपन कम पाये गये। इसके लिए डीलर को जिम्मेदार मानकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। राशन डीलर ने 1345.77 क्विं. गेहूं के कूपनों का हिसाब एसजीआरवाई विकास मद के पंचायत समिति कार्यालय में जमा करवाया जाना बताया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति विराटनगर ने डीलर द्वारा दिये गये हिसाब के सत्यापन के सम्बन्ध में असमर्थता प्रकट करते हुए अवगत कराया है कि कूपन प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर की एफ.एस.एल. जांच के बाद ही सत्यापन किया जाना सम्भव है। तथा कूपन सम्बन्धी रिकार्ड गुर्जर आन्दोलन दिनांक 31-5-2007 को हुई आगजनी की घटना में नष्ट होना बताया गया है।

(3) जी हां। डीलर के विरूद्व वास्तविक बकाया की वसूली की जानी है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति के स्तर पर आगे की कार्यवाही शेष है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइवे एमिनिटी सेन्टर्स का निर्माण

109. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के कई राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर हाइवे एमिनिटी सेन्टर (टोहास) विकसित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इन सेन्टर्स पर क्या–क्या कार्य प्रस्तावित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि कई हाइवे एमिनिटी सेन्टर्स (टोहास) पर कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कौन-कौनसा कार्य पूर्ण कर दिया गया और कौन-कौन सा कार्य अपूर्ण है? उक्त सेन्टर्स कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हाइवे एमिनिटी सेन्टर (टोहास) विकसित किया जा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रहा है? यदि हां, तो इस सेन्टर पर अब तक, कौन-कौनसा कार्य पूर्ण हो चुका है, कौन-कौनसा कार्य बकाया है, व बकाया कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) टोहास (ट्रक आपरेटर हाइवे एमिनिटी सोसायटी) के माध्यम से जयपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर मनोहरपुर कस्बे के पास हाइवे एमिनिटी सेन्टर विकसित किये जाने के संबंध में पी.डी. कोर लि. के माध्यम से टोहास द्वारा वर्ष 2008 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त एमिनिटी सेन्टर पर वाहन पार्किंग, भोजन कक्ष, डोरमेट्री प्राथमिक चिकित्सक केन्द्र, वाहन सर्विस सेन्टर, पेट्रोल/डीजल पम्प आदि का निर्माण प्रस्तावित था किन्तु एमिनिटी सेन्टर विकसित करने हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।

(2) जी नहीं। प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में उल्लेखित हाइवे एमिनिटी सेन्टर के अतिरिक्त टोहास द्वारा किसी भी अन्य स्थान पर कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है।

(3) जी हां। इस संबंध में पी.डी. कोर लि. के माध्यम से टोहास द्वारा वर्ष 2008 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त एमिनिटी सेन्टर पर वाहन पार्किंग, भोजन कक्ष, डोरमेट्री प्राथमिक चिकित्सक केन्द्र, वाहन सर्विस सेन्टर, पेट्रोल/डीजल पम्प आदि का निर्माण प्रस्तावित था किन्तु एमिनिटी सेन्टर विकसित करने हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में उक्त आवंटित भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करवाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडे भाग पर ''हरित राजस्थान'' योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है एवं पानी की व्यवस्था हेतु एक बोर वेल का निर्माण कराया गया है। इस हेतु बिजली के कनेक्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्रीगंगानगर से जयपुर वातानुकूलित रात्रिकालीन बस सेवा

110. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगांगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर से जयपुर यात्रीभार अधिक होने के कारण निजी बसें बहुतायत से संचालित हो रही हैं? क्या सरकार उक्त मार्ग पर निगम की रात्रिकालीन वातानुकूलित बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। गंगानगर से जयपुर यात्रीभार की उपलब्धता होने से निजी बसें बहुतायत में कम किराया दरों पर संचालित हो रही हैं, क्योंकि निजी बसों द्वारा यात्रियों से जो किराया वसूल किया जा रहा है वह निगम वाहनों की निर्धारित किराया दर से कम है। इस कारण निगम की वाहनों में पर्याप्त यात्रीभार प्राप्त नहीं हो रहा है तथा निगम बसों की आय परिवर्तित लागत से भी कम प्राप्त होने के कारण संचालन बंद करना पड़ा है।

जयपुर–गंगानगर मार्ग पर निगम द्वारा वर्ष 2000 में रात्रिकालीन वातानुकूलित वाहनें संचालित की गई थी किन्तु निगम की बसों की आय परिवर्तित लागत से भी कम प्राप्त होने के कारण, संचालन हानिप्रद होने से बंद करना पड़ा। तथापि प्रायोगिक तौर पर पुन: जयपुर–गंगानगर मार्ग पर वातानुकूलित निगम वाहन का संचालन दिनांक 5.मार्च, 2010 से प्रायोगिक तौर पर कर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों को समस्त श्रेणी के वाहनों में किराये में छूट

111. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वरिष्ठ नागरिकों को मात्र सामान्य बसों में ही किराये में छूट दी जाती है? क्या सरकार समस्त श्रेणी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। 65 वर्ष व इससे अधिक की आयु के राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निगम की साधारण एवं द्रुतगामी दोनों श्रेणी की बसों में (जहां तक बस संचालित है) यात्री किराया राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

अन्य श्रेणी की बसों में रियायती यात्रा सुविधा देने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भरतपुर से रूदावल वाया रूपवास-जटमासी निगम बस सेवा

112. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर से रूपवास-जटमासी होकर रूदावल सड़क मार्ग पर आवागमन हेतु परिवहन निगम की कोई बस सेवा नहीं है?

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(2) क्या सरकार भरतपुर से रूपवास-जटमासी होकर रूदावल रात्रि बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। हालांकि भरतपुर से रूपवास वाया ऊंचा नंगला अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम द्वारा प्रतिदिन बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है परन्तु रूदावल सड़क मार्ग पर वाया जटमासी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम की वाहनें संचालित नहीं की जा रही है।

(2) जी नहीं। रूपवास से रूदावल-जटमासी सड़क मार्ग पर निगम के समिति संसाधन होने के कारण फिलहाल वाहन संचालन किया जाना संभव नहीं है।

नगर (भरतपुर) में डिपो की स्थापना

113. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नये डिपो स्थापित किये जाने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में स्थित डिपो की साठ किमी. परिधि में कोई दूसरा डिपो नहीं है? क्या सरकार उपखण्ड नगर में दूसरा डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नये डिपो स्थापित किये जाने के मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट '1' के अनुसार है।

(2) जी नहीं। भरतपुर जिले में दो डिपो भरतपुर शहर में ही भरतपुर व लोहागढ़ डिपो के नाम से स्थापित है। इन दोनों डिपो की 60 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई डिपो स्थापित नहीं है। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपखण्ड नगर में डिपो खेला जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

निगम मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 16.09.2009 के निर्णय संख्या 44/2009 द्वारा निगम वाहनों के संचालन हेतु नया आगार स्थापित करने के सम्बन्ध में नीति

1. राजस्थान राज्य में प्रथमतया जिन जिला मुख्यालयों पर आगार स्थापित नहीं है उन जिला मुख्यालयों पर ही नये आगार स्थापित किये जावें। आगार का संचालन आयिक (Viable) भी होना चाहिए जिसमें विभिन्न मार्गों पर कम से कम 80 सेवाऐं एवं 32,000 किमी. प्रतिदिन संचालन का स्कोप हो।
2. नये आगार द्वारा संचालित की जाने वाली सेवाओं में अधिकांशत: राष्ट्रीयकृत मार्ग या पंचम अध्याय मार्ग से होकर लम्बी दूरी की सेवाओं को सम्मिलित किया जाकर वाहनों का संचालन किया जावेगा।
3. आगार की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम के बस स्टैण्ड, आगार कार्यालय एवं आगार कार्यशाला इत्यादि के निर्माण हेतु भविष्य में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एक ही स्थान पर पर्याप्त भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जावे। यह भूमि डिपो/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये रूपान्तरित हो तथा निगम द्वारा किसी भी प्रकार के भूमि विकास टैक्स इत्यादि से मुक्त हो।
4. आगार में Infrastructure Development के लिए स्थानीय विद्यायक/सांसद कोष, राज्य सरकार अथवा स्वायत्त शासन विभाग से एक मुश्त आवश्यक राशि स्वीकृत की जावे। यथा सम्भव कार्यशाला और बस स्टैण्ड के मध्य दूरी कम रखी जावे ताकि वाहनों के अनायिक किमी. में कमी की जाकर व्यय में बचत की जा सके। निर्मित किये जाने वाले बस स्टैण्ड तथा कार्यशाला के लिए भी मुख्य मार्ग से Approach Road उपलब्ध हो ताकि वाहनों के संचालन में सुविधा रहे।
5. वर्तमान में निगम द्वारा संचालित सेवाओं के लिए विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदानुसार कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। वाहनों के संचालन हेतु आवश्यक चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के वांछित पदों का सृजन करने की स्वीकृति के साथ उन पदों के भरने की स्वीकृति भी दी जावे।
6. नये आगार में वाहनों के संचालन हेतु आगार मुख्यालय से विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाने वाली नई अथवा अतिरिक्त सेवाओं के लिए, आवश्यक वाहनें क्रय करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जावे। वाहनों के संचालन हेतु कार्यशाला में वांछित Plants or Machinery के साथ

अन्य उपकरणों का होना भी आवश्यक है और डीजल पम्प की स्थापना भी वाहनों के संचालन की मूल जरूरत है। इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता होना आवश्यक है।

7. निगम द्वारा निवेश की जाने वाली राशि हेतु एक कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें सालाना Surplus की 10 प्रतिशत राशि स्थानान्तरित की जावेगी। निगम के अन्य स्त्रोतों से, इस कार्य हेतु राशि Divert नहीं की जा सकेगी।

राजसमन्द जिले के भवन रहित संस्कृत विद्यालय

114. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) राजसमंद जिले में कुल कितने संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? उक्त में से कितने विद्यालयों में स्वयं के भवन नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सर्व शिक्षा अभियान में उक्त जिले के संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 2005 से जनवरी 2010 तक भौतिक सुविधाओं के सृजन पर कितनी राशि व्यय की गई व क्या भैतिक सुविधाएं सृजित की गई? विद्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमंद जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग के 23 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। जिनमें से दो संस्कृत विद्यालयों में स्वयं का भवन नहीं है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सनवाडा व मुंडोल की संस्थाओं में स्वयं की भूमि एवं भवन नहीं है। भूमि आबंटन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि आबंटन होने पर भवन निर्माण कराया जा सकेगा।

(3) राजसमंद जिले में संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 2005 से 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं के सृजन पर किये गये व्यय एवं सृजित की गई सुविधाओं का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजसमंद जिले की विद्यालयों की सूची व भवन की स्थिति

क्र. सं.	नाम संस्था	विद्यालय में भवन की स्थिति
1	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नाथद्वारा	है
2	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय थोरिया	है
3	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सरदारपुरा (उथनोल)	है
4	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जीतरिया	है
5	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भगत तलाई मजीरा	है
6	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय थोरिया	है
7	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय शंकरपुरा	है
8	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जोधपुरिया	है
9	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चनकारा	है
10	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सनवाडा	नहीं
11	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मुंडोल	नहीं
12	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पीपलिया	है
13	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय छेगा का खेडा	है
14	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रंगसपुरिया	है
15	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बुद्धपुरा झोर	है
16	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय आमेट	है
17	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय फतेहपुरिया	है
18	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खानिया कांकरोद	है
19	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भोजा ठाकुर का नाडिया	है
20	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय फत्ताखेडा	है
21	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामदेवनगर	है
22	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नाथद्वारा	है
23	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय काबेडा का डाग	है

परिशिष्ट-2

राजसमंद जिले मे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005 से अब तक कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम		निर्माण कार्य का वर्ष	योजना जिसके अन्तर्गत कार्य या राशि आबंटित हुई	आबंटित राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण	वि.वि
1	रा.उ.प्रा.सं.वि.	पीपलीअहिरान	2005-06	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	पानी की टंकी
2	रा.उ.प्रा.सं.वि.	आमेट	2005-06	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	शौचलय
3	रा.उ.प्रा.सं.वि.	खरनीया	2005-06	SSA	1.5	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
4	रा.उ.प्रा.सं.वि.	खरनीया	2005-06	SSA	0.5	कार्य पूर्ण	हैण्डपम्प
1	रा.उ.प्रा.सं.वि.	बुद्धपुरा	2006-07	SSA	0.5	कार्य पूर्ण	हैण्डपम्प
2	रा.उ.प्रा.सं.वि.	बुद्धपुरा	2006-07	SSA	3.1	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष रसोई घर
3	रा.उ.प्रा.सं.वि.	आमेट	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष रसोई घर
4	रा.उ.प्रा.सं.वि.	खरनीया	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष रसोई घर

1	2		3	4	5	6	7
5	रा.उ.प्रा.सं.वि.	नाथद्वारा	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
6	रा.उ.प्रा.सं.वि.	सरदारपुरा	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
7	रा.उ.प्रा.सं.वि.	पीपलीअहिरान	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
8	रा.उ.प्रा.सं.वि.	छेगा का खेडा	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
9	रा.उ.प्रा.सं.वि.	रंगसपुरिया	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
10	रा.उ.प्रा.सं.वि.	रामदेवनगर	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
11	रा.उ.प्रा.सं.वि.	काबेडा का डाग थोरिया	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
12	रा.उ.प्रा.सं.वि.	भगत तलाई	2006-07	SSA	3	कार्य पूर्ण	
1	रा.उ.प्रा.सं.वि	शंकरपुरा	2007-08	SSA	3.6	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
2	रा.उ.प्रा.सं.वि	चणकारा	2007-08	SSA	3.6	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
3	रा.उ.प्रा.सं.वि	फतेहपुरिया	2007-08	SSA	3.6	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
4	रा.उ.प्रा.सं.वि	नाथद्वारा	2007-08	SSA	1.8	कार्य पूर्ण	1 कक्षा कक्ष
5	रा.उ.प्रा.सं.वि	थोरिया	2007-08	SSA	3.6	कार्य पूर्ण	2 कक्षा कक्ष
1	रा.उ.प्रा.सं.वि	काबेडा का डाग	2008-09	SSA	1.8	कार्य पूर्ण	1 कक्षा कक्ष

1	2		3	4	5	6	7
2	रा.उ.प्रा.सं.वि	काबेडा का डाग	2008-09	SSA	1.2	कार्य पूर्ण	प्र.अ कक्ष
3	रा.उ.प्रा.सं.वि	काबेडा का डाग	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
4	रा.उ.प्रा.सं.वि	नाथद्वारा	2008-09	SSA	0.25	कार्य पूर्ण	शौचालय
5	रा.उ.प्रा.सं.वि	खरनिया	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
6	रा.उ.प्रा.सं.वि	भगत तलाई	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
7	रा.उ.प्रा.सं.वि	फतेहपुरिया	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
8	रा.उ.प्रा.सं.वि	बुद्धपुरा	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
9	रा.उ.प्रा.सं.वि	आमेट	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
10	रा.उ.प्रा.सं.वि	रामदेवनगर	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
11	रा.उ.प्रा.सं.वि	पीपलीअहिरान	2008-09	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
1	रा.उ.प्रा.सं.वि	फताखेडा	2009-10	SSA	0.6	कार्य पूर्ण	हैण्डपम्प
2	रा.उ.प्रा.सं.वि	फताखेडा	2009-10	SSA	1.55	कार्य पूर्ण	प्र.अ कक्ष
3	रा.उ.प्रा.सं.वि	फताखेडा	2009-10	SSA	0.5	कार्य पूर्ण	मरम्मत

1	2		3	4	5	6	7
4	रा.उ.प्रा.सं.वि	रामदेवनगर	2009-10	SSA	1.55	कार्य पूर्ण	प्र.अ कक्ष
5	रा.उ.प्रा.सं.वि	रामदेवनगर	2009-10	SSA	0.13	कार्य पूर्ण	मरम्मत
6	रा.उ.प्रा.सं.वि	फत्ताखेडा	2009-10	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	विद्युत व्यवस्था
7	रा.उ.प्रा.सं.वि	फत्ताखेडा	2009-10	SSA	0.13	कार्य पूर्ण	फर्नीचर
8	रा.उ.प्रा.सं.वि	नाथद्वारा	2009-10	SSA	0.2	कार्य पूर्ण	फर्नीचर
9	रा.उ.प्रा.सं.वि	खरनिया	2009-10	SSA	0.6	कार्य पूर्ण	मरम्मत
10	रा.उ.प्रा.सं.वि	काबेडा का डॉग	2009-10	SSA	0.25	कार्य पूर्ण	मरम्मत

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में सहायता हेतु लम्बित प्रकरण

115. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को दुर्घटना में घायल या मृत्यु होने पर कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्ष 2004 से जनवरी, 2010 तक सहायता हेतु कितने आवेदन कब प्राप्त हुए तथा किन-किन को सहायता दी गई तथा किन को दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किसानों को सहायता में देरी के लिए कौन जिम्मेवार है तथा उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों व खेतीहर मजदूरों को कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से आर्थिक सहायता देने के लिए कृषक साथी योजना राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शुरू की गयी थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.12.09 के द्वारा किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित कर राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 9.12.09 के पश्चात के प्रकरणों में निम्नानुसार सहायता राशि देय है-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	प्रस्तावित सहायता राशि
1	मृत्यु होने पर आश्रित को	100000
2	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग अलग से कटने पर	50000
3	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	40000
4	पुरुष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी-स्केल्पिग होने पर	40000
5	पुरुष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी-स्केल्पिग होने पर	25000

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	प्रस्तावित सहायता राशि
6	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग भंग होने पर	25.000
7	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	15.000
8	तीन अंगुली कट जाने पर	10.000
9	दो अंगुली कट जाने पर	10.000
10	एक अंगुली कट जाने पर	5.000

(2) कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर को विधान सभा क्षेत्र धौलपुर से वर्ष 2004 से जनवरी 2010 तक कार्यालय रेकार्ड के अनुसार सहायता हेतु 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका सभी का निस्तारण कर दिया गया है कोई प्रकरण शेष नहीं । विवरण संलग्न परिशिष्ट '1' के अनुसार है।

(3) किसानों एवं उनके आश्रितों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की जाकर सहायता समिति की बैठक आयोजित कर निस्तारण कर दिया गया है। वर्तमान में कोई प्रकरण बकाया नहीं है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर से किसानों को सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र वर्ष 2004 से जनवरी 2010 तक दी गई सहायता एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	आवेदनकर्ता का नाम व पता	दुर्घटना का विवरण	निस्तारित	सहायता राशि	दिये जाने का दिनांक/स्वीकृत दि.
1	4.2.04	मिथलेश पत्नि सोनीराम औडेला धौलपुर	मृत्यु	स्वीकृत	30000/-	10.8.04
2	10.10.05	श्री भीकमसिंह पुत्र श्री रामगोपाल बरीपुरा	एक अंगुली कट गई	स्वीकृत	3000/-	9.1.06
3	15.5.06	श्रीमति सौमोती पत्नि मंगलसिंह, मिलकन, विशनौदा	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	12.10.06
4	15.5.06	श्री शिवराम पुत्र श्री चौराखेडा	हाथ कट गया	स्वीकृत	12500/-	31.10.06
5	6.11.06	जनक श्री पत्नि श्री पुरुषोत्तम जाटौली	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	16.3.07
6	27.11.06	श्रीमती सन्तो, नगला दानी, सैपउ	मृत्यु	अस्वीकृत 4.1.07	-	-
7	24.1.07	श्री नत्थीलाल पथैना गुर्जा	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	23.2.07
8	4.4.07	श्रीमती भूदेवी पत्नि जगदीश, कासिमपुर	एक अंगुली कट गई	स्वीकृत	3000/-	10.7.07

क्र.सं.	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	आवेदनकर्ता का नाम व पता	दुर्घटना का विवरण	निस्तारित	सहायता राशि	दिये जाने का दिनांक/स्वीकृत दि.
9	7.6.07	श्रीमती दाखश्री पत्नि श्री गजसिंह, बाबूपुरा	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	14.9.07
10	13.8.07	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि श्री देशराज सिंह, ग्राम चौराखेडा	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	24.10.07
11	1.11.07	श्री महेश चन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल ग्राम चौराखेडा	दो अंगुली कट गई	स्वीकृत	5000/-	20.12.07
12	16.5.08	श्री कुमरसिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, अल्हापुरा, धौलपुर	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	21.6.08
13	9.5.08	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री छोटे लाल, पटेवरी, धौलपुर	बांये हाथ की अंगुली कट गई	स्वीकृत	3000/-	21.6.08
14	2.3.09	श्रीमती मिथलेश पत्नि श्री राधेश्याम, नकटपुरा, सरानीखेडा, धौलपुर	मृत्यु	स्वीकृत	50000/-	1.7.09
15	15.10.09	श्री बोबी पुत्र श्री भगवान सिंह, राजपुर, धौलपुर	पैर कट गया	स्वीकृत 25.2.2010	12500/-	25.2.10
16	17.12.09	श्री रघुनंदन शुक्ला पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा, ग्राम विश्नोदा धौलपुर	मृत्यु	अस्वीकृत 25.2.2010	-	25.2.10

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-67 का विवरण)

परिशिष्ट-क

मरू प्रसार रोक योजना के तहत वर्ष 1999 से 2010 तक वन विभाग को प्राप्त राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम जिला	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
1	जैसलमेर	200.00	805.00	728.25	1359.77	516.90	823.25	1362.76	1465.00	276.75	1301.89	87.75	8927.32
2	जालौर	84.37	134.37	260.00	277.00	117.55	89.03	314.36	388.94	189.47	505.00	322.94	2683.03
3	सीकर	0	169.99	316.83	350.66	363.10	260.12	490.02	535.67	228.60	965.03	75.00	3755.02
4	नागौर	144.37	218.12	296.87	417.34	354.40	238.63	827.71	732.00	781.75	1061.97	959.41	6032.57
5	जोधपुर	181.88	173.73	443.09	508.00	308.43	258.87	484.75	771.00	246.50	516.64	1292.90	5185.79
6	बाड़मेर	230.63	771.03	498.31	1073.40	506.80	805.39	1345.00	1584.99	475.00	1233.50	777.63	9301.68
7	झुन्झुनूं	46.88	65.63	206.30	120.69	129.12	199.01	587.05	392.89	196.58	977.02	745.82	3666.99
8	पाली	0	316.87	352.50	356.36	351.60	665.00	810.00	1341.97	296.95	1687.96	1081.84	7261.05
9	बीकानेर	164.53	353.44	515.15	711.33	736.61	390.85	395.46	1244.98	295.62	1345.89	533.54	6687.40
10	चूरू	0	345.08	467.62	350.00	612.89	255.47	690.01	566.79	300.00	569.70	378.00	4535.56
	योग	1052.66	3353.26	4084.92	5524.55	3997.40	3985.62	7307.12	9024.23	3287.22	10164.60	6254.83	58036.41

परिशिष्ट- 'ख'

मरू प्रसार रोक योजना के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि एवं देनदारियों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	वनमंडलों में उपलब्ध राशि जिसे व्यय किया जाना शेष है (लाख रुपये में)	सृजित देनदारियां (लाख रुपये में)
1	बाड़मेर	34.78	759.18
2	जोधपुर	80.00	-
3	जालौर	0.03	55.82
4	जैसलमेर	1.31	562.00
5	झुंझुनूं	236.98	-
6	पाली	150.77	-
7	चूरू	256.35	-
8	बीकानेर	207.43	-
9	नागौर	251.73	-
10	सीकर	2.97	-
	योग	**1222.35**	**1377.00**

परिशिष्ट-2

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

बीसलपुर बांध के डूब में आये केकड़ी-देवली मार्ग की बहाली

मान्यवर,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीसलपुर बॉध के निर्माण से ग्राम नेगड़िया तहसील देवली (टोंक) केस समीप वर्ष 1936 के पूर्व रियासतकालीन समय से निर्मित पुलबीसलपुर बांध निर्माण से डूब में आ जाने से सैकडों वर्षो पुराना कदीमी सड़क मार्ग बन्द हो जाने से चार जिलों टोंक, बून्दी, भीलवाड़ा, अजमेर के लगभग 200 ग्रामों के निवासियों को आवागमन की भारी परेशानी उठानी पड़ रही है तथा देवली एवं केकड़ी के मध्य निकटतम दूरी के सीधे पारस्परिक मार्ग के अवरूद्ध हो जाने से क्षेत्र के आम लोगों को आवगमन एवं व्यापारिक कार्यों में कई समस्याओं सामना करना पड़ रहा है। देवली शहर का व्यापार खत्म होता जा रहा है। नासिरदा-बीजवाड़ क्षेत्र के टोंक जिले के किसानों की कृषि उपज मण्डी समिति देवली है, किन्तु पुलिया की ऊंचाई नहीं उठायी जाने या नई पुलिया का निर्माण नहीं किया जाने से किसान अपनी कृषि उपज देवली मण्डी तक नहीं ला पा रहे हैं। इस पुलिया के निर्मित होने पर घुमावदार सड़क के स्थान पर सीधा सड़क मार्ग उपलब्ध होने के साथ ही समय एवं डीजल-पेट्रोल की बचत होगी ।

आवागमन की समस्या के निराकरण तथा इस पुलिया के निर्माण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ही राजस्थान विधान सभा आम चुनाव-2008 के दौरान हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में आगामी पांच वर्षो की कार्ययोजना के तहत सिंचाई शीर्षक में लिए गए संकल्प के बिन्दु संख्या 13 के अन्तर्गत उक्त पुल निर्माण कराए जाने का प्रमुखता से वायदा किया गया है, जो घोषणा-पत्र के पृष्ट संख्या 15 पर अंकित है। वर्तमान में इस मार्ग पर कराए जा रहे सड़क पुनर्निर्माण कार्य में सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा रही है। सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाने से निर्माण कार्य में व्यय की जा रही राशि व्यर्थ होगी ।

अत: विनम्र अनुरोध है, कि जनहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विधानसभा आम पुनाव-2008 के दौरान जारी घोषणा-पत्र में अंकित उक्त

पुल निर्माण कार्य को प्राथमिकता से यथाशीघ्र स्वीकृत करने एवं घोषणा-पत्र में किए गए पुल निर्माण कार्य के वायदे के मुताबिक कार्यवाही की जाकर सड़क की उचाई पर्याप्त उठाई जाने तथा इस पुलिया के निर्माण को प्राथमिकता से करवाया जाने का समुचित आदेश सम्बन्धित को अविलम्ब प्रदान करने की कृपा करें, ताकि घोषणा-पत्र में किए गए वायदे के अनुसार इस महती जनसमस्या का स्थाई निराकरण हो सके । इस कार्य हेतु मेरे द्वारा पूर्व में माननीय जल संसाधन मंत्रीजी तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया जा चुका है ।

रामनारायण मीणा

(देवली-उनियारा)

इमारत निर्माण सामग्री के अधिक भार हेतु ट्रक परिवहन का टोकन

महोदय,

परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान में ट्रकों द्वारा माल ढोने के लिए अधिकतम भार सीमा 9 टन कर रखा है, जबकि पत्थर पट्टी, बजरी आदि बिल्डिंग मेटेरियल वजन में भारी होता है तथा 9 टन भार ढोने पर मकान वाले लोगों के लिए महंगा पड़ता है। क्योंकि 9 टन का भाड़ा पूरे ट्रक क्षमता का भाड़ा देना पड़ता है।

आपसे अनुरोध है कि बिल्डिंग मेटेरियल ढोने वाले ट्रकों के लिए 9 टन से अधिक भार ढोने के लिए टोकन जारी करवाया जावे, जिसका शुल्क निर्धारित अतिरिक्त टैक्स के रूप में निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

बिल्डिंग मेटेरियल ढोने वाले 9 टन भार क्षमता के कारण राजस्थान में हजारों ट्रक मालिक ड्राइवर खलासी व खनन करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं तथा भवन निर्माण करने वालों के लिए मेटेरियल महंगा उपलब्ध हो रहा है।

आपसे निवेदन है कि परिवहन विभाग द्वारा बिल्डिंग मेटेरियल ढोने वाले ट्रकों के लिए टोकन जारी करवाने की कृपा करें, जिससे ट्रक मालिक, ड्राइवर, खलासी व खनन श्रमिकों तथा ग्रामीण जनता को राहत मिल सके।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

बिलाड़ा के किसानों को सिंगल फेस बिजली कनेक्शन

महोदयजी,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में भू-जल स्तर की निरन्तर गिरावट के कारण किसानों के कुओं एवं नलकूपों में बार-बार बोरिंग करवाने के बाद भी फसलों की बुवाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है इसके कारण फसल की बुवाई नहीं की जा सकती है तथा वर्तमान में किसान अपने नलकूपों पर थ्री फेस कनेक्शन ले रखे हैं। इसके बावजूद भी अपनी भूमि के कुछ हिस्से में ही खेती करके अपनी फसल को पानी पिलाते हैं जो किसानों के लिए बहुत मंहगी साबित होती है।

अत: मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन हैं कि किसानों को अपनी भूमि के कुछ हिस्से में उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार सिंगल फेस से उनको सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाये तो उनके द्वारा बोई गई फसल का उत्पादन मूल्य सस्ता पड़ेगा।

अत: निवेदन है कि जिन किसानों ने थ्री फेस कनेक्शन ले रखे हैं तथा उनकी ट्यूबवैल में पानी की कमी के कारण सिंगल फेस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कृषि विद्युत नीति में परिवर्तन कर हजारों किसारों को लाभान्वित करें।

अर्जुन लाल गर्ग
(बिलाड़ा)

अजमेर दादाबाड़ी को पर्यटन सर्किट में शामिल करने का प्रस्ताव

महोदय,

मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान अजमेर स्थित दादाबाड़ी की ओर दिला कर बताना चाहती हूं कि ऐतिहासिक अजमेर नगर की धर्मधारा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य बिसलापाल स्थित श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ परम्परा की 9 शताब्दी पूर्व की पावन धरोहर श्री दादा गुरूदेव जिन्नदत्त सूरी जी की समाधि स्थल दादाबाड़ी अजमेर रेल्वे स्टेशन से लगभग 2 किमी व केन्द्रीय बस स्टैण्ड से 1.5 किमी की दूरी पर स्थित है। परिसर का क्षेत्रफल लगभग 9000 वर्गगज है। जिसके प्रथम परकोटे में खरतरगच्छाचार्य दादा श्री जिन्नदत्त सूरी जी का मूल समाधि स्थल स्तूप (छतरी) है जिसमें कालान्तर में भक्तों द्वारा दादा गुरूदेव के चरण व मूर्ती की स्थापना की गई है।

खरतरगच्छ परम्परा के आचार्य श्री जिन्नदत्त सूरी जी ने अपने कठिन

संयम, त्याग एवं योग साधना के फलस्वरूप दुर्लभ विधाओं व अनेक सिद्धियों को अर्जित किया। पूज्य दादा गुरूदेव ने अपने मार्मिक हृदय स्पर्शी उपदेशों एवं प्रतिबोधन के स्वभाव से अनेक राजपूत वंश के शासकों, राजा महाराजाओं एवं एक लाख तीस हजार जैनेतर लोगों ने अहिंसा एवं पंचमहाव्रत धारणा कर जैनत्व अंगीकार करने का संकल्प दिलवाकर एक अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया।

दादा गुरू श्री जिन्नदत सूरी जी ने अपने योगबल, तपोबल एवं ज्ञानबल से भगवान महावीर के अहिंसा एवं पंचमहाव्रत के सिद्धान्तों को जनसाधारण से राजघरानों तक पहुंचाकर उन्हें आत्म कल्याण का मार्गदर्शन कर जैन शासन की वृद्धि में अपूर्व योगदान किया। सूरिपद (खरतरगच्छाचार्य पद) प्राप्त करने के पश्चात आपने अनेक ग्रामों व नगरों में अपने शिष्य समुदाय के साथ पैदल विहार कर जैन धर्म के सिद्धान्तों को जन समुदाय में आत्मसात करवाया तथा ओसवाल समाज के 57 गोत्र प्रतिष्ठापित किये व अनेक जिनालयों मन्दिरों का निर्माण अधिष्ठायक देव-देवियों की प्रतिमाओं एवं चरणों की प्रतिष्ठाएं, कर जैन शासक की अपार सेवा की।

श्री श्वेताम्बर जैन खरतरगच्छ परम्परा के प्रथम गुरूदेव श्री जिन्नदत सूरी जी जीवन पर्यन्त कठिन साधना व तपस्या में लीन रहते हुए अजमेर नगर में वि.सं. 1211 में अपने चार्तुमास काल में अपनी आयुष्य पूर्ति जानकर अनशन व आराधना पूर्वक आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपना नश्वर शरीर त्याग कर देवलोक गमन कर गये। यही पवित्र समाधि स्थल वर्तमान में जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छाचार्य दादा श्री जिन्नदत सूरी दादाबाड़ी अजमेर के नाम से विख्यात है।

अतीतकाल के महापुरुषों, मर्मज्ञ ज्ञानी संत महात्माओं की स्मृति में निर्मित अनेक कीर्तिमय पवित्र धरोहरों व स्मारकों को जो कालान्तर में आस्थाहीन अज्ञानीयों के हाथों उपेक्षित बन, क्षतिग्रस्त हो गये उन्हें सुरक्षित बना पुनरूत्थान करना आज की प्रमुख आवश्यकता है, जिससे की वर्तमान पीढ़ियों को अपने प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत करवाया जा सके। आज वर्तमान पीढ़ी को बढ़ते हुए सांस्कृतिक प्रदूषण से मुक्त करना देश की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसकी क्रियान्वित वर्तमान समाज के कर्मठ, निष्ठावान, धर्म प्रेमी व सांस्कृतिक मूल्यों के उपासक कर्म योगी पुरुषों के नेतृत्व तथा राज्य सरकार के सहयोग द्वारा ही सम्भव है। मेरा माननीय पर्यटन मंत्रीजी से आग्रह है कि अजमेर की इस ऐतिहासिक धरोहर दादाबाड़ी को अजमेर पुरातत्व

संग्रहालय सर्किट के ऑर्कियोजॉजीकल मोन्यूमेन्टस में सम्मिलित कर पूर्ण रूप से विकसित करावें।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

डीग नगरपालिका द्वारा आवासन मण्डल हेतु अवाप्त की जा रही भूमि की अधिग्रहण से मुक्ति

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान नगरपालिका डीग में आवासन मण्डल द्वारा भूमि अवाप्त करने हेतु आकृष्ट करना चाहती हूं। डीग स्थित गांव रामबाग में आवासन मण्डल द्वारा आराजी खसरा नं. 38, 39,40, 52, 53, 92 को अधिग्रहण कर रहा है। आराजी खसरा नम्बरों में 5 हैक्टेयर में बगीचा लगा हुआ है, एवं इसी ग्राम की 80 बीघा जमीन कृषि उपज मण्डी को, 44 बीघा रीको को 23 बीघा पुलिस कोतवाली को, 30 बीघा कारागार को आवंटित की जा चुकी है।

आवासन मण्डल द्वारा बिना देखे हरे भरे बगीचा जिनमें आंवला, संतरा, नीबू एवं मौसम्मी के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। खसरा नं. 38, 39, 40, 52, 92 के रकवा 5 हैक्टेयर में मौके पर बगीचा में करीब 2000 फलदार पेड़ फल दे रहे हैं।

जबकि डीग के पास गांव श्योपुरा, शाहपुरा, भूडा गेट लगे हुये हैं उन गांव की जमीन राजनैतिक प्रभावशाली होने के कारण नहीं ली जा रही है।

एक तरफ सरकार राजस्थान को पेड़ों से हरा भरा कर रही है। एवं दूसरी ओर आवासन मण्डल हरे भरे पेड़ों को बिना देखे बगीचा की जमीन को अधिग्रहण कर रहा है। यदि आपकी सरकार किसान की सच्ची हितैषी है और वास्तव में ही आपकी सरकार राजस्थान को हरा-भरा देखना चाहती है तो उक्त खसरा नम्बर को अधिग्रहण से मुक्त करे।

अत: महोदय मेरा अनुरोध है कि उक्त खसरा नम्बरों को अधिग्रहण से मुक्त करावें एवं आवासन मण्डल से दोबारा सर्वे कराया जावे।

श्रीमती अनीता सिंह

(नगर)

रेवदर में पेयजल की गम्भीर समस्या

महोदय,

1. अध्यक्ष महोदय रेवदर विधान सभा क्षेत्र पूरा अकाल की भयंकर चपेट में है। क्षेत्र में सभी नदी नाले बांध, एनीकट बिलकुल सूखे पड़े हैं।

जिससे पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। रेवदर मुख्यालय पर भी पेयजल सप्लाई 5 से 10 दिन में एक बार होती है। जिससे मुश्किल से 1-2 मटके लोगों को पीने का पानी मिलता है।

2. पूरे विधान सभा क्षेत्र में हालात गम्भीर हैं। विशेषकर गांवों और ढाणियों में 2-3 किमी. की दूरी से ढूंढ कर पानी लाया जा रहा है।

3. अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। क्षेत्र में पुराने कई हैण्डपम्प खराब हैं तथा कइयों में नए पाइप व सामग्री के अभाव में पड़े हैं। सरकार द्वारा नये हैण्डपम्प खोदने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा विभाग के कुओं में बोरिंग व सफाई इत्यादि की सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

4. अध्यक्ष महोदय क्षेत्र की जनता को पर्याप्त पेयजल के लिए टैंकरों की शीघ्र व्यवस्था कराई जावे तथा नए हैण्डपम्प खोदे जावें एवं चालू कुओं में बोरींग करवाए जावें ताकि आम जन को पेयजल पर्याप्त मिल सकें।

जगसीराम कोली
(रेवदर)

धोद की मिसिंग-लिंक सड़कों का निर्माण

महोदय,

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्न मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

1. सांवलोदा पुरोहितान से खाखोली	5. K.M.
2. झीगर बड़ी से झींगर छोटी वाया शास्त्री नगर	3. K.M.
3. थौरासी से बउधाम	3. K.M.
4. तासर छोटी से दीपपुरा	3. K.M.
5. टाटनवा से सेवद छोटी	2.5 K.M.
6. श्योता का बास से टाटनवा	2. K.M.
7. श्यामपुरा से पालवास	4. K.M.
8. कुण्डलपुरा से ताखरों की ढाणी	3. K.M.
9. काशी का बास से पुराबडी	3. K.M.
10. पैवा से बोसाणा	4. K.M.
11. पेवा से सेसम	5. K.M.
12. मैलासी से आकवा	3. K.M.

13.	भढाडर से भूकरों का बास	3.5 K.M.
14.	ताखरों की ढाणी से माण्डोली	3 K.M.
15.	सेसम से सामी	2 K.M.
16.	भीमा से बिजारणियां की ढाणी	4 K.M.
17.	खूड से खिचडों की ढाणी	3 K.M.
18.	मूण्डवाडा से सीकर बाडलवास सड़क तक	5 K.M.
19.	मूण्डवाडा से माण्डोता वाया सिहागों की ढाणी	5 K.M.
20.	अनोखू से दीपपुरा	1 K.M.

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त मिसिंग लिंक सड़कों के बनने से जनता को आवश्यक सुविधा मिलेगी तथा आवागमन की दूरी कम होगी।

पेमाराम

(धोद)

सूरसागर की आवासीय बस्तियों में जन सुविधाओं का विकास

मान्यवर,

मैं नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में बसी आवासीय कालोनियों में बाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही मूलभूत सुविधाओं का विकास की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में नगरीय विस्तार की सर्वाधिक सम्भावना है, इसी कारण इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी पाल रोड योजना क्षेत्र में श्री रामनगर, विवेकानन्द नगर, शोभावतों की ढाणी, यू.आई.टी. कालोनी, और चौपासनी रोड पर कमला नेहरू, चांदणा भाखर, सूंथला, आदि अनेक क्षेत्रों में जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वयं की विकसित एवं जो.वि.प्रा. से स्वीकृत एवं विकास शुल्क जमा कर अनेक निजी कालोनियां विकसित हुई है। इन कालोनियों में अधिकांश को बसें 20 वर्ष और अधिक अवधि बीत चुकी है। परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि उक्त कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बावजूद अभी तक मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल वितरण पाइप लाइन की स्थापना, सीवरेज लाइन की, रोड लाइट की स्थापना, सार्वजनिक पार्क का विकास अभी तक नहीं हो पाया है।

इस बाबत पत्र व्यवहार करने पर विभाग द्वारा अवगत कराया जाता है कि विभागीय कॉलोनियों में तो वित्तीय प्रावधानों की कमी के चलते विकास नही करवाया गया है। दूसरा निजी रूप से विकसित कालोनियों में दो तरह के तथ्य अवगत कराये जाते हैं। प्रथम तो यह कि जिन कालोनियों बाह्य विकास

शुल्क जमा है, वहां कालोनियों के बाहर तक पाइप लाइन-सीवरेज लाइन-रोड लाइट स्थापना के कार्य किये गये हैं परन्तु आन्तरिक विकास कार्य स्वयं कालोनाजर के द्वारा करवाने का तथ्य अंकित कर उक्त कालोनियों में आन्तरिक विकास कार्य करवाने से हाथ खींच रही है। इससे कालोनी में बसे हजारों नागरिकों को माननीय मूलभूत आवश्यकताओं पेयजल, सीवरेज एवं सड़क से वंचित रहकर दोयम दर्जे का जीवन जीना पड़ रहा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण और निजी कालोनादजर की एक-दूसरे पर कार्य डालने की नीति से आमजन बरसों से परेशानी उठा रहे है।

मेरा अनुरोध है कि आप जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वयं द्वारा विकसित कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष वित्तीय स्वीकृतियां जारी करावें। वहीं निजी कालोनाइजर जिन्होंने बाहय विकास शुल्क जमा करवा रखा था परन्तु आन्तरिक विकास शुल्क स्वयं के स्तर पर करवाने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर ले-आउट प्लान्स स्वीकृत करवा लिये थे, ऐसे समस्त ले-आउट प्लान्स की जांच कर आन्तरिक विकास हेतु या तो सरकार स्वयं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करावे अथवा कालोनाइजर को पाबन्द कर आन्तरिक विकास पूरी तरह से सम्पादित करावे अथवा उन पर सख्त कार्यवाही करावे।

सादर ।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

सादुलपुर के नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सादुलपुर कस्बे में पेयजल की गम्भीर समस्या है। सर्दी के मौसम में भी सात-सात दिन से जलापूर्ति हो रही है। जल संसाधन विभाग का स्योराणी पम्प हाउस आपणी योजना द्वारा बन्द करवा दिया गया है। पूर्व में इन्दिरा गांधी नहर का जल मसीतांवाली हैड से गंधेली आता था। उस जल को कर्मसाणा से लिफ्ट करके जल संसाधन की नहर में डाला जाता था। स्योराणी से साहवा आने वाले पानी को बंद करवा कर पी.एम.सी. ने अपनी 900 एम.एम. की पाइप लाइन साहवा तक डाली है। साहवा में पी.एम.सी. का आई. आर. फोर के नाम से पम्प हाउस को दो घण्टे के लिए बंद किया जाना चाहिए ताकि पानी भालेरी जाना बंद हो जावे और साहवा में पानी ओवर फ्लो होकर पी.एच.ई.डी. पम्प हाउस साहवा को मिल सके। मगर ऐसा नहीं होता है और दो घन्टे में आई.आर. फोर के पम्प हाउस

का वाटर लेवल मेन्टेन किया जाता है। इस कारण साहवा पानी नहीं आ पाता है। आवश्यक है कि पी.एच.ई.डी. के बंद किये गए सिस्टम को वापस पूर्ववत किया जावे। चूंकि सादुलपुर कस्बा आपनी योजना में शामिल नहीं होने के कारण उसका जल यहां नहीं मिलता।

ललाणियां में पी.एच.ई.डी. के 4 पम्प हैं जिनमें से 3 काफी दिनों से खराब पड़े हैं। इनको ठीक करवाया जाना अत्यावश्यक है। पानी की पूर्ति हेतु विभाग ने बिना पानी की जांच कराए दो ट्यूबवैल सादुलपुर में बना दिए लाखों रुपये खर्च किए जो व्यर्थ गए क्योंकि पानी एकदम खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी जलदाय विभाग इसी पानी को शहर में सप्लाई कर रहा है। लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फ्लोराइड युक्त खारे पानी की सप्लाई तुरन्त बंद की जावे व साहवा से आने वाली मीठे पानी की सप्लाई मिल सके, इसे तुरन्त व्यवस्थित करें ताकि जनता को राहत मिल सके।

कमला कस्वां

(सादुलपुर)

तिजारा के ग्राम गोधान में बिना भूमि रूपान्तरण के निर्माणाधीन क्रैशर

महोदय,

निवेदन है कि खसरा नम्बर 325, रकबा-67 ऐयर, ग्राम गोधान, तहसील तिजारा में भूमि को बगैर व्यावसायिक रूपान्तरण कराये अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करने हेतु उसमें निर्माण कार्य कर क्रेशर का निर्माण किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप अवैध रूप से काम में लिया जावेगा। जबकि क्रेसर व्यावसायिक कार्य में आता है। आसपास के ग्रामीणों में जन-आक्रोश है। एवं जिलाधीश अलवर को भी लिखित में शिकायत की जा चुकी है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से निर्माणाधीन क्रेसर को ना ही रूकवाया गया है, और ना ही इस भूमि का व्यावसायिक रूपान्तरण कराया गया है जिसके कारण सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है।

अत: अवैध निर्माणाधीन क्रेशर को तुरन्त प्रभाव से रुकवाये, जिससे जनक्रोश की भावना का आदर हो सकें।

रामहेत सिंह यादव

(किश्नगढ़बास)

चिकित्सा विभाग में डिप्लोमाधारी नेत्र तकनीशियनों की नियुक्ति में विलम्ब

महोदय,

1. उपरोक्त विषय अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान N.R.H.M. के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी नेत्र तकनीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। उक्त प्रक्रिया 7-8 माह से लम्बित चल रही है प्रशिक्षित डिप्लोमा धारी छात्रों के आवेदन करने के बाद भी नौकरी से वंचित है, वहीं दूसरी और नेत्र तकनीशियनों की नियुक्ति नहीं होने से योजना का लाभ भी आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। जबकि विभाग में रिक्त पद चल रहे हैं। खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में।

2. श्रीमान चिकित्सा मंत्री का ध्यान छोटे स्तर के कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहती हूं। विभाग में गत 10-15 वर्षो से सहायक कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नतियां नहीं दी गई। जबकि विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त चल रहे हैं। खास कर जोधपुर जिले के सहायक कर्मचारियों की D.P.C. नहीं की गई है।

अतः मैं अनुरोध करती हूं कि शीघ्र D.P.C. करवा कर सहायक कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति दी जावें। तथा SC/ST का बैकलाग भी शीघ्र जारी कर पदोन्नतियां दी जावें।

श्रीमती कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

धरियावद की कतिपय सड़कों की मरम्मत

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र धरियावद के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की हालत बड़ी खराब है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जानमाल की हानी होती है। इन सड़कों पर लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कर जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

<u>क्र.सं.</u>	<u>नाम सड़क</u>
1.	धरियावद से झल्लारा सड़क
2.	लसाडिया से धरियावद सड़क
3.	धरियावद से जुजपुरा बान्सी
4.	धरियावद से प्रतापगढ़ सीमा तक
5.	केसरीवास से पहाड़ा
6.	मान्डवी से पारसोला
7.	सम्पर्क सड़क भबराणा
8.	सम्पर्क सड़क पायरा तह. सलूम्बर
9.	बेडावल से सलूम्बर
10.	जेताणा से कराकला सड़क
11.	कराकला से नयागांव वाया कुण्डली सड़क
12.	लसाडिया से ओवरा
13.	देवलिया से खजूरी
14.	सम्पर्क सड़क बेडास

नगराज मीणा
(धरियावद)